राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 6]   चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सोलहवां दिवस   [संख्या: 12

बुधवार,

16 मार्च 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।

प्रश्न काल। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

अधीनस्थ मंत्रालयिक कार्मिकों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की योजना

226. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के अधीनस्थ विभागों, शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के नियम समान हैं? यदि हां, तो अधीनस्थ विभागों में द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 3,600/- तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं शासन सचिवालय के कार्मिकों को 4,200/- ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तीनों सेवाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय पदोन्नति के बाद अधीनस्थ सेवाओं एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं शासन सचिवालय के पदोन्नति अवसरों एवं ग्रेड पे एवं पदनामों में भिन्नता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार सभी संवर्गों में पदोन्नति का तृतीय पद राजपत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में अधीनस्थ मंत्रालयिक कार्मिकों के पदोन्नति अवसर बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(4) क्या यह सही है कि स्टेट पैरेटी के आधार पर वर्ष 1950 एवं गठित वेतन आयोगों के पश्चात् मंत्रालयिक संवर्ग अपने समकक्ष वेतनमान एवं कम वेतनमान प्राप्त करने वाले अन्य संवर्गों (नर्सिंग स्टाफ, प्रयोगशाला सहायक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष व प्रूफ रीडर, आदि) से काफी पिछड़ गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार लिपिक-ग्रेड द्वितीय की नवीन भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) कार्मिक मंत्री के स्थान पर): (1) राजस्थान के अधीनस्थ कार्यालय, शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग में मंत्रालयिक कर्मियों के लिए पृथक-पृथक सेवा नियम बने हुए हैं। उक्त नियमों के तहत सीधी भर्ती के निम्नतम पद (लिपिक-ग्रेड द्वितीय) पर भर्ती एक ही परीक्षा के माध्यम से मेरिट एवं प्राथमिकता के आधार पर होती है।

शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति अधीनस्थ विभाग के कर्मचारियों से भिन्न है। अतः पदनामों एवं पदोन्नति स्तर में भिन्नता है और इसीलिए द्वितीय एवं उच्चतर पदोन्नति पदों की ग्रेड पे में भिन्नता है।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

सभी संवर्गों में पदोन्नति का तृतीय पद राजपत्रित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा के पदों का पुनर्गठन करने के पश्चात् वर्तमान में पदों की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. संस्थापन अधिकारी 2. प्रशासनिक अधिकारी 3. कार्यालय अधीक्षक-कम- सहायक प्रशासनिक अधिकारी 4. सहायक कार्यालय अधीक्षक 5. लिपिक-ग्रेड प्रथम 6. लिपिक-ग्रेड द्वितीय ।

अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा में संस्थापन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के उक्त पदों पर गत लम्बी अवधि से पदोन्नति नहीं होने के कारण अधिसूचना दिनांक 6.5.2015 (परिशिष्ट-क संलग्न है) के द्वारा अनुभव में एकबारीय छूट (one time relaxation) प्रदान करते हुए इन पदों पर समुचित

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पदोन्नति अवसर प्रदान किये गये हैं। उक्त पदोन्नति अवसरों को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य न होने से इसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) नर्सिंग स्टाफ (ग्रेड द्वितीय) के वेतनमान प्रारम्भ से (वर्ष 1950 से) ही कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान से उच्च थे। प्रयोगशाला सहायक, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रूफ रीडर, इत्यादि के वेतनमान वर्ष 1969 से 1983 तक कनिष्ठ लिपिक के समान थे। वर्ष 1987 के वेतनमान में कनिष्ठ लिपिक पद का वेतनमान प्रूफ रीडर के पद से कम था। इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कनिष्ठ लिपिक के अतिरिक्त अन्य पदों को विशिष्ट श्रेणी का मानते हुए इन पदों के वेतनमान कनिष्ठ लिपिक की तुलना में उच्च निर्धारित किये गये। उसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा भी प्रूफ रीडर, तृतीय श्रेणी शिक्षक के वेतनमान कनिष्ठ लिपिक से उच्च निर्धारित किये गये। इन्हीं वेतनमानों के आधार पर पंचम एवं षष्ठम आयोग में भी तृतीय श्रेणी शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रूफ रीडर एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान कनिष्ठ लिपिक की तुलना में उच्च निर्धारित हुए।

(5) लिपिक-ग्रेड द्वितीय की वर्ष 2013 की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रक्रियाधीन है। आगे के वर्षों की रिक्तियों को संकलित कर राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती नियत प्रक्रिया अनुसार सम्पादित कराई जायेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा जवाब आपने मुझे मेरे प्रश्न का दिया है और मैं आपका भी संरक्षण चाहूंगी क्योंकि 53,000 से ज्यादा हमारे अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ यह मामला है। इन कर्मचारियों ने विगत कई वर्षों में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सम्माननीय हमारे पूर्व मुख्य मंत्री महोदय भैरोंसिंहजी के समय भी उन्होंने आंदोलन किया, पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस के समय में भी किया। सम्माननीय पूर्व सी एम साहब भी उनके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आंदोलन में गये, उनसे वादा किया कि यह जो भिन्नता है, इसको हम लोग खतम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जो इनकी प्रक्रिया है, जब समान योग्यता, समान भर्ती नियम और समान एजेंसी द्वारा इनकी भर्ती होने के बावजूद भी हमारी सचिवालय सेवा और अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं पदोन्नति के अवसर में भारी भिन्नता है। उसको लेकर मैं कहना चाहती हूं। आपने मुझे परिशिष्ट-एक में जो मेरे सवाल का जवाब दिया, उसके निमित्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार मंत्रालयिक संवर्ग के कार्य की प्रकृति के आधार पर उनके वेतन, भत्तों एवं पदोन्नति के पदों का निर्धारण करती है? यदि हां, तो नियम की प्रति एवं इस सम्बन्ध में जारी हुए आदेश हों, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक मिनट साहब, एक साथ ही कर लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। नहीं, नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं एक साथ ही कर लूं प्रश्न?

श्री अध्यक्ष: फिर नहीं करने दूंगा। आप दूसरा भी कर लीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अगर संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी, तो थोड़ा-सा और चाहूंगी।

मेरा यह निवेदन है, मेरे कहने के पीछे यही कारण है कि जब हमारे अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय के यहां भी कुछ हमारे डेपुटेशन पर कर्मचारी लगे हुए होंगे; हमारे कर्मचारी सचिवालय में भी डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, आठ से नौ हजार तक की संख्या में। तो क्या हम इनकी कार्य की प्रकृति पर इन लोगों में भिन्नता को मान रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये जो समान कार्य कर रहे हैं, उनको हम वेतन, भत्ते भी समान दे रहे हैं? हमारे जो सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारी हैं, उनके समान ही अधीनस्थ कर्मचारी जो डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, उनको हम समान वेतन, भत्ते दे रहे हैं? यह भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि दोनों का कार्य समान है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

दूसरा, आपने मुझे परिशिष्ट-दो पर जवाब दिया, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगी। मेरा प्रश्न को पूछने का जो तात्पर्य था, वह मात्र अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कर्मचारी जो होते हैं, उनके बारे में था और जो मुझे जवाब मिला, वह सभी संवर्गों को लिया गया। तो यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी।

पांचवें परिशिष्ट पर आपने जो मुझे जवाब दिया, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वर्तमान में अधीनस्थ सेवा के मंत्रालयिक कर्मचारी हैं, उनके 20 से 25 प्रतिशत पद खाली हैं और आगामी दो वर्ष में, यानी 2018 से पूर्व, 10 से 50 प्रतिशत पद सेवानिवृत के कारण रिक्त होने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित करवाई जाने की सरकार की मंशा है, या इच्छा रखती है? यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, परीक्षा एक ही होती है तीनों के लिए, चाहे वह सचिवालय के अन्दर सलेक्ट हो रहा हो, चाहे आर पी एस सी में हो रहा हो और चाहे हमारे जिलाधीश, कलेक्ट्री और बाकी जगह हो रहा हो; परीक्षा एक ही है, लेकिन उसमें नियम यह है कि जो मेरिट में टोप होगा और अगर उसकी स्वयं की चोइस होगी तो वह जो जहां चाहेगा, अगर वह सचिवालय सर्विस चाहेगा, तो उसे सचिवालय सर्विस मिल जायेगी; अगर वह आर पी एस सी चाहेगा, तो आर पी एस सी सर्विस मिल जायेगी; वह अगर टोप पर होते हुए भी किसी अपने ही जिले में रहना चाहता है, तो उसे वहां सर्विस मिल जायेगी लेकिन सचिवालय सर्विस में और आर पी एस सी सर्विस में वही व्यक्ति आ सकेगा, जो सूची में टोप पर होगा और जिसकी अपनी चोइस होगी और जितने पद उसमें होंगे। तो परीक्षा तो एक ही है। आर ए एस, आई ए एस की एक ही परीक्षा होती है लेकिन परीक्षा होने के बाद, आपने देखा होगा कि कोई अलाइड सर्विस में जा रहा है, कोई को-आपरेटिव में जा रहा है, कोई किसी अन्य सर्विस में जा रहा है। जैसे-जैसे मेरिट का क्रमांक नीचे आता है, परीक्षा और पेपर एक ही है, कुछ आर ए एस बनते हैं, कोई आर पी एस बनता है, कोई को-आपरेटिव में जाता है, कोई और किसी ब्रांच में जाता है। तो वैसा ही सेम इसमें है। परीक्षा तो एक ही है, पेपर एक ही है, लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस मेरिट के माध्यम से तीन सर्विस में डिवाइड होता है, वह उसकी चोइस पर होता है, और चोइस, वह चाहे, जो नीचे नम्बर हो और वह कहे कि मैं तो सचिवालय में जाऊं, तो वह नहीं जा सकेगा। जितने पद सचिवालय में खाली हैं, जितने विज्ञापित हमने किये हैं, उसकी मेरिट में अगर वह आता है, तो वह सचिवालय सर्विस में जा सकता है।

मैं सोचता हूं कि इसका जो पे-ग्रेड है या पे-स्केल है, आपने देखा होगा कि 1987 में लगभग इन सभी का समान था, लैब असिस्टेंट का भी, टीचर्स ग्रेड-III का भी, लाइब्रेरियन का भी, केवल एक प्रूफ-रीडर का थोड़ा-सा पे-स्केल भिन्न था, लेकिन जैसे ही चौथा वेतन आयोग आया, उसने इस पे-स्केल में थोड़ा-सा अंतर किया। फिर पांचवां आया उसमें अंतर हुआ, छठे में अंतर है।

सलेक्शन का आधार जो वह उसकी मेरिट और उसकी चोइस है, उसने जो मांगा। अब इसमें अंतर आपको जो लग रहा है, जो हमारे जिले में लगे हुए लोग हैं, उनको प्रमोशन के जितने चांस सचिवालय सर्विस वालों को मिलते हैं उतने शायद उनको नहीं मिलते हैं और उतना वेतन उसे नहीं मिलता। लेकिन इसमें भी जो पहली पदोन्नति है लिपिक ग्रेड-I की, उसमें सचिवालय में भी वही वेतन है और हमारे अधीनस्थ सेवा में भी जो काम करते हैं, पहली वेतन वृद्धि पर कोई अंतर नहीं है पे स्केल में; लेकिन जैसे ही दूसरी होती है, तो सचिवालय में वह बनता है सहायक अनुभाग अधिकारी और 9300-34800 में बनता है और इसमें ग्रेड पे 4200 है। हमारे इधर सेकण्ड पदोन्नति कलेक्ट्री में जो लेता है, वह सहायक कार्यालय अधीक्षक होता है, वेतन वही है 9300-34800 तक और इसमें यहां आकर ग्रेड पे उसका 4200 हो गया और इसका पे ग्रेड 3600 ही रह गया।

आपका और उनका पूछने का भी अभिप्राय यही है कि हमको भी यही मिले। दोनों के काम में भिन्नता मानते हैं और यह जिस दिन विज्ञापन दिया हमने सर्विस के लिए, उसी दिन क्लीयर कर दिया कि हमको सचिवालय में इतने लोग चाहिए, हमको आर पी एस सी में इतने लोग चाहिए और बाकी जो जितने भी मंत्रालयिक कर्मचारी हैं उनके उतने पद होंगे। उन पदों के आधार पर ही यह सारा का सारा वितरण होता है और उसी के आधार पर इनको दिया है। जैसे 2011 की जो भर्ती हुई थी एल डी सी की, आवेदन आये थे 1

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लाख 26 हजार 686, उसमें से जो परीक्षा में बैठे वे 71 हजार 416 थे। अब इसमें जो पद हैं, हमारे आर पी एस सी के पद 37 थे, लेकिन हमारे पास जो आये हैं, जो एलिजिबल हो पाये वे केवल 30 ही हुए, और सबकी पहली प्राथमिकता आर पी एस सी थी। इसलिए वे आर पी एस सी में चले गये। शासन सचिवालय में हमारे पास पद थे 325, लेकिन उनमें चोइस के आधार पर उन्होंने स्थान लिया, तो फर्स्ट चोइस में 257 लोगों को तो सचिवालय सर्विस मिल गया। उसके बाद भी हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ। इसलिए फिर हमने सेकण्ड चोइस वाले को भी टच किया और 24 लोग उसमें भी, जो मेरिट के ऊपर थे, उनको सचिवालय सर्विस में दिया। जो अधीनस्थ सेवा के 1,585 पद हमारे पास थे, उसमें से 1,170 बच्चे ही हमारी क्वालिफिकेशन जो थी, उसको कवर कर पाये तो इसके कारण से दिया।

इनकी सर्विस परीक्षा एक है लेकिन तीन अलग-अलग स्थान पर ये जाते हैं। पहली जो पदोन्नति होती है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकण्ड और थर्ड में होता है, तो उनके पे स्केल और ग्रेड पे में अंतर है; निश्चित रूप से अंतर है और शायद प्रश्न भी इसलिए पूछा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि यह मांग जो है ना, राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों की हमेशा से यह मांग बराबर आ रही है।

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जैसा आपको आश्वस्त किया, एक हमारी मंत्रिमण्डलीय उप-समिति राजेन्द्रजी राठौड़ के नेतृत्व में बना रखी है, उसके दो मेम्बर और हैं युनुसजी हैं, अजय सिंहजी हैं और दिगम्बर सिंहजी हैं, ये चार लोग हैं; वे आपके इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता है। तो वास्तव में उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही...।

आज की तारीख में जो भी नियम हमारे पास उपलब्ध हैं, उन नियमों के तहत, और पदोन्नति में जो अंतर होता है वह बहुत स्पष्ट है और इसीलिए तो हम मेरिट के आधार पर सचिवालय मांगते हैं, नहीं तो आपका लड़का तो सीधा सचिवालय ही जाता; पर जा नहीं सकता, जब तक मेरिट में नहीं आएगा। तो कोई चाहे नीचे वाला कि मैं तो बहुत फायदा ले लूंगा पदोन्नति का, तो पदोन्नति नहीं है। जो आर ए एस बनेगा, वह आर ए एस नम्बर वन से मेरिट से चलेगा, फिर आई पी एस चाहेगा; उसकी चोइस भी है। कई बार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ऐसा भी होता है कि मेरिट मे होता हुआ भी कोई न कोई जो है वह यातायात सर्विस को पसंद कर लेता है, क्योंकि मेरी तो चोइस वहां है। तो वह कर सकता है, लेकिन होगा मेरिट के आधार पर और इस कारण से ग्रेड पे में अंतर है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में। उसमें छह प्रमोशन अवेन्यू हैं और मंत्रालय कर्मचारियों को पांच प्रमोशन के अवेन्यू ही हैं, और यह अंतर है।

इसके विचार के लिए कमेटी बनी हुई है, जो इस पर विचार कर रही है और उसकी जो भी अनुशंसा आएगी, उस पर सरकार विचार करेगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मेरा यही निवेदन है, मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने इतने कर्मचारियों के बारे में सोचा और कमेटी मंत्रिमण्डल की बनाई, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा इस प्रश्न को उठाने का मकसद था कि यह ग्रेड पे और पदोन्नति में जो अंतर है, इसको समाप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो कमेटी बनी है, वह भी सकारात्मक अपनी बात रखेगी और उनके पक्ष की बात रखेगी। मैं यह इसलिए कहना चाह रही हूं कि हमारा 2015-16 का जो घोषणा पत्र था, उसमें भी माननीय हमारी सी एम साहिबा ने इस बात को रखा था। उसके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि उनके हित की बात हम लोग करना चाहते हैं, फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार उन कर्मचारियों को। तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा उनके लिए करें।

दूसरा एक छोटा सवाल मैं करना चाहूंगी, जो मंत्रालयिक कर्मचारी हमारे हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। वह सारा जवाब दे दिया है आपका विस्तार से, आप बैठिये। नहीं, अब जवाब नहीं देंगे मंत्रीजी। नहीं, नहीं। श्री बंशीधर, पूरक प्रश्न। नहीं, आप बैठिये। आप विराजिए। बंशीधरजी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में जो नये कर्मचारी भर्ती होते हैं, उनको दो साल तक फिक्स वेतन-भत्ते पर रखा जाता है। ऐसी प्रक्रिया राजस्थान के अलावा कौन-कौन से प्रदेशों में हैं? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 29 जुलाई, 2015 के आदेश में इसको असंवैधानिक माना है। क्या सरकार इस पर विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सीधा इस प्रश्न से नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड हमने दो साल कर रखा है और उसका जो एक फिक्स वेतन होता है, उसी पर उसको काम करना पड़ता है। दो साल के बाद जब उसका कन्फर्मेशन होता है, तो वह रेगुलर पे स्केल में आता है। अब वह कौन-कौन से राज्य में है, एकदम एट-रेण्डम मुझे भी नहीं मालूम है किस-किस राज्य में है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनाम एवं ग्रेड पे राजस्थान सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के बराबर कब तक कर दिये जाएंगे? और अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्टेट पैरेटी के आधार पर लिपिक-ग्रेड ।। की ग्रेड पे 3600 की मांग कब से चल रही है? और अब इनकी मांग अगर जायज है तो कब तक लिपिक-ग्रेड-।। का ग्रेड पे 3600 कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, यह सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने सारा उत्तर दे दिया है, फिर भी अगर वे चाहें, तो सचिवालय में जिनका चयन होता है, लिपिक-ग्रेड-।। में पहला चयन इनका है, लिपिक-ग्रेड-। यह पहला प्रमोशन है, फिर उसके बाद सहायक अनुभाग अधिकारी है, फिर उसके नेक्स्ट अनुभाग अधिकारी है, फिर उसके बाद सहायक शासन सचिव है, फिर उसके बाद शासन उप सचिव है और उसके बाद वरिष्ठ शासन उप सचिव है। इसी तरह से जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका भी पहला वही है, लिपिक-ग्रेड-। दोनों का कामन है; फिर यह कहलाता है सहायक कार्यालय अधीक्षक, फिर उसके बाद कार्यालय अधीक्षक-कम-सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और फिर संस्थापन अधिकारी है। ये उसके पांच प्रमोशन की अवेन्यू हैं और इसमें छह प्रमोशन के अवेन्यू हैं।

लेकिन इस पर जो कमेटी बनी है वह विचार कर रही है। अगर उस कमेटी की राय आती है, उस पर विचार करके, अगर कोई सम्भावना होगी, तो उसे देखेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारी सचिवालय में पोस्टेड हैं, क्योंकि सचिवालय में मेरिट के आधार पर उतने लोग आपको उपलब्ध नहीं थे, तो जो अधीनस्थ मंत्रालयिक के कर्मचारी सचिवालय में हैं, क्या आप उनको वह हायर ग्रेड दे रहे हैं जो सचिवालय के कर्मचारियों के नियमों में लिखित है? और आर पी एस सी वालों को भी क्या अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों वाले, जो आर पी एस सी में लग रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं? माननीय मंत्रीजी, आपके चीफ मिनिस्टर साहब के यहां, आपके यहां, हर मंत्रीजी के यहां, अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी लग रहे हैं।

इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जब क्वालिफिकेशन समान है और चयन की एजेंसी आर पी एस सी समान है, भर्ती के आधार समान हैं, यानी, उनकी क्वालिफिकेशन समान है, तो यह सिर्फ मेरिट में आने पर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आई ए एस में सिर्फ मेरिट में आने पर और जो नीचे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है और यह जो फर्क आपने सिर्फ मेरिट के आधार पर किया है, जो पास हो चुके, वे एंटाइटल हैं। ठीक, आपने मेरिट के आधार पर उनको लिया है, लेकिन जिनको आप लगा रहे हैं, जिनकी सेवा ले रहे हैं, अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचायों की, सचिवालय में, उनको हायर ग्रेड दे रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जानकारी तो आपको भी है, लेकिन आप विषय को पूछने के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। जो आई पी एस और आई ए एस सलेक्ट होते हैं, या उसके बाद जो फोरेस्ट सर्विस में जाते हैं, या और किसी में, टैक्सेशन में जाते हैं, अन्य में जाते हैं...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं आई ए एस की बात कर रहा हूं, फोरेस्ट सर्विस की नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सेकंड। सेम वैसा का वैसा ही, उसमें परीक्षा एक ही होती है, लेकिन मेरिट अलग से बनती है और उनकी चोइस लेते हैं, वे जिसमें जाना चाहते हैं; पर कोई नीचे की मेरिट वाला यह चाहे कि मैं आई ए एस बनना चाहूं, तो नहीं बन सकता है। उस मेरिट में आयेगा, तो ही बन सकता है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सेम ऐसा ही है, परीक्षा एक ही है, क्वालिफिकेशन एक ही है, एजेंसी परीक्षा कराने वाली आर पी एस सी ही है, लेकिन पहले ही उनको पता है कि सचिवालय की 295 पोस्टें हैं, आर पी एस सी की 37 पोस्टें हैं और बाकी जो पद हैं 1,500 समथिंग, वे मंत्रालयिक कर्मचारी के हैं। उनको संख्या भी पता है और उनको यह चोइस भी दी हुई है कि आप मेरिट में जहां स्टैंड कर रहे हो, अपनी चोइस दे दो कि आप कौनसी सर्विस पसंद करते हो; लेकिन उनकी चोइस कब काम आयेगी, जब वे मेरिट में वहां स्टैंड करेंगे, तो सचिवालय सर्विस में जा पायेंगे, नहीं तो नहीं।

दूसरा क्या है कि जो हमारे पास अभी मंत्रालयिक कर्मचारी हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनका पद आज भी अपना मूल डिपार्टमेंट ही है और इसलिए मूल डिपार्टमेंट के जो उनको प्रमोशन के अवेन्यू हैं, वे ही हैं। उनकी इच्छा है तो पधारो और नहीं इच्छा हो तो मत पधारो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक प्रश्न पर 22 मिनट ...(व्यवधान) कोई क्राइटेरिया तो हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीन प्रश्न हो गये। नहीं, आप विराजो। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, आप विराजिये।

मदरामपुरा, अजमेर रोड, जयपुर की मुर्गीपालन हेतु आबंटित भूमि का प्रकरण

227. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की अजमेर रोड स्थित ग्राम मदरामपुरा, खसरा नम्बर 95/01, लगभग 10 बीघा भूमि सरकार द्वारा मुर्गीपालन हेतु 35 वर्ष की लीज पर आबंटित की गई थी? यदि हां, तो आबंटन की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भूमि व्यवसाय के लिए आबंटित की गई या किसी अन्य कार्य के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि पर व्यवसाय कितने वर्ष हुआ व किन कारणों/शर्तों से भूमि वापस सरकार के पास आई? क्या यह सही है कि उक्त भूमि की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1993 में नीलामी की गई थी? यदि हां, तो नीलामी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि की नीलामी व्यावसायिक, आवासीय या संस्थानिक में से किस दर पर की गई तथा जब उक्त भूमि की नीलामी की गई, तब भूमि की व्यावसायिक और आवासीय बाजार दर क्या थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्तमान में उक्त भूमि का कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपना पक्ष किस स्तर पर किन आधारों पर प्रस्तुत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) कार्यालय राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.1985 में अंकित अनुसार आदेश संख्या एफ.2(71)राजस्व/63 दिनांक 8.3.1960 द्वारा ग्राम मदरामपुरा, जिला जयपुर में खसरा नम्बर 95/1 में स्थित दस बीघा कृषि भूमि श्री पी.के. चौधरी को राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी एवं पोल्ट्री फार्मों की स्थापना हेतु आबंटन) नियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु दस वर्ष की लीज पर आबंटित की गयी थी। राजस्व विभाग एवं जिला कलक्टर के पास आबंटन आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) भूमि पर व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड का संधारण नहीं किया जाता है। नामान्तरण संख्या-4 द्वारा यह श्री पी.के. चौधरी के नाम दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या-79 द्वारा श्री पी.के. चौधरी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती रेवा चौधरी के नाम दिनांक 4.12.1978 को तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या-4 पर लगे नोट के अनुसार यह भूमि पोल्ट्री फार्म के लिए आबंटित की गई है, जिस पर किसी प्रकार का अधिकार खातेदार अथवा गैर-खातेदार प्राप्त नहीं होते। अत: यह नामान्तरण आदेश मुताबिक जिलाधीश, जयपुर क्रमांक 1322 दिनांक 1.2.1986 के अनुसार दिनांक 26.08.1986 को निरस्त किया गया। तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 97 द्वारा दिनांक 5.9.1992 के अनुसार खसरा नम्बर 95/1 की दस बीघा भूमि में से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

खसरा नम्बर 95/1/2 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्रीमती रेवा चौधरी के नाम से निरस्त कर सिवायचक दर्ज की गई। नामान्तरण संख्या 98 के अनुसार सिवायचक से यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 100 निर्णय दिनांक 20.2.1993 को 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में दर्ज हुई। नामान्तरण संख्या 103 निर्णय दिनांक 13.11.1995 के द्वारा खसरा नम्बर 95/1/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि सिवायचक से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हुई है। नामान्तरणों की प्रतियां (कुल 6) परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में से 7,000 वर्गमीटर भूमि की नीलामी दिनांक 26.10.1993 को की गई। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर नीलामीकर्ता मै. सतीश आक्शन हाउस के द्वारा उक्त भूखण्ड की नीलामी की गई। उक्त भूखण्ड के लिए 6 बोलीदाताओं द्वारा नीलामी में भाग लिया गया। उच्चतम बोलीदाता मै. अनुकम्पा आवास विकास प्रा.लि. के नाम बोली स्वीकार की गई।

(4) भूमि की नीलामी आवासीय-कम-व्यावसायिक प्रयोजनार्थ की गई। अंतिम बोली 1,311 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्त हुई थी। नीलामी नोटिस की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त 7,000 वर्ग मीटर भूमि की नीलामी के समय भूमि की व्यावसायिक व आवासीय डी एल सी की सूचना उप पंजीयक, द्वितीय, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन समय में ग्राम मदरामपुरा की सूचना संधारित नहीं होने पर समीपवर्ती ग्राम सोडाला स्थित भूमि की दर सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) जी हां। विषयक भूमि के सम्बन्ध में निम्न प्रकरण लम्बित हैं:-

1. एस.बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 47/2015 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम अनुकम्पा आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। (अपील की प्रतियां परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न हैं।)
2. एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3034/11 में माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 5.3.2012 की पालना नहीं होने के कारण अनुकम्पा आवास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अवमानना संख्या 622/2015 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8.3.2015 को निस्तारित कर दी गई। (आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-6 पर संलग्न हैं।)

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

3. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 5.3.2012 की रिव्यू पिटिशन नं. 301/2012 जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम अनुकम्पा आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.4.2014 को निस्तारित कर दिया। दिनांक 9.4.2014 के आदेश की अपील जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खण्ड पीठ में प्रस्तुत कर दी गई है।
4. प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 7244/2006 आभूषण प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक पंकज घीया बनाम राज्य सरकार व अन्य माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(प्रतियां, सूची व विवरण पुस्कालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. 1 ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं थोड़ा-सा इसमें बता देना चाहता हूं। यह दस बीघा जमीन मुर्गीखाने के लिए 1963 में अलाट हुई थी और 1993 में जब जे डी ए ने इसकी नीलामी की और 6 नीलामीकर्ता इसमें आये। हमने आर टी आई के माध्यम से इसकी सूचना ली है। 6 में से 5 नीलामीकर्ता के नाम व पते फर्जी हैं और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय चाहते, तो यह कामर्शियल के लिए जमीन का अलाटमेंट हुआ था, ये कामर्शियल में उसका कर देते, लेकिन इन्होंने रेजिडेंशियल के लिए किया। साथ में, उस समय कामर्शियल की दर थी 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर और रेजिडेंशियल की थी 800 रुपये। तो अगर ये चाहते, तो 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर इसकी नीलामी करते और नीलामी में पारदर्शिता होती, लेकिन 1,311 रुपये की बोली में जो 6 व्यक्ति थे, वे गोपाल गुप्ता के साथ, जिसकी अनुकम्पा आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड थी, यह खुद ही 6 आदमियों को अपनी गाड़ी में लाया था और पांच फर्जी नाम, पते वहां दिये और छठी खुद के नाम इसने जमीन ली, जो कम से कम सौ करोड़ से ज्यादा की जमीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इसमें निवेदन मैं यह करूंगा कि 1993 से लेकर आज तक, तत्कालीन, जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री हैं कालीचरण

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जी सराफ, इन्होंने भी इस मामले को 2006 में मदरामपुरा के मुर्गीखाने के भ्रष्टाचार का मामला राजस्थान विधान सभा में उठाया था। 1993 से लेकर आज तक जे डी ए ने भी दो बार पट्टा निरस्त किया। हाई कोर्ट की अवमानना का डर दिखा-दिखाकर उसने जे डी ए में मिलीभगत करके सारा अपने नाम अधिकार पत्र, पट्टा वगैरह करवा लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रिव्यू के लिए दो साल से यह फाइल जे डी सी के पास पड़ी थी और जे डी सी ने रिव्यू के आदेश किये हैं लेकिन आज तक डबल बैंच में जे डी ए नहीं गया। मेरा सवाल लगने के बाद ये मुझे जवाब दे रहे हैं कि 11 मार्च को हमने डी बी में अपील कर दी। आप बताओ, दो साल से क्या कर रहे थे? ये 11 मार्च को अपील कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मुझे गुमराह करने के लिए, देखिये, किस तरह की बात कही इन्होंने। कह रहे हैं कि जिला कलक्टर के पास आबंटन पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है। अब आप बताओ, जिला कलक्टर के पास नहीं होगी तो किसके पास होगी?

दूसरा, एक इन्होंने मुझे बताया कि डी एल सी दर, ''नीलामी नोटिस की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त आवासीय डी एल सी की सूचना उप पंजीयक, द्वितीय, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन समय में ग्राम मदरामपुरा की सूचना संधारित नहीं होने पर...; अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बात कर रहे हैं ये! माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अन्दर बहुत हिम्मत है, आप इस तरह की जांच करायें।

श्री अध्यक्ष: आपसे कम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान और जयपुर में सरकारें आती हैं, जाती हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मदरामपुरा में मुर्गीखाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देशित करें। इसमें एक बिल्डर, जो बिल्डर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, गोपाल गुप्ता, उसको बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए जे डी ए के अधिकारियों ने मिलीभगत करके, जे डी सी ने मिलीभगत करके ...

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। जवाब आने दीजिए। यह आप कह चुके हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे एक-दो पूरक प्रश्न भी तो बोल दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बाद में करना। जवाब दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मेरा एक पूरक प्रश्न तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष: साथ ही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, 2014 में तत्कालीन जे डी सी ने जो रिव्यू का आदेश दिया था, उसमें आज तक दो साल में रिव्यू क्यों नहीं किया? दूसरा, दो वर्ष की देरी किसके स्तर पर हुई? किस उद्देश्य से की गई? आप इसमें क्या करेंगे? दूसरा, सिविल न्यायालय में जब लीज डीड समाप्त करने की बात हुई थी, तो सिविल न्यायालय में जे डी ए ने पैरवी ढ़ंग से नहीं की और उसके बाद सिविल न्यायालय के आधार पर हाई कोर्ट ने भी बिल्डर के पक्ष में फैसला दिया। इसमें कौन जिम्मेदार थे? अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर और राजस्व विभाग के पास आबंटन की प्रति की कापी उपलब्ध नहीं होना...

श्री अध्यक्ष: अब विराजें। अब जवाब आने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट। मैं एक साथ ही बोल लूं। बार-बार नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद मौका नहीं दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक बार दे देना।

अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी जांच निर्देशित करायें। बहुत बड़ा घपला और घोटाला है। मैं इसमें किसी व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और ये हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे सामने अगर कोई बात आई और कोई मुद्दा आप लेकर आयेंगे, तो भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर के किसी भी व्यक्ति ने किया, मैं भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शूंगा। ये भी हमारे से बहुत पहले यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम भी उसी से आये हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप जवाब आने दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालीचरणजी ने भी मामला इस विधान सभा में उठाया हुआ है। आज हो सकता है कि वे सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इसलिए मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ही इसकी जांच का आदेश करायें।

श्री अध्यक्ष: अब जवाब आ रहा है। आदेश मैं नहीं करूंगा, वे देंगे आश्वासन।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमीन 1963 में पी के चौधरी के नाम अलाट हुई। वह नैचुरल कोर्स में जे डी ए के नाम दर्ज है। 10 साल के लिए इनको अलाटमेंट था; बाद में नामांतरण हुआ, नामांतरण गलत हुआ; बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा। इस प्रकार वेरियस रास्ते से होती हुई जे डी ए के पास पहुंच गई। उसके बाद जे डी ए ने नीलामी की और नीलामी में पांच-छह व्यक्ति जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, वे आये। अब नीलामी में व्यक्ति फर्जी थे, यह मालूम करने का मेकेनिज्म नीलामी के समय नहीं हो सकता। नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति अगर भाग लेने की प्रक्रिया में जो एलिजिबिलटी तय की हुई है, उसको अगर पूरा करता है, तो वह बोली में भाग लेने का अधिकारी है। आदमी फर्जी है, इसका मतलब नान-एग्जिस्टेंट है। इसका मतलब, राजपाल सिंह के नाम से बोली लगी, राजपाल सिंह नहीं था; अगर ऐसा फर्जीवाड़ा है, तो उसकी जांच निश्चित रूप से हम करा लेंगे। इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

आपने यह कहा कि यह 1,311 रुपये गज में जो जमीन बिकी, इसका भाव कम था। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि डी एल सी की जो रेट होती है, वह हर इलाके की तय नहीं होती, हर सड़क की भी तय नहीं होती। मदरामपुरा नाम का गांव उन दिनों जयपुर की बाहरी सीमा में था; सोडाला जयपुर के नजदीक था। मदरामपुरा की दरें तय नहीं थीं, लिस्ट में नाम नहीं है। अब आपने पूछा उस वक्त डी एल सी कीमत क्या थी; तो जयपुर शहर के नजदीक सोड़ाला है, मदरामपुरा के बजाय, उसकी रेटें बताई और वह रेटे निश्चित रूप से 1,311 रुपये से बहुत कम हैं। इसलिए यह अंदाजा लगाना कि 1,311 रुपये की रेट तत्कालीन समय में, 1993 में कम थी, यह एप्रिहेंशन है। कोई बहुत ज्यादा सब्स्टांस मुझे नजर नहीं आता।

यह बात सही है कि जिन मामलों में डी बी में रिव्यू करना था, वह रिव्यू दो-दो साल तक नहीं हुआ। यह बात भी सही है कि जिस लीज को एग्जीक्यूट होने के बाद, लीज को खारिज कराने की जो न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिये थी और सिविल कोर्ट में जाना चाहिये था, वह सिविल कोर्ट में नहीं गये; हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट में गये, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी और वहां उन्होंने ए जी की राय ली। ए जी ने भी ऊटपटांग राय दी। लीगल ओपिनियन

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कम थी, ओपिनियन ज्यादा थी। उस ओपिनियन को मान लिया गया और एस एल पी दायर नहीं की गई।

यह भी सही है कि बाद में येन-केन-प्रकारेण अंततोगत्वा जाकर के जे डी ए के यह समझ में आई कि हमें सिविल सूट दायर करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिविल सूट दायर करते हैं तो कामनमैन को पता है कि जिस प्रोपर्टी के लिए सूट फार डिक्लेरेशन में जाते हैं वहां पर आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, यह जानकारी कामन कंजम्प्शन की चीज है, लेकिन इसके बावजूद हमने सिविल कोर्ट में जाने की फार्मेलिटी सी पूरी की है, ऐसा लगता है। कोर्ट हमसे कहता रहा, पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ; हमने निर्णय भी लिया कब, इलेवंथ आवर में और इलेवंथ आवर के बाद में, जब तक तारीख आई, तब तक पैसा जमा नहीं हुआ। लिहाजा, सिविल सूट निरस्त हो गया।

अब हम गये हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमें रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि इस मामले में कई मामलों में देरी हुई है; कई मामलों में, ऐसा लगता है कि उसमें जितनी सजगता जे डी ए के लेवल पर बरती जानी चाहिये थी, उतनी सजगता नहीं बरती गई और इवन चेयरमैन के लेवल पर भी, 2010 में जो तत्कालीन मंत्री थे, उनके स्तर पर भी जिस प्रकार की सजगता बरती जानी चाहिये थी, मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि ए जी की ऐसी अन्फाउंडेड रिपोर्ट के बेसिस पर जो निर्णय लिया गया, वह निर्णय जे डी ए के हितों के प्रतिकूल था। लेकिन केस इतना अजीब-सा होता चला गया, हर स्टेज पर कैसे न कैसे घालमेल होते हुए, केस लगातार आगे बढ़ता गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केस हाई प्रायोरिटी केस होना चाहिये था, करीबन डेढ़ सौ करोड़ रुपये की जमीन इसमें इन्वाल्व है, लेकिन हाई प्रायोरिटी केस को जिस ढंग से जे डी ए के स्तर पर हैंडल किया जाना चाहिये था, वह नहीं किया गया। यह मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस केस को देखने के बाद कह सकता हूं, जितने भी केस पेंडेंसी में हैं, हालांकि बहुत ही खराब कंडीशन में हैं; जितने खराब से खराब तरीके से केस को हैंडल किया जा सकता है, इसका एक ग्लैयरिंग एग्जाम्पल है। 1993 से लेकर 2016 तक जिस प्रकार की सिंसियरिटी के साथ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

में इस केस को हैंडल किया जाना चाहिये था, वह सिंसियरिटी तो दूर-दूर तक नहीं है; जिस केयरलैसनैस के साथ में और जिसमें जे डी ए के इंटरेस्ट को कम्प्रोमाइज करते हुए इस केस को लड़ा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ज्वलंत उदाहरण है कि इसीलिए सरकारें केस हारती हैं।

सरकारें इतना बड़ा रुपया खर्च करने के बावजूद, इतने बड़े पैनल लायर्स को रखने के बावजूद, इतने बड़े-बड़े वकीलों को करने के बावजूद, हमारे केस जीतने का लेवल बहुत नीचा है, और इस राज में नहीं है; 2014-15-16 में हुआ, ऐसा नहीं है। एस एल पी जैसी पिटिशन को दायर नहीं करने का निर्णय चेयरमैन के लेवल पर लिया गया; पूरे दरमियान हमने सिविल सूट फाइल नहीं किया; हम हाई कोर्ट चले गये; यह हमारे राज में नहीं हुआ।

लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पूरे मामले को हम हाई प्रायोरिटी केस के रूप में रखेंगे और हाई लेवल पर इस केस की मानिटरिंग करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। एक और कर लीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, एक तो 1993 में ढाई बीघा जमीन जो पी के चौधरी की पत्नी थी, उसके नाम से थी और साढ़े सात बीघा ही आपके यहां हुई थी। इस भूमि का स्पष्ट टाइटल नहीं था। दूसरी बात, आपने यह तो कह दिया कि 1,311 की रेट ठीक थी, लेकिन यह थी कामर्शियल जमीन। अगर आप इसको व्यावसायिक से करते, तो 2,400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में नहीं, आप सवाल कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगर आप इसको रेजिडेंशियल के बजाय कामर्शियल में करते, तो आपके 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से; आप कह रहे हों, 1,311 बहुत ठीक राशि थी; मैं कह रहा हूं, 2,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर उसका सही-सही मिलता।

अध्यक्ष महोदय, उस समय टाइटल ही क्लीयर नहीं था। ढाई बीघा का तो कोर्ट में वाद चल रहा था, फिर साढ़े सात बीघा आपके नाम थी, फिर आपने 10 बीघा कैसे कर दी?

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसके लिए जो भी दोषी हो, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा, हाई मानिटरिंग, हाई लेवल की कमेटी की तो आप घोषणा करो। आप खुद कह रहे हो कि बहुत घपला है; कालीचरण जी कह चुके हैं, आप कह चुके हो, हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं तो कांग्रेस में था नहीं, मेरे को क्यों कह रहे हो? मैं तो निर्दलीय हूं।

श्री अध्यक्ष: अब बैठिए। जवाब आ जायेगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें ऐसी कोई कमेटी की घोषणा करें जिससे करोड़ों रुपये की जमीन को इस माफिया से बचा सकें। अपना पहला कर्तव्य यह है कि ...(व्यवधान) यह घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बैठिए। वे जवाब दे रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि व्यावसायिक जमीनें थोड़ी-सी महंगी होती हैं और आवासीय जमीनें थोड़ी-सी सस्ती होती हैं, लेकिन व्यावसायिक जमीनें हर जगह बिक जायें, ऐसा नहीं है। आज तो हालत यह चल रही है कि व्यावसायिक जमीनें कम बिक रही हैं और आवासीय जमीनें ज्यादा बिक रही हैं। इस स्टेट केस में तो आवासीय और व्यावसायिक दोनों भूमि उपयोग हैं। इसीलिए डी एल सी रेट 500-700 रुपये होने के बावजूद 1,311 की रेट आई, इसलिए आई कि मिक्स ट्रेड यूज था; आवासीय इस्तेमाल भी हो सकती थी; व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो सकती थी; आवासीय-कम-व्यावसायिक इस्तेमाल था। इसलिए यह एप्रिहेंशन कि उसको व्यावसायिक मानते तो हमें ज्यादा भाव मिल जाता, मैं यह समझता हूं कि यह बिलकुल इन्फरेंस है, अनुमान है; अनुमान के आधार पर लगाया हुआ आरोप है।

आपने कहा कि जमीन हमारे पास में है, कोई लिटिगेशन था, कोई लिटिगेशन नहीं था। इस केस में लगातार तीन टुकड़ों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीन टुकड़े इसलिए हो गये, कुछ जमीन तो ड्यू कोर्स व टाइम में खाली जमीन रह गई, कुछ में कुक्कुट शाला खुल गई और कुछ में कच्ची बस्तियों ने कब्जा कर लिया। इसलिए कच्ची बस्ती का कब्जा किया हुआ रकबा अलग है, कुक्कुट शाला का रकबा अलग है और खाली जमीन का रकबा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अलग है। इसलिए सात हजार मीटर जमीन तो, चार बीघा दस बिस्वा जमीन, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हमने आक्शन किया, वह जमीन खाली थी; बाकी में कुक्कुट शाला थी और बाकी जमीन के अन्दर कच्ची बस्ती आज भी बसी हुई है, सब्जी मण्डी लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए तीन टुकड़ों के अन्दर नामांतरण हुआ और इसीलिए खसरों का तीन डिविजन हो गया। वरना 95/1 खसरा रकबा दस बीघा था, उसके तीन टुकड़े हुए ही इसलिए थे कि तीनों का उपयोग बदल गया।

हालांकि जमीन का नेचर सिवायचक रहा। इसलिए जमीन की सम्पत्ति के ऊपर केवल एक विवाद रहा; जो पी.के. चौधरी की पत्नी ने कोर्ट में केस दायर किया, उसके अलावा कोई विवाद नहीं रहा और उस विवाद का सलटारा हो गया। हाई कोर्ट में उसकी कोई अपील नहीं हुई। इसलिए जमीन तो पायस है। जमीन सरकार की है, जमीन जे.डी.ए. की है। जमीन के पायस होने में किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।

यह सवाल केवल इतना-सा है कि तीन-चार मौकों पर सरकार और जे.डी.ए. कोई प्रोपर स्टैण्ड नहीं ले पाये। पहला स्टैण्ड तो यह था कि जब हमने नीलामी की और नीलामी करने के बाद हमने नीलामी के रुपए जो जमा कराये थे उस आदमी से उसने वापस ले लिये हमसे; वापस ले लिये, लेकिन नीलामी को कैंसिल नहीं किया; नीलामी को जिंदा रखा। नीलामी को जिंदा रखा और यही आधार बना, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में कोर्ट में उसके पक्ष में। हमने सिविल सूट दायर नहीं किया, हाई कोर्ट में चले गए। कामनमैन की जानकारी में है कि सिविल सूट दायर किया जाना चाहिए था, अगर लीज डीड जो एग्जीक्यूट हुई, उस एग्जीक्यूट को हमें निरस्त कराना था।

तीसरा एक प्रश्न है जो कभी डिबेट में नहीं आया। वह प्रश्न यह है कि लीज डीड तब जारी की गई, जब कोर्ट का वर्बल डायरेक्शन था कि समझौता समिति के निर्णयों की पालना नहीं की जाए। यह सही है कि उसमें स्टे नहीं था, लेकिन कोर्ट का वर्बल डायरेक्शन था जो पायस है और कोर्ट ने कहा कि इसमें समझौता समिति के डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। उसके दरमियान हमने एग्जीक्यूट किया लीज डीड को। इसका मतलब, during the period where the direction of the Court was there not to implement the Samjhauta Samiti directions, it means the decision of executing the deed was void ab-initio. यह वायडेबल नहीं थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो वायड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एब-इनिशियो थी, तो हाई कोर्ट में हमें यह कंटैस्ट करना चाहिए था। सिविल कोर्ट में हम नहीं गये थे, तो हमें यह कहना चाहिए था कि सिविल कोर्ट में हम इसलिए नहीं गये कि हमारा यह मानना है कि यह जो लीज डीड है, वायड एब-इनिशियो है। इसलिए सिविल कोर्ट में उसको वायड कराने जाने की जरूरत नहीं थी। ना तो हमने यह कहा और ना ही हम सिविल कोर्ट में गये, और जब सिविल कोर्ट में गये हम लेट-सवेर, सालों-साल बाद, तो बेसिक जो लीगल नीड है उसकी, उस बेसिक लीगल नीड को पूरा नहीं किया, जानते-बूझते, कि इसके कारण यह फैटल हो सकता है। यह फैटल था। कोर्ट ने बराबर टाइम दिया; कोर्ट में बराबर टाइम होने के बावजूद हमने उसको खारिज होने दिया। अब जा रहे हैं डी.बी. में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमें चिंता करनी पड़ेगी कि क्यों सरकार के केसेज में सरकार हारती है, केस के अन्दर मेरिट होने के बावजूद। इसके लिए प्रोपर मानिटरिंग होनी चाहिए और प्रोपर विजिलेंस होनी चाहिए, अफसर के लेवल पर या पालिटिकल लेवल के ऊपर। वह नहीं थी, और नहीं थी, इसीलिए यह केस इस प्रकार का बना, जो अपने आप में एक ऐसा ग्लैयरिंग एग्जाम्पल है मिस्मैनेजमेंट का, केयरलेसनेस का। मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, 1993 से लेकर के 2016 तक कई सरकारें आईं, कई सरकारें चली गईं; कई अधिकारी आये, कई अधिकारी चले गये, पर हर अधिकारी ने इस केस को खराब करने में कांट्रिब्यूट किया; बढ़ाया नहीं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गम्भीर है और सरकार इस बात की चिंता करेगी कि सरकार की सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में सरकार का सिस्टम शामिल नहीं हो। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। गोविंद सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है इस सवाल का, बहुत अच्छे तरीके से समझकर दिया है और इस बात की स्वीकारोक्ति भी की है कि शुरू से लेकर 2016 तक विभिन्न स्तरों पर गड़बड़ियां हुई हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब क्या चाहते हैं आप? सीधा-सीधा सवाल करो न आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं इतना चाहता हूं आपके माध्यम से, मंत्रीजी, क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर, शुरू से लेकर 2016 तक जिन-जिन व्यक्तियों ने गड़बड़ी की है, शिथिलता की है, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है, क्या उनकी जांच कराकर उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार मन रखती है, या नहीं रखती है; केवल भाषण देने में ही मन रखती है?

श्री अध्यक्ष: अब विराजो आप। वे जवाब बहुत अच्छा दे चुके थे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक केस के बारे में नहीं कहा है। मैंने कहा, जितने भी हाई प्रायोरिटी केसेज हैं, उनकी बड़ी हाई लेवल के ऊपर मानिटरिंग की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डोटासरा साहब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूरी बात सुनो। जितना पूछा है, उतना जवाब दूंगा। चिंता मत करो आप। आप इतने परेशान क्यों हों?

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो मानिटरिंग करने के प्रोसेस में, मानिटरिंग का प्रोसेस, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विजिलेंस का प्रोसेस भी है और विजिलेंटली मानिटरिंग करने के प्रोसेस में कहीं लैप्स नजर आये, इंटेंशनल लैप्स नजर आये, तो निश्चित रूप से अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री चंद्रभान सिंह 'आक्या'। दूसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जांच करा रहे हैं ना? जहां-जहां लापरवाही हुई, गलतियां हुई, उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन...

श्री अध्यक्ष: बैठिए, डोटासरा साहब। यह नहीं। मैं बाद में आपको मौका नहीं दूंगा, अगर यूं किया तो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस, इन्क्वायरी, मानिटरिंग, अलग-अलग शब्द हैं।

श्री अध्यक्ष: चंद्रभानजी, आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को पूछना चाहता हूं, नगर निकाय न्यास में जितनी भी जमीनें हैं, वे 70-80 परसेंट अभी तक भी गोचर जमीनें हैं और उन गोचर जमीनों को कलक्टर साहब ने नगर निकाय न्यास के नाम पर अलाट भी कर दीं। एक सीकर वाला कांड कोई हाई कोर्ट में हुआ था...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। आप रेलेवेंट सवाल कीजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): नहीं, मैं जयपुर की बात कर रहा हूं। बात तो सुनो अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सीधा-सीधा सवाल इस विषय से सम्बन्धित। सीधा बोलिए आप।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): वह तो कोर्ट का उदाहरण दिया। मैं यह पूछ रहा था कि जितनी भी जमीनें हैं, वे जमीनें कमेटी के नाम पर अलाट भी हो गई हैं, पर उसका कुछ हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। रेलेवेंट सवाल इधर से कौन पूछना चाहता है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, यह जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ है, राजस्व विभाग, जिला कलक्टर, दोनों के पास आबंटन की कापी उपलब्ध नहीं थी। तो फिर इसको खारिज किस आधार पर किया? डेयरी और पालट्री फार्म के लिए आबंटित की थी, मतलब, इंडस्ट्री-कम-कामर्शियल। तो फिर रेजिडेंशियल आबंटन क्यों किया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अपने आप में सवाल नहीं है। एक तो आपको पता होगा कि जमीन का अलाटमेंट जो किया गया था, राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट एवं सुअर फार्मों के आबंटन) नियम, 1958 के तहत किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से केवल दस साल के लिए आबंटन का प्रावधान है।

इसके अलावा, जब इस आबंटन को निरस्त करने की बात कलक्टर ने कही, तो माननीय रेवा चौधरी, जो पी.के. चौधरी जी की बेवा थी, वह तत्कालीन रेवन्यू मिनिस्टर के यहां पर गई। रेवन्यू मिनिस्टर ने डिसिजन किया, कमला जी बेनीवाल ने। उस डिसिजन में भी साफ तौर पर कहा गया है कि दस साल के लिए आबंटन था।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

नंबर-3 । रेवा चौधरीजी जब निरस्तीकरण हुआ तो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट के निर्णय में साफ लिखा हुआ है कि वह दस साल के लिए आबंटन था, जिस आबंटन का निरस्तीकरण 1973 में अपने आप हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। 1963 में जिस भूमि का आबंटन हुआ, 1973 में रिन्यूअल नहीं होने के कारण अपने आप सरकार में शामिल करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और इसीलिए बाद में निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। बाद में उनको मौका भी दिया गया कि दस साल के लिए अगर आप इसका रिन्यूअल कराना चाहें, लीज को एग्जीक्यूट करना चाहें, तो आप करवा सकती हैं, रेवन्यू मिनिस्टर के आर्डर के तहत, लेकिन उस लीज को एग्जीक्यूट नहीं कराया। इसलिए कैंसिल हो जाना स्वाभाविक था।

साथ में आपने कहा कि यह जमीन तो पहले कुक्कुट शाला के लिए थी, इसमें आवासीय-व्यावसायिक कहां हो गई? आपकी जानकारी में होगा, पहले जयपुर में अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड हुआ करता था, फिर बाद में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना; आज यह जे.डी.ए. है। एक मास्टर प्लान नाम की चीज हुआ करती थी, उस मास्टर प्लान के अन्दर लैंड-यूज-प्रेस्क्राइब्ड होता है और लैंड यूज के प्रेस्क्राइब होने पर, पहले सारी जमीन कृषि भूमि थी। जितना भी अरबनाइजेशन होता है, वह सारी कृषि भूमि पर होता है। उसके लैंड यूज को तय करते हैं, लैंड यूज को तय करने के बाद, वह इस लैंड यूज का बदलाव कर लेते हैं। जब जे.डी.ए. के लिए जमीन वैस्ट कर गई, तो लैंड यूज उस जमीन का था, वह लैंड यूज के हिसाब से आक्शन हो गया। इसमें कहने की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण शिविर

228. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में प्रदेश के शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण करने के लिए तबादला शिविर लगाया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शिविर नियम-विरुद्ध लगाया गया था? यदि नहीं तो तबादला शिविर लगाने या तबादला करने से सम्बन्धित नियम क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(3) उक्त शिविर पर कितनी राशि एक बजट मद से व्यय की गई, अधिकारियों व शिक्षकों के टी ए-डी ए का कितना खर्चा बना? किस पर कितनी राशि व्यय हुई व इसका भुगतान किस आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तबादला शिविर से शिक्षकों, विद्यार्थियों व सरकार को क्या फायदा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त तबादला शिविर में क्या-क्या कार्य किये गये तथा कितने स्थानान्तरण किस आधार पर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह देवल। (व्यवधान) बैठिए आप।

प्रदेश में राजकीय/निजी नर्सिंग कालेज खोलने के मानदण्ड

229. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नये राजकीय व निजी नर्सिंग कालेज खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा सहित प्रदेश में राजकीय अथवा निजी नर्सिंग कालेज खोले जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नए नर्सिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मानदंड निर्धारित किये गये हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) रानीवाड़ा में राजकीय अथवा निजी नर्सिंग कालेज खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। नए राजकीय नर्सिंग कालेज रामगढ़ व तिजारा (अलवर) एवं जिला चूरू में खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वर्तमान में प्रदेश में निजी नर्सिंग कालेज खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नं. 1 ।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, पूर्व में चल रहे नर्सिंग कालेजों के 2015-16 में अतिरिक्त कोर्स की मान्यता देने हेतु राज्य सरकार ने विज्ञापन जारी किया था। यदि हां, तो कितनी संस्थाओं ने अतिरिक्त कोर्स के लिए आवेदन किया है? उसमें से कितनी संस्थाओं का निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा समिति ने मान्यता हेतु उपयुक्त माना?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग कालेज को मान्यता देने का अधिकार इंडियन नर्सिंग काउंसिल को है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक्ट बना हुआ है 1947 का। उसी के अन्तर्गत राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है।

माननीय सदस्य ने पूछा कि 2015-16 के अन्दर कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने की समीक्षा समिति ने सिफारिश की और कितने निर्णय, समिति ने उनको एन ओ सी दी? हम सिर्फ एन.ओ.सी. देने का काम करते हैं। 2015-16 के अन्दर कुल 428 आवेदन प्राप्त हुए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा 181 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण करने से इंकार किया, संस्था ने खुद ने कह दिया कि हमारे पास नर्सिंग काउंसिल मापदण्ड के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उन्होंने इंकार किया, उनकी संख्या 126 है। निरीक्षण शुल्क जमा नहीं कराया, इसमें निर्धारित शुल्क 121 है। कुल 428 में से...।

दो स्तर पर, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर दो समितियां बनी हुई हैं। अनापत्ति पत्र जारी करने के लिए एक समिति है, समीक्षा समिति, स्क्रूटनी समिति। इस समिति में प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर इसके अध्यक्ष हैं; निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं पदेन अध्यक्ष, आर एन सी इसके सदस्य हैं; अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग इसके सदस्य हैं, रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर इसके सदस्य हैं; शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप तीन) इसके सदस्य हैं। एक यह कमेटी बनी हुई है, यह कमेटी स्क्रूटनी करती है। इस कमेटी ने स्क्रूटनी करके 47 नर्सिंग कालेज को इस योग्य पाया कि इनको राज्य स्तरीय निर्णय समिति में भेजेगी। राज्य स्तरीय निर्णय समिति में अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग; निदेशक, जन स्वास्थ्य इसके सदस्य हैं; अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा सेवा, इसके सदस्य हैं, शासन उप सचिव इसके सदस्य हैं; और रजिस्ट्रार, नर्सिंग काउंसिल इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, यह दो स्तरीय समिति हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समीक्षा समिति ने 2015-16 के अन्दर जो कुल आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें 47 संस्थाओं को इस योग्य माना कि इनका नर्सिंग कालेज में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, इनको नर्सिंग काउंसिल से अनुमति देने के लिए इनके प्रार्थना पत्र को प्रेषित किया जाए। उसके बाद राज्य स्तरीय समिति में आया। राज्य स्तरीय समिति ने गुणावगुण के आधार पर 15 नर्सिंग कालेजों को योग्य माना, जिनको एन ओ सी के लिए उन्होंने भारतीय नर्सिंग काउंसिल में भेज दिया।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है ऐसी संस्थाएं जिनके पास भूमि, भवन, स्टाफ, अन्य सुविधाओं में करोड़ों रुपये खर्च कर पूर्व में नर्सिंग कालेज संचालित कर रही हैं, उनके निरीक्षण में, मंत्री महोदय ने बताया कि आई.एन.सी. की गाइडलाइंस तय करती हैं, तो आई.एन.सी. की गाइडलाइंस में उनको उपयुक्त माना है। समीक्षा समिति ने भी उन नर्सिंग कालेजों के लिए उपयुक्त माना है; उसके बाद निर्णय समिति है उसने कुछ चुनिंदा संस्थाओं को मान्यता जारी की? अध्यक्ष महोदय, 27 दिसम्बर, 2015 के 'दैनिक भास्कर' में इसकी न्यूज भी छपी थी। उसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इसका रिव्यू करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः सवाल कीजिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): आज दिन तक रिव्यू नहीं हुआ है। निर्णय समिति और समीक्षा समिति में चार सदस्य कामन हैं। यदि हां, तो फिर निर्णय में परिवर्तन क्यों और किस कारण किया गया? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अनापत्ति पत्र जारी करने का एक पूरा प्रोसेस है। हर साल राज्य सरकार आवेदन पत्र आमंत्रित करती है, कौन-कौनसी संस्थाएं निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोलना चाहती हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद उनको सरकार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में भेजती है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल उसमें तीन इन्स्पेक्टर की एक टीम बनाती है, जो जाकर पूरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पूरी वीडियो फिल्म बनाती है, फोटोग्राफ्स लेती है। उस टीम के आधार पर सम्बन्धित सी एम एच ओ उसको वेरीफाई करता है। आर.एन.सी. से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट है, वह समीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है। समीक्षा समिति उसका निर्णय करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के सामने भेजती है।

अध्यक्ष महोदय, पहले पूर्ववर्ती समय के अन्दर इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं था, इसलिए हर किसी को मिल जाया करते थे। हमने इसको सख्त किया और साथ ही किया, पैरेंटल हास्पिटल उस संस्था का होना जरूरी है। यह जो निर्णय समिति ने निर्णय किया, इसके अन्दर बदलाव इसलिए आया कि कुछ एफिलियेटेड हास्पिटल्स , मेरी संस्था है और मैंने एफिलियेटेड हास्पिटल का नाम दे दिया कि यह मेरा एफिलियेटेड हास्पिटल है, उनके नाम से उन संस्थाओं ने एप्लाई कर दिया। हमने सख्ती से यह कहा कि जिसका खुद का 100 बेडेड हास्पिटल होगा और उस 100 बेडेड हॉस्पिटल में तीन सीट पर एक विद्यार्थी, इस हिसाब का रेश्यो रखा था। ये आई.एन.सी. के मापदण्ड थे। निश्चित तौर पर आई.एन.सी. के मापदण्ड के अनुसार सख्ती से जब उनकी पालना हुई, तो उसके अन्दर यह कम संख्या के अन्दर नर्सिंग कालेज खोलने का काम हुआ। मैं स्वीकार करता हूं कि दोनों वर्षों के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार के समय जिस प्रकार अंधाधुंध दिये गये थे, उससे बहुत कम खोले गये।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी ने इर्रेगुलेरिटी की है। हम बताएंगे। (व्यवधान) क्वेश्चन सत्ता पक्ष के विधायक पूछ रहे हैं, इसलिए बता नहीं पा रहे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री रमेश (सपोटरा): सारा भ्रष्टाचार तो आपने किया है। पूर्ववर्ती सरकार पर क्यों मंढ रहे हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। रमेशजी, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बोलो ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रमेशजी, बैठिए।

श्री रमेश (सपोटरा): यह चीज सब जनता को मालूम है और बताएंगे आपको। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): जब जवाब सही आ रहा है, तो सुनने में तकलीफ क्यों हो रही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2012 के अन्दर तत्कालीन सरकार ने जब इस प्रकार की एन ओ सी जारी की थी, तो एक साथ 86 नर्सिंग कालेजों पर ए सी बी ने छापा लगाया था। इस बार हमने यह काम नहीं किया। अगर इनको यह दर्द हो कि हमने कम क्यों दीं; मैंने कहा कि ये मापदण्ड हम तय नहीं करते हैं, ये मापदण्ड तय करती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो एक एक्ट के अनुसार बनी हुई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो प्रावधान रखे, उन प्रावधानों के आधार पर इन दोनों समितियों के सामने मामला आया। जिस तरह मैंने मेरे जवाब के अन्दर कहा, दोनों समितियों के अन्दर उच्च अधिकारी हैं, एक में प्रिंसिपल की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी; एक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हैल्थ के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी। इसके अन्दर कहां तो भ्रष्टाचार हो गया? कहां क्या हो गया?

यह बात उछाल देना, मैं समझता हूं कि सदन का उपयोग इस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): जोगेन्द्र शर्मा रजिस्ट्रार बनाया आपने, कौनसी पात्रता रखता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। रमेशजी बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: रमेशजी बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपके राज में भ्रष्टाचार हुआ, वह ही वह नजर आता है आपको।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप अपना कोई मोशन ले आइये। आप नियमों के अन्दर आ जाइये।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बता दूंगा, रजिस्ट्रार किसको बनाया और क्यों बनाया।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्षः रमेशजी, चुप रहिए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बता दूंगा, मैंने रजिस्ट्रार क्यों बनाया और कैसे बनाया। आपकी तरह नहीं है कि यहां सवाल इस तरह के खड़े करते हों, जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो। बात करते हों। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न। श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा था कि क्या राजस्थान में नर्सिंग का मरीज-नर्स रेश्यो 1:3 बेड पर, 1:1 आई सी यू में, पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो एक तरफ तो सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि 428 कालेजों ने नये कालेज खोलने, नये सबजेक्ट के लिए उन्होंने एप्लाई किया और 47 को आपने योग्य पाया; आपने तीन-तीन समितियां बना दीं; आई.एन.सी. ने भी उनको सही पाया, समीक्षा समिति ने भी सही पाया; उसके बाद जिन कालेजों ने करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर दिये, जिनको आपकी समिति ने भी सही पाया, आई.एन.सी. ने भी सही पाया; क्या सरकार उन कालेजों को अभी भी मान्यता देने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्योंकि उनका इतना पैसा खर्च होने के बाद, रेश्यो भी सही नहीं बैठ रहा है।

श्री अध्यक्षः कह चुके आप, बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इस स्थिति में सरकार क्या करना चाहती है? मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि निर्धारित मापदण्ड बने हुए हैं, इन मापदण्डों के अनुसार, ये मापदण्ड हमारे नहीं हैं, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदण्ड हैं;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन मापदण्डों के अनुसार पैरेंटल हास्पिटल 100 बेडेड होना आवश्यक है। पैरेंटल हास्पिटल होते हुए भी अगर निर्णय समिति ने किसी बात को नजरंदाज किया है, अगर कोई शिकायत आएगी, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जिसमें एफिलिएटेड कालेज ही ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो। रामहेत सिंह। आप बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उसके बाद भी नहीं दिया उनको। (व्यवधान) कालेज है।

श्री अध्यक्ष: आप पूछ चुके। बैठिए आप। रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: आप पूछ चुके। आप बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आई.एन.सी. ने सही माना है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): खुद के हास्पिटल हैं, उसके बाद भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): कांग्रेस राज में जिसका ... (व्यवधान) ए सी बी ने छापे मारे थे, उस प्रकरण की प्रोग्रेस क्या हुई? और उनमें कितने लोगों को ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): खुद के हास्पिटल हैं, उसके बाद भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: रामहेत सिंह जी का जवाब दीजिए; और किसी का नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 2010 के अन्दर सरकार ने 60 नर्सिंग कालेजों को मान्यता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दी, 2011 में 18, 2012 में 42 । तत्कालीन सरकार के समय ए सी बी ने इन सब पर शिकायत के आधार पर छापा मारा और उसमें जो निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने कार्यवाही की। ए सी बी के छापे के पश्चात्, जो निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं कर रहे थे, उनके बाद उनका सक्षम न्यायालय में अगर उन्होंने चालान पेश नहीं किया...।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह पहली बार होगा, वरना नर्सिंग कालेज खोलने की होड़ लगती है। अगर हम पारदर्शिता से काम नहीं करते हों, अगर हमारा इंटेंशन खराब हो, तो जितनी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिस तरह मैंने आपको निवेदन किया कि 251 आवेदन 2014-15 में मिले, 2015-16 में 428 ।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छे। प्रश्न काल समाप्त।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोतर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नैनवां का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से छात्रों पर मंडरा रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट -2015) में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में;
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में संरक्षित भूमि पर से अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण हटाने के सम्बन्ध में;
4. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में;

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कस्टोडियन भूमि को खातेदारी में बदलने हेतु लगने वाले शुल्क की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में विद्युत उपभोक्ताओं को हजारों रुपयों के बिजली के बिल भिजवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

7. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा शीर्ष सहकारी बैंकों के माध्यम से की जा रही भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में; एवं

8. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री रामनारायण, श्री धीरज गुर्जर एवं श्रीमती शकुन्तला रावत को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पूरण मल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सड़क निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में;

2. श्रीमती सोनादेवी, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राजस्व चक 61 एन पी के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में;

3. श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सालासर उप-तहसील पर डाक बंगला बनवाने के सम्बन्ध में;

4. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के नैनवां रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में;

5. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के सम्बन्ध में;

6. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी नायब-तहसील को तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में;

8. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में बसे बंगाली जाति के परिवारों को खातेदारी व अन्य अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में;

9. श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में रेलवे लाइनों के दोनों तरफ बसी कालोनियों का पट्टा दिलाये जाने के सम्बन्ध में;

10. डा. किरोड़ीलाल, सदस्य की ओर से महवा तहसील में पेयजल हेतु सी.डब्ल्यू.आर. को पुलिस चौकी के नजदीक ही बनवाये जाने के सम्बन्ध में;

11. श्री अमृतलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में; एवं

12. श्री नानालाल अहारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उपखण्ड ऋषभदेव में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 46 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री गोरधन, सदस्य की ओर से सीकर जिले की गौशालाओं को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में;

2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से शैक्षणिक व्यवस्था के नाम से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के अध्यापकों को नियमों के विपरीत शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री देवेन्द्र कटारा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना की नहरों की मरम्मत व सिंचाई हेतु पानी दिये जाने के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से देवनारायण आवासीय विद्यालय, भीलवाड़ा में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सैकिण्ड। पाइण्ट आफ इंफार्मेशन। एक सैकिण्ड।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो। नो पाइंट आफ इंफार्मेशन। बैठिये आप। नो पाइंट आफ इंफार्मेशन। बैठिये आप। एक सेकण्ड में कुछ नहीं होता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट तो दे दीजिये। एक ही मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं दूंगा। नहीं, एक मिनट नहीं। आप बोलिये, राजेन्द्रसिंह यादव।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट। आपकी अनुमति से बोलना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया। पाइंट आफ इंफार्मेशन नहीं दूंगा। अभी बोलने दीजिये। यह खतम होने के बाद देखूंगा। बोलने दीजिये। अभी चालू हुई है प्रक्रिया।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि आज महत्वपूर्ण मांग है और हमारे इधर कम से कम 40-50 सदस्यों के बोलने के लिए सूची मिली है। यदि यह 295 पढ़ा

(श्री कालू लाल गुर्जर)

हुआ मान लिया जाए, तो थोड़ा टाइम एडजस्ट हो जाएगा। वरना बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की राय है क्या इसमें?

(स्वीकृत)

295 पढ़े हुए माने जाते हैं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी, विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री राजेन्द्र यादव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कस्टोडियन भूमि को खातेदारी में बदलने हेतु लिये जाने वाले शुल्क की समाप्ति

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कस्टोडियन भूमि पर काबिज काश्तकारों के लिए जो सरकार ने 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, डी.एल.सी. रेट का, जिसकी वजह से कोई भी किसान उसको भरने में समर्थ नहीं है और आज तक किसी भी किसान ने इसमें पहल नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: शांति रखिये। शांति रखें। इधर-उधर आना-जाना नहीं। व्यवस्था बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): मान्यवर, पूर्व में जब 1947-48 में हमारे यहां महरमपुर नवाब की लगभग 12,000 बीघा जमीन थी, आजादी के बाद महरमपुर नवाब देश छोड़कर पाकिस्तान चले गये और किसी कारणवश जो काश्तकार उसमें सदियों से खेती कर रहे थे, उनको उप-कृषक का दर्जा राजस्व विभाग में चढ़ गया। फलस्वरूप उनको ट्रेसपासर मानते हुए, अभी जो राज्य सरकार ने स्कीम बनाई है, उसमें 50 प्रतिशत डी.एल.सी. रेट का कानून बनाकर उनको भूमिधारी राइट्स देने के लिए कहा गया है। उसमें कोई भी गरीब किसान डी.एल.सी. रेट का 50 प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं है। आठ से दस लाख रुपये डी.एल.सी. रेट है, अगर पांच बीघा जमीन भी वह कराता है, तो 25-30 लाख रुपये उसको जमा कराने पड़ते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

राज्य सरकार को भी पिछले दो साल में कोई रेवेन्यू इस जमीन से मिल नहीं रहा। मेरे यहां सब-रजिस्ट्रार आफिस का आंकड़ा है कि एग्रीकल्चर भूमि की लगभग 9 प्रतिशत सालाना रजिस्ट्री हो रही है। यह जो 10-12 हजार बीघा जमीन है, इसमें औसत हजार बीघा हर साल रजिस्ट्री होती, तो जो सरकार ने आंकड़ा दिया, लगभग सौ करोड़ का 50 प्रतिशत सरकार को मिलना था, उसमें आज एक रुपया भी सरकार को नहीं मिला। गरीब किसान उसमें त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, न तो वे बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, न कुछ कोई एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। अगर राज्य सरकार उनके नाम हस्तांतरित कर देती, तो औसत 9 प्रतिशत रजिस्ट्री हर साल होती, जिससे सरकार को 8-9 करोड़ रुपया सालाना मिलता; जो 50 करोड़ लगभग बनता है, वह पांच साल में पूरा हो जाता, और गरीब किसानों को उससे फायदा मिलता।

मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से, कि गरीब किसानों की स्थिति देखते हुए इस पर न्याय करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्षः श्री रामनारायण। बोलिये, आप पहली बार बोल रहे हैं, जरा ठीक ढंग से।

नसीराबाद में कृषि विद्युत के अत्यधिक शुल्क से राहत

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय अध्यक्षजी, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में बिजली जो किसानों ने ले रखी है, उनको न तो टाइम से ट्रांसफार्मर मिलते हैं, न उनके मीटर बदले जाते हैं। उसके साथ-साथ ही, कुछ जो छीजत के मामले में शीटें भरी गयी हैं, उसमें भार पांच का है और उन सबके ऊपर ही 67,500 के नोटिस दे दिये गये हैं। इसी प्रकार एक को डबल दे दिया गया है; उसका 65 हजार का है, उसके साथ ही फिर एक लाख 20 हजार का दे दिया गया है। इस तरह का किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बैठे-बैठे ही सारे, दस शीटें भरी गयी हैं, उन सब में 67,500-67,500 की शीट भर दी है। इस प्रकार का अन्याय हो रहा है उनके साथ। साथ ही जिनके घरेलू कनेक्शन हैं, उनके 62,000-62,000 आ रहे हैं। कनेक्शन काटने के बाद फिर 6 हजार का फिर बिल आ रहा है। इस तरह से कार्य हो रहा है। किसानों को न तो टाइम से बिजली मिल पा रही है, साथ ही बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रहे हैं, डबल-डबल।

इसके लिए राहत दिलाई जाये।

श्री अध्यक्षः विराजिये। श्री धीरज गुर्जर।

रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग द्वारा शीर्ष सहकारी बैंकों के माध्यम से की जा रही अनियमितता

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्षः बोलो, बोलो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राजस्थान के अन्दर किसान हितों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी ने किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण बांटने हेतु वर्ष 2015-16 में बजट पैरा के 79 नम्बर पर स्पष्ट घोषणा की कि किसानों को 17,500 करोड़ रुपये का ऋण बांटा जाएगा और सरकार अपनी तरफ से अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपये वहन करेगी। इसके विपरीत रजिस्ट्रार ने अपनी मनमर्जी से, बिना, मुझे पता नहीं कि सरकार और मंत्री की इजाजत ली है या नहीं, इन्होंने अपने स्तर पर 3,500 करोड़ रुपये की कमी करते हुए ऋण के लक्ष्यों को 17,500 से घटाकर 14,000 करोड़ रुपये कर दिया। इससे किसानों का नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान इस बात का होगा कि सरकार जो समय पर ऋण जमा कराने के बाद किसान को शून्य प्रतिशत ब्याज का फायदा देती है, वह फायदा नहीं ले पाएंगे। इस कटौती के ऊपर सरकार को अपने स्तर पर वापस सोचना चाहिए।

दूसरा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों पर आर्थिक भार डालने का एक और तानाशाही भरा तुगलकी फैसला इन रजिस्ट्रार ने और सहकारिता विभाग ने किया है, जिसमें आदेश क्रमांक 97/50/ सविरा/बैंक दिनांक 02.12.2015 को यह आदेश निकाल दिया कि 01 अप्रैल, 2016 से किसानों को जो भी फसली ऋण दिया जाएगा, वह उनके बचत बैंक खाते के माध्यम से देंगे और वे खाते केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में खोले जाएंगे। यह कैसा फरमान है! जिसमें जैसे ही बैंक्स पैसा किसानों के बचत खाते में ट्रांसफर करेंगे, चाहे किसान उसको विथड्रा, निकलवाए या नहीं निकलवाए, उस किसान के ऊपर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, और अगर सरकार भी इस ब्याज को वहन करती है, तो भी बिना ऋण बांटे बैंकों को ब्याज देना उचित नहीं है। इस निर्णय से बैंकों के सामने भी गम्भीर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि

(श्री धीरज गुर्जर)

बचत खाते में ऋण राशि डालने से बैंकों की काल्पनिक डिपोजिट बढ़ जाएगी और बैंकों को अवांछित सी.सी.आर. व एस.एल.आर. मेनटेन करने पड़ेंगे। बैंकों का आइडल फंड बढ़ेगा और यह अंततः बैंकों को हानि की ओर ले जाने वाला होगा। अतः सरकार इस पर फैसला लेकर किसान व बैंकों के आर्थिक नुकसान को बचाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। बस।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दो लाइन और हैं, साहब।

साथ ही, सहकारिता विभाग, पहले कृषि अनुदान हेतु बी-कम्पोनेंट ऋण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी थी, अब किसानों को जबरदस्ती बी-कम्पोनेंट ऋण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक लाख रुपये का ऋण लेने वाले किसान को 75 हजार रुपये के खाद और बीज जबरदस्ती लेने पड़ेंगे, जबकि पहले सरकार उनको डाइरेक्ट पैसा देती थी।

साथ ही, ये सहकारी बैंकों की 486 शाखाओं के अन्दर 1 करोड़ 75 लाख खाते खोलना चाहते हैं, जबकि किसानों ने ये खाते पहले ही खोल रखे हैं वाणिज्यिक बैंकों की 6 हजार शाखाओं के अन्दर। इसके लिए प्रत्येक शाखा 15 रुपये के हिसाब से 26 करोड़ रुपये सरकार सी.सी.बी. बैंकों के माध्यम से वहन करवाना चाहती है, जबकि नाबार्ड इस वित्तीय वर्ष में कैम्प लगाकर 8 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये देने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आ गया, पाइंट आ गया आपका।

श्रीमती शकुन्तलाजी रावत।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसके साथ ही एक मामूली, एक लाइन मुझे कहनी थी; एक लाइन रह गयी थी मेरी, कि गंगानगर के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। बैठिए, बैठिए। आ गया आपका पाइंट। आप बैठिए। नहीं, आप अपना विषय रख चुके हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अच्छा, एक लाइन तो कह दूं। माननीय, मामूली एक ध्यान आकर्षण है मेरा कि भीलवाड़ा देवनारायण योजना के अन्तर्गत जो हमारा छात्रावास बना हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक लाइन भी नहीं। श्रीमती शकुन्तलाजी, बोलिए आप। मैंने श्रीमती शकुन्तलाजी को पुकार लिया है। आप बैठिए। श्रीमती शकुन्तलाजी।

बानसूर में पेयजल समस्या

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं पेयजल की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में दिन-पर-दिन जल-स्तर घटता जा रहा है; 500 से 1000 फीट तक पानी घट गया है। एक-एक घर में कई जगह तो 300 से 400-500 रुपये तक में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पंचायत-सबलपुरा, रामपुरा, रामपुर कोलाड़ा, विजयपुरा, नारायणपुर, मुंडावरा, गढ़ी, मैनपुर, खरखड़ी, बामनवास, काकड़ की ढाणी, खारिया का ढाणी, सामोता, ग्यानपुरा, बिलारी, कराणा, अजबपुरा, बग्गू का बास, माजरा अहीर, आदि पंचायतों में, अध्यक्ष महोदय, ऐसी नौबत है कि पानी नहीं है, टैंकर से लोग पानी मंगवा रहे हैं और आगे गर्मी में क्या हालत होगी!

इनके लिए, जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं, 100-100 घरों की, 200-200 घरों की, काली पहाड़ी है, गुढा, भाकरवाला, धामला का बास, मांदरी, मोती की ढाणी, इनमें अगर पाइपलाइन दे दी जाए, तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। कई जगह पर सिर्फ 100-100, 50-50 मीटर ही पाइप लाइन चाहिए, या 200 मीटर तक, तो आगे आने वाले समय में पानी की समस्या का समाधान मिल जाएगा। बार-बार, जैसे लीलामड़ा में तो मैंने कई बार ए.ईएन., जे.ईएन्स. को बोला, तो भी वे पाइप-लाइन को ठीक करवाने नहीं आते हैं; आनन-फानन में उसका जोड़ लगाकर चले जाते हैं। पानी यूं ही बहता रहता है। रामपुर जाने वाली जो पाइपलाइन है, उसमें भी बीच में पानी बह रहा है 24 घंटे। मैंने ए.ईएन. को यह सूचना दी कि आप अगर यहां पर एक टंकी बनाकर या पाइपलाइन से जोड़ दें, टंकी भी बनी हुई है, थोड़ी-सी पाइपलाइन लगाकर जोड़ दें, तो पूरी ढाणी की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वे एक-एक गिलास से नाले से पानी भरते हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जल्दी से जल्दी कुछ बोरिंग्स, जो पंचायत मैंने बताई हैं, उनमें स्वीकृत करवाने का कष्ट करें, मंत्री महोदया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमने एम.एल.ए. लैड से जो पाइपलाइन दी जोड़ने के लिए, तुरन्त, तो उसको भी भू-जल में भेज दिया जाता है, परमिशन के लिए। तो कृपा करके, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ऐसी जो अति आवश्यक हैं, उन्हें तुरन्त स्वीकृत करवाएं, जिससे कि कई गांवों के जो शेष बच रहे हैं वे जुड़ जाएंगे।

श्री अध्यक्षः आप विराजिए। मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं, आप विराजिए। माननीय मंत्री महोदया, आप दे रही हैं? आप रेस्पांड कर रही हैं? दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): महिला जब बोलती है, तो रेस्पांड करना ही पड़ता है।

श्री अध्यक्षः मुझे मालूम है आपकी यह कमजोरी। इसीलिए मैंने कहा कि वे जवाब दे रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): थोड़ा-सा तो रखने दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली हमारी माननीय सदस्या ने जो उनकी बात कही है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन तुलसीदासजी ने तो यह कहा है- 'मोह न नारि, नारि के रूपा'। यह आप उलटा काम कैसे कर रही हैं? तुलसीदासजी के आधार पर चलो। तुलसीदासजी ने कहा है - 'मोह न नारि नारि के रूपा'।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी, बोलिए। वह तो घनश्यामजी तो ऐसी क्लिष्ट भाषा लाएंगे, उलझाने वाली। आप बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उलझाते रहते हैं क्या हमेशा? नहीं, उलझाते तो नहीं हैं। (व्यवधान) हां-हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो अपनी बात कही है, उसमें इनके यहां पर हम लोगों ने, इनकी कांस्टीट्युएंसी में जो तीन गांव हैं, स्पेशली सबलपुरा, काली पहाड़ी और रामपुर,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो जिक्र अभी..., इनके अन्दर, तीन विलेजेज के अन्दर सबसे ज्यादा पानी की प्राब्लम है अभी। बाकी ओवरआल तो थोड़ा तो अभी मैनेजेबल है। यहां पर जे.जे.वाई. की जो स्कीम चल रही है, उसके अन्दर जो ट्यूबवेल इनके ड्राई हो चुके हैं, उनके अगेंस्ट में हमने नए ट्यूबवेल इनको सैंक्शन कर दिये। इनको इसके अलावा भी, वहां सैंक्शन होने के बाद जब ट्यूबवेल ड्रिल हुआ, तो वहां पर वह भी ड्राई निकला। पानी ही नहीं है। तो यह जो स्थिति है, इसमें जहां पर भी ड्राई ट्यूबवेल्स हैं इनके क्षेत्र में, वे हम लोग करवा रहे हैं इसको।

इसके अलावा, हैंडपम्प्स भी हमने इनको दिये हैं। 24 हैंडपम्प इनके यहां पर लग चुके हैं।

जे.जे.वाई. की स्कीम्स, जो आग्मेंट करनी है, वह आग्मेंट करने की भी इनको सूची मैं उपलब्ध करवा दूंगी। चार स्कीम्स हमने इनके यहां पर जे.जे.वाई की आग्मेंट करने के लिए दी हैं; लगभग 102 लाख की हैं। ये स्कीम्स आपके यहां पर सैंक्शन हुई हैं।

निश्चित रूप से यह जो जल स्तर जमीन में गिरता जा रहा है, उसमें यही है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के अन्दर जो आपके यहां पर गांव सलैक्ट हुए, उसमें आपका भी इंटरेस्ट उसके अन्दर लें। उसमें अच्छी तरीके से वाटर रिचार्जिंग के हम लोग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। उसके अन्दर सभी का को-आपरेशन हो, तो आने वाले समय में यह जो विकट समस्या है, उसका हल निकल सकेगा। और इनको मैं सारी सूची उपलब्ध करवा दूंगी।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अवेलेबल करवा दें, जो लिस्ट दे रखी है, बस।

अनुपस्थिति अनुमति

तरुण राय कागा, श्री, सदस्य को 16 मार्च से 27 मार्च, 2016 तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री तरुण राय कागा, सदस्य, विधान सभा ने अपने रिश्तेदार का निधन हो जाने के कारण दिनांक 16 मार्च, 2016 से 27 मार्च, 2016 तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

पर्ची के माध्यम से, श्री गोरधन।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर जिले की गौ-शालाओं को अनुदान

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सीकर जिले की गौ-शालाओं को अनुदान नहीं दिया गया था। मैं सोचता हूं कि पूरे भारतवर्ष में और पूरे राजस्थान में इस मूक प्राणी गाय हेतु लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा और दानदाताओं के द्वारा विभिन्न जगह, विभिन्न गांव, ढाणियों में गौशालाएं संचालित की जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास भी करता है कि इन गौ-शालाओं को हम सही ढंग से चलाएं और जब हम किसी गांव में जाते हैं तो कई गांवों में ऐसी स्थिति होती है कि पूरा का पूरा गांव उस गौ-शाला को चलाने के लिए पूरी मेहनत करता है, पूरा परिश्रम करता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इन गांवों के लोगों के द्वारा या दानदाताओं के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा उन गौ-शालाओं का संचालन करना अपने आप में एक दुविधापूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। कृपया बात नहीं करें, आपस में।

श्री गोरधन (धोद): यदि उसमें सरकार का सहयोग मिल जाता है, तो उन गौ-पालकों के लिए, उन गौ-शालाओं के लिए एक वरदान साबित हो जाता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूं कि 2014-15 में आपदा प्रबन्धन के द्वारा पूरे राजस्थान की गौ-शालाओं को अनुदान दिया गया था। हो सकता है कि वह अनुदान आपदा प्रबन्धन के द्वारा किया गया था, तो मैं सोचता हूं कि उसमें इस राजस्थान की लगभग तीन या चार गौ-शालाएं ही वंचित रही थीं। मेरा सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार की ओर से उन गौ-शालाओं को अनुदान दिया जाए, जिससे उनको मजबूती स्थिति प्रदान हो सके। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी क्या आपदा प्रबन्धन के द्वारा,

(श्री गोरधन)

या 2016 में राज्य सरकार के द्वारा गौ-शालाओं को अनुदान दिया गया है, या दिया जाएगा?

तो मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि गौ-शालाओं को अधिक से अधिक अनुदान देकर उनको सहायता प्रदान करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्षः श्री जोगाराम पटेल। (व्यवधान) आप बैठिये। नहीं, आप बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भीलवाड़ा में छात्रावास के अन्दर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई है।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। नो-नो। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके खुद के जिले का मामला है।

श्री अध्यक्षः यह नहीं। हर समय खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) एक शब्द भी अंकित नहीं होना चाहिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्षः नहीं, यह क्या बात! जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। आप बैठिये। आप बैठिये। आप रोज कोई न कोई नई बात लाते हैं। सब विषय इम्पोर्टेंट हैं। कौनसा विषय इम्पोर्टेंट नहीं है? राजस्थान की सारी घटनाएं इम्पार्टेंट हैं। क्या सबको एक साथ लिया जा सकता है? हां, जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया। राजस्थान और विशेषकर जोधपुर में जो शैक्षणिक व्यवस्था का वातावरण, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार, बालकों का स्कूलों में ठहराव, अध्यापकों की नियुक्ति का जो सबसे बड़ा काम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जोगारामजी, एक मिनट विराजिये। मेरे से कुछ गलती हो गयी, करेक्ट कर लूं। इनके बाद मैंने आपको बुला लिया और इधर-उधर उलझ गया।

माननीय गृह मंत्रीजी कुछ जवाब देना चाहते थे गोरधनजी के वक्तव्य पर। इसके बाद आपका।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत अभार। मैं खड़ा हुआ था, लेकिन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं इधर-उधर उलझ गया था, इसलिए आपकी तरफ ध्यान नहीं गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सीकर जिले के बारे में आपदा के तहत वहां की गौ-शालाओं को जो मदद मिलनी चाहिये, चूंकि पिछले वर्ष सीकर की जो गिरदावरी रिपोर्ट हमारे पास आई, सारे जिले में एक भी गांव अभावग्रस्त में नहीं आया। हमारा आपदा प्रबन्धन का नियम है कि उस जिले का अगर कोई एक गांव भी आपदा में आ जाता है, तो हम वहां की गौ-शालाओं को मदद करते हैं। हमारे लिए यह सम्भव नहीं था। मैं सोचता हूं कि इस बार अभी जो सूची आई है, उसमें शायद हो सकता है, आगे से कुछ रास्ता मिल जाए, लेकिन पिछले वर्ष का तो नहीं मिल पाया। इन्होंने भी खूब कोशिश की, चार-पांच गौशालाएं थीं, ये कई बार आये भी सही, ज्ञापन भी दिया, लेकिन नार्म्स में नहीं आने के कारण से हम इनकी मदद नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, क्षमा करें, आप अपना चालू करें अब। (व्यवधान) यह खतम होते ही आपको अवसर दूंगा, गंगानगर की दोनों विधायक।

अध्यापकों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं जो निवेदन कर रहा था, राजस्थान के शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य आदरणीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश और आदरणीय प्रारम्भिक शिक्षा मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व ने किया और उससे जनता का विश्वास बना है, राजकीय विद्यालयों में ठहराव अधिक हुआ है, शैक्षणिक व्यवस्था के तहत जहां अध्यापक लगने चाहिए वे लगे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, या तो, शिक्षा मंत्रीजी, आपके नालेज में नहीं लाया जा रहा है, या उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमारा इतना बढ़िया माहौल होने के उपरान्त भी उसमें गड़बड़ हो रही है और वह इतनी भयंकर हो रही है, जिससे न केवल शिक्षा विभाग की, न केवल सरकार की छवि खराब हो रही है, बल्कि ऐसे अनेक लोग इस विभाग में हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं और नियमों की अवहेलना कर, व्यक्तिगत हितार्थ, अपना फायदा प्राप्त करने के लिए, जो भी आप परिपत्र जारी करते हैं या जो भी आप कानून या सर्कुलर जारी करते हैं, उनकी जान-बूझकर अवहेलना करते हैं।

(12.25 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का एक सर्कुलर है 6.8.2015 का और उसमें यह कहा गया है कि जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, वहां कमी वाले विद्यालयों में नजदीक के विद्यालय से, उसी ग्राम पंचायत के विद्यालय से, या निकट की ग्राम पंचायत के विद्यालय से कोई भी अध्यापक लगाया जाएगा और शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी; पर उसमें शर्त यह रखी है कि जहां नजदीक के विद्यालय से, उसी ग्राम पंचायत से, निकट की ग्राम पंचायत से नहीं है, तो निदेशक की अनुमति से एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में भी किया जा सकता है; उसका अप्रूवल है, वह डायरेक्टर से होगा। इसमें तीन शर्तें आपने स्पष्ट रूप से लिखी है कि वह विद्यालय जिसमें शैक्षणिक व्यवस्था करनी है, उसका नामांकन 30 से अधिक होना चाहिये; एकल विद्यालय या एकल अध्यापक का विद्यालय नहीं होना चाहिये; जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 91 से अधिक है, वहां तीसरे अध्यापक की व्यवस्था की जा सकती है; जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 150 से अधिक है, उन विद्यालयों में प्राध्यापकों की शिक्षण व्यवस्था की जा सकती है। आपका दूसरा सर्कुलर है, उस सर्कुलर में आपने यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था उसी शहरी क्षेत्र के अन्य विद्यालय से ही की जा सकेगी। यह जो आपका सर्कुलर है, यह भी शिक्षा विभाग का 6.8.2015 का है।

इनकी जान-बूझकर अवहेलना करने के कारण, या जान-बूझकर अवहेलना कर, कृपया शिक्षा मंत्रीजी ध्यान से सुनें; शहर का एक विद्यालय है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांधीपुरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कुल 24 विद्यार्थी हैं और चार अध्यापक लगे हुए हैं। एक शहर का विद्यालय है जहां, ऐसे कोई 10 उदाहरण हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जिसमें कुल 24 विद्यार्थी हैं और चार अध्यापक हैं। एक गांव का विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भादवों की ढाणी, उस विद्यालय में 24 विद्यार्थी हैं और दो अध्यापक लगे हुए हैं; उस गांव के विद्यालय में 24 विद्यार्थी हैं और दो अध्यापक लगे हुए हैं। आपके आदेश से, आपके प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव से, आपके डायरेक्ट्रेट की अनुमति से, इस गांव का जो विद्यालय है, जहां 24 विद्यार्थियों पर दो ही अध्यापक थे, उसमें से एक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांधीपुरा में कर दी। वहां 24 पर चार

(श्री जोगाराम पटेल)

अध्यापक की जगह पांच हो गये और वहां 24 पर एक ही अध्यापक रह गया। अब आप अनुमान लगावें कि जहां पर चार अध्यापक 24 विद्यार्थियों पर पहले से ही लगे हुए थे, उसमें एक अध्यापक और गांव से, जहां पहले से ही दो थे, आर टी आई नार्म्स के अनुसार दो से कम हो ही नहीं सकते, सिंगल अध्यापक विद्यालय आप कर ही नहीं सकते; ऐसे विद्यालय में अध्यापक को व्यवस्था के तहत भेजा गया।

मैंने एक प्रश्न लगाया इस विधान सभा में और विधान सभा के प्रश्न में जब मैंने यह पूछा, ''क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यामिक विद्यालय, गांधीपुरा शहरी विद्यालय में 24 विद्यार्थियों पर चार अध्यापक कार्यरत होने के उपरान्त भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भादवों की ढाणी से एक अध्यापक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीपुरा में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव भिजवाये गये और सहायक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा उक्त प्रस्ताव को मंजूर किया गया? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।'' आप सरप्राइज करेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर दिया गया, ''जी हां।...'' जी हां, मतलब, यह बखूबी स्वीकार किया गया कि ग्रामीण विद्यालय में 24 विद्यार्थी, दो अध्यापक; शहरी विद्यालय में 24 विद्यार्थी, चार अध्यापक, और वहां से एक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति शहर में कर दी गयी! वह कहे, हां! मैंने पूछा, किन नियमों के तहत? जिला प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर के पत्र क्रमांक 10.9.2015 के क्रम में निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 6.8.2015 के अनुसार और 6.8.2015 का, जो परिपत्र मैंने आपके सामने पढ़कर बताया, उसमें यह स्पष्ट नियम है कि जहां अध्यापक-विहीन विद्यालय होगा, जिसमें 30 से अधिक नामांकन होगा वहां होगा। जिस विद्यालय में किया गया, वहां पहले से ही 24 विद्यार्थी थे, 30 से कम, और चार अध्यापक पहले से ही लगे हुए थे। दूसरा, आपका नियम है एकल विद्यालय; जहां चार लगे हुए थे, वहां एकल विद्यालय नहीं था; 24 ही थे, 30 से प्रतिनियुक्ति कर दी। तीसरा, जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 91 से अधिक है, वहां तीसरे अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी; यहां तो चार पहले से ही लगे हुए थे, और वहां एकल विद्यालय कर दिया। ऐसी स्थिति में, जवाब के अनुसार मैंने कहा, नियमों के अनुसार कैसे कर दिया? ''आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।'' आर्डर और ये सब साथ भेजे हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

शिक्षण व्यवस्था हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं हैं। यह आपके शिक्षा विभाग का जवाब है, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षण व्यवस्था हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं है; जबकि शिक्षण व्यवस्था हेतु नियम निर्धारित हैं। आपके परिपत्र 6.8.2015, दो परिपत्र हैं, दोनों में शिक्षण व्यवस्था के नियम बनाये हुए हैं। नियम क्या हैं, उनको परिपत्र में निर्धारित किया हुआ है। कोई निर्धारित नहीं; इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। बस, इसका जवाब दे दिया।

मैंने कहा, इसके लिए कोई जिम्मेदार है? सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? ''प्रश्नोत्तर के भाग-तीन के अनुसार निदेशक महोदय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।'' क्या निदेशक कानून, परिपत्र और सरकार से ऊपर है? क्या निदेशक अपनी मर्जी अनुसार कर सकेगा? क्या निदेशक कभी नियमों की पालना नहीं कर पाएगा? क्या निदेशक जो भी करेगा, वह सही है?

ऐसे अनेक प्रस्ताव, आप जितने कहें, वे प्रस्तावों की प्रतियां सब सर्टिफाइड मैं साथ लेकर आया हूं। इन सब में जितने भी ग्रामीण विद्यालय हैं, जहां अध्यापक एक, दो, तीन और विद्यार्थियों की संख्या 50, 60, 100, 150, वहां से एक-एक अध्यापक, क्योंकि ट्रांसफर हो नहीं सकता, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बैन लगा दिया कि ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर आप करते नहीं हैं, और इस शैक्षणिक व्यवस्था के नाम से ट्रांसफर पूरे के पूरे किये जा रहे हैं।

मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सरकार में तो, माननीय सदस्य, यही होगा। हम पहले ही कह रहे थे। बहुत समय हो गया, दो साल पहले ही कह देनी चाहिए यह बात। इस सरकार में इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरी बात पूरी हो जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले पूरा बोल लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं यह सारी लिस्ट लेकर आया हूं, जिस लिस्ट में यह शहरी विद्यालयों में सारी की सारी...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। मंत्री महोदय, have you understood, what he is trying to put across? Then why don't you sit down? Let us see, what he has to say. Let us see what his answer is. एक मिनट। He has understood what you are trying to actually imply.

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पर्ची है, इसलिए पूरा बोलने दो। फिर मैं जवाब दे दूंगा पूरा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, पूरा समय थोड़े ही है, सर, पर्ची के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्ची के द्वारा मुद्दा उठाया कि शैक्षणिक व्यवस्था, इस माध्यम से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने जहां कहीं नामांकन अधिक हैं और पोस्टें कम हैं, वहां पर शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हमने परिपत्र जारी कर रखे हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में तो परिपत्र निकाला है कि उसमें जहां पर अध्यापक 50 परसेंट से कम होंगे, या 200 से अधिक विद्यार्थी होंगे, वहां पर शैक्षणिक व्यवस्था की जा सकेगी।

माननीय सदस्य महोदय ने प्रारम्भिक शिक्षा का मुद्दा उठाया। उसमें हमने ये निर्देश जारी किये हुए थे कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग कई जगह शैक्षणिक व्यवस्था, कि विद्यार्थी अधिक हैं और पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो तात्कालिक यह व्यवस्था प्रारम्भ से ही की जा रही है। उस व्यवस्था के तहत जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने, यह सही है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भादवों की ढाणी से एक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांधीपुरा में शैक्षणिक व्यवस्था का प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाया। उच्च प्राथमिक में पोस्टें न्यूनतम पांच होती हैं और प्राइमरी के अन्दर आर.टी.ई. के नियमों के तहत दो, 90 के बाद हो तो तीन, इस तरह की व्यवस्था आर.टी.ई. के नियमों में है। यहां विद्यार्थी कम थे, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय था, इसलिए वहां पर न्यूनतम पांच होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव भेजा, निदेशक ने अनुमोदन किया। तत्काल हमने दूरभाष पर उनको निर्देश दिये और निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा ने अपने पत्र क्रमांक 7.10.2015 के द्वारा उक्त आदेशों को केप्ट-इन-अबेयंस किया। निदेशालय से मार्गदर्शन चाहे जाने पर, निदेशालय ने भी 20.11.15 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर को पुनः निर्देशित किया कि उनके द्वारा किये गये शिक्षण व्यवस्था के समस्त आदेशों को केप्ट-इन-अबेयंस किया जाकर, शैक्षणिक व्यवस्था हेतु लगाये जाने के समस्त प्रकरण

(श्री वासुदेव देवनानी)

नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें जिससे शिक्षण व्यवस्था की जा सके। इस तरह दोनों स्थानों पर कहा है, छात्र-छात्रा नामांकन, कार्यरत स्टाफ और आर.टी.ई. मापदण्ड अनुसार आवश्यकता का अंकन करके भेजें।

उसके बाद हमारे निदेशालय के पत्र क्रमांक 4.11.2015 और 4.1.2016 के द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को यह निर्देशित किया गया है कि समस्त शैक्षणिक व्यवस्था आर.टी.ई. नियमों के तहत की जाए और किसी भी स्थिति में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था नहीं की जाए।

अतः मैं इसकी उच्च अधिकारियों से जांच करवाऊंगा और यदि कहीं लैप्स हुआ है, तो उस अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

साथ ही इनको आश्वस्त करता हूं कि यह समस्या लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमने 'शाला दर्शन' एक नया पोर्टल शुरू किया है, जिसमें विद्यार्थियों की भी संख्या होगी, अध्यापकों की भी संख्या होगी, उसे कोई भी देख सकेगा। यह पहले से काफी कुछ उसे व्यवस्थित करने का हमने प्रयत्न किया है। इस तरह का आगे कोई प्रकरण नहीं आएगा। धन्यवाद।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मैं पर्ची पर डिबेट अलाउ नहीं कर सकता।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा एक रह गया। मेरी एक बात रह गयी है।

श्री उपाध्यक्ष: इस सम्बन्ध में अगर किसी को और जानकारी कोई प्राप्त करनी है, तो मंत्री महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात रह गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष: I will allow only one question, in case you feel, if that is a related query.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक बात मेरी रह गयी थी। आपने बैठाया इसलिए मैं बैठ गया था।

मेरी एक रिक्वेस्ट यह भी है कि यह विषय आपकी नालेज में लाया गया, सी.एम.ओ. की नालेज में लाया गया, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखित

(श्री जोगाराम पटेल)

में दिया गया, आपको लिखित में दिया गया; उसके बावजूद भी आज भी शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के जो अध्यापक हैं, जहां अध्यापक कम हैं, वहां से आज भी लगाये जा रहे हैं। मैंने कहा, जांच कब कराओगे? आपने कहा, इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपका अभी जवाब है 15 दिन पूर्व, और आपने कहा, कोई अनियमितता नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 24 विद्यार्थी, दो अध्यापक; शहरी क्षेत्र में 24 विद्यार्थी, 4 अध्यापक, और अभी भी आप यह नहीं कर रहे कि उसमें जांच कराएंगे। आप किस तरह से जस्टिफाई कर पायेंगे? मुझे एक बात का जवाब देवें, उस ग्रामीण विद्यालय में किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों बचा रहे हो लोगों को?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष: I will allow point of information once the 'Parchi' thing is complete बट मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, anything that is more or less brought through point of information should be of immediate occurrence, in the past couple of hours, and if it is an occurrence which has taken place two days or five days or a month age, I will not allow that.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कल का है।

श्री उपाध्यक्ष: I will do it. Let the 'Parchi' get over. Then, one by one I will call them.

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि 14 तारीख को जब सभापति विराजमान थे, तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक असत्य सूचना यहां प्रस्तुत की, जो बिलकुल असत्य थी। किसी प्रकार का चुनाव भी नहीं हुआ था और उन्होंने इस प्रकार की बात यहां पर कह दी थी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप फैसला थोड़े ही करते हो सत्य, असत्य का। मेरी जनता करती है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सदन का दुरुपयोग किया। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन असत्य थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उप मुख्य सचेतक जी, मेरी जनता यहां भेजती है। मेरी बोलने की स्वतंत्रता है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप मेरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि असत्य सूचना दे दी मैंने?

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य। आदरणीय सदस्य। आदरणीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं, सदन का दुरुपयोग किया, असत्य सूचना दी। कृपया यह नहीं दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई दुरुपयोग नहीं किया। आप कर रहे हों दुरुपयोग पद का। इस पद के लायक ही नहीं हों आप। बोलने की मेरी स्वतंत्रता है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ये फैसला करेंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल नहीं हो। मेरी बात पर आप लगाम लगाओगे क्या कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा? मैंने बिलकुल सत्य कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आसन पांवों पर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भारतीय जनता पार्टी के राज ने चुनाव नहीं कराये, कांग्रेस के लोगों ने चुनाव कराया, उसको जिताया।

श्री उपाध्यक्ष: अब कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, यह आसन पर छोड़ दीजिए। यह निर्णय आप कब से करने लग गये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ठीक है, सर, मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक बात स्पष्ट है कि जो इस प्रकार बोलता है, उसमें योग्यता की कुछ कमी है। जब आसन पांवों पर है, तो आप पांवों पर क्यों हैं? Do you want to react on what he said?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। When we come to point of information, that time, I will give you a chance.

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं एक स्पष्ट दे दूं कि पहला विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, दूसरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसलिए दोनों 24-24 को कम्पेयर करना ठीक नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि मैं निदेशालय स्तर पर इसकी कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

डूंगरपुर में मेवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना की नहरों की मरम्मत

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर सम्भाग के डूंगरपुर जिले से आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही लघु सिंचाई परियोजना है, जिसको मेवाड़ा सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का 1,093 लाख की लागत से निर्माण किया गया था। दिनांक 28.12.2013 को उस बांध से निकलने वाली दोनों नहरें 6 जगह से टूट गईं। उस बांध में पानी की भराव क्षमता 259 एम सी एफटी है। इस बांध से करीब 15 गांव सिंचित होते हैं। उसका कमांड एरिया अगर हम देखते हैं, तो करीब 1,200 हैक्टेयर भूमि उससे सिंचित होती है। यह परियोजना 1993 में प्रारम्भ हुई थी और 2000 में पूरी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन 15 गांवों की जनसंख्या करीब 20 हजार है। 2013 से लेकर के अब तक सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से क्षेत्र में इन 15 गांवों के लोग बड़े मजबूर हो गये हैं। वहां मौसम आधारित खेती होती है। जब बांध बना, तब सिंचाई से खेतों में हरियाली छायी थी। दिसम्बर, 2013 से लेकर के अब तक उस क्षेत्र में न तो रबी की फसल हो पा रही है और न ही खरीफ की फसल हो पा रही है। स्थिति यह बनी हुई है कि इससे यह 20 हजार की जनसंख्या पूरी तरह से प्रभावित है। वहां एक बूंद पानी भी खेतों में नहीं जा रहा है। पूरा बांध भरा हुआ है और उस बांध का पानी नदी के माध्यम से गुजरात जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार निवेदन करने के पश्चात हमारे पास जवाब यह आता है कि हम आने वाले सत्र में, आने वाले बजट में करेंगे। बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये 20 हजार लोग सिंचाई के अभाव में भुखमरी के कगार पर हैं और गुजरात में रोजगार के लिए जाते हैं। कई परिवारों के बच्चों को पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण स्कूलें छोड़नी पड़ी हैं। इतने हालात खराब हैं।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस मामले में बार-बार प्रस्ताव भेजे गये, तो हमारे पास यह रिटर्न जवाब आता है कि हम जांच करवायेंगे कि कैसे टूटा, क्या टूटा। 2013 से लेकर के आज तक जांच पेंडिंग है। बांध की दोनों ही नहरें, चाहे वह दायीं हो, चाहे बायीं हो, उसके पूरे कमांड एरिया में आज पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। आज वहां के पशु भी पानी के अभाव में हैं, क्योंकि जब पानी खेतों तक जाता था, तो निश्चित है कि उससे पशु भी लाभान्वित होते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब प्रस्ताव की बात आई, 527 लाख का प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव का भी अभी तक कोई अता-पता नहीं है। इसके लिए मीटिंग भी हुई, वहां बात उठी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह डूंगरपुर की एक मात्र लघु सिंचाई परियोजना है। वह पहाड़ी इलाका है। उस क्षेत्र की जनता खेती पर निर्भर करती है। कोई उद्योग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब बांध की नहरें टूट गयीं और उसके बावजूद भी 3-3 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होना, पुनर्निर्माण नहीं होना और खेतों तक पानी नहीं पहुंचाना, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वापस हमने इस बात को उठाया था, कई बार जिला परिषद के माध्यम से भी प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंचे हैं, लेकिन बार-बार प्रस्ताव पहुंचने के बाद में भी क्षेत्र की जनता को राहत नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता को राहत दिलायें। इस बार अकाल तो अकाल ही है। इस बार अगर इस नहर का निर्माण नहीं होता है, इसका पुनः कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में जनता में जो आक्रोश है, वह तेज गति से बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय से इसका जवाब दिलवायें कि कब तक इस नहर का कंस्ट्रक्शन करेंगे और उस पानी को खेतों तक पहुंचायेंगे।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय।

श्री मानसिंह।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन तो दिलायें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन सरकार और मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता इस नियम में।

भीलवाड़ा के देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं

श्री मान सिंह (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, पालड़ी तेलीखेड़ा, भीलवाड़ा में देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में सोमवार को एक घटना घटित हुई। इस पवित्र सदन में हमें शर्म आती है उस बात को कहते हुए कि उन बालिकाओं की ड्रेस की नाप के लिए एक पुरुष टेलर को बुलाया जाता है। जब वह पुरुष टेलर नाप लेता है, तो उन बालिकाओं ने एतराज किया। बालिकाओं ने उसके बारे में शिकायत भी की। दूसरे दिन अखबारों में वह खबर छपती है और उसके बाद में नोडल एजेंसी, समाज कल्याण विभाग उससे पल्ला झाड़ने का काम करता है। दूसरे दिन उन सब बातों को लेकर जब वापस वहां पर महिला बाल विकास विभाग का पी ओ जाता है, बालिकाओं ने जिस प्रकार से दर्द भरी कहानी उनसे कही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी घटना है जो हमारे लिए बहुत ही दु:खद है और मैं आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जिस विभाग को नोडल एजेंसी बना रखा है, वह विभाग अगर इससे पल्ला झाड़ता है, शिक्षा विभाग, जिसके 11 अध्यापक वहां पर हैं, उनमें से केवल 3 अध्यापक ही वहां पर रहते हैं। रात के समय केवल चौकीदार के भरोसे बालिकाओं को छोड़ दिया जाता है। वहां पर जब अध्यापक नहीं रहता है और शिक्षा विभाग कहता है कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है; महिला बाल विकास कहता है कि हम केवल उनका खाने का चैक कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय की उन बालिकाओं ने ऐसा कौनसा गुनाह किया कि वे उस घटना को देखते रहें? जिस प्रकार अब दोनों विभाग अलग-अलग तरह से कह रहे हैं, समाज कल्याण विभाग कह रहा है कि हम इसको दिखवायेंगे और महिला बाल विकास विभाग कह रहा है कि हमने निर्देश दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर सख्त

(श्री मान सिंह)

कार्यवाही हो, वहां के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए और विधायकों की कमेटी से उसकी जांच कराई जाए, जिससे आइंदा इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। अगर आपकी परमिशन हो तो। यह आवासीय विद्यालय बालिकाओं का है।

मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगी कि इसमें बच्चियां रहती हैं। इसमें एक महिला वार्डन की नियुक्ति जरूर की जाए। ये पिछड़े वर्ग की छात्राएं हैं, बहुत डर भी इनमें रहता है, और जब वहां पर रात को चौकीदार रहता है, तो स्थिति कभी भी गलत हो सकती है। इसलिए कृपया इस ओर जरूर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजे रहें। I think, there is another point of information on the same thing.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरी जानकारी सदन के सामने नहीं आई है। उन छात्राओं ने स्पष्ट शिकायत की कि जो सफाई कर्मचारी वहां पर आते हैं, बाहर से, वे उनके अधो वस्त्रों की फोटो ले लेते हैं, उन लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कसते हैं। उसके बावजूद भी न तो विभाग उन पर कार्यवाही कर रहा है और न ही उनकी सुनवाई हो रही है। पुरुष टेलर जब नाप ले रहा था, तो प्रधानाध्यापक उन लड़कियों को अकेला छोड़कर चला गया। इससे ज्यादा निंदनीय क्या होगा? यह लगातार दूसरी घटना राजस्थान के अन्दर हुई है, पहले फोरेस्ट के अन्दर हुई थी और अभी देवनारायण छात्रावास के अन्दर छात्राओं के साथ हुई है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अटेंशन मोशन मूव किया है और उसके साथ ही बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है और निश्चित रूप से अखबारों की जो खबरें 15 और 16 को छपी हैं, वे गम्भीर प्रकृति की खबरें हैं। उन अखबारों की खबर के आधार पर तुरन्त विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट बनायी है। वह जांच रिपोर्ट अभी इमिजेट आई है।

डिप्टी डायरेक्टर, राइस को हमने जांच दी है; उनको कहा है कि 15 दिन में इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट अलग-अलग बिन्दुओं के ऊपर, जो अखबारों में

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

छपी है, वह रिपोर्ट भी, उनके ऊपर भी रिपोर्ट दें। इसके अलावा अलग-अलग माध्यमों से, जो सदन में बताया गया, मैं उनको भी रिकार्ड पर ले लूंगा। जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, उन सबकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर देने को कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो समाचार मिला है, यह जो नाप लेने का विषय है, यह 14.03 का नहीं, 30.01 का है। उसमें 2 अध्यापिका हैं, अलका मूंदड़ा और श्रीमती प्रमिला शर्मा, उनके द्वारा नाप लिया गया। यह बात सही है, डिप्टी डाइरेक्टर की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि जो दर्जी आया था, उस दर्जी ने केवल, एक बालिका का नाप कैसे लिया जाता है, वह लेकर के बताया, और बाकी सारा नाप उन अध्यापिकाओं के द्वारा लिया गया है।

दूसरा विषय, जो अखबारों में छपा, केवल उसके आधार पर बता रहा हूं; खाने के सम्बन्ध में यह बात आई कि वहां अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता। अभी हमने कानफेड के माध्यम से, पूरे राजस्थान में जितने भी छात्रावास चलते हैं, उन सब में गुणवत्तापूर्ण खाना पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए सारा मैटेरियल भेजने की बात की है।

इसके साथ ही वहां एक रसोइये की शिकायत थी कि रसोइया वहां जो प्रिंसिपल थी, उसका रिश्तेदार था। हमने रसोइये को तुरन्त समाचार आते ही हटा दिया और उसकी जगह दूसरे रसोइये को वहां अपाइंट कर दिया है।

तीसरा एक विषय आया, चारदीवारी नीची होने का था। मैं केवल अख़बार की खबर के आधार पर, जांच जो हमारी इमिजिएट आई, उसके आधार पर दे रहा हूं। चारदीवारी की रिपोर्ट के आधार पर कि वहां चारदीवारी छोटी है, उसका एस्टिमेट बनाने के लिए कह दिया है। वह आने के बाद, विभाग द्वारा उसको टेकअप करने के बाद, जो एस्टिमेट आता है, उसके बाद हमारे पास जो फाइनेंशल रिसोर्सेज हैं, उनके आधार पर उसको कराने की बात हम देखेंगे।

चौथा, एक मीनू भी गुणवत्तापूर्ण खाने का हमने बनाया हुआ है, जो हर सप्ताह हर हास्टल के लिए तय है। उसमें किसी तरह की कोई कोताही की अगर कोई शिकायत आयेगी, उसको भी हम जांच में दे देंगे। बच्चियों से पूछ कर तय कर लें कि हमने जो मीनू डिसाइड किया है...। मैं समय बचाने के लिए शोर्ट में बता रहा हूं। मैं पूरा बता सकता हूं कि हर सप्ताह नाश्ता क्या होगा, लंच क्या होगा, शाम को डिनर में क्या देने की व्यवस्था है। उसका पूरा एक बनाकर सभी हास्टल्स के लिए हमने दे रखा है। उसको भी हम चैक करा

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

लेंगे। अगर बच्चियां कहती हैं कि उसमें किसी की कोताही है, तो उसको भी हम जांच के दायरे में दे देंगे।

15 दिन में रिपोर्ट आने के बाद, किसी के खिलाफ भी अगर कोई लापरवाही का मामला बनता है, तो निश्चित रूप से विभाग गम्भीर कार्यवाही उसके ऊपर करेगा। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जब तक जांच नहीं हो जाए, तब तक प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बच्चियों की सुरक्षा के लिए महिला वार्डन को अपाइंट करें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): महिला वार्डन अपाइंट करें वहां।

माननीय मंत्री महोदय, संदेश गलत जायेगा सरकार का। उसमें जांच में, जब तक जांच पेंडिंग हो, उसको सस्पेंड किया जाये। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बच्चियों ने शिकायत की कि वहां सफाई कर्मचारी जो आते हैं, वे अभद्र व्यवहार करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, फब्तियां कसते हैं। अब उनके बयान से ज्यादा आपको क्या चाहिये?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वहां एक महिला वार्डन जरूर अपाइंट कर दीजिये, क्योंकि वहां पर बच्चियों की सुरक्षा का मामला है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने जो बच्चियों के स्टेटमेंट की बात की है, उन्होंने कहा कि वहां जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनके द्वारा कोई अभद्रता की जाती है, तो निश्चित रूप से इसको भी जांच की दायरे में डालूंगा और जांच पूरी करने के बाद किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, और कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विषय कहा है, उसको भी, हमारे पास दिक्कत है कि कई जगह हमारे पास वार्डन्स हैं नहीं और उसमें जो प्रधानाध्यापक हैं वे भी हमें शिक्षा विभाग से लेने पड़ते हैं। उसकी एन ओ सी के बाद ही हम कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता में इसको रखूंगा कि वहां आप अपनी तरफ से भेजेंगे, वहां कोई महिला हमें प्रधानाध्यापिका मिल जाएं, तो उसको अपाइंट करने की बात हम करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): नियमों में भी है; माननीय मंत्रीजी, यह नियमों में भी है कि कोई मेल कर्मचारी वहां पर आफ्टर फाइव नहीं रहेगा। यह थोड़ा-सा आप सुनिश्चित करवाये।

श्री उपाध्यक्ष: I think, that's more or less...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, सरकारी उप सचेतक महोदय कुछ बात फरमाना चाहते हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, थोड़ा धैर्य से पूरी बात सुन लीजियेगा, before reacting to it

सूचना

राजस्थान स्वायत्तशासी संस्थान के चुनाव की गलत सूचना

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 14 तारीख को जब सभापतिजी विराजमान थे आसन पर, तब लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर सूचना के अधिकार का दुरुपयोग किया और असत्य सूचना यहां पर प्रस्तुत की। यदि उनके पास में कोई सूचना है, उसका आधार है, तो वह सदन के पटल पर रखें, अन्यथा इनको प्रताड़ित किया जाना चाहिये। ये जैसी शब्दावली उपयोग में लेते हैं, 'बैठ जा'; यानी असभ्य भाषा; मतलब, किसी भी तरह का, संस्कार-विहीन व्यवहार इनका है। इसलिए निश्चित रूप से इनको प्रताड़ित किया जाना चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर बात कही है तो मैं प्रतिक्रिया तो व्यक्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। I will give you time to react to it. I will give you time to react to it.

यह बात कैसे तय हो गई कि जो कुछ बात कही गई, वह असत्य है? और उस असत्य के क्या प्रमाण हैं कि वह बात असत्य थी?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इन्होंने बताया कि चुनाव हुए थे, जबकि चुनाव प्रक्रिया ही नहीं हुई। बिलकुल सही बात मैं निवेदन कर रहा हूं और मैं जो बात कहूंगा, वह आधार-सहित कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: Would you like to react on this?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्य सचेतक ने कहा है, पहली बात तो जो मैं शब्दावली यूज कर रहा हूं, वह +++ जैसी नहीं है, जो इन्होंने यूज की थी। (व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: यहां के शब्दों के व्याकरण के बारे में अंतिम निर्णय आसन करता है। इसलिए किसी के मन में अगर संशय हो कि उनको यह परीक्षण करने का आसन ने दायित्व दे दिया है, तो यह गलतफहमी आप अपने-अपने मस्तिष्क से दूर कर लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरी बात, मैंने जो बात कही थी, वह बिलकुल प्रमाणित कही थी। जो चुनाव हुए थे स्वायत्तशासी संस्था के, उसमें नियमों में, प्रक्रियाओं में है कि अगर चुनाव अधिकारी चुनाव नहीं करवाता है, तो जो रहेगा, उसको दूसरा चुनाव अधिकारी नियुक्त करके, बहुमत के आधार पर फैसला होगा। केवलचंद गोलछा उसमें चुनाव में जीत गये थे। मैंने बिलकुल सही कहा था, आज भी कह रहा हूं। वे पाली से आते हैं, आप पाली से आते हों, आपके विरुद्ध हैं, इसलिए आप इस बात को घुमा-फिराकर कहना चाहते हैं। कृपया ऐसा सदन का दुरुपयोग भविष्य में सरकारी उप मुख्य सचेतक नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि है इनके पास आधार, तो आप यह निर्देशित करें कि यहां सदन में पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने आप दोनों की बातें सुन लीं। अब आसन इस पर चिंतन करके अगर आवश्यकता समझेगा, तो पुन: आपसे चर्चा कर लेगा; वरना आप अपने-अपने श्रीमुख को ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ का क्या होगा? +++ जो वर्ड इन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह आसन में ज्यादा तहजीब इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ऐसा कोई शब्द जो तहजीब की परिभाषा में नहीं आता, अपने आप अपलिखित हो जाता है। यह भी मैं आपको सामान्य ज्ञान की सूचना दे रहा हूं।

On points of information, Kamini Jindal, do you want to speak?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वही है। वही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल सामान्य ज्ञान असामान्य हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप किसी माननीय सदस्य को उकसायेंगे नहीं, कुछ बात बोलने के लिए।

कामिनी जिंदल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बार-बार खड़े होते हैं ये मुख्य सचेतक अपोजिशन के, बार-बार क्यों खड़े होते हैं? आपको चैन नहीं पड़ता सदन में? आप चैन से बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप, माननीय सदस्य, बूढ़े हो गये; मेरे में दम है, इसलिए खड़ा होता हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप बैठिये पहले।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, आसन को बाध्य न करें, वरना कहीं कठोर रवैया हमने अख्तियार कर लिया, तो बहुतों को मुश्किल हो जायेगी। (व्यवधान)

कामिनी जिंदल।

गंगानगर कलक्टर का अमर्यादित आचरण

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं।

मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूं, वह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है; हमारे जन-प्रतिनिधियों के सम्मान से भी ज्यादा, जनता के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आशा करूंगी कि इसमें सभी मेरा साथ देंगे।

हमारे गंगानगर कलक्टर, टी सी किशन, उन्होंने बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी हैं। उनके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तथ्य, अभी आपने कहा, आजकल की बात बतायें, तो यह ओलावृष्टि के लिए जो किसान गये उनके पास, हाथ जोड़कर खड़े हैं, और वहां पर कलक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा बक-बक मत करो, जेल में डाल दूंगा। पार्षदों से, सत्ता पक्ष के पार्षदों से कहा कि आप बिके हुए हों। फरियादी जब जन-सुनवाई में गये, तो उनसे यह कहा कि मैं तुमसे बड़ा गुंडा हूं, हाथ-पैर तोड़ दूंगा। इस तरह के वाकये वहां रोज हो रहे हैं। आज हमारे मंत्रीजी यहां बैठे हैं, टीटी साहब क्षेत्र के और इन्होंने भी यह माना कि उनके कथन शर्मनाक हैं। हम सारे जन-प्रतिनिधि

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

उनसे पीड़ित हैं और जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है, जनता, आज उसका अपमान हो रहा है; वे पीड़ित हैं। यह हम कैसे बरदाश्त करें?

मैं आपसे यह कहना चाहूंगी, यह फरियाद करना चाहूंगी, सरकार हमारी संवेदनशील है और जनता आज वहां आंदोलन की राह पर है; वकील बैठे हैं धरने पर, आज किसान बैठे हैं धरने पर। इस कलक्टर के खिलाफ सरकार कोई कदम उठाये और जनता को और हमें राहत दे, और अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे।

श्री उपाध्यक्ष: सोनादेवी। आप भी इसी पर बोलना चाहेंगी?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी पर बोलना चाह रहे थे हम। तानाशाही कलक्टर को हटाओ, जनता को सम्मान दिलाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा। You are also or a point of information?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस लोकतांत्रिक सरकार में एक कलक्टर किसानों से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी, अधिकारियों को बचाने का ठेका मत लेओ। ऐसे कलेक्टर को तुरन्त हटाना चाहिये; गृह मंत्रीजी बैठे हैं, तुरन्त हटाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक निवेदन करता हूं कि if a similar point has been raised by more than one Hon'ble Members, then more or less the message has been put across और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, आप अपने स्तर पर उपलब्ध करा लें।

Now we get back to the विधायी कार्य।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री प्रहलाद गुंजल।

(13.00 बजे)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्लांट संचालन में अनियमितताएं

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्लांट संचालन में हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है, इनका मेन उद्देश्य है कि कोटा थर्मल की यूनिट्स को बार-बार बंद किया जाता है। कोटा में आज की तारीख में हमारे पास 7 इकाइयां हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,240 मेगावाट है। कोटा इस प्रदेश का सबसे पुराना थर्मल है और कई बार पूरे देश में कई अवार्डस कोटा थर्मल ने जीते हैं। इनकी पी एल एफ की वेल्यू में कई बार इन्होंने विजय प्राप्त की है और हमेशा अच्छी पी एल एफ वेल्यू रही है। इन्होंने यह बताया कि बार-बार इस यूनिट को बंद कराया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो थर्मल है, यह डिमाण्ड के आधार पर इन थर्मल्स को चलाते हैं और इनको बंद करते हैं। अगर हमारे पास डिमाण्ड ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से हम वापस इन थर्मल्स को चालू करते हैं, पर अचानक जब बारिश हो जाती है, या मौसम में कोई परिवर्तन आता है, डिमाण्ड जैसे ही कम होती है, तो हम धीरे-धीरे करके थर्मल, जिसकी सबसे ज्यादा वैरिएबल कोस्ट है, उस वैरिएबल कोस्ट को देखते हुए हम उसको बाक्स-अप करते हैं। आज आप देखें कि सबसे ज्यादा वैरिएबल कोस्ट किसी थर्मल की है, तो सूरतगढ़ की हमारी 6 इकाइयां हैं, इसकी वैरिएबल कोस्ट 3 रुपये 73 पैसे है। उसके बाद में अगर किसी थर्मल की सबसे ज्यादा वैरिएबल कोस्ट है, तो कोटा थर्मल की 3 रुपये 38 पैसे है। मैं आपको कहना चाहूंगा, खास तौर पर कोटा की 1 नम्बर व 2 नम्बर इकाई, जो 110-110 मेगावाट की दो यूनिट हैं, ये लगभग 30 साल पुरानी थर्मल हैं। इनकी कोल की जो बर्निंग है, उसकी वैरिएबल कोस्ट ज्यादा आती है। आज की तारीख में सूरतगढ़ की हमारी 6 इकाइयां हैं, जिनमें से 4 इकाइयां हमने बंद कर रखी हैं, क्योंकि हमारे पास लोड भी लगभग 18.5 लाख यूनिट का है। जब यह 21 लाख, 22 लाख यूनिट आता है, तो लगभग हमारी सभी थर्मल चलती हैं। लोड डिस्पैच जो है, वहां से जो आदेश मिलते हैं, कम खर्चे पर जो यूनिट्स चलती हैं, मैं आपको इसका उदाहरण और दूंगा, कालीसिंध की जो हमारी वैरिएबल कोस्ट है 2 रुपये 45 पैसे, छबड़ा की वैरिएबल कोस्ट है वह 2 रुपये 11 पैसे है; इन यूनिट्स को हम ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे जहां वैरिएबल कोस्ट कम है।

हमारी मंशा यह है कि आज जो लगातार घाटा डिस्काम पर आ रहा है, हमने हमारे लेवल पर यह कोशिश की है कि जितनी ऐसी इकाइयां हैं जो महंगी बिजली उत्पादन करती हैं, उनको हम धीरे-धीरे कम करें और अगर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हमको एक्सचेंज से भी कोई ऐसी बिजली मिल जाती है, जिससे वैरिएबल कोस्ट से भी सस्ती मिलती है, तो उस एक्सचेंज से भी हम बिजली खरीदते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रबी की फसल को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 4 महीने में लगभग 650-750 मेगावाट बिजली खरीदी। वह भी हमने दिन में खरीदी, क्योंकि जनरली किसान को दिन में बिजली की मांग रहती है। रात को अगर यह सब बिजली नहीं लें, अगर इन सभी थर्मल को चालू रखेंगे, तो आपका अण्डर-ड्राअल होता है और अण्डर-ड्राअल में भी हमारे पेनल्टी लगती है।

इस पर हमको मात्र 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली का वापस पैसा मिलता है।

हमने यह कोशिश की, अगर आपने देखा हो, बिजली आज से दो साल पहले लगभग 4 रुपये 20 पैसे थी, उसको इस व्यवस्था के तहत बहुत अच्छी मानिटरिंग करके हमने यह कोशिश की और आज बिजली की कोस्ट हम 3 रुपये 95 पैसे तक लेकर आ गये। इससे आम उपभोक्ता को सस्ती बिजली दे सकें, और जो डिस्काम का घाटा बढ़ रहा है इसको हम किस तरह से कम कर सकें, इस पर हमने प्रयास किया है।

मैं आपको विश्वास देता हूं कि निश्चित रूप से आज हमारी 7वीं यूनिट चल रही है और यह डिमाण्ड व सप्लाई के आधार पर ही इन यूनिट्स को हम चालू करते हैं। धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपनी बात रखकर यह जानना चाहता हूं, कोटा थर्मल में वर्तमान में 7 यूनिट विद्युत उत्पादन कर रही हैं। मेरा सवाल और शंका, मेरा नहीं, उस थर्मल में जो कर्मचारी काम कर रहा है। वह कोटा जिसकी थर्मल बहुत बड़ी पहचान है, राजस्थान का विद्युत हब कोटा जिसके कारण से कहलाता है; माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब इस सदन के नेता थे 1977 में, तो पहली यूनिट की स्थापना उन्होंने की। इस यूनिट ने 1981 में उत्पादन प्रारम्भ किया, एक और दो यूनिट। तीसरी, चौथी यूनिट ने 1987 में उत्पादन प्रारम्भ किया। 5वीं यूनिट ने 1993 में, छठी ने 2003 व सातवीं यूनिट ने 2006 में उत्पादन प्रारम्भ किया। कुल मिलाकर 1,240 मेगावाट की 7 इकाइयां वर्तमान में संचालित हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मेरा जो मूल सवाल है, लोड शेडिंग के नाम पर लोड डिस्पैच सेंटर से बार-बार इकाइयों को बंद करने की सूचना दे दी जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं; मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो 15-16 फरवरी और अप्रैल के बीच में 4 माह में 70 बार बंद किया। 70 बार बंद करने का इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4, जिन यूनिट्स को 25 से 27 साल पुरानी घोषित कर दिया, 4 बार बंद करने के बाद, जो आप अभी वैरिएशन लिमिट की बात कर रहे थे, बिजली उत्पादन की सीमा विद्युत विनियामक आयोग ने 3 रुपया 94 पैसा कोटा थर्मल की तय कर रखी है। इससे कैसे बढ़े, यह लिमिट कैसे क्रास हो, और जिन अधिकारियों की मंशा उस थर्मल को लेकर गलत है, उनको यह कहने का चांस मिले कि हमारी निर्धारित नीति से ज्यादा प्रोडक्शन कोस्ट आ रही है; यह नाकारा हो गई है; इसलिए हम इसे बंद करके बेचना चाहते हैं। इसलिए 4 महीने में 70 बार, और एक बार बंद करके चालू करने में 22 लाख रुपये का खर्चा आता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2.5 साल में 4895.72 घण्टे में 103 बार बंद किया और 23 करोड़ रुपये का खर्चा स्टेट पर आया। अब उस प्रोडक्शन कोस्ट में 23 करोड़ को जोड़कर...

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह सही है कि इसको 70 बार बंद किया गया और इसके चालू करने पर इतना खर्चा आता है?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 22 लाख; 22 लाख दुबारा चालू करने का खर्च आता है। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं, दुबारा चालू करने के खर्चे के बाद भी उस थर्मल ने अपनी वैरिएशन प्रोडक्शन कोस्ट को 3.68 के पार नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, यह सब होने के बाद भी प्रोडक्शन कोस्ट जो विद्युत विनियामक आयोग ने तय कर रखी है, उससे कम लिमिट पर थर्मल बिजली का उत्पादन कर रहा है।

जब-जब भी इनको लोड डिस्पैच सेंटर ने बंद कराया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जानना चाहता हूं कि जब 70 बार इन थर्मल की इकाइयों का प्रोडक्शन बंद हुआ, उस दौरान राजस्थान के डिस्काम्स ने कितनी बिजली खरीदी? डिस्काम्स बिजली खरीदता रहे, हमारी खुद की घर की प्रोडक्शन यूनिटें बंद होती रहीं। जब डिस्काम्स बिजली खरीदते हैं, मैंने पिछले सदन में कहा कि हम जब डी सी एम को बिजली देते हैं तो 4 रुपये यूनिट में और जब हम डी सी एम के पावर सेंटर से बिजली खरीदते हैं तो 12, 13 रुपये

(श्री प्रहलाद गुंजल)

यूनिट में। यह कौनसा खेल है कि हम बिजली लगातार महंगी कीमत पर खरीदते रहें और हमारी कम कीमत पर प्रोडक्शन करने वाली यूनिट को बंद करते रहें?

सबसे बड़ी शंका तब हुई, जब 4-5 महीने पहले भारत सरकार की एक कमेटी के नाम पर मूल्य निर्धारण समिति आ गयी। 25 साल पुरानी यूनिटों को नाकारा साबित करके, जीरो वेल्यू मानकर, बकाया 3 यूनिट कोस्ट का डेप्रिशिएशन काटकर, इस थर्मल की कीमत तय कर दी जाय। फिर इसको एन टी पी सी या एन टी पी सी के पीछे कोई अडानी या अम्बानी ले, ये शंकाएं पूरे कोटा में खड़ी हो गई हैं। मूल्य निर्धारण समिति पहुंच गई सेण्ट्रल गवर्नमेंट की और ये कर्मचारी जन-प्रतिनिधियों पर सवाल उठाने लग गये। उस स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 1240...

श्री उपाध्यक्षः आप प्रश्न करिये माननीय सदस्य मंत्रीजी से।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं प्रश्न ही कर रहा हूं।

1,240 मेगावाट की उत्पादन क्षमता और फरवरी, 2016 में 25 साल पुरानी यूनिट कहकर, जिनको नाकारा कहकर बन्द करने की साजिश अधिकारी कर रहे हों; एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं; पुरानी यूनिटें नई यूनिटों से प्रोडक्शन में आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और 1,240 के अगेंस्ट में 29 फरवरी का प्रोडक्शन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,255 मेगावाट है। आज भी पुरानी यूनिट नई से प्रोडक्शन करने में प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल रही हैं। ये सारी परिस्थितियां होने के बाद, बार-बार, उनको बन्द करके, उनका खर्चा बढ़ाकर, उत्पादन कोस्ट बढ़ाकर, उनको नाकारा करके, फिर उनके मेंटीनेंस का खर्चा बढ़ता है। कहीं न कहीं उसको अधिकारियों की बेचने की साजिश नहीं है?

थर्मल अपनी गति से काम रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया है कि 1983 से लेकर 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 से लेकर 2013-14 तक कंटिन्यू किसी न किसी प्रकार का भारत सरकार द्वारा, प्रेसिडेंट आफ इण्डिया द्वारा, स्टेट काउंसिल द्वारा, हर साल उसको बेहतर उत्पादन पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार लगातार तीस सालों तक मिला है। लगातार तीस सालों से मिल रहा है। 30 सालों में जिसने अपनी क्षमता में जीरो परसेंट गिरावट नहीं की हो, 30 सालों की परिपक्व उम्र के बाद भी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिसको नाकारा घोषित करने का प्रयास किया जा रहा हो, वे प्रतिस्पर्धा में नई यूनिटों से आगे निकलने की चेष्टा कर रही हैं और जो प्रोडक्शन कोस्ट दे रही हैं, उससे दुगनी कीमतों पर डिस्काम बिजली खरीद रहा है।

यह जो असंतुलन है, इस असंतुलन पर बात रखते हुए, माननीय मंत्री महोदय, इस सदन के माध्यम से कोटा की जनता को, वहां के कर्मचारी को, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को, कि इस कोटा के थर्मल की चारों यूनिट्स को बन्द नहीं किया जायेगा और बन्द करके उनकी जीरो वेल्यू एडिशन करके, कहीं किसी प्रकार से एन टी पी सी या किसी उद्योगपति को बेचने की सरकार की कोई योजना नहीं है, आज इस सदन में माननीय मंत्री महोदय कोटा की जनता को और थर्मल कर्मचारियों को आश्वस्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं एक पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि भारत सरकार ने दो कोल माइंस राज्य सरकार को आबंटित कीं और राज्य सरकार ने वे कोल माइंस स्वयं न चलाकर, किसी उद्योगपति को उसको कोयले को साफ करने के लिए दे दीं? दूसरा, उसी उद्योगपति को यह भी कह दिया कि जितना साफ करो, वह तो हमें दो और नीचे का कोयला आप रखो।

तीसरी बात, अब अगर ये थर्मल जाएंगे, तो उसी उद्योगपति के पास जाएंगे, जिनको राज्य सरकार ने अपनी कोल माइंस दे दीं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 17.32 प्रतिशत उत्पादन लोस हुआ थर्मल को।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे इस नियम में मैं डिबेट तो अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि वरिष्ठ सदस्य थे और वे कुछ फरमाना चाहते थे, इसलिए। अब दूसरे भी वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको अलाउ करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, आप अलाउ करें तो, otherwise I will not ask.

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रीसीडेंट सेट नहीं होगा। यह एक स्पेशल कंसिडरेशन पर, सम्माननीय सदस्य, आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I will not go against your order, Sir.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया और जैसा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न इस सूरत में आता है कि इसकी कोस्ट ज्यादा आती है, इसलिए आप बन्द करते हैं। दो सवाल उसमें से निकलकर आते हैं। आप किस रेट के ऊपर दूसरे नेशनल ग्रिड से बिजली लेते हो, उसकी कीमत क्या है? एक तरफ किसान को छह घंटे बिजली देते हैं, जबकि आपके पास सरप्लस कैपेसिटी है। इससे तो यह साबित होता है कि आपके पास सरप्लस कैपेसिटी है। जो आप बाहर से बिजली खरीदते हो, उसकी रेट क्या है? और सरप्लस बिजली होने के बाद भी आप किसान को 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे बिजली क्यों दे रहे हैं? आप 8 घंटे से 10 बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं, जब आपके पास बिजली अवेलेबल है स्टेट के अन्दर? पहले तो सारी जनता ही इस इम्प्रेशन में थी कि आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है, इस कारण से आप किसान को छह-साढ़े छह घंटे बिजली दे रहे हैं, पर जब आपके पास सरप्लस बिजली है तो फिर आप किसान को दे क्यों नहीं रहे हो? आप किस रेट पर खरीद रहे हैं, कृपया आप यह तो बता दें यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: सारे ही सीनियर्स को।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी ने लोड डिस्पेच सेंटर की बात कही है कि लोड डिस्पेच सेंटर के आदेशों के कारण कोटा थर्मल-एक और दो को बन्द कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक विद्युत उत्पादन निगम है, तो यह लोड डिस्पेच सेंटर विद्युत उत्पादन निगम के नीचे है, या यह और कोई चीज है? यदि यह उसी के कंट्रोल में है, तो फिर तो आप यह कह सकते हैं कि उत्पादन निगम के द्वारा आदेश दिया गया। यह लोड डिस्पेच सेंटर क्या चीज है? लोड डिस्पेच सेंटर, हम जो समझते हैं कि किसी भी जगह यह कह दिया जाए कि फलां-फलां फीडर की बिजली काट दो, इस सेक्शन की बिजली काट दो। माननीय मंत्री यह बतायें कि ये सारे निर्णय उत्पादन निगम में हो रहे हैं, या और कहीं हो रहे हैं? धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय का निर्णय और वक्तव्य अंतिम होगा। उसके बाद किसी को कोई प्रश्न पूछने की आसन इजाजत नहीं देगा। इसलिए आप विस्तृत रूप से बता दें, जिससे इनकी आशंकाओं का समाधान हो सके।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बेचने की कोई योजना नहीं है, इस पर जवाब दिलवा दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य की मुख्य चिंता यह है कि 1,240 मेगावाट बिजली उत्पादन कोटा शहर में होता है और कोटा शहर में आम व्यक्ति या तो डायरेक्टली उसका एम्प्लोयी है, या इन्डायरेक्ट में एक कांट्रेक्टर के रूप में वहां काम करता है, और कोटा थर्मल से आम आदमी वहां पर जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है, इनकी मुख्य चिंता यह है कि ऐसा नहीं हो कि कोटा थर्मल को भी आप बेच रहे हो।

मैं आपसे यह कह सकता हूं कि थर्मल की एक लाइफ होती है और जिस दिन यह थर्मल बनता है, उसकी लाइफ को 25 साल तक मानते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने इसकी रियल लाइफ असेसमेंट की कमेटी बुलाकर इन थर्मल की एक्चुअली लाइफ असेसमेंट ली है। तो जो पहले नम्बर की यूनिट है उसकी 2018 तक है; दूसरे नम्बर की यूनिट की 2019 तक है; तीसरे नम्बर की यूनिट है उसकी 2024 है; और चौथे नम्बर यूनिट की 2025 तक है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज पुराना थर्मल है, टर्बाइन्स पुरानी हैं और कल को कोई अनहोनी भी हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी जवाबदारी किसकी है? वहां इतने लोग काम कर रहे हैं, उनकी किसकी जिम्मेदारी रहेगी, जवाबदारी रहेगी?

तो यह जो आप बात कह रहे हैं, कि हम कोटा थर्मल को कोई डिस-इन्वेस्टमेंट में निकालना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम किसी को डिस-इन्वेस्टमेंट में नहीं निकाल रहे हैं। इनको डिस्-इन्वेस्टमेंट में निकालने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है।

जैसा कि अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दो कोल माइंस हमको अलाट हुईं, कोल को साफ करने की, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कांता बेसिन और पारसा ईस्ट की जो कोल माइंस हैं, ये अपने को कालीसिंध-फर्स्ट, सेकण्ड और छबड़ा की जो पांच, छह नई यूनिट आ रही हैं और सूरतगढ़ का यूनिट सात, आठ आ रही हैं, उनके तहत ये चार कोल माइंस हमको आबंटित हुई हैं। आज कालीसिंध में जो कोल आ रहा है, वह इसी के माध्यम से आ रहा है। जो एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस छबड़ा और सूरतगढ़ का हमको मिला है, ये माइंस अलाट होने के बाद में सरकार ने वापस अलाट किया है, उसके बाद ही इनका एन्वायरनमेंट क्लियरेंस मिला है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार के टाइम में हमने माइंस

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उनको नहीं दी हैं। यह पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने दी हैं, उन्होंने उनको दी हैं। उनके टाइम में टेंडर हुआ है और उनके टाइम में यह उनको दी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के टाइम में, मानिक चन्दजी, हमने किसी उद्योगपति को ये माइंस नहीं दी हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या हुई, या क्या नहीं हुई.....

श्री उपाध्यक्ष: मैं सम्माननीय सदस्यों को यह निवेदन कर देता हूं, वैसे भी बिजली पर एक तारीख को, या बी ए सी की रिपोर्ट के अन्दर कहीं न कहीं बिजली पर चर्चा नियत है। उस दिन आपको पूरा समय मिलेगा। You can do it. Nothing is gone to happen in the next fifteen days. I am sure. I will not allow anyone.

You complete your statement, Sir.

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): दूसरा मेरा निवेदन है, सरकार का यह पूरा प्रयास रहा है, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में आपने देखा हो, इन्होंने कंटिंजेंसी बिजली परचेज की है, छह-छह रुपये में, सात-सात रुपये में बिजली परचेज की है और इस दो-ढाई साल के कार्यकाल में अगर हमने कंटिंजेंसी बिजली खरीदी हो, तो आप हमें बता दें। एक बार जरूर हमने खरीदी थी, अभी बरसात की जब शोर्टेज हो गई तीन महीने में, तब। जब बरसात आई और उसके तीन महीने में बिजली एकदम 2,400 लाख...(व्यवधान) 2,400 लाख यूनिट बिजली...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप विराज जाइये। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा, I will not allow a single member or any member to whole the entire house to ransom. Nobody will be allowed. और जो कोई भी बगैर इजाजत बोलेगा, आसन उससे सख्ती से पेश आएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जब बरसात जुलाई में आई और जुलाई के बाद में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में बरसात नहीं आई, अचानक एग्रीकल्चर लोड बढ़ गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की एक रिकार्ड तौर पर डिमांड क्रिएट हुई, जो लगभग 2,400 लाख यूनिट के ऊपर चली गई। उस टाइम हमको कंटिंजेंसी बिजली खरीदनी पड़ी, क्योंकि किसानों को हमको साढ़े छह घंटे और सात घंटे की बिजली देनी पड़ी, और वह भी हमने सिर्फ 15 दिन किया है। जब हमने देखा कि बिजली की हम रोज परचेजिंग कर रहे थे,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जब इसकी रेट तीन रुपये, साढ़े तीन, चार, साढ़े चार, पांच, साढ़े पांच रुपये तक पहुंच गई और हमने बंद कर दी, और किसानों की लाइट हमने उस टाइम पांच घंटे कर दी। हमने लाइट बंद कर दी और खरीद भी बंद की। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 15 दिन हमने खरीदी है, हमने कंटिंजेंसी बिजली खरीदी है। आज भी हमने बिजली खरीदी है, चार महीने की बिजली खरीदी है, बाकायदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से, 3.50 रुपये में बिजली खरीदी है और दिन में बिजली खरीदी है।

उपाध्यक्ष महोदय, दिन की बिजली जब खरीदते हैं एक्सचेंज से, तो दिन की रेट बहुत ज्यादा होती है। रात को बिजली आपको एक रुपया में मिल जाती है, परन्तु दिन की बिजली आप 650 मेगावाट चार महीने जब खरीदने जाते हो, साढ़े तीन रुपये में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से... और, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यही अगर आपने कंटिंजेंसी में सुबह खरीदी होती, रोज ही खरीदी होती, तो यह भी दिन की बिजली आपको 6-7 रुपये में उपलब्ध होती।

तो मैं यह कहता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इस बिजली को हम कम से कम दर पर खरीदें, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया करा सकें और डिस्काम्स का घाटा कम से कम रहे, उसको कम करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

दलित/गरीब छात्रों को देय उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं राज्य में आरक्षित वर्ग के गरीब छात्रों को देय उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो विषय रखा है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे यहां एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी सी, यू बी सी, इन सबको छात्रवृत्ति देने की योजना है। छात्रवृत्ति में 2009 से 2013 तक की पेंडेंसी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

थी। हमारे आने के बाद हमने कई नोटिसेज इश्यू किये। लेकिन इससे पहले जो स्थिति थी, 2009 से 2013 की पेंडेंसी बहुत थी। जब हम सरकार में आये, उसके बाद एक अभियान चलाकर हमने उसको पूरा करने का काम किया और 4,22,000 पुरानी जो पेंडेंसी थी, उसको दूर करके सबको डिस्बर्स किये, सबकी स्कालरशिप का भुगतान उसके माध्यम से किया; एक बैकलोग को क्लीयर किया।

उसके बाद 2013-14, 2014-15 और 2015-16, इसमें हमने एक नयी चीज शुरू की। एक तो इस पूरी स्कालरशिप को आनलाइन इस साल से शुरू किया, पेपरलेस किया और साथ ही हमने रेशनलाइजेशन किया। इससे पहले स्कालरशिप में एक व्यवस्था चलती थी, हर इंजीनियरिंग कालेज की अपनी फीस थी और उस इंजीनियरिंग कालेज की फीस का रि-एम्बर्समेंट करने का चल रहा था। हमने एक रेशनलाइजेशन कमेटी बना करके, हर कोर्स के लिए एक फीस डिसाइड कर दी और उसी फीस का रि-एम्बर्समेंट का प्रोविजन इसमें डाला। पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कोई 'ए' कालेज तीन लाख रुपये लेता है और 'बी' 30,000 रुपये लेता है। तो इन सबको एक समान रखते हुए, देखते हुए, अनुपात के आधार पर सबकी फीस तय की और उसका रि-एम्बर्समेंट करने का प्रावधान इसमें किया है।

पूरा अब तक इसमें जो भुगतान हमें मिला है, यह 2014-15 में कुल अनुसूचित जाति के उत्तर-मैट्रिक छात्रों के 1,87,103 आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए; उसमें से जिनकी स्वीकृति हमने कर दी, 1,60,124 की स्वीकृति कर दी; बाकी कुछ आक्षेप के कारण से, कुछ पेंडेंसी है। उनको भी हम, जिनके आक्षेप पूरे होते जा रहे हैं, उनको डिस्बर्स करने का प्रोसेस चल रहा है।

इसी तरह अनुसूचित जनजाति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति में 1,54,413 कुल आवेदन प्राप्त हुए और उनमें 1,32,426 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विशेष पिछड़ा वर्ग में 47,409 के आवेदन प्राप्त हुए और 40,430 की स्वीकृति इसमें जारी हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,04,232 कुल आवेदन प्राप्त हुए और उसमें से 49,393 की हमने स्वीकृति जारी की।

ओ बी सी में फंड की कुछ कमी रहती है। इसके लिए हमने कुछ नियम बना दिये। पहले इसमें कोई प्रायोरिटी सेट नहीं थी; जितना फंड आता है, उसकी उपलब्धता के आधार पर हम सबकी एप्लिकेशन को डिस्बर्स करते

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

हैं। पहले इसमें कुछ सेट नहीं था कि किसको हम प्रायोरिटी पर देंगे। उसमें आफिसर और कर्मचारी जो बैठा है, वह अपने डिस्क्रिशन के आधार पर किसी एक को दे देता था और दूसरे को मना कर देता था। कई बार ध्यान में आता है कि विधवा की बच्ची को तो नहीं मिला, लेकिन किसी और को मिल गया। तो हमने उसमें एक प्रायोरिटी सेट की ओ बी सी में। हम उस प्रायोरिटी के आधार पर जो फंड हमारे पास अवेलेबल है, जिस प्रायोरिटी में जाकर खतम हो जायेगा, वही ओ बी सी की स्कालरशिप को हम रोक देते हैं। प्रायोरिटी में बी पी एल कार्डधारक की पुत्री को नम्बर एक पर लिया है, दो पर बी पी एल कार्डधारक के पुत्र, तीन पर अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री; ऐसे करके पूरी एक प्रायोरिटी हमने इसकी सेट करके, सबको कहीं किसी तरह से, किसी अधिकारी के हाथ में नहीं रहे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और प्रायोरिटी में जो नीडी ज्यादा है, उसको पहले मिल जाये, इसको सुनिश्चित करने का काम किया।

2015-16 में हमें जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बजट प्राप्त हुआ है, कुल आबंटन हुआ है 183 करोड़ रुपये का, 154 करोड़ इसमें व्यय हो गया; शेष 29 करोड़ रुपये का है। अभी जो हमें राशि प्राप्त हुई है, वह 28 करोड़ रुपये के आसपास की प्राप्ति इसमें हमें अभी तक हुई है। हमारी कुल डिमांड 361 करोड़ रुपये की है, 28 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल जो प्राप्त होने हैं एस सी में, वे 332 करोड़ रुपये अभी प्राप्त होने बाकी हैं। अनुसूचित जनजाति में 304 करोड़ रुपये की कुल डिमांड थी, 108 करोड़ रुपये मिल गये और 195 करोड़ रुपये की अभी डिमांड बाकी है। इसके बाद भी हमारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक प्रोसेस चल रहा है और लगातार हमारा परश्यूएशन चल रहा है; हमारे विभाग के तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है, मैं स्वयं मिलकर आया हूं, मुख्य मंत्रीजी की तरफ से भी इसमें पत्र व्यवहार हुआ है कि जल्दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ जाये।

इसके कारण से विद्यार्थियों को दिक्कत न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने-अपने सोर्सेज से निकालकर पैसा दिया है। जो आवेदन प्राप्त हुए 3,11,042 और उसमें अभी तक जो स्वीकृति जारी की है, 3,11,042 की हमने स्वीकृति तो जारी कर दी, लेकिन यह पैसा आते ही, जैसे ही पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आएगा; इनको डिस्बर्स करने का काम 2014-15 का कर दिया है, 2015-16 की तो हमने 31 मार्च तक की डेट बढ़ाई है, उनको

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आनलाइन किया है और इसको आनलाइन करके, हमने पेपरलेस भी कर दिया है। एक नया सिस्टम पहली बार इन्ट्रोड्यूस किया था, अलग-अलग एजेंसीज को उन इंस्टिट्यूट के वेरिफिकेशन का काम दिया था और उसमें पहली बार आया है, उस कारण से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ पेंडेंसी है, उनके वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है। इसलिए 31 मार्च तक इस डेट को बढ़ाकर हम, जैसे ही यह पूरा होगा, उसके बाद इसके डिस्बर्समेंट का और स्कालरशिप देने का काम शुरू करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी कि यह उन गरीब और उन विधवा महिलाओं के बेटों के, उनके बच्चों के कैरियर का सवाल है, जो दिन भर मजदूरी करके, उन लोगों की, इधर-उधर से पैसे लेकर, उनकी फीस भरती हैं और वे लगातार इंतजार करती रहती हैं कि कब मेरे बच्चे को स्कालरशिप मिलेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं बजट में हमारे पास कमी है, केन्द्र सरकार से भी पूरा बजट हमारा नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी हमारे कोटा जिले के ऊपर, जहां पर 1,500 छात्रों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिली है; ओनली कोटा जिले में। पिछले वर्षों के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की भी अभी तक बकाया चल रही हैं। हम जयपुर जिले के भी अगर आंकड़े देखना चाहें तो ये आंकड़े 30,000 के लगभग हैं। इसमें चाहे हम बी.ए. के स्टूडेंट्स हों, उनको लें, चाहे बी एससी हों, बी.टेक हों, जी एन एम हों, सारे कोर्स इसमें शामिल हैं।

मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं, जहां हम बात करते हैं कि समय से, जैसे ही हमारे पास स्कालरशिप आती है, हम लोग वितरण कर देते हैं; मैं आपको बताना चाहती हूं, जहां छात्रवृत्ति नवम्बर-दिसम्बर तक मिल जानी चाहिए, लेकिन इस वर्ष अभी तक उत्तर-मैट्रिक छात्रवृति के फार्म भी विभाग के पास नहीं पहुंचे हैं, फार्म तक; मिलना तो दूर की बात है। इस वर्ष सितम्बर से फार्म भरवाये जा रहे हैं लेकिन पोर्टल के ठीक से काम नहीं करने की वजह से फार्म स्टूडेंट्स नहीं भर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह आपको भी जानकारी होगी। मैंने भी कितनी बार, शायद एक-दो बार तो मैंने खुद ने भी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आपको मोबाइल से भी अवगत कराया कि इस तरह से स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है। फार्म भरने की आखिरी तारीख को बार-बार जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो आपने अभी फरमाया कि इस तरह से हमने तारीख आगे बढ़ा दी, वास्तव में इस तरह से लोग बार-बार कब तक करेंगे? पहले हमने 31 दिसम्बर रख दी, फिर हमने 31 जनवरी कर दी, फिर हमने 29 फरवरी कर दी और अब हमने 15 मार्च कर दी है। तो मैं कहना चाहती हूं कि बार-बार अंतिम तारीख बढ़ाने के बावजूद भी, आपका आज तक भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि आज भी फार्म विभाग के पास नहीं पहुंच पाये हैं।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सारी बातों को देखें, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। चाहे हमारे बी पी एल स्टूडेंट्स हों, चाहे एस सी/एस टी के हों, चाहे और भी स्टूडेंट्स इसमें जो आते हैं वे सभी हों, सब इतने परेशान चल रहे हैं, लगातार हम लोगों के पास बार-बार चक्कर काटते रहते हैं कि हमें स्कालरशिप नहीं मिल रही है।

मैं एक और बात करना चाहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं कौशल विकास की। आई टी आई के अन्दर पहले भी स्कालरशिप मिलती थी और आज जो हालात हैं, आई टी आई के तो फार्म भी नहीं भरने में आ रहे हैं अभी तक। आपका निदेशालय का यह कहना है, वह निदेशालय तो इसको मान्य भी नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हमें विचार करने की जरूरत है। जहां हम एक तरफ तो छात्रों के लिए और नौजवानों के लिए यह बात बोल रहे हैं कि कौशल विकास का काम हमारी सरकार कर रही है और दूसरी तरफ उनके आवेदन तक नहीं भरने आ रहे हैं आई टी आई के अन्दर। तो यह बहुत बड़ी खामी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसको भी हमें देखना पड़ेगा।

सरकार कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर फीस भी लेती है; चाहे किसी भी कालेज में हमारे स्टूडेंट्स दाखिला लें, हम फीस उनसे कम्प्यूटर की भी लेते हैं और उसके बावजूद छात्रवृति के फार्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स बाजारों में चक्कर काटते रहते हैं, वे ई-मित्रों पर जाते हैं और इतने चक्कर उनको काटने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं हमारे कालेजों में हम एक कम्प्यूटर आपरेटर की जहां कहीं पोस्टें हैं, वहां उनके मार्फत हम लोग फार्म भरवायें? जहां कहीं हमारे पास पोस्ट नहीं है कम्प्यूटर आपरेटर की, वहां नई पोस्टें स्वीकृत करवायें, ताकि उनको कहीं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पर भी चक्कर नहीं काटना पड़े। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। मैं कहना चाहूंगी कि वास्तव में सम्बन्धित कालेजों में उत्तर-मैट्रिक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके फार्म वहीं के वहीं भरवाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। पढ़ाई-लिखाई को छोड़कर वे लोग दिनभर चक्कर काटते रहते हैं, वे उनको नहीं काटने पड़ेंगे।

मैं आपसे एक ओर निवेदन करना चाहूंगी कि...

श्री उपाध्यक्षः आप इनसे निवेदन मत करिए, आप इनसे प्रश्न पूछिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): बिलकुल सवाल भी करूंगी। मंत्रीजी मुझे यह भी बता दें कि हमारे पिछले वर्ष के जो 38 हजार 500 से ज्यादा छात्रों ने उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उनको आज तक क्यों नहीं मिल पाई? यह भी मुझे आप बताने का कष्ट करें।

दूसरा, मैं कहना चाहती हूं, आपने केन्द्र सरकार का भी अभी जिक्र किया कि हमें इस तरह से इतने-इतने मिले और इतने नहीं आये। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वे भी सारे पत्र मेरे पास हैं; केन्द्र सरकार को जहां कहीं हमने भी पत्र लिखे हैं, हमें भी उनका उत्तर मिला है; यह सारी जानकारी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करती हूं कि केन्द्र सरकार ने 2014-15 के लिए जो 55 करोड़ रुपए हमें दिये और 2015-16 में 72.25 करोड़ दिये, यानी, दोनों मिलाकर 130.25 करोड़ रुपए हो गये, लेकिन इसके बावजूद भी हमें 333.13 करोड़ की आवश्यकता है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि हम इसके लिए लगातार प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो फार्म नहीं भर पा रहे हैं आज तक बच्चे, उसके लिए कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या उनके खिलाफ आप जांच करेंगे? क्योंकि वे स्टूडेंट्स लगातार भटक रहे हैं, हम लोगों के पास आ रहे हैं। यह भी मुझे माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कुछ भी कहा है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि 2013-14 में कुल हमारे पास 3 लाख 98 हजार 42, कुल निस्तारण हमारे हुए और उसमें 54 हजार 595 केवल लम्बित हैं, जिसमें भी जिनके आक्षेप हैं उनको हमने रोका हुआ है और जैसे-जैसे पूरे होते हैं उनको देने की व्यवस्था है, एस सी और एस टी की। ओ बी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सी में कैरी-फारवर्ड नहीं होता है। ओ बी सी के मामले में वैसे भी हमारे पास फंड पूरे नहीं होते हैं, वह बचता भी नहीं है। इसलिए कैरी-फारवर्ड का इश्यू नहीं आता है। 2014-15 में 3 लाख 79 हजार 361 कुल निस्तारण किये हैं और पेंडिंग हमारे पास 57 हजार 616 हैं।

जहां तक आपने कहा, इसकी डेट बढ़ाने का विषय है, निश्चित रूप से यह पहली बार स्कीम आई है। इसमें जहां हमने आनलाइन करने की व्यवस्था की, वह भी राजस्थान सरकार नहीं, केन्द्र सरकार की योजना में केन्द्र सरकार की तरफ से था कि इसको आनलाइन किया जाए। उन्हीं निर्देशों के आधार पर हम आनलाइन कर रहे हैं। आनलाइन करने के बाद एक सिस्टम बनेगा, पारदर्शिता की बात आएगी और समय पर डिस्पोजल होगा। यह पहला साल है, पहला साल होने के कारण कुछ दिक़्क़तें हैं और दिक्कतें भी सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से नहीं हैं। अलग-अलग इंस्टिट्यूट को अलग-अलग संस्थाएं रिकाग्नाइज करती हैं। जो किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हैं, वह यूनिवर्सिटी उस कोर्स को और उस इंस्टिट्यूट को वेरिफाई करती हैं; हम उसको डिस्पोज करते हैं। उसका तुरन्त ही पोर्टल पर नम्बर खुल जाता है और अपने आप कोई भी आवेदन कर सकता है।

आई टी आई के बारे में आपने कहा है, आई टी आई में डिसप्यूट चल रहा है। आल इंडिया इंस्टिट्यूट जो है इनका आई टी आई का, वह और राजस्थान की संस्था, इन दोनों में विवाद है कि कौन इस बात को वेरिफाई करेगा। मैंने श्रम मंत्रीजी के साथ बैठकर के, इस विवाद के लिए हम कई बार उन अधिकारियों के साथ बैठे हैं, श्रम मंत्रीजी के साथ भी बैठे हैं और बैठकर के हमने कहा है कि आपस में तय करके कोई भी वेरिफाई करे, इसका नुकसान विद्यार्थियों को नहीं होना चाहिए और किसी भी रूप से यह क्लीयर हो जाए। उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आई टी आई को भी हम नम्बर देकर के पोर्टल शुरू हो जाएगा और उसके बाद उनकी भी एप्लिकेशंस को पूरा करने की बात है। विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। कम से कम जो संस्था इसको रिकाग्नाइज कर रही है, वह वेरिफाई करें कि यह इंस्टिट्यूट हमारी तरफ से वेरिफाइज्ड है। अदरवाइज, कोई भी जो वेरिफाइड, कहीं भी रिकाग्नाइज्ड नहीं है, या किसी तरह से अप्रूव नहीं है, ऐसा इंस्टिट्यूट का भी कोई विद्यार्थी स्कालरशिप के लिए फार्म भर देगा। उसको देने में कई

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

तरह की दिक्कतें हैं और कई प्रकार की आगे फाइनेंशल रेस्पोंसिबिलिटीज भी ध्यान में आएंगी। इस कारण से इस व्यवस्था को हमने रखा है।

जहां तक आपने कहा, प्रयास करने की बात है; अब तक हमने 2015-16 के लिए 28 करोड़ हमें एक बार मिले हैं; 108 करोड़ अनुसूचित जनजाति के और 28 करोड़ अनुसूचित जाति के मिले हैं। जहां तक प्रयास की बात है, मेरे पास पूरी डिटेल है, समय बचाने के लिए मैंने पूरा विषय सामने नहीं रखा है, लेकिन 9.4.2015 को पहला पत्र हमारे प्रमुख शासन सचिव ने लिखा और उसके बाद 10.6.2015 को मेरे द्वारा लिखा गया। उसके बाद माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 7.7.2015 को लिखा गया और 15.10.2015 को माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा फिर लिखा गया। प्रमुख शासन सचिव के द्वारा 10.12.2015 को लिखा गया, 4.1.2016 को मेरे द्वारा फिर लिखा गया और इसके बाद कम से कम तीन बार मैं मंत्री महोदय से मिलकर आया हूं। उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इस पैसे को भेजेंगे।

2015-16 की दिक्कत हैं, 2014-15 के तो हमने सारे क्लीयर किये हैं, और आने के बाद किसी भी विद्यार्थी को नुकसान नहीं हो, केन्द्र सरकार से पैसा आएगा और उसके बाद जैसे ही पोर्टल 31 मार्च को खतम होगा, और अभी भी जगह-जगह से इंस्टिट्यूट्स की मांग आती है कि हमारे सब बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है इस कारण समय बढ़ाया जाए, इस कारण हम समय बढ़ा रहे हैं। जिस दिन सबकी तरफ से हो जाएगा और हमें लगेगा कि अब तक ज्यादातर बच्चों ने इसमें एप्लाई कर दिया है, इसको तुरन्त हम बंद करके स्कालरशिप का डिस्बर्समेंट, उसकी स्वीकृत का काम शुरू कर देंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, 15 मार्च तो अंतिम तारीख है और अभी तक दोनों विभागों ने तय ही नहीं किया है कि आई टी आई वालों के फार्म भरवाए जाएंगे, या नहीं भरवाए जाएंगे; कब फार्म भरेंगे, कब उनकी स्कालरशिप आएगी। यह मेरा निवेदन है आपसे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसको हम 31 मार्च तक बढ़ा चुके हैं पहले ही।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। यह अभी कोई रिसेंट आकरेंस है, पिछले 24 घंटे के भीतर-भीतर?

सूचना

यातायात स्थलों पर दुष्कर्मों की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत माकूल सुरक्षा व्यवस्था

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कल शाम का ही है, साहब।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहूंगी कि जयपुर जंक्शन पर कल शाम को आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और मां और वह, दोनों बेहोशी की हालत में मिलीं। सोचने का विषय यह है, पुलिस ने कार्यवाही की और सारा काम किया, लेकिन जितने ये बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो ये घोषणा कर दें कि सुरक्षा व्यवस्था कर देंगे। जितने ये खानाबदोश लोग हैं, जो यहां रोड पर रहते हैं, या स्टेशन या बस स्टैण्ड के आसपास रह रहे हैं, उनके लिए एक कोई ऐसी योजना बनायें। दोनों तरफ इनकी सरकार है। सम्माननीय प्रधान मंत्रीजी घोषणा करते हैं कि महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए योजना बनाएंगे...

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन सिर्फ इंसिडेंस का है। माननीय सदस्या, एक मिनट आप विराज जाएं। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन वैसे आपके किसी नियम में नहीं है, इस सदन की एक परम्परा रही है कि इस प्रकार की सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सो बेसिकली उस इंसिडेंट का आप जिक्र कर दें। अगर कोई डिटेलिंग आपकी है, तो मंत्री महोदय से...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): डिटेलिंग नहीं, एक है कि जो ये स्टेशन पर रह रहे हैं, उनकी जानकारी जांच करवायी जाएं, नहीं तो आये दिन जितनी घटनाएं हुई हैं वे सब ऐसे लोगों के साथ ही हुई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनको खतम करने के लिए, उनकी जांच करके उनका कोई नियम बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री कालीचरण सराफ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम,

(श्री कालीचरण सराफ)

2003 की धारा 43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री केसाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 व 2)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2015-16 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल गुर्जर।

पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति (वर्ष 2015-16) के प्रतिवेदन (क्र.सं. 3 व 4)

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2015-16 के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिका

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

खेतड़ी में कतिपय सड़कों का निर्माण

1- विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विभिन्न सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत्;

बबाई ग्राम (खेतड़ी) में तहसील कार्यालय खोला जाना

2- विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम बबाई में तहसील कार्यालय खोलने बाबत्; एवं

(श्री पूरणमल सैनी)

चाचरवाली ढाणी (खेतड़ी) में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना

3- विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की ग्राम पंचायत संजय नगर की ढाणी चाचरवाली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लूणी में महिला महाविद्यालय खोला जाना

1- कस्बा लूणी, जिला जोधपुर में महिला महाविद्यालय खोलने बाबत;

जोधपुर में पेयजल की पुरानी पाइप लाइनों को बदला जाना

2- जोधपुर में दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों की रोकथाम हेतु पुरानी पेयजल की पाइपलाइनों को बदलकर नई पेयजल की पाइपलाइनें डाले जाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: राजकुमारी दीयाकुमारी।

सवाई माधोपुर शहर को पेयजल हेतु बनास नदी से लिंक कनेक्शन

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार बनास नदी से लिंक कनेक्शन देकर सवाई माधोपुर शहर को पानी उपलब्ध करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत शहर में नये अग्निशमन वाहन की उपलब्धता

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सोजत शहर नगरपालिका में नया अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. मंजू बाघमार।

जायल में फरडौद से गोगुलाव तक पेयजल की पाइपलाइन

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी

(डा. मंजू बाघमार)

अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जायल (नागौर) में पेयजल की कमी के कारण फरडौद से गोगुलाव गांव तक इंदिरा गांधी नहर के पानी हेतु पाइपलाइन से जोड़े जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल।

पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

अराई (अजमेर) में नवीन फायर स्टेशन की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई (अजमेर) में नवीन फायर स्टेशन की स्थापना बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । द्वितीय अवस्था। श्री यूनूस खान।

वित्तीय कार्य

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,37,56,99,000/- (बीस अरब सैंतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(श्री युनुस खान)

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,58,59,96,000/- (उनचास अरब अट्‌ठावन करोड़ उनसठ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के चालीस सदस्य बोलना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के भी पांच हैं और कुछ निर्दलीय हैं। कुल मिलाकर बोलने वालों की संख्या पचास से कुछ कम है। समय और घड़ी स्वयं देख लें, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप कितना समय लें, लेकिन अगर यह सारा का सारा वक्तव्य आप अपना अगर दस मिनट भी लेते हैं, तो हमें सात घंटे कम से कम चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए आप स्वयं ही डिसिप्लिन्ड हो जाएं, तो आसन को आसानी होगी। अन्यथा आप ही के माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह जाएंगे। तो एक कलेक्टिव थाट है और कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी भी है। So let us start taking care of each other and limit our deliberations to absolute 10 minutes.

श्री विजय बंसल।

व्यवस्था का प्रश्न

विभिन्न अनुदान की मांगों की राशि का भी कार्यसूची में उल्लेख

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो मांगें पेश की गयी हैं और आने वाले अनेक दिनों तक पेश की जाएंगी, मेरा नम्र निवेदन है कि मांग के साथ मंत्री महोदय ने जो अरब और करोड़ रुपये बोले हैं, वह भी इसमें छप जाए, विधान सभा के द्वारा प्रसारित हो, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को मंत्री महोदय के बोलने से पहले से भी ध्यान रहेगा कि आज हम कितने अरब और कितने करोड़ रुपये की मांग पर चर्चा करने वाले हैं। यह काम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपके निर्देश से हो सकता है, तो मेरा निवेदन है कि भविष्य

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में, कल-परसों, जो भी आयें, उसमें मांग के साथ उनकी राशि को अंकित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मानिकजी वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन जो अपन को पुस्तक आती है, उस पुस्तक में सब में लिखा हुआ है कि 49 अरब और 48 करोड़। जितनी अपनी पुस्तक है डिमाण्ड्स की, छोटी जो पुस्तक है, उसमें सब डिमाण्ड का अलग-अलग लिखा हुआ है कि इसका इतना रुपया इतना पैसा है। लिखा हुआ है सब। (व्यवधान) यही पेश हुई है न।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपने आसन का काम स्वयं अपने ऊपर लेकर बड़े जिम्मेदार तरीके से किया, इसलिए आसन आपको धन्यवाद देता है।

श्री विजय बंसल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको मौका दें, और काम भी अच्छा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, कई बार आपका व्याकरण और साहित्य संदेहास्पद हो जाता है।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण एवं मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर चर्चा करने का आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का विकास निर्भर करता है, उस प्रदेश की आधारभूत संरचना किस प्रकार की है। 2016-17 के बजट में लोक निर्माण, सड़कें एवं पुल पर 5,690 करोड़ रुपये का जो बजट प्रस्ताव रखा है, निश्चित रूप से दर्शाता है कि सदन की नेता माननीया वसुन्धरा राजेजी ने इस आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का बहुत तगड़ा प्रयास किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट पिछले वर्ष 2015-16 के बजट से तकरीबन 22 परसेंट अधिक है। इसमें चाहे ग्रामीण इलाके की मिसिंग लिंक सड़कें हों, चाहे ग्रामीण पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ के निर्माण हों, नान-पैचेबल सड़कों का निर्माण हो, चाहे आवश्यकता अनुसार आर ओ बी का निर्माण हो, हर विषय का इसमें ध्यान रखा गया है।

(श्री विजय बंसल) (पप्पू बन्डा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जहां से, भरतपुर से, मैं आता हूं, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है। वहां से राजस्थान की राजधानी 180 किलोमीटर, वहां से हिन्दुस्तान की राजधानी 180 किलोमीटर व तीन-तीन स्टेट्स के बार्डर लगते हैं, यू.पी., हरियाणा, एम.पी.। भरतपुर घना पक्षी अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध होने के नाते देशी एवं विदेशी पर्यटकों का मेला-सा लगा रहता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज से तीन साल पहले अनेक आंदोलन इस बात के हुए थे कि भरतपुर से बयाना होते हुए करौली जाने वाली सड़क एवं भरतपुर से धौलपुर जाने वाली सड़क का निर्माण हो, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर महोदय को, जिन्होंने पिछले वर्ष इन दोनों सड़कों को स्वीकृत करके, वर्क आर्डर इश्यू करके, इनका काम चालू करा दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौरव पथों का निर्माण जो पिछले वर्ष से इस सरकार ने शुरू किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि हम अक्सर गांवों में देखते थे और अपनी पेंट और पायजामा ऊपर करके कीचड़ भरे रास्तों में निकलते थे, लेकिन आज जो इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ बने हुए हैं, इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और पंचायत मुख्यालय के लोग यह कहने लग गये कि पहली बार किसी सरकार ने गांवों की तरफ ध्यान दिया है। मैं इस बारे में इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि कुछ गलतियों की वजह से इनमें नाली निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इनके साथ-साथ इनमें नाली निर्माण कार्य भी शुरू कराये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जो प्रावधान हैं, उसमें धार्मिक महत्व को देखते हुए, क्योंकि भरतपुर से गोवर्धन, वृंदावन, आगरा बिलकुल नजदीक पड़ते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में इस परिक्रमा मार्ग के लिए करीब 104 करोड़ रुपये का बजट देकर, देश-विदेश से वहां लोग आते हैं, उनके लिए एक सुदृढ़ निर्माण कराये जाने का जो प्रावधान किया है, इसके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही दो ओवरब्रिज का निर्माण

(श्री विजय बंसल) (पप्पू बन्डा)

कराने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो यह गौरव पथ का निर्माण हो रहा है, पंचायत मुख्यालय पर एक निर्णय लिया गया है। मैं माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टरजी से अनुरोध करना चाहूंगा, कई ऐसे स्थान भी हैं, उस पंचायत मुख्यालय के अलावा, उसी पंचायत के किसी गांव में, जहां आवश्यकता हो, मिसिंग लिंक की तरह विधायक की अनुशंसा पर अगर कार्य कराने का इसमें संशोधन करेंगे, तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास में हम एक बेहतरीन कदम उठा सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले जो आगरा से भरतपुर आने का मेन रूट था, वह चिकसाना होते हुए था। चूंकि घना पक्षी विहार की वजह से अनेक यात्री, अनेक पर्यटक दिल्ली से आगरा होते हुए भरतपुर आते हैं, मैंने पिछली बार भी इसी मांग में उठाया था कि भरतपुर से चिकसाना होते हुए आगरा जाने वाली सड़क पूर्णतः जर्जर हो चुकी है और माननीय मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि इसका निर्माण शुरू करायेंगे, लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। मेरा अनुरोध है कि इसी बजट में इसका प्रावधान किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेक सड़कें काफी वर्षों के बाद भी क्षतिग्रस्त होने के बाद नान-पैचेबल में नहीं आ पा रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की मथुरा रोड से धोरमई, सेथरा, बुलोटी जाने वाली सड़क को नान-पैचेबल लेकर इसका निर्माण अवश्य कराया जाये। साथ-साथ भरतपुर से मथुरा जाने वाला जो मार्ग है, भरतपुर जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इसका ओवर-ब्रिज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन काफी धीमी गति से वह कार्य चल रहा है और मथुरा एवं वृंदावन जाने वाले पर्यटकों को एक लम्बा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। इस कार्य में गति दिलवाने की आप कृपा करेंगे।

साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के मरौलीकला पंचायत में नगला माहना एक गांव 2001 में राजस्व ग्राम घोषित हो चुका था, लेकिन आज तक उस पर जाने वाले के लिये कोई सड़क का रास्ता नहीं है। कोई आदमी बीमार पड़े, किसी आदमी की डैथ हो जाये, तो बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जमीन अधिग्रहित करके इस ग्राम को भी आम रास्ते से जुड़वाया जाये।

(श्री विजय बंसल) (पप्पू बन्डा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत बात है लेकिन आपने समय फिक्स किया है, तो मैं इस सब में यही कहना चाहूंगा कि आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पी डब्ल्यू डी में जो 5,690 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, निश्चित रूप से 'रिसर्जेंट राजस्थान' में जो 321 लाख करोड़ रुपये के एम ओ यू हुए हैं, वे आने वाले उद्योगपति इस बजट के माध्यम से आधारभूत ढांचा निर्माण होने पर अपना निवेश करेंगे। साथ-साथ उम्मीद भी करता हूं, जितनी सुविधाएं भरतपुर के लिए दी गई हैं, आधारभूत निर्माण होने के पश्चात् औद्योगिक विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से सम्माननीय सदस्य का अनुसरण आप सब करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार का व्यवधान जो आसन की बगैर अनुमति से कहा गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इन्होंने किया है, मैंने थोड़े ही किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य तथा मांग संख्या 21-सड़क व पुल की चर्चा में आपने जो मुझे आज्ञा दी, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी राज्य और किसी भी देश के लिए अगर हम विकास देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सडकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, पुलियाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, लोक निर्माण कार्यों का बहुत बड़ा

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

योगदान होता है। बड़े-बड़े उद्योग, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े विकास के कार्य होते हैं, बिना सड़कों के और बिना लोक निर्माण के कार्यों के सम्भव नहीं होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी मैं इस बात का विचार करता हूं कि हमारे देश में और हमारे राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आया होता, तो इस हिन्दुस्तान की और इस राजस्थान की क्या स्थिति होती? क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक इस राजस्थान में और हिन्दुस्तान में राज किया, न तो सड़कों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, न गांवों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, निवकास की तरफ ध्यान दिया। मैं समझता हूं कि आज इस अवसर पर हमको निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिये, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिये हमारे देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाकर गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा; हमको धन्यवाद देना चाहिये प्रधान मंत्रीजी को जिन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज सड़क बनाकर इस हिन्दुस्तान का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर और कई सड़कों की योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयीजी ने बनाईं। यह तो दुर्भाग्य है, हमारे देश का कि बीच में आपका राज आ गया, वरना देश की नदियां और जुड़ जातीं, तो हिन्दुस्तान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ और हिन्दुस्तान का किसान सबसे ताकतवर किसान होता। (व्यवधान)

राजस्थान में भी 1977 में जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का राज आया था, आपको तो शर्म आनी चाहिये इस बात की, पंचायत हैड-क्वार्टर तक की सड़कें भी आप जोड़ नहीं पाये थे उस समय तक। पंचायत हैडक्वार्टर को भी अगर किसी ने जोड़ा, तो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने जोड़ा।

मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान में जब पूर्व में राजस्थान की लोकप्रिय जननायिका वसुंधराजी की सरकार बनी, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ उस समय पी डब्ल्यू डी मंत्री थे, पांच साल में सार्वजनिक निर्माण के कार्य जो उस समय हुए, सड़कों के कार्य उस समय हुए, उससे पूरे हिन्दुस्तान के लोगों ने भी हमारी सराहना की।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब मैं सांसद था, तब भी हमको कई राजस्थान के गांवों में

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(14.00 बजे)

मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ता था। आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव हैं, जहां मुझे मध्य प्रदेश के गांवों से होकर जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भी हम वहां से जाते थे, मध्य प्रदेश आ जाता था, तो हमको पता लग जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया, खड्डों वाली सड़कें आ गईं। लेकिन राजस्थान में जब वसुंधराजी का राज आया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंहजी का राज आया, तब समान रूप से सड़कों का निर्माण होना प्रारम्भ हो गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का, कि बीच में पांच वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज आ गया। आज वह ही मध्य प्रदेश, जिसकी राजस्थान से तुलना करें, पिछले दो वर्षों को अगर हम छोड़ दें, तो मध्य प्रदेश में इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं। राजस्थान में आते हैं, जब गड्ढों में हमारी गाड़ियां गुजरती हैं, हमारी नींद खुल जाती है, तो लोगों को लगता है कि वास्तव में राजस्थान में आ गये। यह सारी जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो यह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। पांच सालों में सड़कों के नाम पर शून्य।

जब वसुंधराजी का राज आया इस बार और युनुस खानजी हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री बने, पहला बजट जब वसुंधराजी ने पेश किया, उस समय गौरव पथ की, मिसिंग लिंक की, राजस्थान की सड़कों के विकास की, पुलों को बनाने की कई बातें उन्होंने बजट में कीं। उस समय हमारे विपक्ष के लोग हंसते थे हमारे ऊपर कि गौरव पथ आप नहीं बना सकते हो, गौरव पथ में नालियां कैसे बनाओगे, नान-पैचेबल सड़कें कैसे बनाओगे, क्योंकि आपने तो एक भी नान-पैचेबल सड़क बनाई नहीं, लेकिन दो साल के अन्दर आज राजस्थान में जिस तरह का वातावरण है, गांव-गांव में बदलाव हुआ है। जिन गौरव पथ की हम चर्चा कर रहे हैं, उन गौरव पथ का अगर निर्माण आप देख लो, मैं समझता हूं, आजादी के बाद 69 साल में पहली बार ऐसी सड़कों का निर्माण हुआ, जिसकी आज गांव-गांव में लोग सराहना कर रहे हैं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं, उस गौरव पथ को सिर्फ पंचायत हैडक्वार्टर्स तक सीमित मत रखो, आप उसको नीचे तक ले जाओ, पंचायत के जो बड़े-बड़े गांव हैं, जो छोटे-छोटे गांव हैं। क्योंकि पंचायतों में तो फिर भी कई योजनाओं के माध्यम से सी.सी. रोड, सड़कों के निर्माण हुए हैं, लेकिन आज भी कई बड़े गांव हैं राजस्थान के, जिनमें इस तरह

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

के निर्माण की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसके बारे में आप विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पहले चरण में गौरव पथ में 1,955 किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथ 1,984 पंचायतों को जोड़ने के लिए 1,027 करोड़ की लागत से स्वीकृत किये थे और वे 2016 तक कार्य पूर्ण हो जाएंगे; मिसिंग लिंक में 608 करोड़ रुपये की 2,182 किलोमीटर लम्बाई की 1,009 सड़कों का निर्माण अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। द्वितीय चरण में भी दो हजार पंचायतों को इन्होंने लिया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी, चूंकि पिछले कांग्रेस के राज में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की शुरू की हुई योजना थी, उस पर एक तरफा विराम लग गया था, लेकिन इस बार हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि राजस्थान के ढाई सौ से साढ़े तीन सौ की आबादी के 1,468 गांवों को 1,618 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4,303 किलोमीटर की लम्बाई की पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

नान-पैचेबल सड़कें 2,702 किलोमीटर, शहरी-ग्रामीण विकास सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, 99 पुलियाओं के निर्माण की लागत 605 करोड़, आगामी वर्ष तक पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही 2016-17 में भी 2,500 किलोमीटर नान-पैचेबल सड़कें, जो 600 करोड़ की लागत की हैं, वे पूर्ण हो जाएंगी।

मैं इस बात को अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा की है, जिस तरह से राजस्थान की स्थिति हुई है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बाप रे!

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बाप रे, कहने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई है इस बात में। आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। आप गांवों में जा रहे हों, आपको पता लग रहा होगा, श्रवण जी। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी को धन्यवाद तो दीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहा हूं, आप चिंता मत करो। हमारे मंत्रीजी हैं ना युनुस खानजी, इस हिन्दुस्तान में पहले शेरशाह सूरी हुए थे नम्बर वन और उसके बाद युनुस खानजी हैं राजस्थान में सड़कों के निर्माण हेतु। आप गलतफहमी मत पालना।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे, माननीय सदस्य, मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि अगर ये शेरशाह सूरी हैं, तो शेरशाह सूरी का बचपन अमसर में गुजरा है। वह शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र से हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बहुत बढ़िया।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक निवेदन और है। अभी आपने इस बजट में 300 करोड़ रुपये जो नेशनल हाइवे सड़कें निकल रही हैं, उनमें बाइपास के लिए दिये हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी को, धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मंत्री नितिन गड़करी जी को, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुंधराजी को, पहली बार राजस्थान के इतिहास में जितना नेशनल हाइवेज का पैसा आया है, आपके सी.पी. जोशीजी मंत्री थे, तब भी नहीं आया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद तो अलग से ही लिखकर दे देना। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपको जलाने के लिए। आपको जलाने के लिए बता रहा हूं मैं। आपके सी.पी. जोशी मंत्री थे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि कभी आप भी इस बात का स्मरण करते हुए कभी-कभार धन्यवाद दे दिया करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): दे दिया करो थोड़ा-बहुत। यह इनकी आदत में नहीं है, साहब, धन्यवाद देना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ये कंजूस हैं, साहब। ये क्या देंगे, धन्यवाद जैसी चीज।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सदस्य हैं, इनके होड़ लगी हुई है कि मुख्य मंत्रीजी का नाम कौन ज्यादा लेगा। उन्हें नंबर बढ़ाने हैं, और कोई लेना-देना नहीं है। नम्बर बढ़ाने में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): श्रवणजी, यह चमचागीरी की परम्परा कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरे को सारा देश जानता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह कांग्रेस में है। +++ यह परम्परा कांग्रेस में रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये तो चेले हैं...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपके यहां राजीव गांधी का या सोनिया का ज्यादा नाम ले लेते हो, तो क्या यह भी नम्बर बढ़ाने के लिए लेते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बोलने से पहले लिख लिया करो, जिससे ढंग से बोला जाए, और कोई बात नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मुझे तो बड़ा दु:ख होता है कभी-कभी कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशीजी ने संजय गांधीजी के साथ क्या-क्या किया। पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से +++ राजस्थान का नाम डुबो दिया। इस तरह के काम आपने किये हैं। हम तो मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए कि मुख्य मंत्रीजी काम कर रही हैं; युनुस खानजी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि युनुस खानजी काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 2018 में गांव में जाओगे, तो मालूम होगा कि कौन काम कर रहा है। नवम्बर, 2018 में जाओगे ना, तब बताएंगे काम। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 20-25 साल तक तो आपका नम्बर नहीं आने वाला। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम भी यही भाषण देते थे। हमारी क्या हालत हुई, मालूम है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह जो आप इलेक्शन जीतकर आए हो ना, यह भी हमारे लोगों की गलती से जीत गये; नहीं तो आप तो पहले ही सड़क पर आ गये थे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनकी गलती से जीतकर आया हूं। मैं अपने दम पर जीतकर आया हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तो पहले ही जीत जाते ना। छह महीने पहले जीत जाते। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो पांच-छह बार आपने जिताया है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सड़क और पुलिया से कहां चले गये?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सड़क पर ही आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सबके, ऐसा लगता है, रास्ते अलग-अलग हैं। तो कोई पुलिया बनाकर आपके रास्ते भी आपस में जोड़ लो। क्यों वाद-विवाद करते हो! (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह श्रवणजी ने सड़क चुका दी और गली रास्ते में ले गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किये हैं, मैं युनुस खानजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी बात को इन्होंने बीच में घुमा दिया, 300 करोड़ रूपये इस बार हमारी सरकार ने बाइपास के लिए दिये हैं। यह बात सही भी है कि जहां-जहां पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, बीच में कहीं छोटा गांव आ गया तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का अर्थ खतम हो जाता है, लेकिन पहली बार किसी मुख्य मंत्रीजी की, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री की सोच बनी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अगर कहीं सकरा है तो वहां का बाइपास निकाला जाए। तो 300 करोड़ रुपये आपने स्वीकृत किये, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं मेरे क्षेत्र पर ही आ जाता हूं, क्योंकि समय अब बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने चित्तौड़गढ़ जिले में काफी पैसा दिया है, चाहे वह कारई की सड़क का पैसा दिया हो, चाहे कनेरा की सड़क का पैसा दिया, चाहे बानसी की सड़क का पैसा दिया हो; करोड़ों रुपया आपने दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के पचास साल में भी हमको नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं हमारी हैं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अभी यहां पर बाइपास का जिक्र हो रहा था; उपाध्यक्ष महोदय, अभी निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ के बीच में नेशनल हाइवे सड़क बनी है, मैंने, मंत्रीजी, आपको पहले भी निवेदन किया, उसमें तीन ऐसे बड़े गांव हैं, रानीखेड़ा, मरजीवी का चौराहा और बलौड़ी माधोसिंह, तीनों पर अंडरब्रिज नहीं होने की वजह से वहां पर आये दिन, रोज एक्सिडेंट हो रहे हैं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

और अभी तक कितने ही लोग मर चुके हैं वहां पर एक्सिडेंट की वजह से। उस रोड का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि नेशनल हाइवे रोड है, उस पर अंडरब्रिज बनाने का आश्वासन मुझे देंगे।

साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग 79, वह 113 जो बाइपास निकला है, निम्बाहेड़ा शहर एक तरफ रह गया है। निम्बाहेड़ा शहर में भी बाइपास निकालने के लिए, निम्बाहेड़ा शहर के अन्दर की जो सड़कें हैं, उन सड़कों के निर्माण के लिए भी आपके पास प्रस्ताव आया हुआ है। उसके बारे में भी आप जब बोलेंगे, तो हमको निश्चित रूप से आश्वासन देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, पिछले दिनों आप बेगूं पधारे थे, मंगलवाड़ भी आप पधारे थे, आपने सड़कों का उद्घाटन किया; कुछ घोषणाएं आपने की थीं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपने उन घोषणाओं के लिए कहा कि बहुत जल्दी उन घोषणाओं की स्वीकृतियां हो जाएंगी। मेन उसमें रानीखेड़ा से मल्लाचारण जो माइंस रोड है, वह भारतीय जनता पार्टी के भैरोंसिंहजी के राज में, जब मैं एम एल ए बना था, उस समय हमने बनवाई थी। कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक उसको रिपेयर भी नहीं करवाया। दो लाख लोग उस सड़क से जुड़े हुए हैं। ज्यादा लम्बी सड़क भी नहीं है, 12 किलोमीटर की सड़क है; 14.50 करोड़ की उसकी कुल लागत है। उसकी आपने घोषणा की थी। मुझे विश्वास है कि उस सड़क को आप शीघ्र ही स्वीकृत करेंगे।

साथ ही, भावलिया चौराहा एन एच 79 से जलौदा जागीर एस.एच. 15 वाया लसना व डोरिया बिरोंदा सड़क को एम डी आर में अपग्रेड करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। इससे काफी पंचायतें और काफी गांव जुड़े हुए हैं। इसको भी आप शीघ्र स्वीकृत करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी सादड़ी मेरे एक क्षेत्र में आता है, लेकिन वह प्रतापगढ़ जिले में है, वहां पर डाक बंगला नहीं होने की वजह से काफी दिक्कत आती है। मीटिंग लेने के लिए अधिकारी आते हैं, राजनेता आते हैं। विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं के लिए, किसी को ठहरने के लिए, मीटिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है। उपखण्ड कार्यालय होने के बाद भी छोटी सादड़ी में डाक बंगला नहीं है। मुझे विश्वास है, वहां भी आप डाक बंगले का निर्माण करवाएंगे।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

इस अवसर पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय फिर टोक देंगे, ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए, एक बार फिर राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीया वसुंधराजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान में एक विकास का नया आयाम कायम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं युनुस खानजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले दो वर्षों में, जिस तरह तीन वर्षों में विकास की उम्मीद मांग संख्या 19 व 21 के माध्यम से, सड़कें एवं पुल के माध्यम से हमको नजर आती है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता लग जाएगा 2018 में। मैंने उस दिन भी कहा था, बजट पर जब मैं बोल रहा था, कि नालियों में क्या स्थिति आपकी होने वाली है, गौरव पथ में बन रही हैं, वही स्थिति आपकी होगी। यह कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल, इस डिबेट में अपने आपको सम्मिलित करते हुए, मैं सबसे पहले हमारी मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं, उनके लिए आपने बजट प्रावधान किया; कच्चा रास्ता बनाकर, अलग से रास्ता देकर, उनके लिए जो काम किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हर साल सैकड़ों लोग एक्सिडेंट में मारे जाते हैं। मालवा, मेवाड़, एम पी और पूरे राजस्थान के लोग जोधपुर से होते हुए गुजरते हैं और रास्ते में एक्सिडेंट हो जाता है। उस एक्सिडेंट से बचने के लिए आपने उनके लिए अलग से पैदल मार्ग बनाया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ ही 2 हजार किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक का निर्माण किया है। मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी चार ही मिसिंग लिंक हैं जो आपने दी हैं, वे मार्च तक डामर डलकर कम्प्लीट हो जाएंगी। इसके साथ ही गौरव पथ दिये हैं, उन गौरव पथ में सबसे बढ़िया गौरव पथ अगर कोई बने हैं तो मेरे यहां पर 16 गौरव पथ बने हैं। यह सबसे अच्छी स्कीम लाये हैं। आपने गांवों की दशा सुधारने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

लोक निर्माण में आपने 25 सौ लाख रुपये मुम्बई में राजस्थान हाउस के लिए दिये हैं, जो अधूरा पड़ा था, उसके सेकण्ड फेज के लिए आपने पैसे दिये हैं। उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

लोक निर्माण के कार्यों में मेरे क्षेत्र में खिंवाड़ा में तहसील भवन बन रहा है; राणी के अन्दर तहसील भवन बनकर खड़ा हो गया, उसका उद् घाटन भी हो गया; राणी के अन्दर एस डी ओ भवन बन रहा है; मारवाड़ जंक्शन में एस डी ओ भवन का निर्माण किया, इनके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही, लोक निर्माण के अन्दर मारवाड़ जंक्शन में एक मात्र डाक बंगला है, वहां पर रेलवे कोरिडोर का बहुत बड़ा काम चल रहा है। लोगों को ठहरने के लिए असुविधा होती है; केवल दो ही कमरे हैं। इसलिए उस डाक बंगले में दो कमरे और बनवाए जाएं। अधिकारी, वगैरह आते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। वहां पर किसी तरह की होटल, वगैरह नहीं हैं। इसलिए डाक बंगले में दो कमरे निर्माण करने की भी मांग करता हूं।

मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने का भवन 1925 में बना था। वह भवन बिलकुल जर्जर हालत में है। 1925 में बने हुए भवन की जगह नया भवन स्वीकृत करें। कोई दूसरी जगह की आवश्यकता नहीं है; वहां पर जो भवन बना हुआ है, वहां पर भी बहुत जगह है। इसलिए नये भवन के निर्माण के लिए, लोक निर्माण के कार्यों में इस भवन को लिया जाए।

इसके साथ मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि 2 हजार 702 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का 605 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। 2016-17 में 600 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी 2 हजार 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जाएगा।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 की आबादी क्षेत्र के गांव को जोड़ने के लिए 142.85 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इससे गांवों की सड़कें, जो 250 की आबादी तक लाये हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। जो गांव 250 की आबादी वाले हैं, आजकल के जमाने में हर गांव में, हर घर में कोई न कोई व्हिकल है। राजस्थान की सड़कों की जिस तरह की हालत है, अगर गांवों की सड़कों को सुधारेंगे, तो निश्चित रूप से गांवों में आपकी वाह-वाही होगी। शहरों में सड़कें हैं, उनको दुबारा और तिबारा डामर डालकर ठीक करने के बजाय गांवों की खराब सड़कें हैं, उन सड़कों को ठीक करेंगे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में, गांवों में आपकी वाह-वाही होगी।

(श्री केसाराम चौधरी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पुलों के लिए ओवरब्रिज दिये हैं, मेरे क्षेत्र में दो ओवरब्रिज दिये, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मगर ओवरब्रिज में मारवाड़ जंक्शन जैसा रेलवे स्टेशन, जो कोरिडोर का सबसे बड़ा स्टेशन बन रहा है, 8-8, 10-10 लाइनें वहां पड़ेंगी, उसको ओवरक्रोस करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोजत रोड से जवाली के बीच में केवल एक सोमेसर आएगा, उसमें ओवर ब्रिज है, वह भी बाद में होगा, मगर मारवाड़ जंक्शन के लिए ओवरब्रिज की मांग करता हूं। आपने इस ओवरब्रिज के लिए, दिल्ली, मुम्बई, मारवाड़ जंक्शन; जोधपुर, बीकानेर एवं मारवाड़ जंक्शन; उदयपुर मार्ग, मारवाड़ जंक्शन मुख्य रेलवे है; इस जंक्शन का दिल्ली-मुम्बई मार्ग रेलवे कोरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। मारवाड़ जंक्शन में रेलवे कोरिडोर से स्टेट हाइवे 61 गुजरता है, जिस पर ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। ओवरब्रिज ना होने से स्टेट हाइवे का यातायात रेलवे फाटक से बाधित रहता है। रेलवे कोरिडोर पर ओवरब्रिज निर्माण हेतु अनुमानित 40 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी; यह आपने पहले कट-मोशन के जवाब में दिया है। मैं निवदेन करूंगा कि आप मेरे दूसरे स्टेशन पर ओवरब्रिज को रोक दें, मगर मेरे क्षेत्र का मारवाड़ जंक्शन का ओवरब्रिज जरूर लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

जार्डन में, पहले भी कट-मोशन में आपने दिया था, उस अंडरपास के निर्माण के प्रस्ताव का सक्षम स्वीकृति हेतु परीक्षण भारा राव प्राइवेट द्वारा किया जा रहा है, जो कि 4-लेन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पादित अनुबंध के अनुसार चैंज आफ स्कोप अन्तर्गत, नियमानुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त ही अतिरिक्त अंडरपास निर्माण किया जाना सम्भव है। मंत्री महोदय, आपने स्वयं ने बैठकर इस बात को तय किया था कि जार्डन के अन्दर गांव दो पार्ट में बंट गया है, वहां पर एक्सिडेंट हो रहे हैं, आपके अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देश भी दिये थे, किन्तु वह अंडरपास अभी तक नहीं बना। टोल टैक्स स्टार्ट हो गया, सर्विस रोड नहीं बने। जार्डन गांव में लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जार्डन के अंडर पास का भी निर्माण कार्य करवाया जाए।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन में 1993 से लेकर 1994, 1996 की 9 सड़कें ऐसी हैं जो 1993 से

(श्री केसाराम चौधरी)

2000 के बीच में बनी हैं और आज दिन तक उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि 1993 से 2000 में बनी हुई सड़कें, करीबन 15-20 साल होने को आ गये और अगर उन सड़कों की थोड़ी-बहुत भी रिपेयरिंग या सुदृढ़ीकरण नहीं करेंगे, तो उन पर चलना किस तरह से सम्भव होगा? इसी तरह से 2001 से लेकर 2004 के बीच में बनी हुई 14 सड़कें हैं, जिनकी बिलकुल हालत खराब हो गयी है। ऐसी सड़कों के निर्माण की अगर आप घोषणा करेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में सड़कों का ठीक से सुदृढ़ीकरण होगा। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ है तो सड़कों की है दो सड़कें इतनी खराब हैं! मंत्री महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आप जो नवीनीकरण का कार्य करें, उसमें सबसे पहले पूरे राजस्थान में यह देखा जाये कि कौनसी सड़क कब बनी है; उसके पहले उसको रिपेयर करने का टाइम कब आया है। अगर 10-10, 20-20 साल तक किसी सड़क को रिपेयर नहीं करेंगे, तो वे सड़कें किस तरह से चलेंगी?

इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में यह एक नियम लागू कर दें, किसी के पक्षपात की जरूरत नहीं, जो सड़क 1994 में बनी है उसका नम्बर पहले लेंगे, या अब 2010 में बनी हुई सड़कों को भी वापस पेवर कर देंगे। मेरा निवेदन है कि ऐसी सड़कें, जो मेरे क्षेत्र में करीबन 38 हैं, उन 38 सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि उन पर चल नहीं सकते। मेरे को गांव में जाने से पहले भी, गांव में जाता हूं तो लोग पूछते हैं, केसारामजी, किधर से आये, कौनसे रास्ते से आये, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई? मैंने कहा कि गाड़ी खराब हो, तो भी आपके पास तो पहुंचना पड़ता है।

ऐसी सड़कों की दुर्दशा अगर किसी ने की है, तो इस कांग्रेस सरकार ने की है। इन्होंने पांच साल के पीरियड में मात्र 25 किलोमीटर सड़कें पेवर की थीं। वे 25 किलोमीटर आज की तारीख में, वह भी 1998 से लेकर 2002 की 25.6 किलोमीटर सड़कें इन्होंने बनाईं और आज दिन तक इन्होंने कभी मरम्मत करने का काम नहीं किया। इसलिए मेरे क्षेत्र की पूरी सड़कें खराब हैं।

मैं निवेदन करता हूं, मेरी एक ही मांग है कि आप इन सड़कों को पहले ठीक करें, जो बिलकुल चलने लायक नहीं रह गयीं; नान-पैचेबल सड़कें हैं। ऐसी सड़कों को ठीक करने की मांग करता हूं।

इसके साथ ही आपको निवेदन करता हूं कि आपने स्टेट हाइवे

(श्री केसाराम चौधरी)

मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर से जोजावर और जोजावर से काली घाटी चौराहे से करमाल चौराहे तक, इस सड़क की घोषणा, बजट में 200 करोड़ की घोषणा इस स्टेट हाई-वे के लिए की थी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इस स्टेट हाई-वे पर, अहुआ से लेकर मकुनपुरा तक, यह सड़क कांग्रेस राज में इनके चेहते ठेकेदार छगनीराम गहलोत के द्वारा बनाई गई और मात्र तीन महीने में बिलकुल कंकड़ क्या, सड़क नाम की चीज ही नहीं रही। उसने कहा था कि मैं पेमेण्ट ले लूंगा, एस.ई. तक को कहा, और वास्तव में पेमेण्ट ले लिया। इस तरह से जो सड़क बनी है, अब वह वहां पर चलने के लायक नहीं है और स्टेट हाइवे कहलाता है! हमें शर्म आती है उस पर जाने में। इसलिए निवेदन करता हूं कि स्टेट हाइवे जो 61 नम्बर है, उसको ठीक करें।

62 नम्बर, सिरियारी-पिण्डवाड़ा रोड जो है, उस पिण्डवाड़ा रोड को जल्दी से जल्दी, माननीय मंत्री महोदय पुष्पेन्द्र सिंहजी और मेरै, दोनों के सीर खाते में है, इस सड़क को अगर कर दिया जाता है, तो सिरोही घाटा भी बीच में नहीं पड़ेगा और पाली से जिन ट्रकों को सीधा अहमदाबाद जाना है, या आबू रोड जाना है, तो उनके लिए भी सीधा रास्ता होगा। इस बाई-पास की घोषणा भी बजट में की थी, डेढ़ सौ करोड़ रुपये की। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बाई-पास का भी निर्माण करवाया जाये।

स्टेट हाइवे नम्बर 58 जो सोजत रोड से लेकर बबाण और शंकरसिंहजी के एरिये को मिलाता है, उस रोड में वन विभाग की जो अड़चन आती है, उसकी वजह से सड़क बिलकुल खतम हो गयी है। इसलिए सोजत रोड से बबाण तक, यह सड़क भी स्टेट हाइवे में है, इसकी भी स्वीकृति दिलाने की मेहरबानी करें।

मेरे क्षेत्र में सड़कों की इतनी दुर्दशा है, जिसका मैं इस सदन में वर्णन भी नहीं कर सकता। ऐसी दुर्दशा हो रही है। इसको ठीक करने के लिए मैं मांग करता हूं। मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बजट, मेरा दूसरा बजट सब कैंसिल कर दो, मगर इन सड़कों के लिए बजट दे दो, ताकि मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

यही निवेदन करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेमारामजी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं सम्माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बिलकुल समय सीमा में रहकर बोल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि बाकी भी सब इसका अनुसरण करेंगे।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 19 व 21, सड़क और पुल के ऊपर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं विशेष तौर से माननीया वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी को और हमारे मंत्री महोदय युनुस खानजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी एक बहुत पुरानी मांग, जो बरसों से चली आ रही थी, सीकर-नोखा स्टेट हाइवे रोड वाया बीदासर-छापर, जो बहुत बुरी हालत में थी, आपने उसकी स्वीकृति दिलाई। अभी तक वह कार्य चालू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह रोड है, एस.एच. 20/78500-80/90/85700/105/0, सात मीटर चौड़ी रोड, जिसमें यह 3.350 किलोमीटर सी.सी. सड़क भी उसके साथ में बनने जा रही है, इसकी कुल लागत 4,098.78 लाख स्वीकृत की है। दूसरा, आपने छापर से गंगानगर रोड जो 6/700, जिसकी कुल लागत 1,210.96 लाख रुपये है। कुल मिला करके 5,308 करोड़ रुपये की यह जो रोड की आपने स्वीकृति दी है, यह दो विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ और सुजानगढ़ को क्रोस करते हुए, नोखा रोड की तरफ जाती है। उस रोड के कारण से, काफी बरसों से यह रोड बनी थी, उस टाइम से ही इसकी शिकायत चालू हो गई थी। उस रोड के बनने में तखमीने के अन्दर कई तरह की खामियां रख दी गयीं। उस कारण से यह जो रोड बनी थी, वह इतनी जल्दी टूट गई। क्योंकि वहां माइन्स के बहुत ज्यादा ट्रक वगैरह का आना-जाना होता है, उस कारण से इस रोड को जिस ढंग से बनाना चाहिये था, उस तखमीने के कारण से यह रोड बहुत जल्दी टूट गयी। उस ठेकेदार का पेमेण्ट भी आज तक उसका अटका हुआ है। वह उन अधिकारियों के, तकनीकी अधिकारियों और उनके बीच के कई कारणों से यह रोड खराब हो गई। मैं यह चाहूंगा कि इस रोड की पूरी जांच कराई जाये कि किस कारण से यह रोड कमजोर हुई और इतनी जल्दी टूट गई, तो उसके क्या कारण रहे? विशेष तौर से मैं इस रोड का आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वर्क आर्डर दिलवा करके इस कार्य को प्रारम्भ किया जाये।

(श्री खेमाराम)

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब सुजानगढ़ पधारी थीं, उनके साथ ही माननीय मंत्री महोदय आप भी सुजानगढ़ पधारे थे। आपने होलीधौरा के अन्दर मस्जिद के सामने खड़े हो करके एक रोड की घोषणा की थी; ट्रोमा सेण्टर से एन.एच. 65 रोड वाया होलीधौरा होते हुए सड़क बनाने की घोषणा की थी। उक्त रोड का मैंने तखमीना बना करके आपकी सेवा में पेश कर दिया है। यह सड़क बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सुजानगढ़ के अन्दर जो ट्रोमा सेण्टर बना हुआ है, वहां अगर नेशनल हाइवे पर कोई एक्सिडेंट हो जाता है, तो वहां पर पहुंचने के लिए उनको बाजार के बीच से आना पड़ता है। उसके कारण से वहां जो घटना घटती है, वह मरीज वहां टाइम से नहीं पहुंच पाता है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसलिए विशेष तौर से इस रोड को इतना आवश्यक इसलिए समझें कि यह ट्रोमा सेण्टर को क्रोस करती है और बहुत ही आवश्यक रोड है। बीच में नगरपालिका की रोड जरूर उसमें बनी हुई है, लेकिन बाकी रोड उसमें खाली है। उस रोड को आप एन.एच. 65 से जोड़ने की मेहरबानी करें, तो हमारे सुजानगढ़-वासियों को बहुत फायदा मिलेगा।

दूसरा, आपने बीदासर के अन्दर तहसील भवन, उप खण्ड कार्यालय भवन, थाने का भवन बनाने के लिए जो स्वीकृति दी हैं, काफी कार्य उनमें चालू भी हो गया है, लेकिन बजट के अभाव में दो कामों को वापस बंद करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप शीघ्र, जो काम स्वीकृत हैं उनमें बजट के कोई अभाव के कारण से ठेकेदार धीमी गति से कार्य कर रहा है, तो आप बजट की व्यवस्था कराकर शीघ्र से शीघ्र कार्य कराने की कृपा करें।

दूसरा यह है कि बीदासर से डूंगरगढ़ रोड की हालत बहुत खराब है। यह बीदासर से डूंगरगढ़ की तरफ चलते हैं, तो यह रोड इतनी खराब है दस किलोमीटर तक तो, कि वहां गाड़ी चल नहीं सकती। वह यह कह रहे हैं कि इस रोड को ठीक कराने के लिए, यह पहले ग्रिट में आती थी, अब यह उनको दे दी गई है। तो मैं चाहूंगा कि उस रोड की अतिशीघ्र आप मरम्मत भी करा दें एक बार तो, वहां डूंगरगढ़ जाने के लिए। हमारे लिए बहुत मुश्किल की रोड है। किशनारामजी यहां विराजमान हैं, ये भी कई बार सुजानगढ़ आते हैं, तो उस रोड के बारे में चर्चा करते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस रोड का अतिशीघ्र कार्य करवाएं।

(श्री खेमाराम)

दूसरा यह है कि हमारे यहां पर 382.44 किलोमीटर सड़कें डी.एल.पी. के अन्तर्गत आ गयी हैं। संवेदकों द्वारा मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है। मैंने उक्त कार्य के लिए कई बार आपसे भी निवेदन किया है, लेकिन अभी उन रोड्स की हालत बहुत खराब है। उन रोड्स को आप, वे गारंटी पीरियड में हैं और वह गारंटी, कइयों की तो गारंटी निकल भी गयी है। इन रोड्स की हालत बहुत खराब है। गारंटी पीरियड वालों को, ठेकेदारों के द्वारा उन कार्यों को पूर्ण करवाया जाए, अन्यथा विभाग अपने स्तर पर करवाकर इस कार्य में, जो रोड्स खराब हैं, उनको ठीक करवाने की मेहरबानी करें।

मैंने कटौती प्रस्ताव संख्या 28-टूटी सड़कों का नवीनीकरण करने की चर्चा के लिए आपसे निवेदन किया था; उत्तर आया था कि 25 सड़कों की कुल लागत, 127.25 किलोमीटर में से 13.60 किलोमीटर सड़क, जिनमें तीन सड़कें आर.आई.डी.एम. नान-पैचेबल योजना में स्वीकृत हो गयी हैं, जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है। शेष 113.65 किलोमीटर की जो 22 सड़कें हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। उनको भी आप, 3,778 लाख रुपये की आवश्यकता होगी; तो मैं चाहूंगा कि इन रोड्स की हालत को देखते हुए इसमें आप एक प्रायोरिटी तय करके अतिशीघ्र इन रोड्स की मरम्मत करवाने की कृपा करें।

मैंने इसी के साथ एक कटौती प्रस्ताव संख्या 122 में गारंटी पीरियड की सड़कों को रिपेयर करवाने हेतु, 290.15 किलोमीटर सड़कें गारंटी पीरियड में आ गयी थीं, उनकी मरम्मत करवाने के लिए भी आपसे निवेदन किया था। अभी उनमें से काफी रोड्स की मरम्मत नहीं हो पाई है। कृपया आप उनको शीघ्र करवाने की कृपा करें।

मेरा एक निवेदन और है कि सालासर जी बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है और वहां पर राजस्थान के कई बड़े-बड़े वी.आई.पी., बहुत ही बड़े-बड़े लोग वहां पर जाते हैं1 तो उनको वहां धर्मशाला में और अन्य जगह रुकना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक डाक बंगला अगर बना दिया जाए, तो आने वाले वी.आई.पी. को वहां पर रुकने की सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो क्या है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा वहां एक भवन बनाया हुआ था, वह टूट कर जर्जर हो गया, बिलकुल बेकार हो गया। तो मैं यह चाहूंगा कि वहां पर आप एक डाक बंगला बना दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। (व्यवधान) सर्किट हाउस बना दें, तो मेहरबानी और ज्यादा होगी आपकी, लेकिन डाक बंगला तो आप वहां पर तुरन्त ही बनवा दें।

(श्री खेमाराम)

हमारे सुजानगढ़ में सड़कों की हालत बहुत खराब है। उसको ध्यान में रखते हुए आप इनको शीघ्र से शीघ्र स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

इसके साथ ही, यह सुजानगढ़-गोपालपुरा-बीदासर सड़क है और ओ.डी.आर., 9 किलोमीटर की है; वह लगभग 420 लाख रुपये की लागत से उसका एस्टिमेट बना हुआ है। यह सड़क भी बहुत खराब पड़ी हुई है। अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी गोपालपुरा पधारी थीं, तो आपने उस रोड को रिपेयर तो जरूर करवाया है, लेकिन यह बीदासर तक यह रोड बहुत ही खराब है। उस रोड को भी आप अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें।

एक ईहारा से परावा वाया पारेवड़ा होते हुए रोड है, इसकी भी हालत बहुत खराब है। उस रोड पर कोई चल नहीं सकता। उस रोड को भी आप अतिशीघ्र करवाएं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बीदासर से मानपुरा, जो माइन्स की रोड है, उस रोड को भी आप करवाने की कृपा करें।

यह नातो-तालाब और यह जो सुबह-सुबह लोग घूमने के लिए वहां जाते हैं, उसकी साइड में भी रोड् जो टूटी हुई है, उस रोड को भी, अभी गारंटी पीरियड में है, उसको भी आप अतिशीघ ठीक करवाएं, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

गोपालपुरा सड़क, डूंगरास, आथूनां, उसके बीच में जो रोड बनी हुई है, उसकी भी बहुत खराब हालत है। आपके मूंदरा से भासेना, यह 2007 में बनी थी, अभी उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसको भी आप ठीक करवाएं।

सालासर से नौरंगसर वाया खारया-छोटा, उसके लिए आपने स्वीकृति तो जारी कर दी, लेकिन अभी उसका टेंडर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो वह भी बहुत खराब हालत है। उसको भी आप शीघ्र करवाने की कृपा करें।

मेरा निवेदन यह है कि आपने मेरे को 9 यह, आपने 3 मिसिंग लिंक रोड दी थीं उनके कार्य प्रारम्भ हो गये हैं, लेकिन गौरव पथ भी आपने जो 9 दिये थे, उनके कार्य भी हो गये, एक को छोड़कर; यह दुंगर गांव में अभी गौरव पथ का कार्य चालू नहीं हुआ है; मैं चाहूंगा कि उनके साथ-साथ जो उनमें नालियां बनने का काम है, नाला बनने का काम है, वह अधूरा है। उसके कारण से अभी ये आपके गौरव पथ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन गौरव पथ को जो आपने पिछले दिये हैं, बनकर तैयार हो गये हैं; उनकी नाली, वगैरह बनाकर, उनका भी अतिशीघ्र कार्य करवाएं।

(श्री खेमाराम)

इसके साथ-साथ, बोबासर प्याऊ से यह डूंगरास अगुना, हरासर होते हुए, एक रोड जाती है, उस रोड की हालत बहुत खराब है। ईहारा से परावा, पारेवड़ा मैंने बताया, उसकी भी बहुत ही हालत खराब है। यह कातर से अमरसर, यह छोटी-सी रोड है, पांच किलोमीटर के अन्दर-अन्दर, उसकी आपको दुबारा रि-कारपेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका भी एस्टिमेट बनाकर आपकी सेवा में पेश कर दिया है, अतिशीघ्र उसको भी आप करवाने की कृपा करें।

भीवसर से खोड़ा एक नई रोड का भी मैंने प्रस्ताव दिया है। उसको भी आप करवाने की कृपा करें।

एक नौरंगसर से लिंक रोड है, नौरंगसर से वाया खारिया बड़ा, यह भी बहुत ही आवश्यक रोड है। इसके लिए मैंने वैसे आपको अलग से लिखकर दे दिया है। मैं चाहूंगा कि इन रोड्स पर आप अतिशीघ्र कार्य करवाने की कृपा करें।

ऐसे ही हमारे नई रोड्स का, समय बहुत कम है, 26 रोड्स ऐसी हैं जो हमारे 125 किलोमीटर क्षेत्र में, बसे हुए विधान सभा क्षेत्र में, ये रोड्स बहुत ही आवश्यक रोड्स हैं। तो प्रायोरिटी से आप इन रोड्स को स्वीकृति दिलवाने की कृपा करें। मैं आपको यह कापी उपलब्ध करवा दूंगा।

इसके साथ-साथ, वहां जिस ढंग से आपके तालछापर है, यह तालछापर जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, काले हरिण के अभयारण्य के नाम से प्रसिद्ध है, वहां तक जाने के लिए रोड की बहुत ही हालत खराब है। तो मैं चाहूंगा कि उस रोड को भी आप इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ जब हम जयपुर से विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में जाते हैं, सीकर से नेसला होते हुए सालासर की तरफ जाते हैं, आपका गांव भी उसी रोड पर आता है, तो उस रोड की भी हालत बहुत ही खराब है। मैं चाहूंगा कि उस रोड को आप अतिशीघ्र करवाएं। आपके खुद का गांव उस रोड पर, माननीय मंत्री महोदय, आपका भी गांव लगता है। तो मैं चाहूंगा कि उस रोड को भी आप अतिशीघ्र ठीक करवाने की कृपा करें।

बाकी मैंने आपको जो रोड्स लिखकर दी हैं, उन पर कार्य करवाने की, अतिशीघ्र कार्य करवाने की कृपा करें।

हमारे कुछ स्कूलों का बजट आपको दिया हुआ है, उस बजट में

(श्री खेमाराम)

आपके विभाग द्वारा कार्य करवाये जा रहे हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं आने के कारण से वे कार्य अभी बंद पड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको भी जल्दी से जल्दी राशि रिलीज करके और अधूरे पड़े काम को शीघ्र ठीक करवाने का काम करें।

आपने समय दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

राज्य में सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार की एक सकारात्मक सोच रही है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक, नान-पैचेबल सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता रही है और प्रत्येक गांव के अन्दर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ का निर्माण हमारी सरकार की सराहनीय योजना रही है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगी कि हाल ही में एन.एच. 162, ब्यावर से लेकर पिंडवाड़ा का निर्माण कार्य करवाया गया है और एन.एच. 162 पर आने-जाने वाले गांव व शहरों की सर्विस रोड हैं, वहां के अंडर-ब्रिज हैं, वहां के फ्लाईओवर हैं, उनका कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। मैं आपको बताना चाह रही हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैं अवगत करवाना चाह रही हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर-बर से लेकर जाड़न तक 62 किलोमीटर का जो एरिया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से एन.एच. 162 गुजरता है, उसमें बर, मोहरा, बासिया, चंडावल, बिलाड़ा मोड, खोखरा, सोजत शहर, खारिया-सोडा, बागावास ग्राम की सर्विस लेन का कार्य आज भी अधूरा पड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी कि इस एन.एच. 162 के ऊपर, इसका निर्माण कार्य आज भी अधूरा होने के बावजूद, वहां पर टोल वसूली की जा रही है।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ओवर-ब्रिज और पुलिया का निर्माण, जहां पर हमें जरूरत है, माननीय उपाध्यक्ष

(श्रीमती संजना आगरी)

महोदय, मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि यह 2016 की आवश्यकता है, न कि 2025 को देखते हुए यह एजेंडा बनाया गया था। इसमें बांसिया, सांडिया और सोजत शहर, ये तीन जगह मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी हैं जो आज की तारीख में एक्सिडेंट जोन बन चुके हैं। बांसिया के अन्दर भी कई तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसमें लोग मौत के शिकार हो चुके हैं; सांडिया में रायपुर, सोजत, बगड़ी और सांडिया, चार रास्तों का यहां आवागमन है; और सोजत शहर की मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि सोजत शहर में बालाजी के मंदिर से विश्वकर्मा मंदिर, नीमली नाडी पर हम लोगों को वहां पर ओवरब्रिज या फ्लाईओवर की आवश्यकता है, विश्वकर्मा मंदिर से लेकर गंगा पैट्रोल पम्प तक।

माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि एक तरफ सोजत शहर बसा हुआ है और शहर के एन एच 162 के दूसरी तरफ जुडिशल कोर्ट बन रहा है, सारे समाजों के छात्रावास हैं वहां पर पी.एच.ई.डी. का वाटर फिल्टर प्लांट है, सारे सरकारी क्वार्टर्स जितने भी हैं वहां पर स्थापित हैं और उसके अलावा, कई सरकारी कालोनियों की आबादी वहां पर शहर के दूसरी ओर बसी हुई है। मैं, मंत्री महोदयजी, आपको बताना चाहूंगी कि 23 जुलाई, 2013 को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, भारत सरकार को हमने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिया और अंडरब्रिज बनाने की आवश्यकता है, तो उन्होंने अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र मुख्य अभियन्ता, सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि यह एक फ्लाईओवर विश्वकर्मा मंदिर से लेकर गंगा पैट्रोल पम्प तक अगर आप लोग इसको अनुमोदित कर सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसकी स्वीकृति हमें बहुत जल्द मिल जाएगी।

इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि एन एच 162 पर बर और जाडन के बीच में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो टोल आते हैं। यहां पर आपातकालीन वाहनों के लिए वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. की लाइनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गयी है, लेकिन वहां पर ओवरलोडेड ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे कई बार अग्निशमन वाहन और एम्बूलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को भी वहां पर वेटिंग में लगना पड़ता है, जिससे कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। इस अव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो टोल हैं। वहां पर जिला मुख्यालय पर जाने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, छात्र-छात्राओं को, क्योंकि जिला मुख्यालय के अन्दर ला कालेज भी है और महाविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रों को प्रतिदिन जाना पड़ता है और एन एच 162 के तहत वहां पर टोल की जो वसूली की जाती है, उन स्थानीय नागरिकों को अगर जिला मुख्यालय पर जाने के लिए यह टोल निःशुल्क किया जाएगा, या फिर मिनिमम रेट के आधार पर टोल की वसूली ली जाएगी, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री महोदयजी, आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि वाहन खरीददारी पर जब कोई भी आम व्यक्ति जाता है, तो उनसे रोड टैक्स भी लिया जाता है, वाहन टैक्स भी लिया जाता है, उसका इंश्योरेंस भी किया जाता है। उसके बावजूद भी एन एच 14 या स्टेट हाइवे पर जो वाहन गुजरते हैं, उन वाहनों से टोल की जो वसूली की जाती है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर कहीं न कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में जिले की एक मात्र एयर स्ट्रिप है और उस एयर स्ट्रिप के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बजट 2014-15 में दो करोड़ रुपये की लागत से उस एयर स्ट्रिप के सुदृढ़ीकरण और मरम्मत करवाने के लिए बजट की व्यवस्था कराई। उसका कार्य प्रगति पर है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर एयर स्ट्रिप भी है, एन एच 162 से सटा हुआ हमारा यह डाक बंगला जो बना हुआ है, यहां पर विश्राम गृह के अन्दर प्रबुद्ध नागरिकों का आना-जाना आये दिन लगा रहता है। तो सोजत डाक बंगले के अन्दर हमें दो हाल की अगर आप व्यवस्था करवा देंगे, तो यह निश्चित तौर पर आने-जाने वालों के लिए सुविधा हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जाडन से सुरायता, जाडन एन एच 162 पर स्थित है और जाडन से निकलता हुआ मेरे ग्राम पंचायत का सुरायता ग्राम आता है, जो

(श्रीमती संजना आगरी)

10 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 किलोमीटर वहां का जो रास्ता है, वह ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना से आलरैडी, पहले से जुड़ चुका है; मैं, मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह जाडन, जो सुरायता ग्राम पंचायत का 10 किलोमीटर का रास्ता अगर किसी योजना में लेकर इसको जोड़ दिया जाए, तो वहां से 8 से 10 गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय और तहसील हैडक्वार्टर पर जाने के लिए सुविधा रहेगी।

इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोजत तहसील के हरियामाली ग्राम पंचायत मुख्यालय से गुडांगरी तक का रास्ता है, इस पर डामरीकरण की आवश्यकता है। यह मारवाड़ जंक्शन और सोजत विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए पारस्परिक आवागमन की सुविधा हो जाएगी, इसको भी बनाने की आवश्यकता है।

एक रास्ता गुडाकलां सरूपा ग्राम है, गुडाकलां ग्राम पंचायत से लेकर गाफा मोड तक, अगर यह 6 किलोमीटर का रास्ता डामरीकृत हो जाता है, तो सोजत और भीम विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों का आना-जाना बहुत ही आसान हो जाएगा।

इसके साथ ही, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खारिया से जैतीवास, जो मात्र तीन किलोमीटर का रास्ता है, यह अगर डामरीकरण से जोड़ा जाय, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र और सोजत विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए आवागमन की सुविधा हो जाएगी। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदयजी को अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुशालपुरा ग्राम पंचायत है जो दस हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत है। वहां कुशालपुरा से लेकर रामपुरा के बीच में लूणी नदी का आवागमन रहता है। कुशालपुरा और रामपुरा के बीच में लूणी नदी पर, जहां बीच रास्ते में आज भी हमारे पास में किसी तरह के पुल का निर्माण वहां पर नहीं करवाया गया है, इसको आप बिलकुल प्रायोरिटी से लेकर इस ब्रिज को बनवाएंगे, तो यह हमारे लिए सुविधा हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ हरियामाली और सारंगवास के बीच में दो नदियों का

(श्रीमती संजना आगरी)

आवागमन है। इसमें भी आप उस रपट के ऊपर, अंडरपाइप लगाकर यह रपट बनाएंगे, तो नागरिकों को सुविधा रहेगी।

सोजत रोड से दादिया के बीच में, दादिया से सारंगवास, इसके बीच में एक नदी का आवागमन है। वहां पर बारिश के दिनों में काई जम जाने से सारे के सारे वाहन, यहां तक कि फोर-व्हिलर वाहन भी रपटकर वहां नदी के अन्दर चले जाते हैं। इसमें भी अंडरग्राउंड पाइप लगाकर इस रपट का निर्माण करवाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोर लेन का जो निर्माण हुआ है, इससे जगह-जगह पर आमजन की सुविधा को देखते हुए फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण करवाया गया है। माननीय परिवहन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बाई-पास रास्ते जगह-जगह पर निकलने के कारण हमारे रायपुर, जो पूर्व में विधान सभा क्षेत्र रहा है, बहुत ही बड़ा बस स्टाप है, उस बस स्टैण्ड पर राजस्थान रोडवेज डिपो के ऊपर सरकारी, जितनी भी निगम की, रोडवेज की बसेज हैं, उनका ठहराव नहीं होने से नागरिकों को आने-जाने की परेशानी होती है। इसके साथ ही, सोजत शहर बस स्टाप के ऊपर भी फ्लाईओवर होने से, सरकारी वाहन शहर के अन्दर नहीं आने से, नागरिकों को परेशानी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक मिनट और लूंगी। आपके माध्यम से मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जोधपुर राजोला से दांगड़वास, चाड़वास, रूपावास से सोजत जो स्टेट हाइवे पूर्व में स्वीकृत है, आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि सदन के अन्दर मैंने एक बार नहीं, बार-बार इस विषय को सदन के पटल पर रखा है; मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में यह रास्ता पी पी पी मोड के स्टेट हाइवे, जो स्वीकृत हुआ था, उसके रास्ते चौड़े किये थे, उसकी वजह से यह काम आज भी अधूरा पड़ा है। इस रास्ते के अन्दर दुर्घटना में कई लोग मौत के शिकार भी हो चुके हैं। सोजत विधान सभा क्षेत्र की इस गम्भीर समस्या को, ज्वलन्त समस्या को, आप ध्यान में रखते हुए बजट संशोधन में आने वाले समय के अन्दर यह स्टेट हाइवे की आप स्वीकृति करायें।

इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि यह स्टेट हाइवे सोजत शहर होते हुए,

(श्रीमती संजना आगरी)

बिलकुल एस डी ओ कोर्ट और उपखण्ड कार्यालय के आगे होते हुए, यह आगे की ओर जा रहा है। तो इसको सोजत शहर से अन्दर से नहीं होकर, बाई-पास की भी इसकी जरूरत रहेगी।

यह उम्मीद करती हूं मैं, माननीय पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब के आज के बजट संशोधन के अन्दर, जब आप रिप्लाई दें डिमांड के ऊपर, तो मुझे पूरी आशा ही नहीं, आपके ऊपर भरोसा है कि सोजत की जनता के हित में आप कुछ न कुछ घोषणा करवाएंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पेश किया गया, उसमें सबसे ज्यादा राशि आबंटन पी.डब्ल्यू.डी. को हुई है। इससे यह आभास होता है कि हमारे जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हैं, मंत्रिमण्डल में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि पिछले बजट में सबसे ज्यादा राशि चिकित्सा विभाग को आबंटित हुई थी। इस साल सबसे नीचे पायदान पर उनका आबंटन है। इनका फर्स्ट पायदान है। मैं इसकी बधाई दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बार-बार हमारे माननीय साथी कह रहे थे कि पांच साल में कांग्रेस ने सड़कों का बहुत नुकसान किया, जैसे हमने कोई छैनी-हथौड़ा लेकर पांच साल में इन सड़कों को तोड़ना शुरू किया। मतलब, इस तरह का एक आभास यह कह रहे थे। जब 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ, केवल मात्र 794 किलोमीटर ही डामर सड़क थी और आज कम से कम हर गांव में सड़क पहुंची है। मेरा यह मानना है कि इसमें कांग्रेस का बहुत सहयोग रहा है। आज 33 में से 15 जिले सीधे जयपुर मुख्यालय से जुड़े हुए हैं; बाकी जो तहसील मुख्यालय हैं वे भी पूरे नहीं जुड़े हुए हैं, पंचायत समिति ब्लाक भी पूरे नहीं जुड़े हुए हैं।

(14.52 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

जो तीन-चार तरह की डामर सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, चाहे राज्य उच्चमार्ग हैं, चाहे मुख्य जिला सड़कें हैं, चाहे अन्य जिला सड़कें हैं, चाहे ग्रामीण सड़कें हैं; माननीय सभापति महोदय, एक मौसमी सड़कों के नाम से और इस

(श्री सुखराम विश्नोई)

प्रतिवेदन में डाला है। मेरे यह बात समझ में नहीं आयी, माननीय मंत्रीजी, मौसमी सड़कें कौनसी होती हैं? और वे भी करीब 31-सौ, 32-सौ किलोमीटर दर्शायी गयी हैं। मेरे उस पश्चिम राजस्थान में इस तरह की कोई सड़कें नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. में अभी तक वह ही परम्परा चल रही है, अपनी-अपनी सभी रेटें फिक्स कर रखी हैं। चाहे वहां का बाबू है, चाहे ए.ईएन. है, चाहे चीफ है, सब तक कमीशन पहुंचता है। हम इसी व्यवस्था में रहते हैं। जब लोग बात करते हैं, तो एक आफिस में बाबू है उसका भी एक परसेंटे तय है, जो अकाउंटेंट है उसका भी परसेंटेज तय है, ए.ईएन. का भी तय है, एक्स.ईएन. का भी तय है। जब पैकेज के रूप में पी.एम.जी. एस.वाई. की रोड यहां जयपुर से स्वीकृत होती है, उसका वर्क आर्डर तब मिलता है जब दो परसेंट, तीन परसेंट यहां के बैठे हुए अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है। तभी जाकर पी.एम.जी.एस.वाई. में उसका वर्क आर्डर मिलता है, बाकी मिल नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अगर यह मेरी बात असत्य हो, आप इस बात को प्रूव कर दो कि पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी. में कमीशन नहीं लेते हैं, तो मैं इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं; वरना आप मेरे साथ आइये, आप इस्तीफा दीजिए, कि मेरे डिपार्टमेंट के अन्दर किसी तरह का कमीशन नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सदस्य, ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको तकलीफ हुई क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आप ठेकेदारी करते थे क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं कुछ नहीं करता। मैं तो वकील था।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): इतनी गहरी जानकारी है आपको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, जानकारी है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): ऐसी जानकारी जो आप बता रहे हो, तो ठेकेदारी करते थे क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आओ, मेरे सामने आओ, इस बात को लेकर के।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने दिये हैं क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरी बात सुनो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने दिये हैं क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इस तरह अगर मेरी बात गलत हो...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपने दिये हैं क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपका राज था, तब आप कहां गये थे?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): राज की बात क्यों करते हों आप?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): नहीं, आपका राज था, तब कहां गये थे? तब भी पार्टी के आदमी तो थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): राज की बात ...(व्यवधान) हां, बताना नहीं चाहा, आपको जानकारी है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि नवीनीकरण के नाम से जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं, दो साल में स्वीकृत हुई हैं, विधान सभा क्षेत्र के हिसाब से पूरे प्रदेश में कहीं पांच किलोमीटर हुई, कहीं दस किलोमीटर हुई है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर सड़कों के ये हालात हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में अकेले में दो सौ-ढाई सौ किलोमीटर ऐसी रोड हैं जो नान-पैचेबल हैं, आज की तारीख में आदमी उनमें चल नहीं सकता, ऐसे हालात बने हुए हैं ढाई सौ किलोमीटर में। उस ढाई सौ किलोमीटर में से आठ किलोमीटर गत साल दी गयीं, चार किलोमीटर पिछली साल दी गयीं, केवल मात्र दस-बारह किलोमीटर दी गयी हैं और इस तरह से यह कहा जा रहा है कि हमने नवीनीकरण के नाम से बहुत सारा पैसा सरकार का लगाया है।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि जब तीन-चार तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है एक एक्स.ईएन. डवलपमेंट की तरफ से हो रहा है। इसमें जोधपुर डिविजन है, कोटा डिविजन है, भरतपुर है, इनको लिया गया है। एक, विश्व बैंक कमीशन है, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर, इनकी तरफ से लिया गया। 'जायका' के ऋण से, लेकर के उनकी तरफ से भी 50

(श्री सुखराम विश्नोई)

परसेंट की भागीदारी से सड़कें बन रही हैं। बी.ओ.टी. की रोड भी बन रही हैं; पी.पी.पी. मोड पर रोड बन रही हैं।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि जब पहला बजट पेश किया गया, तो स्पष्ट कहा गया था कि 20 हजार किलोमीटर सड़कें हम पी.पी.पी. मोड पर बनायेंगे। आज की तारीख में यह जो बजट पेश किया गया है, इस पूरे बजट में सड़कों के ऊपर कहा जाए, तो जितने भी पाइंट दिये गये हैं उनमें से पी.पी.पी. मोड पूरा ही गायब है; कहीं भी पी.पी.पी. का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिन ठेकेदारों से इन्होंने बात की, माननीय मंत्री महोदयजी ने कई बार मीटिंगों में भी घोषणा की थी कि पहले फेज के अन्दर एक हजार किलोमीटर के आसपास हम पी.पी.पी. मोड पर रोड बनायेंगे और जो वायबल रोड पायी गयी हैं उनको हमने परमिशन के लिए भारत सरकार को भेजा, परन्तु उन रोड पर आज दिन तक पी.पी.पी. मोड पर एक भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मिसिंग लिंक का सवाल है, मिसिंग लिंक की चर्चाएं बहुत चलती है, मेरे से भी मिसिंग लिंक के प्रस्ताव मांगे गये। मैंने चार प्रस्ताव दिये, चार में से मेरे दो प्रस्ताव मन्जूर किये गये और दो प्रस्ताव दूसरी तरफ से मन्जूर किये गये। माननीय मंत्री महोदयजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अर्जुन सिंह के खेत तक की तीन-चार किलोमीटर रोड मिसिंग लिंक में दी गयी। मैं आज यहां दावे के साथ कहता हूं, यह जो रोड दी गयी दो-तीन किलोमीटर मिसिंग लिंक की, जहां यह रोड जाकर समाप्त होती है, उस रोड के किनारे पर कोई एक भी ढाणी आज की तारीख में नहीं है। केवल मात्र अपने कार्यकर्ता का वहां खेत आया हुआ है, उस खेत को जाने के लिए तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर की रोड दे दी। एक भी ढाणी नहीं है, इस अर्जुन सिंह की ढाणी की जो रोड मन्जूर की, मंत्रीजी, इस रोड की जांच करा लो। इस जांच में अगर वहां दो भी ढाणी पायी जाएं, तो मुझे दंड देना। एक भी ढाणी वहां नहीं है। आप या तो रोड के जो पैसे मन्जूर किये हैं, जो काम अभी चालू किया उस काम की भरपाई आप अपने फंड में से करें, आप घर की राशि में से करें। यह सरकार का पैसा है। यह कोई खैरात नहीं है कि अपने कार्यकर्ता को बांटी जाए। जहां ढाणी नहीं है, जहां कोई हैबिटेशन नहीं है, उस जगह आप मिसिंग लिंक की रोड देने जा रहे हो और जहां हमने मांग की है, जहां लोगों

(श्री सुखराम विश्नोई)

की जरूरत है, उसको आपने अवाइड करके, केवल मात्र अर्जुन सिंह की ढाणी के नाम से आपने जो रोड मन्जूर की है, वहां कोई उसकी जरूरत नहीं है, कोई ढाणी आयी नहीं है। केवल मात्र खुश करने के लिए दी।

मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने चार पुल मन्जूर किये और एक सड़क मन्जूर की; चार पुल और एक सड़क का वर्क आर्डर दे दिया; ठेकेदार काम चालू करने वाले थे, इतने में सत्ता बदल गयी और वे चारों पुलिया और वह सड़क, माननीय सभापति महोदयजी, मंत्री महोदयजी ने निरस्त कर दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि वे जो चार पुलिया और सड़क थे, वहां कोई कांग्रेस के लोग तो नहीं बसते थे; सभी समाज के लोग थे, सभी पार्टी के लोग थे। केवल, केवल मात्र, इसलिए खारिज कर दिये कि कांग्रेस सरकार में मन्जूर हुआ था। मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था, कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए जब पैसे आयेंगे तब मैं इस काम को मन्जूर करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर का पानी चलता है, लूणी नदी चलती है और ये चार पुल इस हिसाब से दिये गये थे कि उन गांवों के बच्चे आगे सेकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकें। इस बात को ध्यान में रखकर के चार पुल स्वीकृत किये गये थे चार-पांच करोड़ के और वह केवल मात्र आज यह स्थिति बनी हुई है कि लोग पानी में घर की नाव बना करके पार करते हैं। कभी भी हादसा हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन है कि हमने भी, हमारी सरकार ने भी मिसिंग लिंक के काम दिये थे, धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए काम दिया था, परन्तु इस बजट के अन्दर एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है

(15.00 बजे)

कि धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कें दी जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिलकुल पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गयी है। पक्षपात खुद अपने आप बोल रहा है। हमारे साथ पक्षपात करें, इसमें तो आपका कहना ही क्या है। खुद आपके सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उनको न तो बोलने की आजादी है। आज सांगानेर से

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सदस्य आते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, विद्वान हैं, परन्तु उनको बजट पर बोलने की आजादी नहीं है। उन्होंने अपना भाषण टेबल किया है। मैं वाजिब बात कर रहा हूं। उन्होंने अपना भाषण टेबल किया है। एक विद्वान आदमी हैं और +++ तो हम यह आशा कब रखें?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप क्या बोल रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप नींद लो, नींद। आप नींद लो, कालू लालजी। आप नींद लो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप कैसे बोल रहे हों? अपनी मर्जी से बोल रहे हों?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप नींद लो। हां, घनश्यामजी, बोलो न।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बिलकुल गलत बात कही है। इसको एक्सपंज किया जाये कि +++ यह किसने कहा कि +++

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह कौनसी गलत बात कही है? +++

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): किसने कहा कि +++ किसने कहा आपको? आपके पास कौन आया शिकायत लेकर के ...(व्यवधान) आपकी मर्जी से ही बोल रहे हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): +++ (व्यवधान) आप तो नींद लो। नींद लो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उनको किसी ने नहीं रोका। (व्यवधान) वे हर बार बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं उनको मौका दिया जाये। (व्यवधान) उन्होंने खुद ने आगे होकर के कहा कि जो नहीं बोल रहे हैं, उनको मौका दो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): खुद ने नहीं कहा। उनकी आत्मा क्या कहती है ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको पता ही नहीं है। आप मर्जी आये, जो बोल रहे हो। (व्यवधान) आप बैठिये। फालतू की बातें मत बोलिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप बन गये मंत्री? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप ऐसा है, बजट पर बोलिये। (व्यवधान) यह सदन का समय जाया कर रहे हों आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मंत्री बना दिया सोते-सोते। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इतना महत्वपूर्ण समय है और आप फालतू की बातें करके समय खराब कर रहे हों।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह अपने-अपने दल की बोलने की व्यवस्था है। आप इसमें क्यों इंटरवीन कर रहे हों? आप अपनी मांग करो न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: यह अपने-अपने दल की व्यवस्था है, किसको बोलने देना है, कि नहीं देना है। यह आपका विषय ही नहीं है। आप अपनी बात करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, हमारे पुल काटे हैं...

श्री सभापति: +++ वह अंकित नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपके नेता, पूर्व मुख्य मंत्री गहलोतजी यह कहते हुए घूम रहे हैं कि मुख्य मंत्री का तय नहीं हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप भी जे एन यू में पढ़े हों क्या?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपके यहां क्या चल रहा है? (व्यवधान) आपके यहां क्यों हाथ उठाये जा रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सुखरामजी, आप भी जे एन यू में पढ़े हुए हो क्या? जो आपको आजादी चाहिए। (व्यवधान) आपको आजादी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके अशोकजी गहलोत क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप बोल तो रहे हों ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप क्या कह रहे हों, यह तो देखो। कौन बन रहा है मुख्य मंत्री? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सही बात कड़वी लगती है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप भी जे एन यू में पढ़े हो क्या? आपको आजादी चाहिए। बोल तो रहे हों आजादी से। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लंकेश, कुछ नहीं मिलने वाला। विराजो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आजादी से बोल रहे हों। जे एन यू में पढ़े हों क्या? आप भी कन्हैया के साथी हों क्या? (व्यवधान) जे एन यू में पढ़े हों? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आजादी से बोल रहे हों ...(व्यवधान) फिर भी कह रहे हों आजादी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप भैरोंसिंहजी की बात कर रहे हों ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात जल्दी खतम कर दें। आपका समय खतम हो जायेगा अभी। (व्यवधान) आपका समय खतम हो जायेगा अभी।

श्री हीरालाल (निवाई): एक ही बात बोलते हैं ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय भैरोंसिंहजी की बात कर रहे हो कि भैरोंसिंहजी ने मार्गदर्शन दिया, प्रदेश को आगे बढ़ाया। माननीय सभापति महोदय, कहां गये भैरोंसिंहजी के वारिस? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): अब आपके तो वंशवाद है। एक परिवार के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बेटे को तो चपरासी बना रहे हों और मेरे से बात कर रहे हों। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): सुखरामजी, आप बोल ही नहीं सकते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चपरासी बनाओ बेटे को पहले। (व्यवधान) बेटे को चपरासी बना दो, फिर बात करो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): हमारे यहां तो प्रजातंत्र है, सब बोल सकते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि भैरोंसिंहजी की वाह-वाह कर रहे हैं, वाह-वाह करने काबिल भैरोंसिंहजी थे। कई माननीय सदस्य विराजमान हैं, भैरोंसिंहजी के आश्रय पर आज मंत्री बने हुए हैं,

(श्री सुखराम विश्नोई)

भैरोंसिंहजी के आश्रय पर विधायक बने हुए हैं। नाम भैरोंसिंहजी का लेते हैं, भैरोंसिंहजी के एक ही वारिस, जो हमारे माननीय विधायक हैं, इस पूरे सत्र में गैरहाजिर हैं। वे इसलिए गैर-हाजिर हैं कि ...(व्यवधान) उनको विश्वास नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कहां जा रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सत्ता पर से भरोसा उठ गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कहां भटक रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे यहां जो पुलिया काटी हैं, उसकी बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): परिवार के बारे में बोल रहे हैं ...(व्यवधान) न आपको कोई अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बी जे पी के राज में बोलने की अनुमति नहीं है ...(व्यवधान) बी जे पी के अन्दर सुनने की आजादी नहीं है ...(व्यवधान) तब भी इस तरह की बातें करते हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके परिवार में आप क्या करते हो? आपने लड़के को कहां पहुंचाया ...(व्यवधान) आप यह तो जवाब दे दो। (व्यवधान) परसराम जी मदेरणा इतने बड़े नेता रहे हैं, आपने उनके परिवार को कहां डुबोया? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालूलालजी, नींद लो, नींद। (व्यवधान) छाछ पी लो; नींद लो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जेल में बंद किया और आप दूसरों की बातें कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नींद लो। मैं मेरी बात रखूंगा। (व्यवधान) हां, मैं रखूंगा मेरी बात।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी तरह जेल में तो नहीं डाला है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): उनकी माता-श्री की तबीयत खराब है। मैंने पूछा। (व्यवधान) बताया उन्होंने।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, आप महसूस कर रहे हों कि जब मैंने 2 बात सच्ची कही, तो कितना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वह आपका विषय नहीं है। (व्यवधान) विषय से हटकर बोले। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। सभापति महोदय, जहां तक पी एम जी एस वाई का सवाल है, ये सभी पी डब्ल्यू डी के अधिकारीगण बैठे हैं, पिछले 2 साल से जो पी एम जी एस वाई की रोडें बनी हैं, एक भी भुगतान पी एम जी एस वाई में उन संवेदकों को, ठेकेदारों को नहीं किया गया है।

इसके साथ-साथ, पहले कांग्रेस शासन में जो पी एम जी एस वाई में रोडें मंजूर हुई थीं, उनकी चौड़ाई 12 फीट थी, पहले तो 2 फीट चौड़ाई काट दी और उसके बाद में पटरी काट दी। उसके बाद में जो 250 से लगाकर 350 तक की आबादी की पी डी आर भेजी गयी थी मंजूरी के लिए, आज दिन तक पिछले 2 साल में एक भी पी एम जी एस वाई की रोड मंजूर नहीं है। अब सवा-2 साल, ढाई साल बीतने को आया है, लोगों का दबाव बना बी जे पी के ऊपर, तब जाकर के इस बजट में बात रखी गयी है कि 250 से 350 की आबादी को हम इसमें जोड़ेंगे।

सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर 24 सैम्पल सड़कों के लिये गये; माननीय मंत्री महोदय, 24 सैम्पल लिये गये; आप इस पी डब्ल्यू डी महकमे की मजाक तो देखिये कि सैम्पल फेल हुए, लेकिन उन एक्स.ईएन., अभियंताओं ने अपनी तरफ से लेबोरेटरी करवा दी, कह दिया कि ये सैम्पल फेल भले ही हों, लेकिन हम ये सैम्पल लाये पास कराके। कितनी अंधेर नगरी है चौपट राजा है। खुद ही एक्स.ईएन. हैं, ए.ईएन. हैं, वह अपना सैम्पल पास करवा रहा है। ये हालात पी डब्ल्यू डी के बने हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 24 सैम्पल फेल हुए, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? आपके अधिकारियों की हिम्मत तो देखो आप! जिस सरकार ने सड़कों की जांच करवायी, उसमें 24 सैम्पल फेल हुए और वे अपने-अपने सैम्पल लेकर घूम रहे हैं कि हमने लेबोरेटरी करवायी और ये सैम्पल पास हो गये। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करो, जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये गौरव पथ की बात कर रहे हैं, बड़ा ही सीना ठोककर बात कर रहे हैं कि गौरव पथ बनाये; मेरे गांव में, नैटिव प्लेस में गौरव पथ बना है, पहले वहां डामर रोड बनी हुई थी, उस डामर रोड के ऊपर गौरव पथ बना है। इसकी जांच करा ली जाये, मंत्रीजी जांच करा लो, केरिया गांव में पहले डामर रोड बनी हुई थी, उस डामर रोड के ऊपर आपने गौरव पथ बनाया। क्यों डामर रोड तोड़ी आपने? किसी दूसरे गांव में बनाते। वे जो गौरव पथ बने हैं, उस गौरव पथ में बाकी की तो मुझे जानकारी नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी गौरव पथ के पास में पटरी नहीं बनी। पास में खड्डा है; पानी भर रहा है; गाड़ियां अन्दर गिर रही हैं; कीचड़ पैदा हो रहा है; मच्छर पैदा हो रहे हैं। गौरव पथ की बात कर रहे हों।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं जानना चाहूंगा कि यह जो गौरव पथ की बात करते हैं, 2 किलोमीटर की घोषणा की थी, प्रत्येक पंचायत में 2-2 किलोमीटर लम्बा गौरव पथ बनायेंगे; जब धरातल पर गये, तो 500 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर से अधिक मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी गौरव पथ नहीं बना है। 500 मीटर बना है, 700 मीटर बना है और घोषणा 2 किलोमीटर की थी।

माननीय मंत्री महोदय, यह जो गौरव पथ के बारे में घोषणा की थी कि 9 हजार पंचायतों में गौरव पथ बनायेंगे, 30 परसेंट में बनायेंगे, 30 परसेंट अगले साल में बनायेंगे; गौरव पथ में जो घोषणाएं की गयी हैं, गौरव पथ में जो पंचायतें हैं उन पंचायतों में से 1,984 पंचायतों को जोड़ने का काम किया है, बाकी पंचायतों को हम जोड़ेंगे, परन्तु धरातल पर जो बात की जा रही है, उसकी पालना नहीं हो रही है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय, इनके गौरव पथ की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेसियों में किसी को भी गौरव पथ दो ही मत। ये कहते हैं कि हमको तो आवश्यकता नहीं है; खराब बनी हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): केसारामजी, विराजो, विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके दिन आने वाले हैं। यहां बैठोगे। आप क्यों करते हो?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप आकर के देखो। (व्यवधान) आपको मालूम ही नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्यों फालतू में चमचागीरी कर रहे हो? (व्यवधान) सभापति महोदय, केसारामजी को बहुत ज्यादा तकलीफ है ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप असत्य बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप जब बोलते हैं, तब मैं नहीं बोलता हूं। आपका सम्मान करते हैं। आपका यह बोलने का तरीका है? आप बीच में बोल रहे हैं। अबकी बार बोलना आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रायपुर से आने वाले, आप विराजो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये टोकाटोकी करते हैं। (व्यवधान) मैं स्पष्ट कहता हूं कि हम भी इनको नहीं बोलने देंगे। हम तो खुली बात कहते हैं। जब हम बोल रहे हैं, तो बीच में फालतू की बातें कर रहे हैं। हमारी बात को सुना जाय। ये तो केवल मात्र माला जप रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप यही तो कह रहे हैं कि गौरव पथ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो नहीं बनाएंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोल देना अबकी बार। पता लगेगा आपको कि कैसे बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ऐसे ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बोलने में कोई रोकेगा क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोलना अबकी बार।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): असत्य बात क्यों बोलते हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोलना अबकी बार। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं एक दोहा कहकर अपनी बात पूरी करता हूं ... (व्यवधान) सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीर को; हमने ठोकरें खाईं, हम चलना वापस सीखें हैं। परन्तु ये होश-हवास खो चुके हैं। बिलकुल, मतलब, आगे बिलकुल शान से चल रहे हैं। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि ढाई साल बचे हैं....। यहां आऊंगा आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है। जाओ गांव में, लोग क्या बातें करते हैं आपके प्रति। यहां अभी तन-तनकर बातें कर रहे हो। सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीर को; कोई रास्ता सदा दुश्वार हो, ऐसा नहीं होता। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरा तो करो इसको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पूरा सत्ता में आएंगे, तब पढ़ेंगे।

श्री सभापति: श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 24)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2016 को मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में हुई। समिति ने 22वें एवं 23वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 18 मार्च 2016 को सदन में लिये जाने वाले अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित समस्त कार्य, आज दिनांक 16 मार्च 2016 को निम्न प्रकार विचारार्थ लिया जाए तथा शेष कार्य कार्य सलाहकार समिति के 22वें एवं 23वें प्रतिवेदन के अनुसार सदन में यथावत विचारार्थ लिया जाए :-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

(1)	बुधवार, दिनांक 16 मार्च 2016	(1) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान; (2) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-16 (द्वितीय संकलन) पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण; एवं (3) अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) पहले...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आज ही तो ...(व्यवधान) आप तो विराजो न। मैंने अनुमति ली है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बाद में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह गलत परम्परा पड़ रही है, माननीय सभापति महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप गलत परम्परा डाल रहे हों। पहले इसके ऊपर वोट होने दो, उसके बाद करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजो न। आपने अपनी बात कह दी। मेरे को व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के प्रश्न पर जब दी है माननीय सभापति महोदय ने अनुमति, तो मैं उस पर बात करूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) इस पर सदन की सहमति लीजिये। पहले सदन की सहमति ली जाए। पहले सदन की सहमति होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार हो रहा है, मांगें इस तरह से गुपचुप में पास कराई जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमारा विपक्ष का बोलने का अधिकार है। आप हमारे बोलने का संरक्षण कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पहले मेरी बात सुनिए। आपका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस तरीके से आप गुपचुप में यह पैसा पास कराकर ले जा रहे हों; न बोलने का मौका दे रहे हों। यह ऐसे कैसे हो रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह नियम और परम्पराएं हैं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आपके दल के प्रतिनिधि मौजूद थे। उनकी सहमति से यह सब कुछ निर्णय लिया गया है। कार्य सलाहकार समिति के निर्णय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, नहीं। (व्यवधान) सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है। (व्यवधान) सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है। (व्यवधान) सदन में यह बात आई है, तो हम हमारा विरोध प्रकट करते हैं कि इस तरीके से गुपचुप में, सरकार इस तरीके से यह पारित नहीं करा सकती। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति और कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर व्यवस्था का प्रश्न है। यह न तो सदन की परम्परा है और न ही यह सदन में पहले कभी हुआ है। माननीय सभापति महोदय, पहली बार नहीं, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं; एक-दो बार नहीं, यह 2010, 2012, 2013, हमेशा अनुपूरक मांगें इसी प्रकार पारित होती रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि 'उदय' योजना के अन्तर्गत जो पैसा देना है, सरकार को बांड जारी करना है, बैंकों को पैसा देना है। इस कारण से, पहले इसका 17 तारीख को था और आज इसको प्रीपोन किया है, और इसमें सहमति प्राप्त की है प्रतिपक्ष की।

मैं समझता हूं, इसमें नई परम्परा करके और, माननीय सचेतक महोदय, इन प्रक्रिया नियमों को थोड़ा पढ़ लिया करें। (व्यवधान) नई बात क्यों प्रारम्भ कर रहे हैं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए आप वोट कराएं और वोट कराने से पहले, माननीय सभापति महोदय, अगर आपने जो वोट पर बात ले ली, तो अगर इनके पास बहुमत हो तो वोट में हराकर कर लें न। तो इसीलिए वोट के लिए रख दिया, अब आप वोट कराएं इस पर। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री सुशील कटारा।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21, लोक निर्माण, सड़कें एवं पुल पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सड़कें आधारभूत विकास की धमनियां मानी जाती हैं और राज्य को देश के स्तर पर, विश्व स्तर पर यदि आगे बढ़ाना हो, तो निश्चित रूप से हमारे यहां पर सड़कों का अच्छा जाल होगा, सड़कें अच्छी होंगी, स्टेट या नेशनल हाइवे से जुड़ी हुई होंगी, तो राज्य का निश्चित रूप से विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और उसमें 3.3 मिलियन किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नैटवर्क है सड़कों के मामले में। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान बहुत अग्रणी है, क्योंकि वर्तमान अनुमान के अनुसार देश में लगभग 65 प्रतिशत सड़कों पर माल ढोया जाता है और 87 प्रतिशत यात्रियों का यातायात होता है। सड़कों पर यातायात में प्रति वर्ष 7 से 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है और इन सड़कों पर जो वाहन तेज गति से दौड़ते हैं, उनकी संख्या प्रति वर्ष लगभग 12

(श्री सुशील कटारा)

प्रतिशत रहती है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग देश की जीवन रेखा हैं जो देश के सुदूरतम कोने तक, सुदूर सीमाओं तक जोड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा राजस्थान भी देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है और लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस राज्य में लगभग 6.85 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें 77 परसेंट के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे यहां पर राज्य की जो सभी सड़कें, मेटल सड़कें हों, ग्रेवल सड़कें हों, सब कुल मिलाकर 13,553 किलोमीटर के आसपास थीं और आज इतने वर्षों के बाद में काफी इसका परिवर्तन हुआ है, और काफी बेहतर हमारे यहां की सड़कें हैं। हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे इस विभाग के जुझारू मंत्री महोदय ने पिछले कार्यकाल में और इस बार के सवा दो साल के कार्यकाल में काफी मेहनत करके जो काफी लम्बे वर्षों से और पिछले कार्यकाल में सड़कों की जो हालत खराब थी, उसमें कहीं न कहीं सुधारने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से राजस्थान की सड़कें काफी सुदृढ़ हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कुछ लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ लोगों को बोलने का अधिकार है; काफी बातें कह रहे थे, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ बातें छेड़ीं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके खुद के पूर्व सांसद महोदय ने कहा इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए कि आप राहुल गांधी के पीछे...(व्यवधान) कहां की कहां बातें! मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बोलने का अधिकार नहीं दे रहे थे, ऐसा आप बोल रहे थे; आपके कई लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दे रहे थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सड़क पर बहस है क्या? माननीय सदस्य, यह आप वाली बहस है, यह सड़क पर आने की है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हों।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): सचेतक महोदय, आप तो सदन में नहीं थे, उस समय यह बात निकली थी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राहुल गांधी को सड़क पर लाने के लिए बोल रहे हैं ये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): आपके खुद के पूर्व सांसद महोदय बोल रहे थे कि माननीय सोनियाजी को उन्होंने पत्र लिखा है कि हम राहुल गांधी को मुन्ना भाई, मुन्ना भाई सुनकर थक चुके हैं; अब नेतृत्व को बदल दिया जाय। यह आपके पूर्व सांसद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपको क्यों डर लग रहा है?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): हमको तो कोई डर नहीं लग रहा है। हम तो यह चाहते हैं कि वही राहुल गांधी नेतृत्व करें, तो 10-20-50 साल तक आपका राज आने वाला नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, पिछली सरकार, 2003 से 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्री महोदय ने 5 साल के कार्यकाल में 9,204 गांवों को सड़कों से जोड़ा था। पहले कांग्रेस की सरकार रही, आपके 2008 से 2013 के कार्यकाल में मात्र 1,538 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। कहां वह 5 साल का कार्यकाल और कहां आपके 5 साल का कार्यकाल! कितना गांवों को जोड़ने का अंतर रहा है! इससे यह साफ दिखता है कि आपने कितना सड़कों के लिए विकास किया था।

माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2012-13 में 1,683.51 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, जिसमें 1,673.84 करोड़ रुपया इन्होंने व्यय किया। भारतीय जनता पार्टी के 2013-14 के शासन में हमारे माननीय मंत्री महोदय व माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 2,628.87 करोड़ का प्रावधान रखा और 2,565.84 करोड़ रुपया व्यय किया। कहां 1,683.51 करोड़ और कहां 2,628.87 करोड़। इस बार भी 4,808.26 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में रखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की हमारी सड़कें दुरुस्त होगी।

अभी गौरव पथ की बात कर रहे थे, हमारे कई कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि गौरव पथ हमारे यहां बने ही नहीं हैं, गौरव पथ टूटे हुए हैं, गौरव पथ में साइडों में मिट्टी नहीं डाली गयी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझे माननीय मंत्री महोदय ने 14 सड़कें दीं और पूरी 14 सड़कें बनकर तैयार हैं और उनका उद् घाटन भी हमने किया है। कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं है या

(श्री सुशील कटारा)

कोई भी साइड वाल उसकी खराब नहीं है। अबकी बार फिर माननीय मंत्री महोदय से 20-22 सड़कें मांगी हैं और उनका भी जल्दी काम शुरू होगा।

हमारे मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर बार हम माननीय प्रतिपक्ष के लोगों को भी सड़कें दे रहे हैं। वे सड़कें हमको मिली नहीं हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, बार-बार यह हर माननीय सदस्य के मुंह से निकलता है। मेरा भी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो 22-23 लोग हैं, उनको सड़कों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन सड़कों को हमारे सत्ता पक्ष के लोगों को दे दिया जाय और बाद वाले समय में आप कहना कि हमको सड़कें नहीं दीं...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमें नहीं दी जायं, यह बात ठीक है? यह फीजिबल है क्या?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अभी तक तो, माननीय सदस्य, दी जा रही हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने तो कभी नहीं सोचा। (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): अभी तक तो आप लोगों को सड़कें दी जा रही हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कहां दी हैं? पूछो राजेन्द्रजी से कि इनको बराबर दी हैं, या नहीं? (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): एक तरफ तो खा रहे हों और गुर्रा रहे हों ऊपर से। (व्यवधान) कोई भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं होगा राजस्थान का, जहां माननीय मंत्री महोदय ने गौरव पथ सड़क नहीं दी होंगी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कौन कहता है, सड़कें दी हैं?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): दी हैं। आपके विधान सभा क्षेत्र में भी, माननीय सदस्य, दी हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य की अनुशंसा पर कोई मिसिंग लिंक नहीं दी। मंत्री महोदय जवाब दे देंगे, अगर किसी को दी है तो।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): दी हैं सड़कें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप लोगों ने आपके रिश्तेदारों के लिए, खेतों के लिए, सड़क बनायी है; जनता के लिए नहीं बनायी।

श्री सभापति: आप बैठें। आप बैठें।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): यह काम आप लोगों ने किया था।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपके कार्यकर्ताओं के लिए किया था।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): यह काम पिछली सरकार में आप लोगों ने किया था। जनजाति क्षेत्र में आपके मंत्री और सांसदों ने उनके घर पर सड़कें बनायी थीं। आज भी जांच करवा ली जाय, तो उनके घरों पर सरकारी पैसा खर्च किया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गौरव पथ आबादी में बनता है, खेतों में बनता ही नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): खेतों में बनी हैं। हमारे पास प्रमाण हैं इस बात के।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह आपने बनवाया होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरे यहां पार्लियामेंट के मेम्बर हैं... (व्यवधान) उनके साले के लिए सड़क बनी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने दबाव डाला, इसलिए बनी होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप। टोकाटाकी नहीं करें बीच में आप। बोलने दो ना। क्या दिक्कत है?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम चरण में 1,984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1,027 करोड़ रुपये की लागत से 1,955 किलोमीटर सड़कें इस जून तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से तो सड़कें बन ही रही हैं, पर उस दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र में भी सी सी सड़कें आज गांवों में बनती हैं, तो लोग कहते हैं कि वास्तव में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री महोदय ने..., एक-डेढ़ किलोमीटर जो गांवों में सड़क बनती हैं, उसकी लम्बाई व मजबूती है, उसको देखकर लोग काफी तारीफ करते हैं।

मिसिंग लिंक की बात करें, 608 करोड़ की लागत से 2,182

(श्री सुशील कटारा)

किलोमीटर लम्बाई की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में जोड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना में, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे थे, करीब 40-50 सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृत की हैं। इससे कितने गांवों को लाभ मिलेगा; कितने लोगों को लाभ मिलेगा।

नान-पैचेबल की बात कर रहे थे, सड़कें टूट गई हैं; पिछले 5 सालों में आप लोगों ने बिलकुल खड्डों की पूर्ति नहीं की, इसलिए यह हालत हुई है। खड्डों को पूरा करने में थोड़ा-सा समय जरूर लग रहा है। फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने नान-पैचेबल सड़कों के लिए, 2,702 किलोमीटर लम्बाई की जो जिला मुख्यालय की सड़कें हैं, या उपखण्ड मुख्यालय की सड़कें हैं, उनके नवीनीकरण के लिए 605 करोड़ की लागत से इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में भी लगभग 600 करोड़ का प्रावधान माननीय मंत्री महोदय ने रखा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में काफी सड़कें बन रही हैं और इसकी गम्भीरता को लेने की आवश्यकता है। शहरीकरण व सड़क यातायात बढ़ने के कारण, सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे व इसके समाधान को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पर सड़कों पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। वर्ष 2011-12 का आंकड़ा है, पूरे देश में 4.97 लाख दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें 1.42 लाख से अधिक लोगों की जानें गई थीं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हमारी सरकारें काफी ध्यान भी दे रही हैं, उसमें कमी आ रही है, फिर भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत काम उन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में दिये हैं। लोक निर्माण के भी, टी ए डी के होस्टल हों, एकलव्य आवासीय स्कूल हों, वहां पर भी करोड़ों रुपये विकास के लिए आपने दिये हैं। उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पिछले 2-3 साल से हमेशा कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिखली है, जो आपको मुंह पर याद भी हो गया है.... (व्यवधान) जो दिया है, वह तो मैं बता ही रहा हूं; आप लोगों को आवश्यकता नहीं हो, तो मत मांगना, पर जो स्वीकृत की हैं, वह बता रहा हूं।

(श्री सुशील कटारा)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि माही अनास नदी पर सग्मेश्वर पुल का निर्माण करना आवश्यक है। उससे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों की सीमाएं वहां पर जुड़ती हैं और मात्र डेढ़ किलोमीटर से तीन स्टेट का जुड़ाव होता है। वहां मानगढ़ धाम जाने के लिए, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के लोगों की भावनाएं उस स्थान से जुड़ी हुई हैं। चिखली से मानगढ़ धाम 160 किलोमीटर पड़ता है, पर अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो मात्र डेढ़ किलोमीटर में माही अनास नदी को पार करके लोग आ-जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी को अच्छी तरह से ध्यान भी है और मेरा विनम्र निवेदन है कि निश्चित रूप से आप इस पुल की आज बात रखेंगे। पिछली बार भी आपने अपने बजट भाषण में कहा भी था, पर नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें काफी ठीक की हैं, पर फिर भी धरिहेटी से दाध धाम तक सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता है; कुवां से गढ़ा मेड़ितिया सड़क की आवश्यकता है; बछड़िया पीठ डूका सड़क से टकारी तक की सड़क की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, छोटी-मोटी इन सड़कों का या नान-पैचेबल सड़कों का तो निश्चित रूप से आप कर ही देंगे, पर चौरासी विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं और मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग 70 किलोमीटर रेडियस में पड़ता है। तो सीमलवाड़ा में एक डाक बंगला बन जाता, तो निश्चित रूप से जो वी आई पी लोग या अधिकारी आते हैं, तो उनको सुविधा मिलेगी। अभी उनको वन विभाग के जो छोटे से दो कमरे बने हुए हैं, उनको ठहराना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। इसलिए सीमलवाड़ा में एक डाक बंगले की आवश्यकता थी। तो उस ओर भी आपका ध्यान जाए, ऐसा आपसे निवेदन है।

अंत में मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, नान-पैचेबल, गौरव पथ सड़क में काफी आप लोगों ने काम किया है। पिछले पांच साल के उस कार्यकाल और दो-ढाई साल के इस कार्यकाल में, कांग्रेस के पचास साल के कार्यकाल में जितनी सड़कें नहीं बनी थीं, उन सड़कों को इन सात-आठ साल के कार्यकाल में आप लोगों ने बनाया है और राजस्थान की दशा और दिशा को

(श्री सुशील कटारा)

सुधारा है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका आभार।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री सम्माननीया वसुंधराजी ने जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष का बजट पेश किया, वह करीब 5 हजार 690 करोड़ से ज्यादा का है, जो पिछले वर्ष से करीब 22 प्रतिशत अधिक है। इसमें गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़कें, नान-पैचेबल सड़कें, आर.ओ.बी., प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को प्राथमिकता दी, जिससे निश्चित रूप से राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बूंदी से खटकड़, देई, नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़, सवाई माधोपुर जाने के लिए कोई बाइपास नहीं है। शहर का जो सबसे व्यस्ततम एरिया नैनवां रोड है वहीं से निकलना पड़ता है; सारा ट्रैफिक वहीं से जाता है। लाखेरी में ए सी सी सीमेंट फैक्टरी है, उसके ट्रोले भी वहीं से जाते हैं, जिससे रोज दुर्घटनाएं होती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस रोड पर एक बाइपास की बहुत आवश्यकता है। अब बूंदी में कृषि मण्डी क्वारथी में बन रही है, जो दो-तीन महीने में शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद किसानों की ट्रैक्टर-ट्रालियां भी इसी रोड से निकलेंगी, जिससे शहरवासियों का रहना मुश्किल हो जायेगा। माननीया मंत्री महोदय अभी सदन में नहीं हैं, मैं उनको याद कराना चाहता था कि जब माननीया मुख्य मंत्रीजी कोटा पधारी थीं, केन्द्रीय सड़क मंत्री गडकरी साहब का जब बूंदी की टनल का लोकार्पण हुआ था और कार्यक्रम था, उस समय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बाइपास की घोषणा भी वहां से कर दी थी, जो अगले दिन के अखबारों में प्रमुख सुर्खियों में रहा कि यह बाइपास हो गया, लेकिन इस बजट में नहीं आने से उस पर वापस प्रश्नचिह्न लग गया है। मेरा आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय से निवेदन है कि बूंदी-नैनवां रोड बाइपास, जिसका सर्वे, डी पी आर, वगैरह सब बन चुकी हैं, उसको मंजूरी दिलायें, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

(श्री अशोक डोगरा)

दूसरा, बूंदी शहर में आई टी आई से रणजीत टाकीज तक बूंदी की 30 प्रतिशत आबादी इसी एरिया में रहती है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसलिए इस रोड को डबल करके इसमें डिवाइडर लगाया जाए, ताकि इस पर जो आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं उनसे राहत मिले। यह अति-आवश्यक है।

इसके अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव हनूतिया है और केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का गांव जैथल है, जिनके बीच में एक करेल नदी पड़ती है। यदि उस पर पुल बन जाता है, जो वर्षों से मांग है, तो इससे केशोरायपाटन और बूंदी विधान सभा क्षेत्र भी जुड़ जायेंगे और कापरेन जो केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, उसकी बूंदी से दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जायेगी और उधर के बहुत सारे गांव जुड़ जायेंगे, तथा वह रास्ता सीधा मध्य प्रदेश को भी जा सकता है। यह पुल नहीं होने से बूंदी के जो किसान हैं, उनको बूंदी नहीं आकर अपना माल बेचने के लिए कोटा मण्डी में जाना पड़ता है। तो इससे सबको सुविधा मिलेगी। हनूतिया से जैथल के बीच जो करेल नदी है, उस पर पुल की अति-आवश्यकता है। तो इसका निर्माण कराया जाय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजपुरा के गांव गुढाबरड़ में एक ऐरू नदी है जिसकी पुलिया चार-पांच साल से टूटी हुई है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बच्चे आसपास के गांवों से राजपुरा स्कूल में जाते हैं, उनका वह एक ही रास्ता है और हर बरसात में जब उसका पानी बढ़ जाता है, तो दो-चार बच्चों की हर साल डूबने से मृत्यु होती है। इसलिए राजपुरा ग्राम पंचायत के गुढाबरड़ गांव में ऐरू नदी पर पुलिया बनाई जाए। यह कोई ज्यादा बजट की पुलिया भी नहीं है, एक करोड़ से कम में ही बन जायेगी, पर यह अति-आवश्यक है।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत गुमानपुरा का अल्कोदिया गांव है और वहां घोड़ापछाड़ नदी पर एक पुल बना हुआ था, जो चार साल से टूट गया है। उसमें एक दिक्कत यह है कि गांव तो एक तरफ है और गांव की 1,600 बीघा जमीन पुल के दूसरी तरफ है, जिससे गांव वालों को आने-जाने में करीब 25 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने खेत तक ट्रैक्टर-ट्राली ले जाकर पहुंचना पड़ता है। यह कोई बहुत बड़े बजट का नहीं है। इसलिए अल्कोदिया में घोड़ापछाड़ नदी पर पुलिया का निर्माण कराया जाय।

(श्री अशोक डोगरा)

दूसरा, बूंदी पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट शहर है और सवाई माधोपुर रणथम्भौर में जो देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, वे बूंदी होते हुए चितौड़ और उदयपुर को जाते हैं। अब लाखेरी तक तो मेगा हाइवे आता है, पर लाखेरी के बाद सड़क ठीक नहीं होने से वे लोग सीधे कोटा होते हुए चित्तौड़ और उदयपुर चले जाते हैं, जिससे पर्यटन की दृष्टि से जो बूंदी इम्पोर्टेंट है वह रह जाता है। इसलिए यदि बिजौलिया के लिए एक मेगा हाइवे टाइप अच्छी सड़क बन जाए, तो पर्यटन की दृष्टि से बूंदी को बहुत फायदा होगा।

यदि यह सम्भव नहीं हो, तो अभी दो स्टेट हाइवे बूंदी के लिए नये डिक्लेयर किये हैं, उसमें बूंदी से सिलोर, नमाणा, गड़दा, भोपतपुरा होते हुए बिजौलिया की सड़क दी गई है। यदि उसका निर्माण जल्दी हो जाये, तो भी पर्यटन की दृष्टि से जो पर्यटक आते हैं, उनको सुविधा रहेगी।

उसके अलावा तालेड़ा में नदी के पास में एक तीनधार महादेव का स्थान है, जहां तीन समाज के छात्रावास हैं, एक गौतम समाज है, एक राठौड़ तेली समाज का है और एक प्रजापत समाज का। इन तीनों समाज के छात्रावास वहां हैं। सड़क नहीं है। वहां एक किलोमीटर की सी सी रोड की आवश्यकता है। सी सी रोड इसलिए आवश्यक है कि वहां नदी का पानी थोड़ा बढ़ता है। एक किलोमीटर की सी सी रोड और एक सुरक्षा दीवार बन जाये, तो जो बच्चे तीनों समाज के वहां पढ़ रहे हैं, उनको काफी राहत मिलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, राठौड़ के आगे आपने क्या बोला? राठौड़ के आगे आपने जो शब्द बोला, वह समझ में नहीं आया।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उन्होंने खुद ही राठौड़ तेली समाज का बोर्ड लगा रखा है। वहां उन्होंने बाहर बोर्ड वही लगा रखा है। उनके जो इन्विटेशन कार्ड, वगैरह आते हैं, कार्ड भी राठौड़ तेली समाज के नाम से छापते हैं। (व्यवधान)

उसके अलावा, मेरे यहां नान-पैचेबल सड़कें हैं, एक नमाणा से गड़दा सड़क है, गड़दा माइनिंग एरिया है, वहां 165 लाख रुपये तो आपने दिये हैं, अभी टेंडर हुए हैं, उससे वह तीन किलोमीटर की सड़क बन पा रही है, जबकि वह सात किलोमीटर है। बाकी का भी पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें, क्योंकि उससे रोज दुर्घटनाएं होती हैं। सैंडस्टोन की माइन्स हैं उधर। वह सड़क

(श्री अशोक डोगरा)

बिलकुल नहीं है, टूटी हुई है। गाड़ियां रोज वहां पलटी खाती हैं। उससे जन हानि भी होती है और नुकसान भी होता है।

दूसरा, जाखवंड गांव है, बड़गांव से जाखवंड तक ज्यादा लम्बी सड़क नहीं है, मात्र एक किलोमीटर की सड़क है, जो भी बिलकुल ही नहीं है। वहां दो-तीन इण्डस्ट्रीज भी लगी हुई हैं, जिनकी वजह से पूरे गांव वालों को परेशानी है।

एक धार्मिक सड़क है खेड़ा माता की। वहां अभी नवरात्रा आने वाले हैं। वह भी नान-पैचेबल में है। लोगों की बहुत आस्था है; लोग पैदल जाते हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, सब। इसको भी जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाये।

तालेड़ा में उपखण्ड मुख्यालय है। वहां डाक बंगले का निर्माण हो जाये। तो वह भी आवश्यक है।

उसके अलावा, जयपुर-कोटा जो बाइपास बना, वह फोर लेन बना है। इसमें जगह-जगह गांवों में बाइपास निकाल दिये गये, लेकिन उनको किसी ने रिपेयर नहीं किया। पी डब्ल्यू डी वालों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि एन एच ए आई वालों का काम है। एन एच ए आई वाले ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मंत्री महोदयजी जब भी बूंदी आये, तब इनको इस विषय में कहा गया। उनको भी रिपेयर कराया जाये। जब वहां सड़क बना रहे थे, उन्होंने कुछ गांवों से मिट्टी निकाली, जिसमें से उनका हैवी ट्रैफिक भी उन सड़कों पर चला। उस समय वे वादा करके गये थे कि हमारा काम पूरा होगा, तो हम इन सड़कों को ठीक करेंगे। उन्होंने भी उन सड़कों को ठीक नहीं किया। वहां आने-जाने की भारी दिक्कत है। बरसात में चलना भी दूभर हो जायेगा। इसलिए उसको भी जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाये।

गौरव पथ जो बनाये, बहुत अच्छे बनाये हैं, लेकिन इसमें यह है कि पंचायत मुख्यालय पर ही हैं। कई गांव तो बड़े हैं, परन्तु पंचायत मुख्यालय छोटा है। उच्च माध्यमिक स्कूल भी उन छोटे दूसरे गांवों में, जो पंचायत मुख्यालय नहीं हैं, वहां हैं। वहां भी दिक्कत है। यदि यहां भी गौरव पथ बनाया जाये, तो उनके लिए भी अच्छा होगा।

आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कृष्ण कड़वा।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आज लोक

(श्री कृष्णा कड़वा)

निर्माण कार्य, सड़कें तथा पुल से सम्बन्धित मांग संख्या 19 तथा 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश की आजादी से एक लम्बा समय व्यतीत होने के बाद हमारे प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के निर्माण, सड़क तथा पुल, आदि के विषय में काफी कुछ किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जन-आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें और भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी प्रदेश के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए पक्की सड़कें बनी हुई नहीं हैं। आम जन को आवागमन में काफी असुविधा होती है। आप यदि ऐसे स्थानों का लोकल साइट सर्वे करवायेंगे तो पायेंगे कि किसी मिसिंग लिंक अथवा पुल या पुलिया के निर्माण से इन समस्याओं का हल हो सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक अभियान चलाकर ऐसे स्थानों को चिह्नित करें जहां इस प्रकार की समस्या है और ज्यादा राशि खर्च किये बगैर आम जन को राहत दी जा सकती है। तो उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसे निर्माण कार्य कराये जाने चाहिए।

मैं आपका ध्यान एक और समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में आज राजमार्गों, मेगा हाइवे, आदि का निर्माण पी पी पी माडल के अन्तर्गत कराया जा रहा है और मार्ग की लागत की वसूली तथा रखरखाव के उद्देश्य से ऐसे मार्गों पर टोल की वसूली की जाती है। प्राय: यह देखने में आता है कि टोल मार्गों पर लागत वसूली के उपरान्त भी टोल की दर प्रति वर्ष बढ़ती जाती है, जबकि ऐसे टोल रोड में रखरखाव के लिए नगण्य राशि का ही व्यय होता है और टोल भी उसी अनुपात में घटाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

मैं आपका ध्यान एक और ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब टोल रोड का निर्माण होता है तो टोल की वसूली हेतु जो टोल प्लाजा के स्थान का चयन किया जाता है, उसमें स्थानीय लोगों की आपत्तियां होने के बावजूद, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में टोल प्लाजा के लिए स्थान निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन करें, उसमें स्थानीय निवासियों की आपत्तियां प्राप्त की जायें तथा समिति का सदस्य क्षेत्रीय विधायक को भी बनाया जाये।

महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश है कि मेरे

(श्री कृष्णा कड़वा)

विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनके निर्माण से लगभग 20-25 ग्रामों को फायदा होगा।

(1) पहली रोड संगरिया से बोलावाली; (2) नाथवाणा से बोलावाली, जो लगभग पांच किलोमीटर है; (3) माणकसर से लीलांवाली, जिसको चौड़ा किया जाना आवश्यक है; (4) ग्राम ढांबा से हरियाणा सीमा लोहगढ़ तक तीन किलोमीटर; (5) चक 2 के एस पी से 3 के एस पी तक, लगभग तीन किलोमीटर; एवं (6) चक हीरासिंह वाला से लम्बी ढाब तक, लगभग तीन किलोमीटर।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त, संगरिया में रेलवे क्रोसिंग के लगातार बंद रहने से आम जन को हो रही असुविधाओं के निराकरण के लिए अण्डरपास का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं: भटिंडा-सूरतगढ़ रेलवे सेक्शन पर संगरिया में फाटक संख्या सी-50, किमी संख्या 65/2-3; इसी तरह इसी मार्ग पर ग्राम नगराना में किमी संख्या 74/8-9; एवं ग्राम रतनपुरा में किमी संख्या 71/13-14 पर अण्डरपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। इससे मेरे क्षेत्र के ग्राम किकरवाली, नाथवाना, मोरजण्ड सिखान, अमरपुरा, जालू, शाहपीनी, सिंहपुरा, इन्द्रपुरा, बुगलांवाली, जण्डवाला सिखान, नूकेरा, किशनपुरा उतरादा, रासूवाला, इन्द्रगढ़, नगराना और रतनपुरा के ग्रामवासियों को फायदा होगा। कुछ गांववासियों को 10-15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि उनके खेत रेलवे लाइन के दूसरी तरफ हैं, जिससे उनके लिए कृषि कार्य की लागत बहुत बढ़ जाती है। खेती फायदे का सौदा वैसे भी नहीं है। यदि ये अण्डरपास बनाये जायें, तो उनकी सारी मुश्किलें हल हो जायेंगी।

मैं आशा करता हूं कि आप मेरे क्षेत्र के उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति जारी करवाकर जनता को राहत प्रदान करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जयराम जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझसे हमारे मुख्य सचेतक साहब ने कहा कि आप किस विभाग पर

(श्री जयराम जाटव)

बोलोगे; तो मैंने प्रसन्न होकर कहा कि मैं बोलूंगा सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर। इसलिए मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 की आज की इस डिबेट पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का, जिन्होंने इस राजस्थान में लगभग सात करोड़ जनता है, उसमें ही नाम नहीं किया, अपितु पूरे देश में नाम किया है। या तो इस देश में अटल बिहारी वाजपेयीजी को याद करते हैं, या इन दो सालों में श्रीमती वसुन्धराजी को याद करते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और राजस्थान की सात करोड़ जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी कुछ लोग कह रहे थे, जो दायीं तरफ बैठे हैं, बड़े खुश हैं, उन्होंने कहा, सड़क तो बनी हैं हमारे यहां, ग्रामीण गौरव पथ बने लेकिन हमारी अनुशंसा पर नहीं बने। यह कहा कि अनुशंसा पर नहीं बने। हमारे कुछ विधायकों ने कहा कि आप सड़क नहीं लेना चाहते हों, तो एक ने कहा नहीं, नहीं, हम तो सड़क लेना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) हमको तो पूर्ण विश्वास है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में टोकाटोकी नहीं करें आप। आपस में बात भी नहीं करें आप।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मुझे तो पूर्ण विश्वास है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और हमारे प्रभारी मंत्रीजी बैठे हैं, और हमारे मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक साहब बैठे हैं, वे सब नोट कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में जो सड़कों का जाल है, पी एम जी एस वाई की सड़कों का जाल है। पहले कभी सुनते थे कि गांव में कभी सड़क बनेगी? पी एम जी एस वाई की जो गांव-गांव में सड़कें बनीं, आज फिर दुबारा, दो साल पहले जो सड़कों की बनने कोई सम्भावना नहीं थी, ग्रामीण गौरव पथ। शहरों में बनती थीं और शहरों में ऐसी बनती थीं कि एक सड़क को उखाड़ दिया और दूसरी को बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। ये ग्रामीण गौरव पथ नहीं बने, यह राजस्थान का गौरव बढ़ा है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां इतिहास बना है राजस्थान में कि ऐसा राजस्थान जो सड़कों के नाम से आज नम्बर वन पर है। अभी वर्ष 2015-

(श्री जयराम जाटव)

16 के बजट में लगभग 21.90 फीसदी वृद्धि हुई है और यह बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, उन्होंने कहा है कि लगभग 5 हजार 690 करोड़ 11 लाख की, इतनी वृद्धि की, राशि वर्ष 2016-17 में खर्च होगी।

आज जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को समस्या यह आती है कि बाइपास बनें तो दुर्घटना गांवों में नहीं हों।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि उन्होंने 300 करोड़ रुपया वहां दिया, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों के बाइपास हैं। यह पहली बार हो रहा है।

दूसरा, ये मिसिंग लिंक की बात करते हैं, मिसिंग लिंक पर लगभग इतना पैसा खर्च हुआ है इस साल में और अभी काम चल रहे हैं। मिसिंग लिंक के काम चल रहे हैं, आपके ग्रामीण गौरव पथ के काम चल रहे हैं।

इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की कायाकल्प अगर सड़कों के नाम से की है तो वह इस सरकार ने की है। हमारी सरकार ने सड़कों के मामले में 1 हजार 984 ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ा और गांवों की सुध ली है और लगभग 2 हजार ग्राम पंचायतों को इस वर्ष में, 2006-17 के बजट में लिया गया है। इसलिए उनको धन्यवाद नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? पहले गांवों में यह हालत थी कि केवल रोड बन जाती थी लेकिन नालियां नहीं बनती थीं। नालियां नहीं बनने से, गांव में सड़क कितनी अच्छी बना दो, पानी सड़क के ऊपर जाता था और वे सड़कें टूट जाती थी। आज जो ग्रामीण गौरव पथ की सड़कें बन रही हैं, उसमें नालियों का प्रावधान भी साथ-साथ है।

साथियों, यहां जनगणना के आधार पर 250 से 499 तक की जनसंख्या के अनुपात पर जो बजट दिया गया है, यह भी बहुत सराहनीय बात है। क्योंकि बिना सड़कों की व्यवस्था के गांव का आदमी शहर नहीं आ पाता है।

दूसरा, नान-पैचेबल सड़कों का काम। मैं अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं और चुनाव से पहले की बात है, मैं एक आदमी साथ लेकर जाता था, क्योंकि गाड़ी का कोई पता नहीं, कब लुढ़क

(श्री जयराम जाटव)

जाए। वहां पर इतने गड्ढे वाली सड़कें थीं। आज सारी सड़कों की मरम्मत हुई है। मेरे क्षेत्र में लगभग बहुत सड़कों का काम चल रहा है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो जिला है अलवर, भरतपुर हमारे नजदीक लगता है और हमारे अलवर के लोग जो गोवर्धन जी के दर्शन करने जाते हैं, उसकी तेरह कोस की परिक्रमा है और उसमें भी इसका ध्यान रखा गया है। क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। यह हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने धर्म को ध्यान में रखते हुए ऐसे धार्मिक स्थलों के लिए जो सड़कें दी हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गोवर्धन जी का ब्रज जहां सोलह कला अवतार श्रीकृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उनकी जन्म-स्थली के लिए इस प्रकार की रोड दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। रामदेवरा के लिए कह रहे थे, रामदेवरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। उसके लिए जोधपुर से जो सड़क दी है, जहां दुर्घटना की कोई सम्भावना नहीं रहती है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा और केवल दो-तीन बातें ही कहना चाहता हूं। मंत्रीजी तो हैं नहीं, लेकिन माननीय परिवहन मंत्रीजी नोट कर रहे हैं। केवल अलवर जिले की ही बात नहीं है, पूरे राजस्थान में वन विभाग वाले, ये, पता नहीं, कहां की जमाबंदी को ढूंढ कर लाते हैं। ये कहते हैं, 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की जमाबंदी है, यह सड़क नहीं बनेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि वन विभाग की जो बात है, ये पर्यावरण की आड़ में सड़क बनाने की इजाजत नहीं देते हैं, इन सड़कों को बनाया जाए।

मेरे यहां अलवर का जो सरिस्का अभयारण्य है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव आते हैं। उन गाँवों में उस अभयारण्य की आड़ में सड़कों को रोक दिया जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इनकी कोई न कोई व्यवस्था की जाए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी, जो भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय दिया था हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, उसका शिलान्यास करने गये थे। अलवर से दस किलोमीटर तक सड़क, जो शोर्ट रास्ता है, वहां सड़क नहीं है। उस सड़क से लेकर के, अलवर से मदनपुरी,

(श्री जयराम जाटव)

मदनपुरी से बजीट और बजीट से सीधा हल्दिना, दस किलोमीटर पड़ता है; उस सड़क का निर्माण भी कराया जाए।

मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो भर्तृहरि महाराज का जो धाम है, उससे पानी बहकर के वह आधा भरतपुर जाता है और आधा अलवर में रुकता है। वहां स्टेट हाइवे नम्बर-44 के ऊपर एक पुल था और वह पुल इतना नीचे था कि पानी अवरुद्ध होता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 200 करोड़ की लागत से वह पुल निर्माण होने के लिए सैंक्शन आ गई। उसको केवल इसलिए रोक दिया गया कि जो निविदाएं ली गईं, उसमें केवल एक ही टेण्डर देने वाला था, और वह निश्चित बन रहा है। एक हमारे पुलिया दी है, जो इन्द्रगढ़ से सालपुर जाता है वह पचासों गांवों को जोड़ता है।

इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि उनका ध्यान हर क्षेत्र पर, हर जिले पर है। इस बजट में 900 के लगभग जो पुलिया निर्माण होंगे, उनमें काफी व्यवस्थाएं इस प्रदेश की होंगी। कई बार ज्यादा बरसात आने से गांव के लोगों को जो तकलीफ होती है, वह इससे दूर हो जाएगी।

आप जब जयपुर से दिल्ली के लिए जाते हैं, वाया अलवर, मालाखेड़ा होते हुए जाते हैं, यह स्टेट हाइवे नम्बर 25 का रोड है और यहीं से लक्ष्मणगढ़ से हाइवे स्टेट नम्बर 44 का रोड वह जाता है जयपुर को, वाया भर्तृहरिजी। यह चौराहा बीच में पड़ता है मालाखेड़ा का। आपसे निवेदन है कि वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग से डाक बंगले की व्यवस्था की जाए। डाक बंगले की इसलिए व्यवस्था की जाए कि हरियाणा से बहुत लोग आते हैं हमारे बालाजी के धाम के लिए और यहां ज्यादा आवागमन होता है। जिस रास्ते पर ज्यादा आवागमन होता है, वह केवल वाया मालाखेड़ा-राजगढ़ होकर के सिकंदरा होते गया है। इसलिए डाक बंगले की यहां व्यवस्था करवाने के लिए कृपया आप ध्यान दें।

(16.00 बजे)

एक रोड हमारा अलवर से, जो एम डी आर रोड है, अलवर से विजय मंदिर; मेरे विधान सभा क्षेत्र में विजय मंदिर से घाटला पड़ीसल और उसके बाद में खैरथल, खैरथल से अजरका रेवाड़ी जाता है। वह एम डी आर रोड है। माननीय मंत्रीजी को यह अवगत करायें कि यह रोड सी आर एफ में दे दिया

(श्री जयराम जाटव)

जाए। जो इस तरह की व्यवस्था है, हरियाणा जाने वालों को बहुत ज्यादा जो लोड उधर से रास्ता जाता है बहरोड़ होकर के, वह शोर्ट हो जाएगा और वहां के आने-जाने वाले ग्रामीणों के लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण गौरव पथ हमारे क्षेत्र में जो दिये गये हैं, उनमें एक बार मुझे ध्यान है कि मैं एक गांव में प्रोग्राम में गया, तो उस गांव में दिल्ली से एक रिश्तेदार आया उनका। तो जब वह रोड बना हुआ देखा उसने, नाली बनी देखी, तो उसने कहा कि एम एल ए साहब, हमारी दिल्ली की जो सड़कें हैं वे सड़कें भी आपके राजस्थान ने फेल कर दीं। जितनी अच्छी सड़क मैंने यहां देखी; इतना अच्छा यहां की सड़क का निर्माण देखा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

(16.01 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरी विशेष मांग है, मेरा विशेष आग्रह यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रूपवास गांव है जिसकी आबादी 1991 की आबादी के अनुसार लगभग 700 है और उस गांव को पी एम जी एस वाई से नहीं जोड़ा गया है। मैं कई बार यह बात उठा चुका हूं। इस सड़क को, अब 2011 की जनसंख्या तो 800 से भी ज्यादा है। इसलिए, माननीय मंत्रीजी आप नोट कर रहे हैं, जो पी एम जी एस वाई की सड़क इसलिए नहीं जोड़ी गयी कि वह गांव भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर था और पिछली बार जो हमारे ग्रामीण से जीत कर आया, वह कांग्रेस का था। तो उस सड़क को रख दिया गया। मेरा तो यह भी निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप अपना भाषण खतम करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): बस, एक सेकंड में।

श्री अध्यक्ष: हां, एक सेकंड में खतम कीजिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्षजी, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे मालिक हों। आप हमारे प्रदेश की विधान सभा के, हमारे तो आप सर्वेसर्वा हों।

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलो, बोलो।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं तो आपका शिष्य हूं ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। (व्यवधान)

(श्री जयराम जाटव)

इसलिए जो रूपवास की सड़क है, उस सड़क को वंचित किया गया। उसमें वह जो सहायक अभियंता थे मालाखेड़ा क्षेत्र के, उसने जान-बूझकर के, चलाकर के, उस प्रस्ताव को नहीं भेजा। मैं कई बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कह चुका हूं; हमारे मुख्य अभियंता को मैं लिखित में दे चुका हूं। जब तीन सौ से पांच सौ तक की आबादी के गांव जो 2000 की जनसंख्या के आंकड़ों में हैं, वे गांव पी एम जी एस वाई से जुड़ रहे हैं, तो उस रूपवास गांव के लोगों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको सड़क आप किसी योजना से दें, लेकिन रूपवास गांव के लिए दें, क्योंकि रूपवास गांव एक शहर में लगता था; शायद, हो सकता है, पता नहीं हो, रूपवास गांव अलवर ग्रामीण में भी लगता है। इसलिए आपसे आग्रह है।

मैं आपको बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद; सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। यह बहस बाद में। एक विषय लिया जाता है, इसके बाद वापस यह बहस चालू होगी, जिस विषय पर चल रही है।

अनुपूरक अनुदान की मांगें पारित कराये जाने हेतु 'उदय' योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से विशेष बांड जारी कर करीब 40 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेगी। राज्य सरकार को यह ऋण बैंक उपलब्ध करायेंगे। राज्य सरकार इस राशि को विद्युत वितरण कम्पनियों को हस्तांतरित करेगी। विद्युत वितरण कम्पनियों को भुगतान अनुपूरक अनुदान मांगों के पारित होने के उपरांत ही किया जाना सम्भव है। अनुपूरक अनुदान मांग 2015-16 के द्वितीय संकलन के द्वारा इस हेतु भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अत: अनुपूरक अनुदान मांग 2015-16 द्वितीय संकलन को तत्काल विधान सभा से पारित करवाया जाना आवश्यक है।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-16 द्वितीय संकलन पर मतदान एवं पारण।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रस्तुत करवायें।

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-16 (द्वितीय संकलन) मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका मूव नहीं होगा, आप ही हमारा मुखबंद करिये और आप हमारा मुखबंद कर के एक-एक डिमाण्ड रखिये और पारित कराइये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मुखबंद कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ये करेंगे मुखबंद का प्रयोग।

श्री अध्यक्ष: मुखबंद का प्रयोग किया जाता है।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2015-16) (द्वितीय संकलन) का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1–राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,59,000/- (तीन करोड़ तियालीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3–सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,46,81,000/- (दो करोड़ छियालीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5–प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,79,38,000/- (नौ करोड़ उनासी लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,01,05,000/- (इक्कीस करोड़ एक लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7–निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,85,15,000/- (ग्यारह करोड़ पचासी लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9–वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9–वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 42,27,67,000/- (बयालीस करोड़ सत्ताईस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14–बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,61,25,63,000/- (दो अरब इकसठ करोड़ पच्चीस लाख तिरसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 97,48,99,000/- (सतानवे करोड़ अड़तालीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,14,65,000/- (एक अरब सत्ताइस करोड़ चौदह लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,47,78,000/- (छह करोड़ सैंतालीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18–जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,81,48,000/- (तेरह करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,000/- (सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20–आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,85,41,000/- (दो करोड़ पचासी लाख इक्तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22- क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,48,26,000/- (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,52,57,86,000/- (दो अरब बावन करोड़ सतावन लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,39,48,62,000/- (चार अरब उनतालीस करोड़ अड़तालीस लाख बासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,01,52,72,000/- (इकसठ अरब एक करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,95,000/- (बीस लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,98,000/- (एक करोड़ अठारह लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,50,57,000/- (तियालीस करोड़ पचास लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,05,75,000/- (सोलह करोड़ पांच लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,60,000/- (तेरह लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,78,18,000/- (बाइस करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक

(श्री अध्यक्ष)

विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,81,56,46,000/- (ग्यारह अरब इक्यासी करोड़ छप्पन लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 63,53,90,000/- (तिरसठ करोड़ तिरपन लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/- (पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,38,87,000/- (इक्कीस करोड़ अड़तीस लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,98,04,02,21,000/- (दो सौ अठानवे अरब चार करोड़ दो लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 80,23,54,29,000/- (अस्सी अरब तेइस करोड़ चौवन लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभावी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजपाल सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को विचारार्थ लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार ।

खंड - 2 व 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खंड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

आप पारित करने के लिए निवेदन कीजिए। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पारित किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 को पारित किया गया।

श्री पूराराम चौधरी।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 21, जो महत्वपूर्ण सड़कों का मामला है, आपकी आज्ञा से सदन में बोलना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार 1993 में, 1995 में सड़क नीति तय की गई। उस समय शिक्षा नीति भी सही की गई थी। सड़क नीति बनाई, उस सड़क नीति में माननीय स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदीजी और इस सदन के नेता माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब, एक सड़क नीति तय की कि जो पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाए। हालांकि, यह विषय शिक्षा का नहीं, माननीय कटारिया साहब उस समय शिक्षा मंत्री थे, उस समय वह नीति भी बनी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी, उस समय भी यह नीति बनी कि जो बचे-खुचे हैं, हर पंचायत या हैबिटेट को सड़कों से जोड़ा जाए, आबादी के हिसाब से। 1993 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर एक सड़क नीति बनी कि जितने भी हैबिटेट गांव हैं, ढाणियां हैं, उन ढाणियों को जोड़ा जाए और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हैबिटेट में अगर कोई सड़कें बनी हैं, तो पूरे भारत में राजस्थान में बनी हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है।

फिर अब की बार जब सरकार बनी 2013-14 में, तब फिर एक सड़क नीति बनाई। हम कभी हम गांवों में जाते थे, कीचड़ मिलता था, वह मिलता था। आज जो नीति बनी गौरव पथ, आज जब हम गांवों में जाते हैं तो लगता है कि हम शहर में आये हैं।

भारतीय जनता पार्टी की जब-जब सरकारें बनीं, तब-तब सरकार की ये नीतियां रही हैं और नीतियों के हिसाब से आज जो डवलपमेंट सड़कों का हो रहा है, वह राजस्थान में, मैं समझता हूं, दूसरे स्टेटों से बहुत ही अच्छा है।

(श्री पूराराम चौधरी)

इस बार जो सड़कों की नीतियां थीं; अध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद हुआ था, तब देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लालजी नेहरू एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस देश की चार प्रमुख सड़कें हैं,

(16.27 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

उन सड़कों को जोड़ा जाए और देश की जो प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों को जोड़ा जाए। यह उनकी एक सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में देश की कई वर्षों की आजादी के बाद अटल बिहारीजी वाजपेयी ने सोचा कि जितनी भी सड़कें हैं, जब कभी गाड़ी लेकर रास्ते पर जाते थे, चाहे अहमदाबाद जाते थे, मुंबई जाते थे तो समझते थे कि कम-से-कम दो दिन लगेंगे, लेकिन आज हमें यदि ट्रेन का टिकट नहीं मिला या प्लेन का टिकट नहीं मिला, तो 12 घंटे के अन्दर मुंबई से भीनमाल, जो 900 किलोमीटर की दूरी है, यहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बनी थीं। इसलिए इस बार की जो सड़क की योजनाएं बनी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी महोदया को और माननीय सड़क मंत्रीजी को।

एक मेरा निवेदन है, मैं जब 1993 में पहली बार विधान सभा में आया, कुछ हमारी ऐसी सड़कें हैं, 58 किलोमीटर, जो 1996, 1997, 1998 और 1999 की बनी हुई हैं, अभी तक वे सड़कें रिन्यूअल नहीं हुईं। माननीय मंत्रीजी को मैंने लिखकर दे दिया है। वह रिन्यूअल नहीं होने की कुछ तो वजहें हैं, क्योंकि इन सड़कों का मामला ही ऐसा है। एक बार जब पिछले दो टर्म में मैं जीतकर नहीं आया था तब हमारे माननीय सदस्य, जो कि कांग्रेस से जीतकर आये थे, उन्होंने कभी गौर नहीं किया और इसके हिसाब से हमारी सड़क हकीकत में रह गई हैं। मेरा निवेदन है कि 15 सड़कें जो हमने लिखकर दी हैं, वास्तव में ये वर्ष 1996, 97, 98, 99, 2000 के पहले की सारी सड़कें हैं। यह सारी सड़कें वास्तव में हैं। क्यों रह गईं? यह मेहरबानी करके इन सड़कों का रिन्यूअल, नान-पैचेबल जिसको कहते हैं, कुछ तो ऐसी सड़कें हैं, उसमें कुछ राहत नहीं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि सड़कें आखिर टूटती कैसे हैं? हमारी सड़कों के टूटने की वजह एक ही है, वहां का लोकल मूगिया, लोकल कंक्रीट है, वह

(श्री पूराराम चौधरी)

यूज करते हैं। हमें चाहिए, आबू रोड या बाड़मेर, बाड़मेर की कंक्रीट लेंगे, तो शायद वे सड़कें नहीं टूटती हैं। इन सड़कों की गुणवत्ता में कमी है। अभी बीच में जब हमारे बाढ़ आई, बाढ़ आई तो हमारी सड़कें, कुछ पुलियाएं टूट गईं। जो मेन सड़क है दासपुरा की, उसके लिए डिपार्टमेंट ने डेढ़ करोड़ रुपये के लिए भेजा है आपके पास। वह बनाये।

मैं माननीय सड़क मंत्री साहब को धन्यवाद दूंगा कि हमारे भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सड़कें आपने स्वीकृत कीं, उनमें सबसे पहले आप दासफाबावली लें। तीन सड़कें, स्टेट हाइवे और तीन सड़कें हैं एम डी आर, वे स्वीकृत की हैं। उसके लिए भी थोड़ा बजट का प्रावधान करें। जो रिन्यूअल की सड़कें हैं, सबसे पहले यह करने की कोशिश करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री नानालाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व मांग संख्या 21, लोक निर्माण, सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज सड़क के बारे में, गांवों को जोड़ने का अगर किसी ने विचार किया, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने गांव की सारी ढाणियां जोड़ने का विचार किया। गांव में लोग कभी सड़क नहीं जानते थे। कोई बीमार होता, उसको झोली में, खाट में, चारपाई में लेकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ता था। यह बहुत बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में हुआ। अभी हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने गांवों में, पंचायत मुख्यालय पर गौरव पथ का निर्माण करवाया, उसके साथ-साथ नाली का भी निर्माण करवाया। सड़कें इस प्रकार की बनी हैं, उन पर या तो गन ठोक दी जाए, झूमरी ठोक दी जाए, तो वापस आये। इस प्रकार की सड़कें गौरव पथ में बनी हैं।

मेरे यहां पर 12 सड़कें थीं, वे सारी 12 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। गौरव पथ पूरे राजस्थान में एक हजार 984 पंचायत मुख्यालय पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपसे कोई रिपोर्ट मांग रहा है क्या कितनी पूरी हो गईं और कितनी नहीं हुईं? आपसे रिपोर्ट थोड़े मांग रहे हैं। आप तो अपनी मांग करो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आपके कार्यकाल में एक भी नहीं बनी थी। ये बता तो रहे हैं कम से कम।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सदस्य, आपके कार्यकाल में केवल 1,500 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जबकि हमारे पूर्व कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में 9 हजार 904 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। देख लो आप। गौरव पथ सड़कें पूरे राजस्थान में 1 हजार 984 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनी हैं; 1 हजार 27 करोड़ की लागत से 1 हजार 955 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनी हैं, जो ऐतिहासिक सड़कें बनी हैं। कांग्रेस सरकार में तो शायद यह कभी देखा भी नहीं था। आज गांवों को जो सड़कें मिली हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिली है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपने कभी विचार किया? आपने इतने वर्ष राज किया, आपने कभी सड़कों के बारे में विचार किया? आपने केवल ग्रामीण एरिया में आदिवासियों के वोट बटोरने का काम किया। कभी उनके विकास का काम आप लोगों ने नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, इस गौरव पथ के बारे में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई कांग्रेसी जन-प्रतिनिधियों ने, सरपंचों ने इसकी वाहवाही की है, प्रशंसा की है। इस प्रकार का काम आदरणीय मंत्रीजी ने किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस प्रकार का सुनहरा कार्यक्रम किया।

सभापति महोदय, यही नहीं, अभी मिसिंग लिंक सड़कों का कार्यक्रम भी आपने हाथ में लिया। 608 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 182 किलोमीटर लम्बाई की 1 हजार 9 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया। हमारी सरकार आने के बाद दो वर्षों में 250 से 300 तक आने वाली बस्तियों को, ढाणियों को, 1 हजार 468 बस्तियों को, 1 हजार 618 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाईं। नान-पैचेबल सड़कों का निर्माण भी वर्तमान में 2 हजार 702 किलोमीटर लम्बाई की सड़क, नान-पैचेबल जिला मुख्यालय की सड़कों का भी निर्माण किया। 99 पुलिया का निर्माण किया, 605 करोड़ रुपये की लागत से। सभापति महोदय, 2016-17 में 2 हजार 500 किलोमीटर लम्बाई की नान-पैचेबल सड़कों का निर्माण 600 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

सभापति महोदय, एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम माननीय मंत्री जी ने मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से किया। रामदेवरा में हमारे क्षेत्र से भी कई यात्री पैदल आते हैं; वहां एक्सिडेंट होने की सम्भावना है। तो मंत्रीजी ने यहां

(श्री नानालाल अहारी)

पर भी 4 मीटर चौड़ाई की, 14 करोड़ 64 लाख की एक ग्रेवल सड़क बनाने का काम भी हाथ में लिया है।

केन्द्र सरकार ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की है, उसमें मंदसौर, प्रतापगढ़, धरियावद एवं सलूम्बर। इसमें मेरा एक निवेदन है कि इसमें डूंगरपुर, खैरवाड़ा और स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा को भी जोड़ा जाए।

मेरी कुछ विधान सभा क्षेत्र की मांगें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सड़क कातरवां से पानुडा; सड़क कटारा खेतरा से हरसावाड़ा; सड़क खैरवाड़ा मुकी बाजार से हास्पिटल रोड; खैरवाड़ा थाना से बिलवा होते हुए गाढ़ी सड़क; सम्पर्क सड़क; मुख्य सड़क गमेती फलां से बैसोर तक; जायरा पुलिया निर्माण; सुलई से शामी सुलई। जो सड़कें फोरेस्ट में स्वीकृत हो चुकी हैं और अभी बंद पड़ी हैं, उन पर कुछ कार्य हुआ भी है, उन सड़कों को भी पूरा करवाया जाए।

गत वर्षों में ए ईएन और जे ईएन की पदोन्नति हुई थी। वहां इनके बैठने के लिए कार्यालय नहीं है, भवन नहीं है। इससे काम करने में मुसीबत आती है, तकलीफ आती है। मेरा निवेदन है कि इनके लिए भवन भी बनाए जाएं।

वर्तमान में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है; गांवों, शहरों में जो सड़कें हैं वे जल्दी टूट जाती हैं। पूर्व में इसका मापदण्ड मरम्मत करने का किया है, वह 8 से 10 वर्ष है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इसका क्राइटेरिया 4 से 6 वर्ष तक किया जाए।

दूसरा, मेरे यहां पर तीन डाक बंगले हैं, उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे सेमारी, केरवाड़ा और बाववाड़ा तीन डाकबंगले हैं, इनका रखरखाव भी सही तरीके से कर लिया जाये।

पुलिया निर्माण अकोड रोड पर सारौली; पुलिया निर्माण बारड़ी से सुंदरा; पुलिया निर्माण गोदावरी मंदिर के पास; पुलिया निर्माण भुजा हनुमानजी के पास। इसके बाद कुणाधरी सामरुन पुलिया निर्माण।

सड़क निर्माण ककरोड़ बापसी से डिकवास; एन.एच. 8 से बागवा पुलिया; एम.बी.सी. ग्राउण्ड के सामने पुलिया; छारणी, पाटिया झाझरी 15 किलोमीटर नवीन सड़क, ये नान-पैचेबल की कुछ सड़के हैं। सभापति महोदय, पूर्व में नान-पैचेबल का कोई काम नहीं हुआ। सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी कुछ नान-पेचेबल सड़कें हैं, उन

(श्री नानालाल अहारी)

सड़कों को भी करवाया जाये। सम्पर्क सड़क माकड़झपा; सम्पर्क सड़क भूदर से बरदा; सम्पर्क सड़क गरनाला कोटड़ा से डेलाणा; सम्पर्क सड़क खैरवाड़ा झवा से सुवेरी; मूंडवाड़ा रोड; खांडी ओबरी से ऊपला पाड़ा; खैरवाड़ा झवा सुवेरी सड़क से मूंडवाड़ा-बी; एन.एच. 8 से कानूवाड़ा; महूदरा से कारचा घोड़ी बाल्या सड़क; सामीतड़ से माल; सम्पर्क सड़क चोराई; कानूवाड़ा से भुजा; एन.एच. 8 पीपली से कालिया बापसी; सम्पर्क सड़क पोगरा कला; सम्पर्क सड़क सामरुन; सम्पर्क सड़क कातरवास से काटवी; सम्पर्क सड़क पलसिया डेयरी से गोवावाड़ा; सम्पर्क सड़क जायरा; सम्पर्क सड़क घाटी; सम्पर्क सड़क पहाड़ा; सम्पर्क सड़क सकलाल; सम्पर्क सड़क सरेरा; काटवी से चौकी; असारीवाड़ा; सुखबावड़ी दस किलोमीटर से चौबीस राणावाड़ा; सम्पर्क सड़क तोबावाड़ा; डिकवास से ववाई; ववाई से ऊमरा; मगरा से सम्बलाई पनवा; इन सड़कों की नान-पैचेबल में स्वीकृति की जायें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, ये 200 करोड़ की सड़कें बता दीं। नोट तो कर लीजिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अंजू धानका।

माननीय सदस्या, एक मिनट बैठें आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 व 21 पर आपकी अनुमति मिली, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खेंच दीजिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं यहां आज खेंचने के लिये नहीं हूं। ऐसे मत बोलें। क्योंकि थोड़ा-सा काम हो जाये, यह बहुत अच्छी बात होगी। काम भी जरूरी है। जब कहने की बात थी तो कही, लेकिन आज काम की बात जरूरी है। हम यहां जनता की बातों को रखने के लिए बैठे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि विधायक कोष से जो पैसा हम लोग देते हैं, पी.डबल्यू.डी. में उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वहां पर जो अधिकारी हैं, वे उस पर ठीक से ध्यान नहीं देते और वे अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा देते हैं। मेरी ग्राम पंचायत भूड़ला में मैंने दो लाख रुपये एक सर्किल के लिए दिये थे, जो कि एक कोने में आधे मीटर की सड़क बनाकर उसे छोड़ दिया गया। फिर मैंने तूंगा में 15-16 लाख रुपये दिये थे 500 मीटर की सड़क बनाने के लिए, उसमें ढाई सौ मीटर की सड़क बना करके इतिश्री कर ली गई; यह कहा गया कि पैसा खतम हो गया है। यह जो अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय उस पर सख्ती से निपटें।

जो सड़कें विवादित होती हैं, जो सरकार पैसा सैंक्शन करती है, जैसे मेरे यहां राजपुरा पातलवास ग्राम पंचायत में 36 लाख रुपये सैंक्शन हुए थे, आज से तीन साल पहले, 2011 या 2012 में, वह विवादित थी; वहां के लोग उस पर विवाद खड़ा कर रहे थे, लेकिन उससे निपटने के बजाय वहां पर भी थोड़ी-सी सड़क बना करके अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतिश्री कर ली और हाथ खड़े कर दिये। उससे सरकार को नुकसान हुआ, सरकार के पैसों का नुकसान हुआ और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे जो अधिकारी-कर्मचारी करते हैं, उनसे भी सरकार सख्ती से निपटे और विवादों को सख्ती से निपटाये।

सभापति महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र की सड़कें, बस्सी विधान सभा क्षेत्र से होकर चार तहसीलों में रास्ता निकलता है, रास्ता जाता है। चार तहसीलें बस्सी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जाने के बाद निकलती हैं। उन चारों सड़कों की काफी भारी खराब स्थिति है। जैसे बस्सी-लालसोट वाया तूंगा; तूंगा से दौसा वाया भूड़ला; जडवाड़ा से जमवारामगढ़; तूंगा से चाकसू वाया देवगांव; कानोता से चाकसू वाया सांभरिया, आदि अनेक सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, जिन पर चलना भी दूभर है। ये वे सड़कें हैं, जो बस्सी तहसील को चार

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

तहसीलों से जोड़ती हैं। जैसा कि अभी सुनने में भी आता है और रोज हम लोग देखते हैं कि केन्द्र सरकार की मंशा बहुत अच्छी है सड़कों के मामले में, उनकी मंशा है कि सभी ग्रामवासियों को, जो ढाणियों में बैठे हैं, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ दिया जाये। सरकार की इतनी अच्छी मंशा होने के बाद भी अगर तहसील से तहसील नहीं जुड़ पा रही हैं, तो हम ग्राम पंचायतों का विश्वास कैसे करेंगे? ग्रामीणों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा?

सभापति महोदय, मैं कुछ सड़कों की ओर ध्यान और दिलाना चाहती हूं, मंत्री महोदय का, आपके माध्यम से, कि बस्सी5भाड़ोती रोड, गुमानपुरा से बावड़ी का बास सड़क निर्माण अति-आवश्यक है। बस्सी-भाड़ोती रोड गढ़ पान्डयावाला मोड़ से करणगढ़ तक, माधोगढ़ से रामसर रोड से रजवास गांव तक; एन.एच. 11 से मुख्य ग्राम मानसर खेड़ी होते हुए ईसरवाला फाटक व हजारण की ढाणी तक डामर सड़क; ग्राम घाटा में गुसाइयों के हनुमानजी मन्दिर से वाया रामकिशनजी नेताजी के मकान, ग्राम घाटी तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण; कुथाड़ा मोड़ से बैनाड़ा तक डामर सड़क, बस्सी-तूंगा सम्पर्क सड़क से बालाजी मन्दिर तक सी.सी. सड़क; सांभरिया सम्पर्क सड़क से जीतावाल मध्य गांव तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण; घाटी रोड से भोजपुरा की ढाणी तक; बैनाड़ा से घाटी; एन.एच. 11 से मोहनपुरा मुख्य गांव तक सी.सी. सड़क; एन.एच. 11 से ग्राम खोखावाला में नीलकंठ मन्दिर, जोगी बंजारा मोहल्ला होते हुए सेडुराम सिंगवाड़िया के बाड़े तक सी.सी. सड़क; कुथाड़ा खुर्द में पुरानी पंचायत से खो-घाटी तक; बगुला से पीलारामा तक सी.सी. सड़क; ये कुछ चुनिंदा सड़कें हैं जो अति-आवश्यक हैं, जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं।

इसके अलावा टोल पर भी मैं थोड़ा-सा बोलना चाहती हूं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इन्हें अपने ही गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी टोल देना पड़ता है। आपकी सरकार ने पहले भी यह बात कही थी और केन्द्र से भी यह बात रही है कि भारत को टोल-मुक्त बनाया जाये। मैं यह चाहूंगी, जो नहीं हो सकता है वह बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो टोल-टैक्स लिया जाता है, अगर वह सीमा पर हो, एक तहसील से दूसरी सीमा पर, तो शायद लोगों को यह तसल्ली हो जायेगी कि हम दूसरी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी उन्हें टोल देना पड़ता है। या तो फिर

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

तहसील के अन्दर-अन्दर जो आते हैं, या 50 किलोमीटर के दायरे में, उन्हें टोल-टैक्स से मुक्त किया जाये।

बस, इतना ही कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोरधनजी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21, लोक निर्माण कार्य एवं सड़क, इन मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से इस दो साल के समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारे सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री आदरणीय युनुस खानजी ने सड़कों के क्षेत्र में काम किया है, वह वास्तव में, क्योंकि पिछले पांच सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया; जिस प्रकार के उन्होंने खड्डे छोड़े थे, उन सबको, और सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे राज्य सड़क हों, चाहे जिला सड़क हों, चाहे सम्पर्क सड़क हों और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में पिछले पांच सालों में एक भी सड़क नहीं बनी थी, एक भी सड़क नहीं बनी और जो सड़कें टूटी हुई थीं, उनकी न कोई रिपेयरिंग की गयी।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से उस क्षेत्र में पिछले बीस सालों से कम्युनिस्ट पार्टी का एम.एल.ए. जीतता था और वहां से भारी बहुमत से लोगों ने मेरे को जिता कर भेजा और जिस प्रकार से लोगों ने वहां से इन सड़कों के सम्बन्ध में आशा की थी, उन आशाओं पर हम खरे उतरे। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय युनुस खानजी ने हमें पूर्ण संबल दिया है, इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जब धोद के किसी भी गांव में, चाहे नागौर जिले से आओ और चाहे झुंझुनूं जिले से आओ, चाहे चूरू जिले से आओ, इस धोद विधान सभा क्षेत्र के तीनों ओर लगभग, चाहे झुंझुनूं, चूरू और नागौर की सीमाएं लगती हैं, तो वहां पर लोग आते हैं तो पहले यही कहते थे कि धोद आ गया, लेकिन आज इस दो साल में यह दशा सुधरी है। हमारे तो एक जो लोसल की सड़क थी, लोसल नगरपालिका एक ही क्षेत्र पड़ता है, और उस नगरपालिका लोसल में पिछले 30 वर्षों से लोग यह सोच रहे थे कि यह सड़क कभी पूरी होगी क्या? माननीय

(श्री गोरधन)

मंत्री महोदय ने 10 करोड़ रुपये देकर उस सड़क का निर्माण करवाया। इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

कई गांवों की तो यह स्थिति थी, जब हमें मिसिंग लिंक सड़कें माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दी गयीं, तो लोग यह सोचते थे कि इन गांवों में कभी सड़क बनेगी क्या? वास्तव में उनका सोचना सही भी था क्योंकि पिछले वर्षों में वहां पर किसी भी गांव में जो पहले सड़क बन गयी, उसकी न तो कोई मरम्मत हुई और न कोई नई सड़क बनी। जब ये मिसिंग लिंक की जो सड़कें दी गयीं और वहां गांवों में काम चालू हुआ, लोग यह सोचते थे कि शायद ये सड़कें पूरी नहीं होंगी। जब फसल अभी पक रही है, उससे पहले ही लोगों ने कहा कि साहब, चाहे आप काम पहले ही चालू करवा दो क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सड़कें वास्तव में बन जाएंगी। ज्यों ही रास्ते चौड़े हुए, सड़कें बनना चालू हुईं, तो उनकी फसलें भी कुछ, क्योंकि रास्ते चौड़े होते हैं तो फसलों का थोड़ा-बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह सड़क बन रही थी। वे सड़क को इस प्रकार से देखते हैं कि वास्तव में कभी देखी भी नहीं हो।

जिस प्रकार से विधान सभा क्षेत्र धोद में, क्योंकि बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया है, बहुत सारी मिसिंग लिंक भी दी गयी हैं, बहुत सारे स्टेट हाइवे भी हैं, फिर भी इस क्षेत्र में बहुत सारी कमियां अभी भी हैं और मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इन ढाई-तीन वर्ष में हमारा काम पूरा हो जाए, तो लोग यह सोचेंगे कि वास्तव में हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर एक अच्छा शासन प्राप्त किया है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी खूड़ी से रसीदपुरा, पलथाना, कूदन, जेरठी, दादिया जो सड़क है, वह काफी दिनों से टूटी हुई है, उसको ठीक करवाना, उसको दुरुस्त करवाना; इसके अलावा, सेवद बड़ी से सिहोट बड़ी, बिंज्यासी, फतेहपुरा, बांदीपुरा, शाहपुरा तक यह स्टेट हाई-वे रोड है, पुनः इसकी मरम्मत करना, इसका नवीनीकरण करना; धोद से दीपपुरा, सरवड़ी, सिंगरावट और लोसल छोटी, माननीय मंत्री महोदय ने इसको भी स्टेट हाई-वे घोषित किया है, इसकी भी मरम्मत करना और इसकी चौड़ाई बढ़ाना। इसके अलावा मिसिंग लिंक की हमारी जो सड़कें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अभी तक भी गांवों से आपस में जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनको जोड़ने की उसमें कृपा करें।

(श्री गोरधन)

ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं लेकिन मैं मुख्य-मुख्य सड़कें आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से गोठड़ा, भुकरान से जेरठी सड़क है; जगमालपुरा से झीगर छोटी है; आकवा से गोठड़ा भुकरान है और पालवास से श्यामपुरा सड़क है; इसी प्रकार से तासर छोटी से मोल्यासी व सेऊं छोटी सड़क है; बिंज्यासी से जस्सूपुरा सरवड़ी है; अनोखूं से बिंज्यासी है; सांगलिया से धूनकावास है और काशी का बास से पूरा बड़ी है; भढ़ाडर से मोलासी सड़क को ठीक करना और उसके आगे तैतली नगर तक है; रसीदपुरा से विकास नगर है; खूड़ से अहीरों का बास है और खूड़ से विजयपुरा व करीरों की ढाणी है। इसके अलावा, शाहपुरा से तनाजा की ढाणी है; कुदन से जोखाना जोड़ा है; बानुड़ा से तिपनिया की ढाणी है; कदमा के बास से चौखा का बास, बिडोली, गोठड़ा तकेलान सड़क, इसको ठीक करवाना और इसकी चौड़ाई बढ़वाना; इसके अलावा, लोसल से भानीपुरा सड़क; बिराना से रामपुरा सड़क; और कासली से गुणालाव तालाब पुरा छोटी; ये माननीय मंत्री महोदय की घोषणा की हुई सड़कें हैं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारी ही बता दो। (व्यवधान)

श्री गोरधन (धोद): सारी तो नहीं हैं लेकिन दो-तीन तो हैं ही, और बाकी ये देते ही रहते हैं। नहीं, वह तो सारी तो बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं। आपने कुछ किया ही नहीं, तो सब ही तो बतानी पड़ेंगी। तब ही यह काम हमारा होगा। क्योंकि पिछले पांच सालों में कह सकते हैं, उससे पहले आपका ही वहां पर राज रहा है, बीस साल पहले भी, लेकिन वहां सड़कों का कोई विशेष निर्माण नहीं हुआ।

तो मैं तो माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि यह धोद विधान सभा क्षेत्र सड़कों के मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है और इन सड़कों का आप प्रायोरिटी देते हुए निर्माण करवाएं। हमारी कुछ नान-पैचेबल सड़क भी हैं, चाहे फतेहपुरा से खूड़ हो, खूड़ से धानुकाबास हो, खानड़ी से चीड़ासरा, बिजानियों की ढाणी, सेसमा की ढाणी हो, धोद बाइपास से नाथावतपुरा हो; इन सब सड़कों का आप यदि इसी वर्ष में नान-पैचेबल सड़क में लेकर नई बनाते हों; तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इस विधान सभा क्षेत्र धोद पर विशेष ध्यान देते हुए हमारे इन सब कार्यों को पूर्ण करें।

इसके अलावा, आपने बहुत अच्छे गौरव पथ हमारे धोद विधान सभा

(श्री गोरधन)

क्षेत्र में बनाये। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः, माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद और मंत्री महोदय का और माननीय मुख्य मंत्री महोदया का, जितना काम करवाया, उसके लिए तो धन्यवाद और और देंगे, उसके लिए भी अभी से धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 और मांग संख्या 19 पर आपने मुझे बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

जिस तरह से हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री का बिजली के मामले में एक सोच था कि हर गांव, हर ढाणी में बिजली मिले, उसी तरह से सड़क के मामले में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के समय, जैसी जनता की वेदना थी, उसको ध्यान में रखते हुए गांव की जो हालत देखी और राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को राज दिया,

(17.00 बजे)

तो सबसे पहले हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गांव के गरीब की चिन्ता की। 2003 से 2008 तक शहरी क्षेत्र थे, वहां गौरव पथ बनते थे; गांव में इस बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकता था, लेकिन आदरणीया वसुन्धरा राजे जी ने जनता की भावनाओं के अनुसार पहले 2 हजार गांवों में और इस बजट में भी 2 हजार गांवों में गौरव पथ बनाने की घोषणा की। जो सड़कें थीं, विलेज रोड से एम डी आर, एम डी आर से स्टेट हाइवे, स्टेट हाइवे से नेशनल हाइवे, पहली बार राजस्थान सरकार ने इतने ज्यादा नेशनल हाइवे बनाये हैं, उसमें शाहपुरा से बैराठ, बैराठ से अलवर, अलवर से रामगढ़ और रामगढ़ से झिरका फिरोजपुर गुडगांव, जो नेशनल हाइवे घोषित किया है, उसमें लगभग 100 किलोमीटर हमारे अलवर जिले में से गुजरेगा। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं।

यही नहीं, अलवर जिले में विशेष रूप से ध्यान रहा। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, नगरपालिका किशनगढ़ बास के अन्दर जो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क थी, मैंने मेरी वेदना को बताया, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्रीजी ने चीफ इंजीनियर को दिखाया और उस बात को सही मानते हुए 10 करोड़ रुपये मंजूर किये और आज वह बन गयी। इस बात की मैं बधाई देता हूं।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

खैरथल और किशनगढ़ के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से नालियां बनें, ताकि वहां के पानी का निकास ठीक हो जाए। इसके लिए एक बार तीन करोड़ और अभी हेमू कालाणी चौक से महावर धर्मशाला तक नाली और सड़क के लिए डेढ़ करोड़ रुपये और दिये हैं। उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

इसके अलावा जो सी आर एफ का पैसा आता है, उसमें मुंडावर उपखण्ड कार्यालय को मेरे विधान सभा क्षेत्र के हरसोली तक 20 किलोमीटर के लिए 26 करोड़ रुपये दिये। मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने मेरे इलाके की चिंता करके 26 करोड़ की राशि मंजूर की, जिसके टेण्डर हो गये।

यही नहीं, हमने निवेदन किया था कि हमारे जिले को, राजस्थान की बनिस्पत हमारे जिले में सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ है। हमारी मुख्य सड़कें, चाहे राजगढ़ हो, चाहे बानसूर हो, बहरोड़ हो, तिजारा हो या रामगढ़ हो, या भरतपुर को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़कें हैं, वे वास्तव में अच्छी बनी हैं। मेगा हाइवे बने हैं; अभी नेशनल हाइवे मंजूर किया है, वह भी बनेगा; अलवर को भिवाड़ी से जोड़ने के लिए मेगा हाइवे, जिसको फोर लेन बनाया गया, और उसी तरह से अन्य जिलों के मुकाबले में अलवर जिले को काफी काम मिला है। सभापति महोदय, अलवर के लिए, राजस्थान के किसी अन्य जिले से बात करेंगे तो अलवर वास्तव में सड़कों के मामले में अग्रणी जिला कहलाएगा, लेकिन अलवर जिले की जो भौगोलिक स्थिति है, वह हरियाणा से, दिल्ली से, एन सी आर क्षेत्र में आता है। इसलिए जब हम एन सी आर की चिन्ता करेंगे, तो हमको अलवर, गुडगांव, रोहतक, गाजियाबाद, आगरा, देहली; उस परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं तो हमारा जिला भी सड़क के मामले में काफी पीछे है। हमारे यहां पर 'रिसर्जेंट राजस्थान' के माध्यम से भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे यहां जिले में मिलेगा। इस बात को भी ध्यान में रखकर, हमको एन सी आर के हिसाब से, हमारे राजस्थान' के अग्रणी जिले अलवर को भी उसी मायने में सड़क से भी हमको तैयार करके रखना पड़ेगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, आपको मैं बधाई देता हूं, आपने मेरे यहां चार एम डी आर सड़कों की घोषणा की है, जिसमें अलीपुर से लेकर तिजारा झिरका पुरोहितपुर, हरसोली, रामनगर,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

किशनगढ़ मोटूका, मुबारिकपुर, विजय मंदिर से घाटला पडिसल, खैरथल, जगताबसई, खैरथल, हरसौली और अजरका तक, हरियाणा बोर्डर तक कोटकासिम से शेरपुर जोडिया, भोकर, गेलपुर से लेकर ये चार एम डी आर सड़कें बनायी हैं। कोटकासिम से लाडपुर होकर तिजारा जोड़ने के लिए एम डी आर पहले से ही है।

यही नहीं, खैरथल में बाई-पास की आवश्यकता है, किशनगढ़ में बाई-पास की आवश्यकता है।

यही नहीं, कोटकासिम, जो मेरा उपखण्ड कार्यालय है, वह अलवर को सीधा एन एच–8 से जोड़ता है और एन सी आर और सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से किशनगढ़ को गढ़ीबोलनी तक जोड़ा गया है। उसमें तीन किलोमीटर सड़क बीच में रह गयी, जो साढ़े तीन मीटर है; बाकी साढ़े सात मीटर में बन गया। इसलिए नया गांव से लेकर सांरगबास तक तीन किलोमीटर सड़क का चौड़ाईकरण हो जाए, उसके लिए चार करोड़ की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वह सड़क पूरी हो जाएगी, तो वास्तव में जिस तरह का ट्रैफिक भिवाड़ी में है, जिस तरह से रामगढ़ वाली रोड पर ट्रैफिक है, वह सारा अलवर का जो यात्री है, अलवर का ट्रैफिक सीधा ही एन एच 8 पर गढ़ीबोलनी पर जा पाएगा और आम जनता को उससे सहूलियत मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस तीन किलोमीटर सड़क को भी आप मंजूर करें।

यही नहीं, हमारे जिले को उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली सड़कें तो पहले से हैं, लेकिन भिवाड़ी से नीमराणा को जोड़ने के लिए डी एम आई सी का एक रोड पहले प्रस्तावित था, उसमें एक्वीजिशन के कुछ नोटिस भी जारी हुए थे, लेकिन उसको फिलहाल स्थगित किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि उस सड़क को भी, जो हमारे टपूकड़ा से लेकर कोटकासिम होती नीमराणा को जोड़ने वाली सड़क है, उस पर भी राज्य सरकार विचार करके उसको बनाने का प्रयास करें।

इसके अलावा, मैं आपके माध्यम से खैरथल की जनता को बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान में खैरथल नगरपालिका के पहले ऐसे लोग हैं, जिन्होंने स्वयं जन हित में आये दिन जो जाम लगता था, उसके समाधान के लिए अपनी स्वयं की दुकानों को, मकानों को हटाकर 33 फीट सड़क उन्होंने

(श्री रामहेत सिंह यादव)

खुद क्लीयर की है; लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, उससे समाधान होने वाला नहीं है। उसके लिए कांग्रेस की गलत नीति के कारण जो एम डी आर 25 कोटपूतली से लेकर किशनगढ़ बास को जोड़ने के लिए मंजूर किया, उसका जब प्रोजेक्ट बना तो 320.73 करोड़ रुपये का बना और तत्कालीन सरकार ने उसमें मात्र 182 करोड़ रुपये मंजूर किये और खैरथल और किशनगढ़ बाई-पास, उसमें जो प्रपोज्ड था, उसको हटा दिया; और हटाया ही नहीं, इसके साथ खैरथल और किशनगढ़, दो नगरपालिकाएं बीच में हैं, कुल 10 किलोमीटर की दूरी है और खैरथल नगरपालिका के वार्ड नं. 17 और 24 के बीच में नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर टोल टैक्स और लगा दिया। आये दिन वहां पर झगड़े होते हैं। आम लोगों को परेशानी है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाता है, तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। कई बार बाजार बंद हुए हैं। कुछ लोग, जिनके कारण से ये गलतियां हुईं, जिस सरकार के लोगों ने जो गलतियां कीं, वही लोगों को उकसाकर बाजार बंद करवाते हैं। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि इसका स्थायी समाधान है कि जो टोल टैक्स नगरपालिका क्षेत्र में लगा है तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। आम जनता परेशान है। इसलिए टोल टैक्स जो खैरथल और किशनगढ़ के बीच में है, इसको हटाएं।

सुगमता से लोगों को सुविधा मिले, इसलिए किशनगढ़ और खैरथल का बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं मानता हूं, बाइपास बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है और उसमें जमीन एक्वायर करने में और अन्य मामलों में समय लग सकता है। इसलिए खैरथल में ही इस्माइलपुर रोड से जो ग्रीन होटल है, वहां से लेकर लालपुर, बल्भग्राम, उसका रेलवे फाटक और अग्रसेन सर्किल, इस तरह से पी.डब्ल्यू.डी. की पहले ही सड़क वहां पर बनी हुई है। अगर उसका ही सात मीटर में चौड़ाईकरण कर दिया जाए, तो खैरथल का बाईपास का काम तो वह सड़क भी कर सकती है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि अलवर जिला एन.सी.आर. का है और कांग्रेस ने कभी एन.सी.आर. के बारे में सोचा नहीं कि वहां से क्या ला सकते हैं। पिछले कांग्रेस के राज में एक भी प्रोजेक्ट एन.सी.आर. में भेजा नहीं गया। अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं, नाबार्ड से लेते, वर्ल्ड बैंक से लें, या और वित्तीय संस्था से पैसे लेंगे तो आपको मिनिमम दस परसेंट

(श्री रामहेत सिंह यादव)

इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन एन.सी.आर. ऐसी हमारे वित्तीय संस्था है जो पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए फाइनेंस करती है और सड़क के लिए पांच या साढ़े-पांच परसेंट पर आपको लोंग टर्म लोन मिल सकता है। इसमें अलवर और भरतपुर एन.सी.आर. में आता है और बैराठ भी, जो जयपुर ग्रामीण का है, वह एन.सी.आर. में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो पुरानी परम्परा कांग्रेस ने की है, जिसके कारण हमने भुगता है, हमारे जिले ने भुगता है...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, पूरा अलवर से बहरोड, भरतपुर और बानसूर तक जो रोड गिनवा रहे हैं दिल्ली तक, वह तो हमने बनाया हुआ है। इनको ज्ञान हो। उसी रोड को गिनवा रहे हैं। अलवर जिले की बात करो, तो आप बात करो न, मिनी सचिवालय रह रहा है, मेडिकल कालेज रह रहा है। अब क्यों रह रहे हैं वे अधूरे?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अपनी बारी आये, तब आप खूब बोल लेना न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, आपने बानसूर का रोड गिनाया न।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): बानसूर का रोड बनाया, आपकी सरकार की...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दिल्ली से एन.सी.आर. की बात की न, इसीलिए बता रही हूं आपके ज्ञानवर्धन के लिए कि बहरोड़ तक रोड किसने बनाया? दिल्ली तक रोड किसने बनाया? एन.सी.आर. का ही बना हुआ है। खैरथल का रोड किसने बनाया वहां तक? आप थोड़ा-सा टुकड़ा बच रहा है वह कोटकासिम से आगे, वह बनवा लो, वह ही गनीमत है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): वह तो बन जायेगा। आप चिंता मत करिये। आप निश्चिंत रहिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वह तो बनवा लो। टुकड़ा रह गया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो पूरा बना देंगे। ये तो आपकी जन्म पत्री बता रहे हैं, पूरी जन्म पत्री।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वह जन्म पत्री ही मैं बता रही हूं कि ये रोड किसने बनाये बहरोड़ तक? बने हुए को गिना रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, रामहेत सिंह जी बता रहे हैं, पूरी जन्म पत्री बताओ।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मेरी बात सुनिये आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बानसूर तक किसने बनाया?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बानसूर का रोड आपकी सरकार ने बनाया, ये कागज मेरे पास हैं, 320 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवाया, 180 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, 125 करोड़ में उसको वाइंडअप कर दिया। खैरथल आज नरक में हुआ, खैरथल के लोगों को जो परेशानी हुई है, वह कांग्रेस के राज के कारण हुई है।

और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारा जिला ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य दोनों जन्म पत्री दिखा रहे हैं, जन्म पत्री से तो शादी होती है। करम पत्री बताओ। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): जन्म पत्री दिखाने का समय गया, साहब, दोनों का ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जन्म पत्री दिखानी हो तो हमको लाकर दिखाओ, वरना करम पत्री ...

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): दोनों की जन्म पत्री दिखाने का समय गया, अब क्या जन्म पत्री दिखानी।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ...(व्यवधान) और गूजर बताने लग जाओगे, हम क्या करेंगे?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह पंडित बीच में आ गये हैं, साहब।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): हमारा क्या होगा?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सदस्य, पंडित जी महाराज, मैं आपको श्रद्धा से कहता हूं, अगर मांगलिक कार्य के लिए मुझे कोई जन्म पत्री दिखानी पड़ेगी, तो मैं आपको निश्चित रूप से दिखा लूंगा।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप मेरे पास आ जाना, आगे तक की देख दूंगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भूल से चले मत जाना। भूल से चले मत जाना इनको दिखाने के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैंने तो, हुकुम, सदन में कह दिया न।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आदरणीय भाई साहब ने दिखाई, वे तो परेशानी भुगत रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मदन जी, ये उन पंडितों में हैं जो विवाह कराने वाली पुस्तक के बजाय गरुड़ पुराण लेकर चल जाते हैं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय सभापति महोदय, माननीय पंडित जी को मैं इस भावना से नहीं सोचता। मैं यह सोचता हूं, जिस समाज से आप हैं, ब्राह्मण समाज से, उसके लम्बे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं।

श्री सभापति: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको चेतावनी दे दी है। आप सोच-समझकर कोई भी काम करें। अब कोई गलती आप करोगे, तो फिर आपके ऊपर ही आयेगा वह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की बात इस मामले में नहीं मानने वाला। मैंने माननीय सदस्य को परखा हुआ है, मैं इनको जन्म पत्री दिखा सकता हूं, इनका सम्मान करता हूं। राजस्थान का पूरा ब्राह्मण समाज माननीय पंडित जी का सम्मान करता है, तो मैं तो छोटा-सा गांव का आदमी हूं। मैं तो वैसे ही ध्यान रखता हूं; इनके पैर भी छूता हूं। पूछ लो आप। इसलिए मेरे पर तो इनकी कृपा है। ऐसी कोई बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एन.सी.आर. के मामले में कहना चाहता था। कांग्रेस के राज में पांच साल तक एन.सी.आर. से सड़क के मामले में भी एक भी पैसा लाने का प्रयास नहीं किया और उसी का कारण है कि चाहे अलवर जिला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे हमारा बैराठ हो, यह पिछड़ा रहा।

श्री सभापति: ये सड़कें कब बनेंगी, इसका संजोग भी पूछ लो आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैंने मांगलिक कार्य के लिए कहा है; राजनीतिक कार्य और कामों, राज कार्य के लिए नहीं कहा है, साहब।

मैं मेरी बात कहना चाहता था कि पिछले पांच साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने एन.सी.आर. का उपयोग सड़क बनाने के लिए नहीं किया। अन्य राज्यों का अगर हम रिकार्ड देखें, तो यू.पी. ऐसा स्टेट है जो एन.सी.आर. से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर, वहां उन्होंने चाहे नोएडा हो, चाहे आगरा हो, उनके एन.सी.आर. क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को डवलप किया है।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हरियाणा बिलकुल हमारे पास में ही है, हरियाणा में जितने भी पुल, सड़कें बनी हैं, उस पर हम देखेंगे तो लगभग 16 हजार करोड़ एन.सी.आर. से हरियाणा सरकार ने लोन लिया है, सड़कों के लिए, पुल के लिए, और वे हम से काफी आगे हैं। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जितना भी, अलवर जिला हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे अलवर हो, सड़कें जो हमारी बाकी हैं, उनके लिए एन.सी.आर. से सामान्य दर पर लोंग टर्म का लोन लेकर के हमारे जिले की सड़कों को बनवाएं।

मेरे क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है, कि एक तरफ तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, एक तरफ नीमराना है, बीच में मुंडावर और किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं। तो हम दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को अगर कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, वहां के एन.सी.आर. के लोगों को फायदा देना चाहते हैं, वहां इन्वेस्टर को बुलाना चाहते हैं, तो हमको सड़क के मामले में भी सोचना पड़ेगा और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के, एन.सी.आर. से लोंग टर्म लोन लेकर के, सड़कें बनवाने का काम करें।

आने वाले समय में मेरे क्षेत्र में कोटकासिम में जो एयरपोर्ट बनने वाला है, उसकी भी डी.पी.आर. और प्रोजेक्ट पूरा बन रहा है। उसमें 20 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट होने वाले हैं। उसको भी ध्यान में रखकर, वहां नई टाउनशिप भी आने वाली है और बहुत सारे विकास के काम वहां होने वाले हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए, जो मैंने आपसे आग्रह किया, इन सड़कों को आप मन्जूर करें।

चूंकि मेरे उप-खण्ड कार्यालय कोटकासिम में विश्राम गृह नहीं है, न ही किशनगढ़ बास में है और जो हमारे वहां के भवन हैं, जो जर्जर हालत में हैं, उनको भी मेन्टीनेंस के लिए पैसा दें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का रायसिंहनगर

(श्रीमती सोना देवी)

विधान सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बजट घोषणा 2015 में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी ने घोषणा की थी अनूपगढ़ और सूरतगढ़ रोड की जो कि ग्रेफ रोड थी, उसको पी.पी.पी. मोड में लिया गया और 284 करोड़ रुपये की घोषणा कर दी गयी थी और 227 किलोमीटर की यह सड़क थी, जो आज तक नहीं बनी। माननीय मंत्री महोदय जी, सवा-दो साल सरकार को हो गये हैं और वहां की जनता बहुत ही दु:खी है; रोज दुर्घटनाएं होती हैं। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ और अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र है और विजयनगर रोड भी उसी पर पड़ता है, जी बी एरिया भी उसी सड़क पर पड़ता है। जी बी एरिया की वहां की जनता इतनी दु:खी है कि उन्होंने अपने जन सहयोग से आसपास के भट्टों से ईंट लेकर जो बड़े-बड़े गड्ढे थे, उनको भरा है। यह कितनी शर्मनाक और कितनी दु:खदायी बात है कि इन सवा 2 सालों में यह सड़क शुरू नहीं हुई। टेंडर पास हो गये हैं; कागजों में इनकी कार्यवाही चल रही है। माननीय मंत्री महोदय जी, इस ओर गौर फरमायें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

इसके साथ ही, विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरतगढ़ ब्रांच की मसीतांवाली हैड में 8 एस टी बी व 5 एस टी बी के मध्य एक पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में करणपुर से लेकर रायसिंहनगर तक की सड़क का भी बहुत ही बुरा हाल है। इसके साथ ही, बाजूवाला से सलेमपुरा सड़क, जो कि पहले टूटी हुई नहीं थी, इन 2 सालों में ही टूटी है। कारण भी बताना चाहूंगी, 'ग्रेफ' रोड जो सलेमपुरा से रायसिंहनगर, अब जो 2 सालों में बन रही है, उसमें कितना समय और लगेगा इस सड़क को बनते हुए, पता ही नहीं है; इसके कारण से जो साधन आने थे, वे सलेमपुरा, बाजूवाला होकर रायसिंहनगर जाने लगे हैं। ओवरलोड साधन आने के कारण वह भी सड़क टूट गई है। पहले तो वह सलेमपुरा से रायसिंहनगर बनी ही नहीं, दूसरी सड़क और टूट गई है। माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ पुल निर्माण के लिए भी मैंने आपको बहुत बार अवगत कराया है। जो घग्घर पुलिया है 90 जी बी ग्राम पंचायत की, इसकी मैंने आपको फोटो भी दी। यह बहुत बड़ी समस्या है। 6-7 पंचायतें उस समस्या से प्रभावित होती हैं। आपको मैंने उसकी फोटो के साथ-साथ, इसका एस्टिमेट भी बनवाकर के दिया था। इसका ज्यादा एस्टिमेट भी नहीं था, करोड़

(श्रीमती सोना देवी)

रुपये में ही वह पुलिया बन जायेगी। इस बजट सत्र में मैं आपसे मिली, तो आपने आश्वस्त भी किया कि इसको बना दूंगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।

इसके साथ-साथ, गंगानगर जिले के पास सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र आता है, इसके माननीय सदस्य भी विराजमान हैं, मैं बनवाली ग्राम पंचायत की समस्या से भी माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी। बनवाली ग्राम पंचायत के पास एक रेलवे फाटक है; रेलवे स्टेशन भी है और साथ ही सड़क है। बनवाली ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं वे समस्त किसान भाई हैं। इधर सड़क के पास और रेलवे लाइन के पार समस्त किसानों के खेत हैं। खेतों में किसानों को आने के लिए 5-10 किलोमीटर आना पड़ता है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से और माननीय सदस्य जी से भी निवेदन कि आप सरकार को इस सम्बन्ध में अवगत करावें, क्योंकि यह समस्या बहुत गम्भीर है; ओवरब्रिज या अंडरब्रिज वहां दिया जाये, तो आपका बहुत ही धन्यवाद होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि यह जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था, जो मेरे पास प्रिंट होकर आया है उसमें भी त्रुटि है, रायसिंहनगर से रामसिहपुर दे रखा है, यह रामसिंहपुर है। मैं बताना चाहूंगी कि रामसिंहपुर से लेकर कुम्पली के बीच में भी एक घग्घर पुलिया है। इसका भी आप निर्माण कार्य करवा देंगे, तो आपकी अति कृपा होगी।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक के बीच में जो वर्षा का पानी घग्घर पुलिया पर होते हुए जाता है, इसके बीच में जितनी भी जगहों पर घग्घर पुलियाएं हैं, या फिर जहां-जहां पर आवश्यकता है, वे पुलियाएं बना दी जायें। यह जो रामसिंहपुरा की पुलिया है, वह बहुत ही जर्जर है, कभी भी वह टूट सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी ने बजट सत्र 2015 में यह भी घोषणा की थी कि आई जी एन पी और गंग नहर के साथ-साथ जो भी सड़कें हैं, उसकी ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिसकी ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन रहेगा कि इन सड़कों की ओर भी ध्यान दिया जाये, ताकि सड़क के साथ-साथ नहरों के रख-रखाव का ध्यान रखा जा सके।

(श्रीमती सोना देवी)

इसके साथ-साथ माननीय मंत्रीजी को मैं यह भी कहूंगी कि जन सुनवाई के दौरान माननीय मंत्री युनुस खान जी रायसिंहनगर गये थे; मैं भी इनके साथ थी। वहां पर रायसिंहनगर की पंचायत समिति के प्रधान जी थे, वहां के अधिकारी गण थे। इनको गुमराह करने के लिए उन सड़कों से ले जाकर जन सुनवाई के लिए उन-उन पंचायतों को चुना, जहां सड़कें पहले से बहुत अच्छी थीं। उन सड़कों पर ले जाया गया। आपने जन सुनवाई में यह भी कहा था कि रायसिंहनगर में बहुत अच्छी सड़कें हैं, यहां पर तो पेयजल की समस्या है। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपको वे सड़कें जो टूटी हुई हैं, उन सड़कों के ऊपर से होकर नहीं ले जाया गया था।

अनूपगढ़-सूरतगढ़ रोड और सलेमपुरा से रायसिंहनगर रोड एवं रायसिंहनगर से करणपुर रोड का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो मिठाई खिलायें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): जी, बता दिया गया है। माननीय सादुलशहर से आने वाले विधायक जी से भी निवेदन करूंगी कि आप यह मत जानना कि, 'ओ कि जाने पीर पराई, जिना दे अन्दर दर्द ना रई'।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब दो जवाब।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21, लोक निर्माण कार्य, सड़क एवं पुल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में अगर सही मायने में देखा जाये, तो विकास का सबसे पहला अगर कोई मूल आधार है तो वह सड़क तंत्र है। सड़क तंत्र के माध्यम से ही उस ग्रामीण परिवेश में सही विकास करवाया जा सकता है। सड़क के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी, ये 4-5 ऐसे बिन्दु हैं जिनमें अगर पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाये, तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो सकता है। सभापति महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पांचों बिन्दुओं पर काम करके दिखाया है। मैं माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, यह उनका

(श्री जगदीश नारायण)

दूसरा कार्यकाल है और इन दोनों कार्यकालों के माध्यम से उन्होंने विकास के इतने काम करवाकर क्षेत्र की जनता के सामने प्रस्तुत किये हैं कि अगर कांग्रेस के पूरे पिछले कार्यकाल की इस अल्प समय से तुलना की जाये, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाये गये विकास के कार्यों का पलड़ा बहुत भारी ही नजर आ रहा है, जिसको जनता मान रही है।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह जयपुर से नजदीक का क्षेत्र है; यहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से जमवारामगढ़ शुरू हो जाता है। जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने का मौका अगर मिला है, तो मात्र 10 साल का मिला है। यह 2 साल का कार्यकाल मेरा चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर के 12 साल का कार्यकाल मिला है। इन 12 सालों के कार्यकाल में हमारी सरकार के माध्यम से वे काम करवाये गये हैं जो काम आज अंधेरे में भी नजर आ रहे हैं।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 10 पंचायतों में 10-10 गौरव पथ बनाकर के तैयार करवा दिये। उन 10 गौरव पथों के माध्यम से उन गांवों की गंदगी तो दूर हुई ही, उन गांवों की जनता को सुबह, शाम और दिन में लगभग 18 घंटे तक आराम के साथ घूमने-फिरने का और आने-जाने का सुलभ मौका मिला है। आज वह गांव की जनता इस बात की बधाइयां दे रही है कि काश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 20 साल पहले आ गई होती, तो आज गांव का नक्शा बदल गया होता। माननीय सभापति महोदय, 10 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कें, 10 किलोमीटर की गौरव पथ सड़कें, ये हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, युनुस खान जी ने और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस 2 साल के अल्पकाल में पूरी करवाईं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कृषि मंत्रीजी को कि कृषि मंडी के माध्यम से भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़कें बनवाई गई हैं। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं राजपाल सिंहजी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जे डी ए के माध्यम से मेरे क्षेत्र में लगभग 65 करोड़ रुपये के काम सड़क क्षेत्र में इनके द्वारा कराये गये। मैं तो धन्यवाद यह भी देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सड़वा मोड़ से रामगढ़ डैम तक, जो लगभग 18 किलोमीटर पड़ता है, उसकी फोर-लेन सड़क

(श्री जगदीश नारायण)

बनाने का जो काम होगा, उसकी डी पी आर का काम भी आपने शुरू कर दिया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, सड़क क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और गति से आगे भी काम चल रहा है, चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट दस्तावेज के माध्यम से जो बात सामने रखी है, उसमें प्रथम चरण में 1,984 पंचायत मुख्यालयों पर 1,027 करोड़ रुपये की लागत से 1,955 किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथ निर्माण का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। इसको आम जन ने सराहा है। 608 करोड़ रुपये की लागत से 2,182 किलोमीटर लम्बाई की 1,009 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य भी आगामी वर्ष तक पूरा कर दिया जाएगा। आगामी दो वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से लेकर 350 की आबादी के 1,468 गांवों को 1,618 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4,303 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। वर्तमान में 7,202 किलोमीटर लम्बाई की नान-पैचेबल सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का काम तथा 99 पुलियाओं का काम 605 करोड़ रुपये की लागत से आगामी वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। यह भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट दस्तावेज में प्रस्तुत किया है। वर्ष 2016-17 में 2,500 किलोमीटर की लम्बाई से अधिक नान-पैचेबल सड़कों का काम 600 करोड़ रुपये से करवाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार एक नीति के तहत काम कर रही है और इस नीति को लेकर के आगे चलती रही, तो आने वाले कुछ वर्षों में इन सड़क की आवश्यकताओं का जहां-जहां जिक्र चल रहा है, जहां-जहां आवश्यकता महसूस की जा रही है, वे हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है।

माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि मांग सड़क, पुलिया और लोक निर्माण की है, तो इस संदर्भ में मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगों के बारे में जिक्र करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): दो मिनट लूंगा, ज्यादा से ज्यादा।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अभी तक बहुत माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है। इसलिए अपनी जो भी मांगें हैं, वे पांच मिनट में समाप्त कर लें। पांच से छठा मिनट किसी को नहीं मिलेगा। (व्यवधान) अभी बहुत लम्बी सूची है। अगर आप अपनी बात पांच मिनट में रख देंगे, तो सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा, अन्यथा कई सदस्य वंचित रह जाएंगे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आसन का सम्मान करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि आसन इस बात का भी ख्याल रखे कि जो लोग कम से कम बोलते हैं, उनको कम से कम पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगों के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुछ सड़कें इस कदर हैं कि उनका पुनर्निर्माण करवाना अति-आवश्यक है और जब तक उनका निर्माण नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह बात कटु सत्य है कि जो सड़कें निर्माणाधीन या क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हैं, उन्हीं सड़कों की देन है कि कांग्रेस आज यहां अल्प संख्या में विराज रही है। पिछले 15-20 सालों से उन सड़कों पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। वे टूटी-फूटी अवस्था में हैं, गहरे-गढ्ढे गढ्ढे बने हुए हैं और यही कारण रहा कि जनता ने इस सोच के साथ कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ करो, इन्होंने हमको छलने का काम किया है, हमको रुलाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता आसीन करो, ताकि हमको अच्छी सड़कें देखने को मिलें और चलने को मिलें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इन सड़कों को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने का काम करें, जिनमें जमवारामगढ़ बांध से रायसर तक 15 किलोमीटर की सड़क, जिसमें 7 किलोमीटर सड़क स्वीकृत भी कर दी गई है, लेकिन 8 किलोमीटर की जो शेष सड़क बची है उसके बिना वह काम अधूरा है। जब तक 8 किलोमीटर की सड़क पूरी नहीं होती है, तब तक उस रोड का फायदा जनता को नहीं मिलेगा।

दूदली मोड़ से जो आगरा रोड को टच कर रहा है, उससे लेकर के चावंडिया-बासड़ा मोड़ तक की जो लगभग 7-8 किलोमीटर की सड़क है, वह

(श्री जगदीश नारायण)

पूरी तरह से क्षत-विक्षत है, टूटी हुई अवस्था में है। उस सड़क का काम करवाना बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, नकची घाटी से बूज तक लगभग 7 किलोमीटर की सड़क; जमवारामगढ़ से थौलाई स्टैंड तक लगभग 5 किलोमीटर की सड़क, जो जमवारामगढ़ बांध को उप तहसील आंधी से जोड़ने का काम करती है; वहां पूरे समूचे क्षेत्र का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी इसी रोड से चलता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस रोड पर भी विशेष गौर फरमायें।

आंधी से सायपुर लगभग 3 किलोमीटर; नीमला से नाभावाला तक लगभग 3 किलोमीटर; लालवास से बाड़ रसूलपुरा तक लगभग 4 किलोमीटर; चावंडिया रोड से घटेपुरा तक करीब 2 किलोमीटर, चावंडिया से रामपुरा तक 3 किलोमीटर; चावंडिया रोड से जगमालपुरा तक लगभग 2 किलोमीटर; थली से डांगरवाड़ा लगभग 3 किलोमीटर; माणोता से बैंदाड़ा तक लगभग 8 किलोमीटर; और सानकोटडा से रासावाला तक लगभग 3 किलोमीटर; ये मेरे क्षेत्र की 13 सड़कें हैं, इन 13 सड़कों का काम कराना बहुत जरूरी है।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब तक इन 13 सड़कों का काम पूरा नहीं होगा तब तक वहां की जनता को पूरी तरह से सहूलियत नहीं मिल पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा नहीं, एक मिनट और लूंगा।

पुलिया का भी इसमें दे रखा है। डांगरवाड़ा से लेकर चतरपुरा, जो कम से कम 10 गांवों के आवागमन का रास्ता बनता है और उसमें मोरादा बांध का एक नाला पड़ता है, उस नाले पर एक पुलिया निर्माण कराना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि उस पुलिया पर जब बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा होता है, तो लोगों को वहां नावें चलाकर, नावों के माध्यम से उस रास्ते को क्रोस करना पड़ता है। इसलिए वह पुलिया निर्माण भी जरूरी है।

इसके साथ में हमारे जमवारामगढ़ में एक विश्राम गृह का निर्माण हो जाए, यह भी मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19-सड़क निर्माण कार्य और मांग संख्या 21-सड़क एवं पुल पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जैसा कि एक व्यक्ति के लिए शरीर में धमनियों का जितना महत्व है, उतना ही किसी प्रदेश और राष्ट्र के लिए सड़कों का महत्व है और इसी के तहत जब सड़क का नाम लिया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयीजी को कोई याद किये बिना नहीं रह सकता। जिस तरह से उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया; उसी तरह से 'गौरव पथ' का नाम लिया जाएगा भविष्य में कभी, तो हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी को और हमारे माननीय मंत्रीजी, युनुस खानजी को याद किये बगैर कोई नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरह से गौरव पथ और पी एम जी एस वाई की जो सड़कें बनीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे आज प्रदेश के अन्दर जितनी भी सड़कें बनी हैं, पहले जब हम गुजरात के अन्दर जाते थे, तो उस समय लगता था कि कहीं सड़कें हैं, ऐसी सड़कें हैं, लेकिन गुजरात से जैसे ही राजस्थान में आते थे, तो गाड़ी के अन्दर या बस के अन्दर सोये हुए होते थे तो पता चल जाता था कि अब राजस्थान में प्रवेश हो गये। ऐसी जर्जर अवस्था हमारे राजस्थान की सड़कों की थी, लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी ने उस समय सड़कों के महत्व को ध्यान दिया और उन्होंने बगैर राजनीति किये हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। आज राजस्थान के किसी भी जिले में जाएं, हमारे को किसी भी जिले में जाने के लिए 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन पहले अगर हमें यहां से अजमेर जाना हो, या यहां से कहीं दूर जाना हो, तो जरूरी नहीं है; इतना जाम लगा होता था कि अजमेर, सुबह से रवाना होने के बाद शाम तक पहुंचेगे, या नहीं पहुंचेगे, यह स्थिति थी। उसके बाद में सड़कों का जिस तरह से प्रधान मंत्री बनने के बाद और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किये, वे सराहनीय हैं; जितनी तारीफ करें, कम है। आज गांवों में जाते हैं, गौरव पथ का नाम लेते हैं, गांव के अन्दर लोगों में कितनी खुशी है। इतनी शानदार सड़कें हैं! जैसे उनको लगता है कि गांव के अन्दर रहने वाले, गौरव पथ नाम है। गांव का व्यक्ति, किसान के गौरव को जगाने का काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

अभी प्रतिपक्ष से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या किया? मैंने सोचा

(श्री कैलाश चौधरी)

कि इन्होंने इतने वर्षों में कुछ कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये उछल-कूद कर रहे हैं। मैंने आंकड़े निकलवाये। आंकड़े निकालने के बाद में, मैंने पता किया, तो इनके आंकड़ों में 2008 से 2011, यानी इनके ढाई साल और हमारे 2013 से 2016, यानी हमारे ढाई साल के जो आंकड़े हैं, उनको निकालने के बाद तुलना की, तो पता चला कि नवीन सड़कें हैं इन्होंने 2008 से 2011 के बीच बनायीं, वे 3,296 किलोमीटर बनायीं और हमने इन ढाई साल में 12,826 किलोमीटर सड़क बनायीं।

इसी के साथ, नवीन सड़क निर्माण कार्य में व्यय की बात करूं, तो इन्होंने ढाई साल में 742 करोड़ रुपये खर्च किये, लेकिन हमने इन ढाई साल के अन्दर 3,407 करोड़ रुपये खर्च किये। इसी के साथ में जोड़े गये गांवों की बात करूं, तो उन्होंने अपने ढाई साल के कार्यकाल के अन्दर 530 गांवों को जोड़ने का काम किया, लेकिन इन ढाई साल के अन्दर 1,467 गांवों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके बाद और बताऊं, जोड़े जाने वाले गांव और मजरे, ढाई साल का इनका अंक आता है जीरो, हमारी संख्या रही 2,284 ।

उसके बाद में राष्ट्रीय उच्चमार्ग की चौड़ाई व सुदृढ़ीकरण की बात करें, तो इन्होंने ढाई साल के अन्दर 297 करोड़ रुपये खर्च किये, जबकि हमने खर्च किये 555 करोड़। उसी के साथ में राज्यमार्ग व जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण की बात करूं, तो इन्होंने ढाई साल में 2,391 किलोमीटर, लेकिन हमारी सरकार ने 4,059 किलोमीटर। उसके बाद में राज्यमार्ग, जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 1,074 करोड़ इन्होंने खर्च किये, लेकिन हमने 2,963 करोड़ रुपये खर्च करके सड़कों का निर्माण कराया। इसी के साथ में अन्य जिला व ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात करें, तो इन्होंने 1,740 करोड़ और हमने 2,251 करोड़।

अब कुल मिलाकर मैं पूरी बात करूं, सड़कों के निर्माण पर समग्र व्यय की बात करें, तो इन्होंने ढाई साल के अन्दर 3,853 करोड़ रुपये खर्च किये और हमने इन ढाई साल में 9,177 करोड़; यानी, तीन गुना ज्यादा काम करके, राजस्थान सरकार ने काम किया है।

इसलिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करना चाहती है, लेकिन आप सिर्फ बातों में रहते हैं। राजस्थान की हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय के प्रयास से निश्चित रूप से राजस्थान विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।

(श्री कैलाश चौधरी)

मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिससे मांगने की बात होती है, हमारे यहां बाबा रामदेव जी का मंदिर है, रामदेवरा जाते हैं, वहां यात्री जाते थे तो उन्हें कितनी परेशानी होती थी। उनके लिए भी अलग से एक रास्ता बनाने का तय किया। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। दूसरा, हमारे जोधपुर व बाड़मेर के बीच में भी आपने जो फोरलेन बनायी, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके साथ में, जो देता है उसी से मांगा जाता है; नहीं दे, उससे क्या मांगना!

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की भी अगर बात करूं और पूरे राजस्थान की बात करूं तो जिस तरह से पी एम जी एस वाई सड़कों का, जिनको 8-10 साल हो गये, कई सड़कें बनी हुई हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे राजस्थान में ऐसी जो नान-पैचेबल सड़कें हैं, उनको अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ेगा।

दूसरा, एक मेरा विशेष मंत्रीजी से निवेदन रहेगा, हमारी मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू के अन्दर बायतू से लेकर कवास के बीच में 26 किलोमीटर की दूरी है, उसके बीच में एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद कोई रेलवे का क्रोसिंग नहीं है, न आर यू बी है। उसकी वजह से लोगों को 26 किलोमीटर चक्कर काटकर जाना पड़ता है। इन लोगों ने किस तरह से काम किये हैं, हमारे वहां पर जो रेलवे लाइन है, वहां पर रेलवे का क्रोसिंग था, लेकिन वहां पर जो गांव था, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, उस गांव के अन्दर सभी बी जे पी के कार्यकर्ता थे, बी जे पी को वोट देने वाले थे। इसलिए इन्होंने राजनीति करते हुए, दो जगह से रेलवे का क्रोसिंग था, दिल्ली में जाकर, केन्द्र में उनकी सरकार थी, दिल्ली में जाकर क्रोसिंग के ऊपर बैरिकेडिंग लगाने का काम इन लोगों ने इसलिए कर दिया, एक माडुपुरा गांव और बायतू का बणियासण्डा धोरा और कोसरिया; उन लोगों को इसलिए प्रताड़ित किया कि इन्होंने वोट कांग्रेस को नहीं दिया। इसकी वजह से वे बैरिकेडिंग आज दिन तक लगे हुए हैं। उसका कारण क्या है? हमारे पूर्व विधायक तगाराम जी, जो उस गांव के अन्दर रहने वाले थे, उनकी द्वेषता थी कि इसको यहां से बंद कर दिया जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्होंने अपने शासन के अन्दर ये क्रासिंग बंद करवाये, मेरा आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर 26 किलोमीटर लोगों को परेशान होकर जाना पड़ता है। एक खेत से

(श्री कैलाश चौधरी)

दूसरी जगह जाने के लिए 26 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है; ऐसे में मेरे गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे निवेदन रहेगा कि वहां पर कम से कम चार आर यू बी बनाये जायें, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके।

दूसरा, मेरे वहां रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्री हैं, पचपदरा व पाटौदी के बीच में सिंगल रोड है, उसको आप अगर डबल रोड बनाएंगे, वहां जो पैदल यात्री जाते हैं उनके अक्सर एक्सिडेंट होते रहते हैं; वहां डबल रोड हो जाएगी तो उनको चलने में सुविधा होगी और एक्सिडेंट भी नहीं होंगे। बायतू से लेकर फलसूण्ड के बीच में, क्योंकि गुजरात, जालौर और सिरोही, आदि क्षेत्र से जो लोग आते हैं रामदेवरा, उनका यह शार्ट रास्ता है, बायतू से होकर सभी निकलते हैं। उस रोड को भी डबल रोड बनाया जाता है, तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी।

जो बायतू सिटी है आज उस पर हाइवे बन रहा है। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि बायतू के अन्दर गांव के बीचोबीच से हाइवे निकल रहा है; वहां एक साइड में रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ आबादी है, बिलकुल ही जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और एक्सिडेंट होने का अक्सर खतरा होता है, क्योंकि दोनों साइड में स्कूलें हैं, और बच्चों को इधर से उधर जाने में तकलीफ होती है। अगर वह हाइवे बन रहा है, उसका अगर बाइपास बना दिया जाता है, तो वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम करेंगे।

बायतू के अन्दर बस स्टैण्ड नहीं है। बस स्टैण्ड होगा, क्योंकि वहां हाइवे बीच में से भी निकलता है और बसों को खड़ा रहने की जगह नहीं है जिसकी वजह से अक्सर एक्सिडेंट होने का खतरा रहता है; एक बस स्टैण्ड बन जाय तो वहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम होगा। वहां पर ऐसी स्थिति है कि शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था निश्चित रूप से कराने का मैं आपसे निवेदन करूंगा।

मेरा लास्ट निवेदन है कि अकदड़ा व उतरणी के बीच में एक सड़क है, जो पी एम जी एस वाई सड़क बनायी गयी थी। उसका ठेकेदार ने काम सही नहीं किया, या, पता नहीं, किस कारण से वह कोर्ट के अन्दर मैटर अटका हुआ है। मेरा निवेदन रहेगा, आप वकील को भेजकर उस मैटर को कैसे

(श्री कैलाश चौधरी)

भी सुलटाने का काम करेंगे, तो इस गांव की सड़क जुड़ जाएगी। यही निवेदन है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए, सभापति महोदय जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिन्द। जय भारत। भारत माता की जय। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 व मांग संख्या 21 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

काफी साथियों ने चर्चा के दौरान सदन में कहा है कि सड़क वास्तव में ही किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं। जब कोई दूसरे देश और प्रदेश से लोग आते हैं तो उनको सड़कें दर्शाती हैं कि वास्तव में इस क्षेत्र का विकास हुआ या नहीं हुआ। वास्तव में सड़कें क्षेत्र के विकास की महती आवश्यकताएं होती हैं।

इसी क्षेत्र में मेरे से पूर्व सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने काफी कुछ बताया कि इस राजस्थान की सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ के रूप में पंचायत मुख्यालयों पर एक-एक किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, जिसमें 1,900 आंकड़े इन्होंने बताये कि इतनी सड़कों की स्वीकृति की, उतने ही 1,900 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये और 1,900 किलोमीटर बनाकर, ग्रामीण गौरव पथ पंचायत मुख्यालयों पर बनाकर, इन्होंने गौरवता हासिल की। वह अच्छी बात है। जब राजस्थान ने हम लोगों को यहां चुनकर भेजा है और उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो करना भी चाहिए और आपने किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को और राजस्थान की सरकार को कुछ कहूं, उससे पहले अपने आप के लिए यह कहता हूं कि –

वक्त ने कहा, काश, थोड़ा और सब्र होता;
और सब्र ने कहा, काश, थोड़ा और वक्त होता।
शिकायतें तो बहुत हैं, मंत्री जी, आपसे
लेकिन चुप इसलिए हूं कि
जो आपने दिया, वह सभी को मुकम्मल नहीं होता।

(श्री पूरणमल सैनी)

धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी को एक बात के लिए कि जब एम डी आर और जिला सड़कों को प्रमोट करने का अवसर आया, तो क्या पता, कैसे दो सड़कों को मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय ने क्रमोन्नत किया, एक को स्टेट हाइवे 82 का नाम दिया और दूसरे को 13ए का नाम दिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देते हुए मेरी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा।

जब सत्ता पक्ष के लोग बड़ी-बड़ी डींग हांकते हुए कहते हैं और प्रतिपक्ष के लोग उनका विरोध करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण इस सदन में पेश किया, उसके प्रथम पन्ने पर ही सबके विकास के लिए और सबके सुख के लिए कहा है। लेकिन वास्तव में हम आप दोनों पक्षों को सुनते हुए इस फैसले पर पहुंचे हैं, पिछले दो-ढाई वर्ष से लगातार सुन रहे हैं, अगर छोटी भी कोई बात होती है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं और बीच में प्रतिपक्ष का कोई आदमी टोकता है, तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कहा जाता है, और माननीय मंत्री महोदयों द्वारा भी जवाब में यह कहा जाता है कि आपने क्या किया है। इसमें मेरा एक सवाल है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री महोदयों और सरकार से कि क्या कांग्रेस ने जो अपने राज में किसी भी प्रकार के फैसले किये होंगे और वह इनके गलत रहे होंगे तभी तो इतने प्रचण्ड बहुमत में राजस्थान की जनता ने आप लोगों को यहां सत्ता करने के लिए सत्ता पर काबिज बनाया है। तो जब इन्होंने अपने कार्यकाल में गलत किया है तो इन बातों के माध्यम से इनका करते हुए आप क्या यह बताना चाहते हैं कि आपने जो गलत किया है इसीलिए हम भी गलत कर रहे हैं? मैं मांग करना चाहूंगा कि प्रतिशोध की दृष्टि से इनको जवाब दिया जा सकता है लेकिन मेरे ही जैसे लोग चाहे वह सत्ता पक्ष में रहे होंगे और चाहे प्रतिपक्ष में रहे होंगे, या दूसरे दलों में, जिन्होंने आज तक शासन नहीं किया उन दलों में रहे होंगे, तो अगर कांग्रेस ने भी कोई गलती की है, तो नये आने वाले माननीय सदस्यों की कहां कोई क्या गलती रही है? उस राजस्थान की जनता जिसने 69 वर्ष की आजादी के बाद बार-बार कभी वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर परखा और जब वक्त आया कि यह सरकार ठीक काम नहीं करती है, तो अगली बार उन्होंने कांग्रेस को आजमाया।

हम जब जनता के बीच में चौपालों पर जाते हैं तो जनता से मांग भी

(श्री पूरणमल सैनी)

करते हैं कि ग्रामीण लोगों, हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि देश के लोगों, अगर वास्तव में आप अपना विकास चाहते हो, तो इस देश और प्रदेश की सरकारों को मजबूत बनाना बन्द करें, और मजबूत सरकारें जब तक आप बनाओगे, तब तक आप लोगों की सुध पूछने वाला कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि उन महामहिम की बात वास्तव में सौ फीसदी सही थी।

यह घमण्ड और गर्व राजस्थान की सरकार में महज देखने को मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि सरकार इस राजस्थान प्रदेश की 101 माननीय सदस्यों से भी बनाई जा सकती है, लेकिन यह इसीलिए है कि इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार भयमुक्त होकर इतना ताण्डव करने की जरूरत नहीं है। जो 69 वर्ष से आप चलाते आ रहे हो कि कभी कांग्रेस और कभी बी जे पी, मेरे ख्याल में इस देश और प्रदेश की जनता को यह बात समझ में आ गई है। अब आपको किसी ने वोट नहीं दिया और वहां से दूसरा मेम्बर जीतकर आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया। निश्चित रूप से वहां पर आपके जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, उनके पक्ष में भी वोट आये होंगे। इसलिए वहां पर भी काम होने चाहिए।

मैं कहना चाहता था, और मेरी शिकायत भी है, कि जब से हम सदन में आये हैं, तब से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सत्ता पक्ष के उन माननीय सदस्यों से, जो बार-बार सरकार की बड़ाई करते रहते हैं, उनको अवगत करवाना चाहूंगा, चाहे वे कांग्रेस के लोग भी रहे होंगे, एक बार 2010 में बहुत बड़ा पानी का बहाव आया और चन्द्रावती नदी पर 6 किलोमीटर का मेहाड़ा से बसई जाने वाली सड़क है उस पर आधा किलोमीटर का रपटा था, उस रपटे को उस भीषण पानी के प्रवाह ने पलट कर दूर रख दिया था। कांग्रेस की सरकार ने भी अपना पूरा कार्यकाल बिता लिया और उन्होंने एक योजना बतायी और बार -बार खेतड़ी की जनता को बरगलाते रहे और कहते रहे। माननीय सभापति महोदय, वह दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है और वह हरियाणा प्रदेश को खेतड़ी होते हुए राजस्थान प्रदेश से जोड़ती है। माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में आने के बाद, कांग्रेस तो चली गई, अकेले खेतड़ी और बसई के उन लोगों की वजह से नहीं गये, लेकिन हो सकता है, मे बी पासिबल, कि पूरे

(श्री पूरणमल सैनी)

राजस्थान की जनता के साथ ही उन्होंने किया होगा; लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले ढाई वर्ष यह बी जे पी की सरकार भी यहां बिता चुकी और माननीय मंत्री महोदय से हमने व्यक्तिगत मिलकर मांग की, प्रार्थना पत्र लिखकर मांग की और याचिका लगाकर भी मांग की, लेकिन आज दिनांक तक उस मात्र 6 किलोमीटर के सड़क के टुकड़े और छोटे से पुल के लिए इन्होंने सुध नहीं ली। पिछले दिनों जब माननीय मंत्री महोदय हमारे जिले में पधारे और हमने जब इनसे निवेदन किया, तो आपने कहा कि आपके लिए पुल की सैंक्शन सी आर एफ में करवा दी गई है, जब भी अगली बार टेंडर लगेंगे तो टेंडर निकालकर उसको कर दिया जायेगा। हम सड़क के सचिव महोदय से भी मिले तो उन्होंने, पहले जनवरी के लिए कह रहे थे और अब इन्होंने कहा है कि अप्रैल में यह लगा देंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट हाइवे 13 है, वह भी हमारे खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र से गुजरते हुए, आगे बुहाना होते हुए, दूसरे प्रदेश हरियाणा को जोड़ने का काम करता है, जो 26 किलोमीटर का टुकड़ा है। उससे पहले माननीय मंत्री महोदय जब हमारे झुन्झुनूं में पधारे थे, तो कलक्टर के कार्यालय में बात हुई, तो इन्होंने कहा कि 26 किलोमीटर की स्वीकृति अभी आपकी जारी कर रहे हैं। इन्होंने 13 किलोमीटर के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि खेतड़ी की जनता को बता दो कि 13 किलोमीटर अभी दे देंगे और शेष 13 अगली बार देख लेंगे। मैंने कहा कि इसमें भी संतोष है, कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई दोष नहीं है, अगर हमारे लिए कोई प्रोविजन इसमें सरकार नहीं करवा पा रही है, तो मैं सरकार से एक अपील करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खनिज का बहुत बड़ा भण्डार है और वहां यातायात के भारवाहक यान जब उधर से गुजरते हैं, तो जो एप्रोच सड़कें हैं, जो मिसिंग लिंक के रूप में, स्टेट हाइवे के रूप में जो भी सड़कें बनाई गई थीं, उनका पूर्ण रूप से खात्मा हो चुका है। आज खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के आधे क्षेत्र में यह पता नहीं चलता है, खड्डे रोड में है या रोड खड्डों में है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा; 2006 से 2015 तक का हमने जब कैलकुलेशन किया, राजस्थान की सरकार उस रेवेन्यू को वसूलने के लिए बार-बार टेंडर करके खनिज विभाग से करीब 40 हजार करोड़ रुपये इस अवधि में राजस्थान की सरकार, चाहे कांग्रेस रही हो.

(श्री पूरणमल सैनी)

(18.00 बजे)

और चाहे बी जे पी रही हो, दोनों ने वसूल लिया। अगर आप अपनी तरफ से कोई प्रोविजन नहीं कर सकते, तो मैंने पिछली बार भी सदन में मांग उठाई थी कि राजस्व के रूप में राजस्थान की सरकार के उस विभाग के द्वारा वसूली गई राशि का हमारा अपना हिस्सा अगर खेतड़ी की सड़कों पर लगा दिया जाये, तो भी पूरा होगा। माननीय सभापति महोदय, आसन अपना फैसला लेने में सक्षम है, लेकिन मैं अपील करना चाहूंगा कि... केवल उनके इशारों से मुझे मात्र दो मिनट, पांच मिनट मिल जाये। सुबह ही फैसला हुआ था कि दस मिनट तक एक सदस्य बोल सकता है। मैं अपील करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हमारी हालत...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने 5.50 बजे बोलना चालू किया है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): चलो, पांच मिनट और बोल लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपील करना चाहूंगा...

श्री सभापति: कोई फर्क नहीं। आप अपनी बात एक मिनट में अब समाप्त कर दें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, वक्त आएगा और जनता के बीच में दुबारा भी हम सारे ही लोगों को जाना पड़ेगा। इतना बुरा खेतड़ी की जनता ने नहीं किया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अच्छा, तो मेरे 10 मिनट भी इनको दे दो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इतना बुरा खेतड़ी की जनता ने नहीं किया है, जितना आप समझ रहे हो। जब-जब अवसर लगा, तो खेतड़ी की जनता ने उपहारस्वरूप आपको भी एक सदस्य कभी न कभी भेजा होगा। मैं अपील करना चाहूंगा, चाहे वह गौरव पथ के रूप में है, प्रपोजल बेशक आप उन अपने कार्यकर्त्ताओं के मानें, लेकिन विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की जनता जिन्होंने बी जे पी को वोट किया है, उनके लिए तो सड़क बनायें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें अगर कहीं मंत्री महोदय की आत्मा आ जाये, यह सोचें और विचार करें कि कुछ न कुछ देना चाहिए,

(श्री पूरणमल सैनी)

तो मैं कुछ सड़कों का नाम इनको गिनाना चाहूंगा, जो छोटी-छोटी सड़क हैं, और चाहेंगे तो मैं लिखकर भी दे दूंगा, लेकिन एक अपील करना चाहूंगा कि हमारे खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र से गुजरता हुआ स्टेट हाइवे-13, जो सिंघाना से मात्र 26 किलोमीटर की सड़क है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपने को भीख नहीं मांगनी है। दबंगई से कहो। दे तो दें, नहीं दें तो नहीं दें। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, ''घोड़ी मरे तो एक मजा, सवार पड़े तो दो मजा।''

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ...26 किलोमीटर है। हमारी ड्यूटी है, हम सरकार को अवगत करवायें कि क्षेत्र के हालात ये हैं। उसके बावजूद सरकार की अपनी मर्जी। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर सरकार देती है तो ठीक है...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, देंगे; देंगे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): नहीं तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यह भी कोई बुरी बात नहीं है और अपने आप से ही कहना चाहेंगे-

ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में,
करम की सब्र को हिलाना होगा।
कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को,
अपने हिस्से का दीया खुद को ही जलाना होगा।।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, और जायेंगे हम बहुजन समाज पार्टी के लोग कोने-कोने में इस राजस्थान की जनता के पास और आपके जो बी जे पी के और कांग्रेस के कर्म हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता एकदम खतम करेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश इस देश में है, माननीया बहन मायावतीजी उस प्रदेश की जब पहली बार मुख्य मंत्री बनीं और जनता के पास जाती थीं, तो बार-बार दलित और शोषित, पिछड़ों पर जो अन्याय-अत्याचार होते थे, उनके प्रार्थना-पत्र ले-लेकर इकट्ठे कर लिये थे और जब सत्ता में आये, उस समय उन्होंने फैसले लिये थे और जिन्होंने अन्याय-अत्याचार किये, उनके खिलाफ एफ आई आर 10 वर्ष पहले की भी खुलवा ली थी।

इतना सब कुछ होते हुए, सभापति महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा

(श्री पूरणमल सैनी)

कि मेरी मांग, आज आपने मांग का ही अवसर दिया था, इसलिए मैंने निवेदन कर दिया; छोटी-छोटी सड़कों को और यह राजमार्ग-13 पर आप गौर फरमायें।

इतना ही कुछ कहते हुए, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभार।

बीकानेर समभाग के दौरे पर जब हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्रीजी सरकार-आपके-द्वार के समय राजियासर स्टेशन पर पहुंचीं, वहां कुछ लोगों से मिलना हुआ और उसके बाद में उन्होंने एक सड़क देने की घोषणा की। सात किलोमीटर की सड़क बनकर आज की तारीख में वह तैयार है। मिसिंग लिंक रोड की 10 किलोमीटर की सड़कें और 11 गांवों के अन्दर गौरव पथ का निर्माण, यह सड़क के सम्बन्ध में ऐसे कार्य हमारे क्षेत्र में हो चुके हैं।

अब जिस बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूं, हमारे माननीय मंत्री महोदय बिराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे थर्मल पावर स्टेशन के पास से गुजरने वाली सड़क, जो ठेठार गांव से होते हुए सरदारपुरा खुर्था और वहां से जाखड़ालिया होते हुए आगे रावतसर तक और एक साइड में हनुमानगढ़ तक पहुंचती है, लेकिन उस सड़क के बीच में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी एक बहुत पुरानी सड़क है। बीच में घग्घर डिप्रेशन होने की वजह से लोगों का आना-जाना लगभग चार महीने बंद हो जाता है, क्योंकि घग्घर नदी में जब पानी आता है और उन डिप्रेशनों में पानी चलता है, तो उसके ऊपर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। परेशानी इतनी कि एक खेत से दूसरे खेत के अन्दर अगर कोई काश्तकार जाना चाहे, तो उसको भी कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी करनी पड़ती है। बहुत बड़ी, विकट समस्या है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। बहुत लम्बे से यह मांग चली आ रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मांग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देकर, इस पुल का निर्माण करवाया जाये। अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्दर इस पुल का निर्माण नहीं होता है, तो 'नाबार्ड' या अन्य किसी योजना से, जैसा भी वे उचित समझें, उसके अन्दर

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

इसका निर्माण निश्चित रूप से कराने का श्रम करें, ताकि हमारी कम से कम 80-100 किलोमीटर की जो दूरी है, जो नेशनल हाइवे बीकानेर से गंगानगर बन रहा है, उससे सीधा सम्पर्क हनुमानगढ़ को, कुछ दूरी कम करते हुए, हो जायेगा।

इसके अलावा, हमारे क्षेत्र के अन्दर बीकानेर से गंगानगर के लिए नेशनल हाइवे बन रहा है, पहले तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि सरकार बनने के तुरन्त बाद में सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर के 75 किलोमीटर के मेगा हाइवे की स्वीकृति थी, वह आपने दिलवाई। इसके लिए मैंने तहे दिल से उसी दिन आभार भी व्यक्त किया था और आज पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। 340 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस मेगा हाइवे के अन्दर जिस तरह से फ्लाईओवर बन रहे हैं, जिस तरह से रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज बन रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप में इतना अच्छा और सुन्दर काम हो रहा है, वह देखने वाली बात है। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं इनको उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद भी देता हूं।

बीकानेर से सूरतगढ़ के लिए भी निर्माण कार्य मेगा हाईवे का पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है और पहले वह धीरे चल रहा था, लेकिन अभी करीब-करीब अपने पूरे परवान पर है और शायद बहुत जल्दी, दो-तीन महीनों में उसका भी कार्य पूर्ण हो जायेगा। इस सम्बन्ध में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सूरतगढ़ शहर के अन्दर उत्तर और दक्षिण के बीच में जहां से मेगा हाईवे निकलेगा, वहां पर वह फोरलेन हो जाता है। फोरलेन होने के बाद में, जब दोनों साइड से सर्विस लेन बनेगी, पूरा का पूरा दो पार्ट में हो जायेगा। एक तरफ सूरतगढ़ के दक्षिण की तरफ जहां हमारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत बड़ा पुराना हनुमानजी का मंदिर; वहां कालेज; वहां लड़कियों का होस्टल; वहां बाबा रामदेव का मंदिर; न जाने कितनी संस्थाएं ऐसी हैं, 10,000 से ज्यादा की आबादी उस क्षेत्र के अन्दर रहती है। मैंने नेशनल हाईवे आथोरिटी से बात भी इस सम्बन्ध में की थी और आपको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया, हमने विभागीय स्तर पर पूरी चर्चा की है; सैद्धांतिक रूप से हमें वहां व्हिकल अण्डरपास बनाने के लिए सरकार द्वारा इस तरह का आश्वासन दिया गया है। तो निश्चित रूप से मैं आज इस मौके पर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि व्हिकल

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

अण्डरपास बनाना सूरतगढ़ के अन्दर अति-आवश्यक है, वरना शहर के लिए हमेशा के लिए एक बहुत जटिल समस्या खड़ी हो जायेगी। तो उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पर जब इतना अच्छा अभी से काम चल रहा है, तो उसका भी निर्माण जल्दी से जल्दी करवा दिया जाये। उसकी सैद्धांतिक मंजूरी है, सभी अधिकारियों ने उसको माना है, तो उसका भी निर्माण अति-आवश्यक है।

उसके साथ-साथ, 100 से लेकर 250 की आबादी तक, जब हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी 25 जनवरी को बीकानेर पधारी थीं, उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि 100 से 250 की आबादी तक की जनसंख्या की हमारी सड़कें थीं, हमारे सूरतगढ़ खण्ड के अन्दर जो सड़कें बननी थीं, वे सारी की सारी सड़कें बीच में रह गईं। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि उन पर विचार करके, वे किसी भी मद में बनें, लेकिन 18 जो हमारी मुख्य सड़कें थीं, वे आज हमारी बीच में रह गई हैं। उनको भी बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, सूरतगढ़ से भोजेवाला तक की एक 20 किलोमीटर की अति महत्वपूर्ण सड़क है, उसके भी निर्माण की विशेष रूप से जरूरत है, उसका भी बनना अति-आवश्यक है।

इसके साथ-साथ, सूरतगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक की जो टोल रोड है, उस पर आज भी टोल लिया जा रहा है। ऐसी गंदी हालत के अन्दर, कांग्रेस के शासन में बनी वह सड़क है, आज तक उसको ठीक नहीं कर पाये और टोल उसी गति से लिया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी टोल हटाकर, उसका सीधा-सीधा तरीके से, या तो सम्बन्धित इनके जो ठेकेदार थे उनसे दुबारा उसको ठीक करवाकर, उसकी स्थिति ठीक करवायें। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके अलावा, हमारे शहर के अन्दर एक इंदिरा गांधी सर्किल से रेलवे लाइन तक या तो आप बाईपास के रूप में वहां के मेगा हाईवे के रूप में जो लोग उस रोड को बना रहे हैं, वह नेशनल हाईवे के द्वारा बनाई जा रही है, उसको बाईपास के रूप में विकसित करवाएं, या अन्य किसी मद से भी आप दे सकते हैं, सूरतगढ़ शहर के विकास के लिए वह पैसा देने का भी काम करें।

एक सबसे बड़ी बात है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन को जाने वाली रोड जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अगर उसको हमारा पी डब्ल्यू डी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

विभाग काम करवाता है, तो उसके लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे सूरतगढ़ के चीफ इंजीनियर या उससे अन्य सम्बन्धित जो विभाग हैं, उनसे बात करके उस सड़क का निर्माण करवाएं, तो निश्चित रूप से वह हम सबके फायदे के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लम्बी सड़क है और उस पर बहुत पैसा लगने वाला है। अगर वह थर्मल पावर स्टेशन के लोग उसमें काम करा लें, तो उससे भी हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है।

इसके अलावा, और जो हमारे निर्माण कार्य हैं, जिस तरह के भी हैं, उनकी हालत को देखते हुए, हमारे जो पैचवर्क के काम हैं, वे शुरू होने वाले हैं। पूरे क्षेत्र के अन्दर कुल मिलाकर के हमारे यहां पी डब्ल्यू डी का काम ठीक चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से एक जो महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए निवेदन मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने और आदरणीय मंत्री महोदय ने सूरतगढ़-अनूपगढ़ के लिए पहले से ही हम सब को बहुत आश्वस्त कर रखा है। तो निश्चित रूप से आज इस मौके पर मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, माननीय गडकरी जी को और माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रण जरूर दूंगा कि वे वहां कब शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ की इस रोड की शुरुआत के साथ, मैं एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी तंत्र-तंत्रिकाओं का सुचारु रूप से काम करना नितांत आवश्यक है, उसी तरीके से प्रदेश रूपी इस शरीर की सड़कें तंत्र-तंत्रिकाओं के रूप में काम करती हैं और मैं प्रदेश की मुखिया माननीया वसुंधरा जी को भी धन्यवाद दूंगा और माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि पिछले दो वर्ष के अन्दर जिन सड़कों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति थी, उन सड़कों को सुधारने का काम भी किया है और गांवों के अन्दर भी गौरव पथ, चाहे मिसिंग सड़क के रूप में भी, ये सड़कें बनाने का काम भी किया है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, विज्ञान प्रगति करता है और यदि विकास होता है, तो उसका साइड-इफेक्ट भी निकलकर आता है। प्रदेश के अन्दर सड़कें गुणवत्ता के साथ बनीं, अच्छी बनीं, तो दुर्घटनाएं भी तीव्र गति से बढ़ी हैं। सड़कें अच्छी थीं, गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी रही, लापरवाही भी हुई और लापरवाही की वजह से दुर्घटनाएं भी बढ़ीं, लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश की इन दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए आपने 'राजस्थान पत्रिका' के साथ मिलकर एक ऐसे अभियान की शुरुआत की और उस अभियान की अन्य प्रदेशों में ही नहीं, केन्द्र सरकार ने भी उसकी सराहना की है। उसकी वजह से, माननीय सभापति महोदय, आल-ओवर इंडिया के जितने भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन सब मिनिस्टरों की कमेटी का चेयरमैन भी हमारे मंत्रीजी को बनाया, कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसके लिए मैं इनको बधाई भी दूंगा।

सभापति महोदय, आने वाले समय के अन्दर सड़कें अच्छी बनें, गुणवत्ता के साथ बनें और उन सड़कों के विकास के अन्दर हम सब माननीय सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे।

सभापति महोदय, आपका मैं ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने सड़कें तो बनाईं लेकिन वे सड़कें इस प्रकार से बनाईं, अपने चहेतों को लाभ देने के लिए। एक मेरे भी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो चंदवाजी सड़क से लेकर बोबासियों की ढाणी तक थी, सभापति महोदय, उस सड़क को ऐसे मार्ग से प्रस्तावित कर दिया, जहां पर रिकार्डेड रास्ता नहीं था; खातेदार की जमीन थी, और स्थिति यह है कि वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि चंदवाजी सड़क से बोबासियों की ढाणी का ले-आउट चेंज होगा और वह जीरो पाइंट चेंज करवाकर उस सड़क का निर्माण पूरा कराने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि जिस तरीके से सीमेंट के भावों में केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन इसके बावजूद भी सीमेंट फैक्टरियों के निर्माताओं के द्वारा एसोसिएशन बनाकर पिछले एक महीने में जिस तरीके से 200 रुपये कट्टा जो पहले मिलता था, आज आम आदमी को वही कट्टा

(श्री रामलाल शर्मा)

330 रुपये के अन्दर मिल रहा है। तो अचानक इस प्रकार से कौनसी परिस्थितियां पैदा हुईं? आखिरकार इन सब फैक्टरियों वालों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाकर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। एक बार इनकी भी आप समीक्षा जरूर करवायें।

एक, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो साल के अन्दर जो आपने सड़कें बनाईं, जिनमें नांगल गोविन्द में गौरव पथ है, लोरवाड़ा में है, टाकड़ा में है, इटावा-भोपजी में है, गोविन्दगढ़ में है, डोटसर के अन्दर है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा; गौरव पथ अच्छे भी बने हैं, गुणवत्ता के साथ भी बने हैं; रिपेयरिंग भी कुछ सड़कें हुई हैं, जिनमें दौलतपुरा है, विजयनगर है, रायसिंह का बास है, बगड़ी से लेकर रींगस तक की सड़क है, पिछले करीबन दस-पन्द्रह साल से ये सड़कें टूटी हुई पड़ी थीं लेकिन अब इन सड़कों की रिपेयरिंग भी हुई है। कुछ सड़कें मेरी और रिपेयरिंग के लिए स्वीकृत हैं, जिनमें एन एच-।। से लेकर भूतेड़ा है, आलीसर से लेकर दंभा का बास है, तातेड़ा मोड़ से लेकर कल्याण मोड़ है।

इसमें मेरा, मंत्री महोदय, एक सुझाव है, जो भी रिपयेरिंग की सड़कें आप बनाने जा रहे हो, एक बार कोई न कोई नीति ऐसी बनाएं कि इन सड़कों के ऊपर किसान के खेत का पानी फव्वारे के रूप में नहीं आये। आप सड़कें अच्छी बनाते हों, गुणवत्ता के साथ बनाते हों, लेकिन डामर की सड़क के ऊपर किसान के खेत का पानी आने की वजह से सड़कें बहुत जल्दी टूटती हैं। कुछ इस प्रकार के नियम बनें ताकि लोगों को पाबंद किया जा सके कि कम से कम खेत का पानी इन सड़कों के ऊपर नहीं आये और ये जल्दी नहीं टूटें। दूसरा, रिपेयरिंग के समय सड़कों की चौड़ाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। कई बार हम थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से, सड़क के बाजू में रिपेयरिंग करते हैं लेकिन पेड़ों को छोड़ देते हैं और आने वाले समय के अन्दर वे लगे हुए पेड़ दुर्घटना का कारण बनते हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिन सड़कों की आवश्यकता है, गौरव पथ में भूतेड़ा ग्राम के अन्दर गौरव पथ नितांत आवश्यक है, आलीसर के अन्दर के आवश्यक हैं, मल्लिकपुर में है, गिनोई में है, चीथवाड़ी के अन्दर है, जाटावाली के अन्दर है, सामोद में है, बीमलपुरा है और सिंगोद-खुर्द है और कालाडेरा जो एक बहुत बड़ा कस्बा है वहां पर भी गौरव

(श्री रामलाल शर्मा)

पथ की नितांत आवश्यकता है। कुछ सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हस्ताडा से लेकर मंगलीबुआ तक की हैं, सबलपुरा से लेकर गौरी का बास है, रेलवे लाइन से लेकर नयाबास है, गोविन्दगढ़ से लेकर सिंगोदखुर्द है, नवपुरा से लेकर दंभा का बास है और दंभा के बास से लेकर दौलतपुरा है, साऊ से लेकर इटावा है, उदयपुरिया से लेकर हाड़ौता है, मालेरा से लेकर चंदवाजी है और हाड़तौ से लेकर भक्तावरों की ढाणी है; ये कुछ मिसिंग सड़कें हैं, अगर ये जुड़ जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी फसल को मंडी तक लाने के लिए भी सुविधा होगी और आम आदमी को भी इनका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे मार्ग हैं जिनको एम डी आर घोषित करना नितांत आवश्यक है। एक तो हमारे सदन के उपाध्यक्ष महोदय हैं, उनके विधान सभा क्षेत्र से और अजीतगढ़ तक; जो माननीय श्रीमाधोपुर के माननीय सदस्य हैं उनके क्षेत्र से एक मार्ग गुजरता है। अजीतगढ़ से लेकर करीरी, बिलान्दरपुर-खेजरोली होते हुए सिंगोद और सिंगोद से डोरसर होते हुए, यदि किशनमानपुरा से लेकर दादिया होते हुए अगर खाटू श्याम जी तक इसको एम डी आर रोड घोषित करें, तो काफी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक, सभापति महोदय, रींगस से लेकर और रेनवाल को जोड़ने के लिए जो सड़क है उसको भी एम डी आर के अन्दर आप प्रस्तावित करें, तो काफी, लगभग पन्द्रह से बीस किलोमीटर का अंतर, जो लोग रींगस से चौमूं और चौमूं से आकर के फिर रेनवाल की तरफ जाते हैं, तो रींगस से सीधा मार्ग लगभग 18 किलोमीटर के अन्दर ही रेनवाल रोड के ऊपर वे आ सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, इन दो सड़कों को आप एम डी आर घोषित जरूर करें।

एक, सभापति महोदय, चौमूं से लेकर रींगस तक की जो सड़क है वह सड़क पूरे तरीके से टूट चुकी है और आये दिन उस सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं। उस सड़क को पी पी पी मोड में लिया गया है और जैसी मुझे जानकारी मिली है, करीबन 38 करोड़ रुपये के उसके टेण्डर भी हो चुके हैं। तो आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उन टेण्डर्स की प्रक्रिया को बहुत जल्द पूरा करके उस सड़क को भी आप जल्दी शुरू कराने का काम करें, ताकि उन दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से एक और निवेदन

(श्री रामलाल शर्मा)

करूंगा कि कई बार सड़कें जो बनती हैं और जो ठेकेदार उन सड़कों का निर्माण करता है, उनका पांच साल का गारंटी पीरियड होता है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी बात से सभी माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि जब तक सड़क टूटना प्रारम्भ होती है, उसके एक-डेढ़ साल तक तो वे रिपेयरिंग करते ही नहीं और फिर डेढ़-दो साल बाद में रिपेयरिंग करेंगे, तो सिर्फ रिपेयरिंग की जगह वे पैचवर्क करेंगे और उसके बाद में फिर पांच साल उसके अपनी अमानत राशि उठाने के बाद में, उन सड़कों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था होती है। इसलिए जब भी सड़क टूटे और उसकी सूचना विभाग को जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से अगर पहुंचती है, तो उन सड़कों को तुरन्त ठेकेदार को कहकर गारंटी पीरियड में तत्काल ठीक कराने का काम करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से एक और निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी सत्रह सड़कें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर स्वीकृत हुई थीं लेकिन आज भी वे सारी की सारी अपूर्ण पड़ी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन अपूर्ण सड़कों को आप जल्दी ठीक करायें। (व्यवधान) इसी महीने में। तो जो सड़कें काफी लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई हैं, उन सड़कों को ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो आज रात को चौमूं जाओ न, तो उन सड़कों से ही चलना, एकदम शानदार।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य, आप अपने विधान सभा क्षेत्र की तुलना मेरे विधान सभा क्षेत्र से करना। हमारा विधान सभा क्षेत्र आपके विधान सभा क्षेत्र से कहीं पर भी उन्नीस नहीं है; इक्कीस ही मिलेगा आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चौमूं से मैं कोई तुलना नहीं करता हूं कभी भी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप कर भी नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये आप दोनों तुलनात्मक विवरण कैसे ला रहे हों? क्या विचार है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आधे जयपुर को चौमूं सब्जी खिलाता है, आधे जयपुर को चौमूं दूध पिला सकता है। आपका तो बंजर एरिया है। कहां है पैदावार आपके?

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें अब आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस एक निवेदन और करूंगा, सभापति महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): उनकी सब्जी खाकर फिर भी चौमूं की बुराई कर रहे हों, और वहां से रोज निकलना पड़ रहा है, यह आपको पता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चौमूं की बुराई कौन कर सकता है? चौमूं तो चौमूं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चौमूं चमन का फूल है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मुझे लगता है, आपके साथ कोई जबरदस्त हादसा हुआ है चौमूं में। इसलिए बार-बार आप याद कर रहे हों।

श्री सभापतिः चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बस, एक मिनट में। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में टाकरड़ा से लेकर कृषि विज्ञान केन्द्र; चन्दवाजी रोड से लेकर सामोद; बिमलपुरा से लेकर दंबा का बास; ढोढ़सर से लेकर गुढल्या; बांसा से लेकर सुल्तानपुरा; और रेनवाल सड़क से लेकर बाई का बास और ढोलक बास, ये कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय इनकी रिपयेरिंग की व्यवस्था कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

आपने बोलने का अवसर दिया, सभापति महोदय, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम पूर्णतया ग्रामीण एरिया है जहां पर लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज सड़कों के बारे में जानकारी करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि सड़कों की क्या स्थिति है। सरकार ने बड़े-बड़े वादे कर, आम जनता को लुभाने के असत्य खोखले आश्वासन देकर, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है, और यह सरकार राजसुख भोगने का काम कर रही है।

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति जी, हाल ही में राजस्थान के दौरे पर मैं कई जगह गया, तो पचास-पचास किलोमीटर पर सरकार के द्वारा टोल लगाये जा रहे हैं और उन टोलों पर पचास रुपये से साठ रुपये तक वसूले जा रहे हैं; पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस मिनट तक खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की इस सम्बन्ध में क्या इनसे मिलीभगत है, या भोलीभाली जनता का शोषण करना चाहती है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इन टोलों की क्या समय सीमा निर्धारित कर रखी है? 15-20 सालों से इन टोलों पर पैसा वसूल किया जा रहा है। डिस्टेंस भी 50-60 किलोमीटर पर तय कर रखा है। क्या सरकार इसमें कोई मापदंड तय करना चाहती है? आये दिन साधनों की संख्या बढ़ रही है प्रदेश में, लाखों में साधन बिक रहे हैं, तो भी वह ही मापदंड पर टोल वसूला जा रहा है और इसकी कोई निश्चित समयावधि नहीं है। इस पर निश्चित रूप से एक जांच कमेटी बनानी चाहिए और प्रदेश में गरीब जनता को इस बात का फायदा मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे तो इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। आपके माध्यम से मंत्रीजी से और भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब गाड़ियों से आप रजिस्ट्रेशन के समय ही रोड टैक्स वसूल लेते हैं, तो राज्य की जनता से टोल लेने का क्या मायना है? क्या आप जनता को लूटना चाहते हैं?

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं, ऐसी नान-पैचेबल सड़कें, जिनमें आज तक भी कोई कार्य नहीं कराया गया है। पिछले दो साल से सिर्फ दस किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया गया है। ऐसी दो सौ किलोमीटर नान-पैचेबल सड़कें हैं विधान सभा क्षेत्र में, जिनमें आज तक कोई काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। माननीय मंत्रीजी ने पिछले बजट में भी आश्वासन दिया था कि मैं उन सड़कों की जांच कराऊंगा एक कमेटी बैठाऊंगा, कमेटी भेजूंगा, पर आज तक मंत्रीजी ने उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। नादौती से लालसर, गुढाचंद जी से गढ़खेड़ा; गढ़मोरा; और नेशनल हाईवे 11 से भैंसा पाड़ला, झाडिसा, टोडाभीम; करीरी से मंडेडू; टोडाभीम से गाजीपुर और खिरकड़ी; लावद से पूंजेला; ऐसी बहुत सारी सड़कें, बीस सड़कें हैं जो नान -पैचेबल हैं, जिन पर एक रुपये का काम सरकार ने आज तक नहीं कराया है। मंत्रीजी ने पिछली बार भी कहा कि मैं सिकन्दरा से गंगापुर वाली रोड पर काम कराऊंगा, पर अभी इन्होंने कहा कि पच्चीस करोड़ रुपये सैंक्शन हुए।

(श्री घनश्याम)

आज तक उसका, टेण्डर तो कर दिया है, पर उस पार्टी को आर्डर देने का काम नहीं किया। जनता को आये दिन इस तरह की परेशानी पैदा...(व्यवधान) मंत्रीजी, बताने से क्या होगा? हर बार बताते हैं आप इसको, कागज को दिखा देते हैं। कल भी कह रहे थे। आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला हूं, पर आपने...(व्यवधान) देखिये, सुनो, देखो, एक कहावत है गांव में असत्य बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरते। वह जंचे तो एक किलोड़ कर ले; जंचे उतनी असत्य बात कर लो। उससे क्या फर्क पड़ता है?

आप दो साल से जब से सत्ता में आये हो, सिवाय कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम आपने नहीं किया। सत्ता पक्ष के भाई भी सब जनता ने चुने हैं। आप लोगों को छाती पर हाथ रख कर सोचना चाहिए। हम जब सत्ता में थे तो हमने बीस-बीस किलोमीटर सड़क आप लोगों को दी है। आपने एक किलोमीटर भी विपक्ष के भाइयों को नहीं दी। यह इस तरह का भेदभाव पहली बार हो रहा है।

लोकतंत्र में इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में साठ प्रतिशत भारत सरकार देती है और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार देती है। जब राज्य सरकार पैसा ही नहीं देगी, तो वह सड़क कैसे बनेगी?

सभापति महोदय, आज टोडाभीम क्षेत्र में जितने भी रोड निकलते हैं, उन पर बजरी के जो ट्रक निकलते हैं, उन्होंने सारी सड़कें खराब कर दी हैं। इनसे थानों के माध्यम से उनमें लूट हो रही है; लाखों रुपये रोज की वसूली ट्रकों से हो रही है। क्या इसमें सरकार मिलीभगत रखती है? अगर नहीं रखती है, तो इन पर क्यों नहीं पाबंदी लगाती है? सड़कों को एक महीने में खराब कर दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी इन्होंने मिसिंग लिंक दी हैं, वे मिसिंग लिंक या तो इनके रिश्तेदारों को दी हैं; मेरे यहां के पार्लियामेंट मेंबर जो हैं, उनके साले के खेत के लिए सड़क बनायी है इन्होंने। गांव के लिए नहीं बनायी। वहां कोई गांव नहीं है, किसी तरह का कोई एक घर भी नहीं है और उसके खेत के लिए सड़क बनाने का काम ये सरकार कर रही है। जो हमसे अनुशंसा मांगी है, हमने लिखकर दी है, उनमें से एक सड़क नहीं बनायी इन्होंने।

(श्री घनश्याम)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरह से गौरव पथ के नाम पर इन्होंने बहुत वाहवाही राजस्थान में लूटी है। गौरव पथ की आज स्थिति यह है कि जितनी हमारी पहले से पी डब्ल्यू डी की रोड्स थीं, उनके ऊपर रोड बनाने का काम किया है; हर ग्राम पंचायत के पास जो सड़क पी डब्ल्यू डी की निकलती थी, उसके ऊपर बनाने का काम इन लोगों ने किया है। गढ़खेड़ा ग्राम पंचायत है मेरी, गढ़खेड़ा में गांव में अन्दर कीचड़ हो रहा है और वहां गांव में नहीं बनाकर, पी डब्ल्यू डी की सड़क के ऊपर रोड बना दी इन्होंने। इसी तरह तिमावा ग्राम पंचायत में वह ही रोड, जो पी डब्ल्यू डी की रोड है उसके ऊपर बनाया है। मैंढा ग्राम पंचायत है नादौती में उस में पी डब्ल्यू डी की रोड के ऊपर बनाया है। जितने भी गौरव पथ बना ये हैं वे सारे के सारे गौरव पथ उसके ऊपर बनाये हैं इन्होंने। इसी तरह से धवान में जो नांगल से मूंडिया को रोड जाती है, उस पर इन्होंने सड़क के ऊपर सड़क बनाने का काम किया है।

मैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यह दुर्भाग्य की बात है, आप इस तरह का भेदभाव कर रहे हों। पहली बार इस तरह का भेदभाव हुआ है। कांग्रेस के शासन में कभी इस तरह का भेदभाव नहीं बरता गया। आप जब से शासन में आये हैं ...(व्यवधान) मेरी बात सुना। छाती पर हाथ रखकर सोचो, हीरालाल जी, ऐसे ही बात मत करो। यह बजरी का ट्रक नहीं है। उस सीट का असर है। यह सीट भी चली जायेगी। ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से जनता को धोखा देकर वोट ले लिया, आप राजस्थान की जनता में हाहाकार मच रहा है, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो। आप लोगों को पता लगेगा, क्षेत्र में जाओगे, तब। (व्यवधान)

इसी तरह से 'राजस्थान पत्रिका' ने एक 'जीवन बचाओ' अभियान चला रखा है, 'पत्रिका' की बहुत अच्छी पहल है, पर यह अभियान तब तक सार्थक नहीं हो सकता, जब तक पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट सडकों को ठीक नहीं करायेगा। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं; आये दिन सड़कों पर मौतें होती रहती हैं। आदमी का पैदल चलना दुभर हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में करौली जिले में तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा और अपने वक्तव्य में भी यह कहें कि कितनी सड़कों का वहां नवीनीकरण कराया है, कितनी नान पैचेबल

(श्री घनश्याम)

सड़कों को ठीक कराया है। टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी नान-पैचेबल सड़क को इन लोगों ने ठीक नहीं कराया।

मिसिंग लिंक की बात करो, तो मिसिंग लिंक में इन्होंने हमारे कहने से एक भी सड़क नहीं दी है। जब हम सत्ता में थे तो 20-20 किलोमीटर सभी विपक्ष के भाइयों को दी थीं।

धार्मिक स्थलों की सड़कों की बात करते हैं, तो धार्मिक स्थलों में हमारे यहां मेहंदीपुर बालाजी का एक राष्ट्रीय तीर्थ है, पूरे देश के लोग वहां आते हैं; इसी तरह से श्री महावीर जी का राष्ट्रीय तीर्थ है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो सड़क है उस पर आज चलना दूभर हो रहा है।

पिछली बार मंत्रीजी ने कहा कि इन सड़कों को मैं निश्चित रूप से ठीक कराऊंगा और चौड़ाईकरण कराऊंगा, सुदृढ़ीकरण कराऊंगा। उनमें भी रास्ते में जो रोडें थीं, गौरव पथ के नाम से उन सड़कों को कहीं-कहीं ठीक किया है, जो गौरव पथ का काम कराया गया। बाकी गांवों में ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर इन लोगों ने इस तरह की बात कही कि गांव में जो कीचड़ हो रहा है इसको ठीक करायेंगे, कोई उस तरह का काम नहीं कराया। माननीय सभापति महोदय, आज यह भेदभाव हमसे कर रहे हैं, कल हम नहीं करेंगे इनसे भेदभाव? (व्यवधान) निश्चित रूप से ...(व्यवधान) दाता पंच दशोरथ ने मूर्ख ब्रह्मज्ञानम पंचवेद....

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आपने तो भेदभाव भी कर लिया और उसका खामियाजा भुगत भी लिया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अगर आप लोग समय रहते नहीं चेते तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आप लोगों को सबक सिखाने वाली है और आने वाले समय में...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्लोक संस्कृत में सुनाया है, या आप वाली भाषा में सुनाया है?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): संस्कृत में सुनाया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे संस्कृत समझ में ही नहीं आती।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उर्दू में समझा देता हूं। संस्कृत में क्या है,

(श्री घनश्याम)

उर्दू में समझा देता हूं। (व्यवधान) हीरालाल जी, आप बैठ जाओ। (व्यवधान) आपके दिमाग में कोई खराबी है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य सांड के मारने के बाद में आप ज्यादा उठने लग गये हैं। सांड ने जिस दिन से मारा है, आपका गुस्सा ज्यादा तेज हो गया। आपकी खोपड़ी में कीड़ा पड़ रहा है क्या? (व्यवधान) आप बीच में क्यों आधी रोटी में दाल लेते हों? आपको क्या लेना-देना है? ताती राबड़ी में हाथ मत दो? हीरालाल जी। ताती राबडी में हाथ देते हैं, उसके हाथ जल जाते हैं। आपको बिना काम क्या मतलब है इस चीज से?

श्री हीरालाल (निवाई): मुझे गाय ने मारा था 3 अप्रैल को पिछली बार, सांड ने नहीं। आपको सूचना गलत है। सांड तो डरते हैं मेरे से।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नीचे बैठो, बजरी का ट्रक नहीं है यह।

(18.33 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं 'राजस्थान पत्रिका' को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से ...

श्री उपाध्यक्ष: आपने तो समाप्त कर दिया।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 19 व 21 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अन्य राज्यों की तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो राजस्थान में कम आबादी है। राजस्थान की आबादी की 77 परसेंट आबादी आज भी गांवों में रहती है। गांवों का सही मायने में विकास कैसे हो, इसके लिए देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको समझा।

(श्री नारायण सिंह देवल)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कह रहे थे कि यह ग्रामीण गौरव पथ ठीक नहीं बने। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश आजाद हुए 68 साल हो गये, हमारे विपक्ष में जो बंधु बैठे हैं, ये गांवों में सड़क नहीं दे पाये, आज दिन तक बिजली नहीं दे पाये। आज केन्द्र में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज गांवों में सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बन रही हैं; दूरदराज की ढाणी में जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है, आज वहां पर बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं।

इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसम्बर, 2012 को किया गया और दिसम्बर, 2015 तक पूरे देश में 34,863 किलोमीटर सड़कें पांच हजार करोड़ की राशि से और 10,723 गांवों को इस प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वर्ष 1949 में 13,500 किलोमीटर सड़क थी, उसमें से मात्र 794 किलोमीटर सड़क डामरीकरण की थी और आज 2015 में इन सड़कों की लम्बाई 2,08,342 किलोमीटर हो गई और उसमें से 1,66,195 किलो मीटर सड़कें डामर की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर पिछले तीन-चार साल की वार्षिक योजनाओं पर नजर डालें तो 2012-13 की जो वार्षिक योजना थी उसमें 1,683.51 करोड़ का प्रावधान किया और उसमें से 1,673.84 करोड़ का व्यय हुआ; 2013-14 की वार्षिक योजना पर अगर हम लोग नजर डालें, तो 2,628.87 करोड़ का प्रावधान किया और उसमें से 2,565.84 करोड़ का व्यय हुआ; 2015-16 की वार्षिक योजना में 3,872.64 करोड़ का प्रावधान किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 की वार्षिक योजना की यह डबल राशि है। यह आप लोगों को स्वीकार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पहले के समय में प्रतिदिन 3 किलोमीटर सड़क बनती थी और आज प्रतिदिन 18 किलोमीटर सड़क बन रही है। आने वाले समय में 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ग्रामीण गौरव पथ योजना की शुरुआत की है, अभी हमारे कुछ सदस्य कह रहे थे कि ये सड़कें ठीक नहीं हैं, डामरों के ऊपर इन्होंने सड़कें बना दीं; मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से जो गांव की मुख्य सड़क

(श्री नारायण सिंह देवल)

है, पंचायत की मुख्य सड़क है, वह इतनी अच्छी बनी है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सडकों का करीब 15-20 साल तक कुछ होना जाना नहीं है। ग्रामीण गौरव पथ के साइड में नालियां भी बनेंगी। इन सड़कों के ऊपर वृक्षारोपण भी किया जायेगा और रोड लाइट का भी इसमें प्रावधान किया जायेगा। ग्रामीण गौरव पथ के सेकण्ड फेज में पूरे राजस्थान में 2,182 किलोमीटर सड़क के लिए 600 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1,090 मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण होगा। 2,500 किलोमीटर नान पैचेबल सड़कों पर 600 करोड़ रुपये का व्यय भी होगा। 5,690 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण होगा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से 21.90 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की कुछ मांग करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा, जो गुजरात से सटा हुआ है, और गुजरात के जो गांव हैं, जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, वहां अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और अपने राजस्थान की सीमा से जो गुजरात के गांव हैं, वहां सड़क या टूटी हुई, या सड़क है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अन्तरराज्यीय सड़क योजना के तहत इन गांवों को जोड़ा जाए।

हमारे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जसनपुरा एवं रानीवाड़ा में डाक बंगला है, उनकी रिपेयरिंग की जाए और वहां पर कर्मचारी नहीं हैं, वहां पर कर्मचारी लगाये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में जो बारिश हुई, हमारे यहां अतिवृष्टि हुई और इस अतिवृष्टि के कारण हमारी कई सड़कें, नदियों के ऊपर जो पुलियाएं थीं, वे पुलियाएं टूट चुकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि रानावाड़ा से मंडार सड़क पर पुलिया टूट गई है; आगड़ी से रोपसी सड़क की पुलिया टूट चुकी है; और कूड़ा से करड़ा, वह भी नदी की पुलिया टूट चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो उपखंड कार्यालय, रानीवाड़ा है, वहां पर बीचोबीच में रेलवे ट्रैक है। तो पूर्व में जो बस्ती बच रही है, इतनी की इतनी ही पश्चिम में बच रही है। वहां पर रोज की 35 गुड्स चलती हैं। ऐसी स्थिति में फाटक कई बार बंद रहता है।

(श्री नारायण सिंह देवल)

तो मैं आपके माध्यम से इस फाटक पर एक ओवरब्रिज बनाने की मांग रखता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा से भीनमाल और हमारे हैडक्वार्टर्स की जो मुख्य सड़क है, बारिश के समय पर वहां पर एक सांगी नदी बहती है और बरसात के समय वहां 10-10, 15-15 घंटे रास्ता, उस पर पुलिया नहीं होने के कारण वह सड़क बंद रहती है। तो वह भी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वह सड़क भी, वह पुलिया भी दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा मुख्यालय पर बी.ओ. कार्यालय नहीं है और कर्मचारियों के लिए आवास भी नहीं हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी सैंक्शन किये जाएं।

मैं मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सी.आर.एफ. के तहत 17 करोड़ देकर दो सड़कें सैंक्शन कीं, 12 गौरव पथ दिये, एक आर.ओ. भी सैंक्शन किया। उसके लिए भी धन्यवाद है। एस.डी.एम. आफिस के लिए 2 करोड़ रूपये दिये और हैल्थ डिपार्टमेंट में 50-50 लाख के दो विश्राम गृह भी दिये। तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 18 सड़क, 80 किलोमीटर लम्बी, जो काफी टूटी हैं, बने हुए काफी लंबा समय हो गया है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष पैकेज देकर इन सड़कों का निर्माण किया जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

सम्मानीय सदस्य, एक बार विराज जाएं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 के पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 के पारण होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य, सदन का समय बढ़ाया गया है; सदस्यों का नहीं बढ़ाया गया है।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर बोलने का जो अवसर मुझे प्रदान किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधारभूत ढांचे के विकास में सड़क तंत्र का अत्यधिक महत्व है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत किये हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि हमारे दो साल के शासन में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, उसकी तुलना उन्होंने अपने बजट भाषण में कांग्रेस के विकास से की, तो वह लगभग ढाई गुना से तीन गुना तक होती है। इससे स्पष्ट है कि हमारी मुख्य मंत्री जी ने इन विषम परिस्थितियों में भी जो कार्य किया है, जिस तरह से सभी सदस्यों ने ही नहीं, राजस्थान की पूरी जनता ने गौरव पथ के मुख्य मंत्रीजी के विजन का सराहा है। गांव में रहने वाले उस ग्रामीण व्यक्ति का भी ध्यान रखते हुए, शहर की तरह गांव में भी एक शहर की जैसी सी.सी. सड़क का निर्माण, नाली के साथ, हो सके, ऐसा पहली बार गांवों में देखने को मिला है। इससे निश्चित रूप से आम जनता में इस सरकार का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में जिस तरह से पुन: इसको निरन्तर जारी रखने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की, और माननीय मंत्रीजी ने की इस बजट में भी, निश्चित रूप से मैं उसके लिए बहुत-बहुत मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने गांव की यात्रा के दौरान जो खस्ता-हाल गांव-गलियारों की परेशानी को देखा, प्रथम चरण में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 1,984 ग्राम पंचायतों पर 1,027 करोड़ की लागत से 1,955 किलोमीटर की लम्बाई के गौरव पथ का निर्माण इस 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा और वे काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात इस प्रदेश को मिली है।

(श्री हीरालाल नागर)

इसी तरह से हमारे गौरव पथ के साथ-साथ 608 करोड़ की लागत से 2,182 किलोमीटर लम्बाई की 1,090 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण भी आगामी वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

द्वितीय चरण में दो हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया है। इसके साथ, वर्तमान में कराए जा रहे 2,702 किलोमीटर लम्बाई की नान-पैचेबल मुख्य सड़कों का भी ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण होगा, नवीनीकरण होगा। उसके साथ, 99 पुलियाओं का प्रस्ताव 650 करोड़ रुपये की लागत से आगामी वर्ष में पूर्ण किया जाएगा।

इसी के साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चार राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है, उसमें आने वाली आबादी में एक और घोषणा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है कि जहां पर नेशनल हाईवे के बाईपास निकल जाते हैं और पुराने जो शहर रहते हैं उनकी दुर्दशा होती है। उसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान कर उन रोड़ों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। निश्चित रूप से बाईपास निकलने के बाद जो पुरानी रोड रहेंगी, उनकी स्थिति अच्छी होगी। उससे भी उन शहरों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी।

5,690 करोड़ का जो हमारा बजट प्रस्तावित किया गया है, 2015-16 के उस अनुपात में निश्चित रूप से इस बार 21.90 प्रतिशत अधिक है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का कदम जन हित में बहुत सराहनीय है।

इसी के साथ-साथ, माननीया उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कुछ प्रमुख मांगें मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल सांगोद क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की घोषणा माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने की, वे तीन सड़कें केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस बार की हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उसी तरह से तीन ओ.डी.आर. सड़कों को एम.डी.आर. किया गया है और एक ओ.डी.आर. सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात मेरे विधाना सभा क्षेत्र में माननीया मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री महोदय द्वारा दी गई है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री हीरालाल नागर)

उसके साथ-साथ ही, दर्रा से धुलेट होते हुए जो एक पी.पी.पी. माडल की सड़क की स्वीकृति, उसके सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण का कार्य जो हाथ में लिया गया है, एक बहुत बड़ा काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया है। उसी के साथ, एम.डी.आर. सड़क है वह 5.14 करोड़ का एक हाई लेवल का ब्रिज मेरे यहां बनोद की पुलिया पर स्वीकृत किया गया है; आजादपुरा से धुलेट तक का 19 करोड़ का सी.आर.एफ. में जो रोड स्वीकृत किया है, सी.सी. रोड बनेगा; 38 करोड़ की लागत से एक हाई लेवल ब्रिज जो स्टेट हाइवे पर स्वीकृत किया गया है सी आर एफ में, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं।

मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से 12 गौरव पथ, 10 करोड़ की लागत से कृषि विभाग के द्वारा भी सी सी रोड और मिसिंग लिंक बनाये गये, जो सड़क तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। दस किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में 38 करोड़ से सी आर एफ में एक हाई लेवल ब्रिज, 15.14 करोड़ से एक और हाई लेवल ब्रिज, 19 करोड़ से आजादपुरा धुलेट की सी आर एफ में एक रोड और 189 करोड़ की लागत से एन ई टी में पी पी पी माडल पर प्रस्तावित दरा से कनवास अरनियां का रोड, 50 करोड़ की लागत से देवली से कनवास का रोड; लगभग 301 करोड़ की लागत इनकी आती है। कोटा से दरा के बीच में 621 करोड़ का बहु-प्रतिष्ठित नेशनल हाइवे था, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने काफी प्रयास करके इसको स्वीकृत करवाया। हमारे मंत्री महोदय ने बार-बार केन्द्र में जाकर इस रोड को स्वीकृत करवाकर सारी पेचीदगियों का समाधान किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में, चाहे वह केन्द्र में भी सरकार थी, राज्य में थी और सड़क परिवहन मंत्री भी राजस्थान के थे, वहां से पी डब्ल्यू डी के मंत्री भी वहीं से थे लेकिन दोनों मंत्रियों के रहते हुए भी सड़क की स्वीकृति नहीं दिला पाये। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्री महोदय ने इस सड़क की स्वीकृति देकर बहुत बड़ा काम किया है, 621 करोड़ रुपये सड़क की जो बाधा थी। उसका बहुत-बहुत आभार मैं माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं।

इस तरह से प्रतिपक्ष के सदस्य कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन

(श्री हीरालाल नागर)

मेरे विधान सभा क्षेत्र से जो अभी इस कार्यकाल में सड़कों के निर्माण का प्रस्तावित है, स्वीकृत हुई हैं, उसकी संख्या मोटी-मोटी 921 करोड़ होती है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि विकास का माडल, विकास का काम, हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्री कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह राजस्थान विकास के एक नये आयाम स्थापित करेगा। आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरह का सड़क तंत्र विकसित होगा, यह राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी।

इसी के साथ-साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में देवली से, एक आदर्श गांव है डोटी, उसको जोड़ने वाला धार्मिक स्थल है चारचौमा, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित किया हुआ है। उस गुजरने वाली देवली से सीमल्या तक की 20 किलोमीटर की सड़क बिलकुल नान-पैचेबल है। उसको भी, नान-पैचेबल सड़क को सम्मिलित किया जाए। कनवा से बांड़ेरा चारचौमा और अड़ूसा की एम डी आर सड़क पर भी नान-पैचेबल की स्थिति है; पुलियाओं का निर्माण नहीं है। उसकी भी स्वीकृति जारी करके माननीय मंत्री महोदय इसको सम्मिलित करें।

इसी तरह से कुंदनपुर से घनेड़ा को जोड़ने वाली एम डी आर सड़क पर भी उजाड़ नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता है। बरसात के समय ही नहीं, पूरे समय उसमें पानी रहता है। छोटे-छोटे बच्चे वहां से पैदल स्कूल जाते हैं। इसी तरह से कुंदनपुर से घनेड़ा को जोड़ने वाली सड़क लगभग 18 किलोमीटर है, उसका भी सुदृढ़ीकरण किया जाए।

सांगोद के नगर में, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र का एक नगरपालिका का क्षेत्र है, वहां से एक आर एस आर डी सी द्वारा रोड का निर्माण कर दिया गया है, रोड चालू हो चुका है, टोल लेने लग गये हैं, लेकिन सांगोद नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क पर आर एस आर डी सी द्वारा कोई कार्य सम्मिलित नहीं किया। उस पर एक वैकल्पिक बाइपास बनाया जाए, तो वहां से जो ट्रोले गुजरते हैं, बड़ा ट्रैफिक गुजरता है, फ्लाई एश कैप्सूल गुजरते हैं, जिससे आये दिन वहां ट्रैफिक जाम रहता है, उससे निजात मिलेगी। उसको भी, आर एस आर डी सी के द्वारा निर्माण को शामिल करते हुए, निश्चित रूप से सम्मिलित करें। मैं मंत्री महोदय को इसके लिए भी आग्रह करता हूं।

(श्री हीरालाल नागर)

सांगोद में कैथून और सांगोद और बपावर के बाइपासों का निर्माण भी प्रस्तावित करें, ताकि आने वाले समय में आर एस आर डी सी के द्वारा बनाए रोड, उसकी पूरी उपयोगिता हो सके।

इतनी बात कहते हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 व 21 के निमित्त बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं; मंत्रीजी तो नहीं हैं मगर बाबूलाल जी नोट कर रहे हैं; महोदय जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी होने की वजह से, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो वर्षों में भारी बरसात के कारण रोड व पुलिया टूट गई थीं, उनका पूरा बजट नहीं मिला, मगर इस वर्ष मुझे विश्वास है कि आप बजट देकर उन पुलिया व रोड को ठीक करवाने की कृपा करेंगे।

साथ ही, गत वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे को कम से कम 14 गौरव पथ मिलने थे, इस वर्ष 14 और मिलाकर, 28 गौरव पथ मिलने थे, मगर मुझे केवल 5 गौरव पथ ही मिल पाये। पांच पंचायत में मेरे को फायदा मिला। मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में 23 गौरव पथ देकर, पूरे राज्य की पंचायतों के बराबर विकास करवाने के लिए मुझे भी यह बजट देने की कृपा करेंगे। साथ ही, मिसिंग लिंक भी देंगे। उससे विकास का बहुत बड़ा मेसेज जाएगा। सारी जनता हमारी सरकार पर पूर्ण विश्वास करती है और करती रहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण पड़ता है, इसका पी डब्ल्यू डी का आफिस उदयपुर में था, मगर पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री महोदय अपना मंत्रीजी का दबदबा रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र का कार्यालय खैरवाड़ा खण्ड ले गये। वह मेरे विधान सभा क्षेत्र से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। जबकि उदयपुर के चारों तरफ मेरा विधान सभा क्षेत्र फैला हुआ है। खैरवाड़ा 125 किलोमीटर रहने की वजह से, न तो मेरे को पूरे गौरव पथ मिल पाये, न मेरे

(श्री फूलसिंह मीणा)

को पूरी मिसिंग लिंक मिल पाई। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, गौरव पथ तो इस वर्ष देने के लिए उन्होंने वादा किया है, मगर मिसिंग लिंक बीच में ही मेरे को देकर उन्होंने इन पंचायतों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए मैं मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत ही कमजोर है, मगर मुझे विश्वास है कि इस वर्ष में मुझे मिसिंग लिंक के साथ गौरव पथ देंगे।

मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के आजू-बाजू होने के नाते, उदयपुर झीलों की नगरी है, पर्यटक स्थल होने की वजह से विदेशी सैलानी यहां पर सदा बारह महीने आते हैं; आने के बाद भी 10-15 दिन तक वे रहते हैं; सड़कें जाम रहती हैं। प्रताप नगर से बलीचा के बीच में दस किलोमीटर की दूरी है, वह दूरी पार करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, चाहे वह ट्रक से जाएं, चाहे कार से जाएं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस रोड पर एक साल के अन्दर कम से कम 500 एक्सिडेंट होते हैं, उसमें 500-600 निर्दोष जानें जाती हैं; मैंने पुलिस रिकार्ड से मंगवाया था; कम से कम 1,500-2,000 के बीच में घायल हो जाते हैं, किसी का पांव टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, कोई कोमा में चला जाता है। मरने वालों में किसी का भाई जाता है, किसी की बहन जाती है, किसी का सिंदूर मिट जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बाइपास रोड है, इसको टू लेन से फोर लेन करवाने की इसी वर्ष हमारे को मंजूरी दें।

(19.00 बजे)

साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर माइन्स एरिया भी है, जिसमें जावर माइन्स है। ये करोड़ों रुपये कमाकर ले जाते हैं। 9 किलोमीटर रोड है, जिसके अन्दर भारी वाहन निकलते हैं और वे भी माइन्स के ट्रोले निकलते हैं। उस रोड की स्थिति आज यह है, कच्ची रोड से भी बदतर हालत उसकी हो रही है। मैंने प्रश्न लगाया था कि यह माइन्स से क्या इस रोड को ठीक करने के लिए कोई पैसे देने की योजना बनाई है? तो प्रश्न के जवाब में यह आया था कि माइन्स ने हमारे को रोड बनाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। इस रोड के साथ-साथ, एक जयसमंद रोड, जो हमारे गातोड़ मन्दिर से आरीया फला के बीच में है, यह भी माइन्स रोड पड़ती है। यहां पर भी भारी वाहनों से, वह रोड यू.आई.टी. से बनाई गई थी, मगर

(श्री फूलसिंह मीणा)

उसकी भी कच्ची से भी बदतर हालत हो गई है। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन रोड्स को भी बनवाकर हमारी आम जनता को राहत दिलवाने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में 60 साल से ऊपर इन्होंने राज किया, मगर हमारे इस पहाड़ी एरिया के अन्दर रोड्स बनाने का काम किया, तो हमारे भैरोंसिंहजी की सरकार ने किया; उसके बाद में माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने आकर किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर से उबेश्वर होते हुए झाड़ोल रोड भैरोंसिंहजी के टाइम पर बनाई; झाड़ोल रोड से कालीवास रोड भैरोंसिंहजी के टाइम पर बनाई; उमरड़ा से थारवा कानपुर होते हुए सलूम्बर रोड, वह भी उसी टाइम पर बनाई; जामर कोटड़ा से जामेश्वर होते हुए जगत रोड, उसी टाइम बनाई; प्रसाद से सरू तक उसी टाइम बनाई; पाटिया से जाबला तक उसी टाइम बनाई। काया से देई माता तक, हमारी वसुन्धरा राजेजी ने आकर उस रोड को बनाया; बारांपाल से खजूरी रोड हमारे 2003 से 2008 के बीच में बनाई। काया से चांदनी रोड, यह भी हमारी मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने आकर बनाई; उबेश्वर से पीपलिया रोड, यह भी उसी टाइम बनाई, 2003 और 2008 के बीच में; नाई और पोपल्टी वाली रोड, यह भी 2003 और 2008 के बीच में बनाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी रोड, मेरे को मिसिंग लिंक में दिया; जो खजूरी से पाई व झाड़ोल रोड को जोड़ने का यह ऐतिहासिक काम किया, तो माननीय मंत्रीजी ने और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया। बूझड़ा से नाई जोड़ने का काम किया; झाड़ोल रोड से चोकड़िया होते हुए पोपल्टी रोड को बनाया; कानपुर से खरबड़िया को जोड़ा, खरबड़िया से कोड़ियात से धडिता रोड बनायी। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आपने हमारा बहुत ही ध्यान रखते हुए, इस पहाड़ी एरिया में...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है रोड के बारे में।

मैं बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के रहते हुए

(श्री फूलसिंह मीणा)

कई रोड नान-पैचेबल, पूर्व सरकार की बताना चाहता हूं कि पांच साल के अन्दर एक भी नान-पैचेबल रोड को उन्होंने नहीं बनाया, जैसे हमारी सरकार आई, जैसे हमारे विपक्षी भाई कह रहे थे कि हमारी सड़कें नहीं बनाईं, मैं कहता हूं कि दो साल में वे सड़कें नहीं टूटीं। पांच साल आपकी सरकार बनी थी, तब आपने क्या किया? जैसे ही हमारी सरकार आई, सम्पर्क सड़क लेई वाली, 3 किलोमीटर, नान-पैचेबल रोड, वह बनाई; कालीवास वाली 3 किलोमीटर रोड बनाई; सम्पर्क सड़क सरू, 2 किलोमीटर बनाई; झामर कोटड़ा 3 किलोमीटर बनाई; सम्पर्क सड़क मानपुरा, 6 किलोमीटर बनाई; सम्पर्क सड़क जौधपुरिया बनाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नान-पैचेबल का माननीय मंत्रीजी ने, अभी पी.डबल्यू.डी., उदयपुर से मैंने मांगा था कि अभी कौन-कौन सी नान-पैचेबल सड़कें ली हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय को कि आपने पाई से कुमारिया खेड़ा वाली 3 किलोमीटर रोड ली; नाई से बूझड़ा तक 2 किलोमीटर ली; सम्पर्क सड़क आमदरी वाली ली। सम्पर्क सड़क पोपल्टी वाली ली; टीडी से जावर वाली भी आपने 9 किलोमीटर ली; सम्पर्क सड़क चणावदा वाली 7 किलोमीटर ली; मानपुरा से खारवा 4 किलोमीटर ली; सम्पर्क सड़क पारोला 2 किलोमीटर ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं। अम्बूआ, कमलोद, चणावदा-नला, ये सड़कें लीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा मैं आपका। गौरव पथ, मिसिंग लिंक रोड, यह सोच हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय ही रख सकते हैं। बहुत काम किया।

साथ ही, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ रोड्स, पुलिया बनानी हैं। मैं मांग करता हूं कि उबेश्वर रोड, जो बरसात में टूट गयी थी, इस पुलिया को भी ऊंचा करने का काम करेंगे, उसको बनाना; गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र और ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क, जो मैंने पहले भी कहा था और आपने मंजूर भी की थी, वह सड़क भी अभी करनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए चांदनी से सिंगटवाड़ा, जो सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र और ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है; बारां से सरू जोड़ने

(श्री फूलसिंह मीणा)

वाली सड़क; झाबला से निचला फला; अमरपुरा से गराड़ा; खरपिणा से उन्दरी रोड; पोपल्टी से आड़ रोड नया खेड़ा से उपला गड़ा तक; ये छोटी-छोटी सड़कें हैं।

यह हमारी सड़कें पूरी करने की मांग करते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि पूर्व सरकार में मंत्रीजी हमारा आफिस खैरवाड़ा में ले गये कि हम हमेशा जीतते रहेंगे, मगर जनता ने उनको जवाब दे दिया, उनको तो घर भेज दिया, परन्तु मेरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को उन्होंने मंझधार में छोड़ दिया। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा खण्ड उदयपुर में जोड़कर, यह हमारी जनता के लिए 125 किलोमीटर दूर होने की वजह से मैं आग्रह करता हूं, पुनः विनती करता हूं कि मेरा यह आफिस उदयपुर खण्ड से जोड़कर, हमारे को यह तोहफा देने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्षः श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, इस अवसर पर मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि आज सड़कें और पुल, इन पर इस सदन में चर्चा हो रही है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं केवल यही कहूंगा कि हमारे सवा दो साल के कार्यकाल और हमारे पिछले 2003 से 2008 के कार्यकाल में, और हमारे परम पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के कार्यकाल में जो काम हुए, आज वे वर्तमान में धरातल पर दिखते हैं। इसी को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पिछले दो साल के कार्यकाल में ग्रामीण गौरव पथ बने, पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर; आगे और भी ये अभी बनेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 14 ग्राम पंचायतों में ये बने। इनमें जो मेरे 11 गौरव पथ बने, वे ऐसी जगह बने हैं, क्योंकि मेरे 11 कस्बे कम से कम 17 से 18 हजार जनसंख्या के हैं, बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ बने हैं। वास्तव में मेरे कस्बे मुख्यालय किशनगंज और शाहबाद ऐसे उप खण्ड मुख्यालय हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के, जो वास्तव में लगते हैं, उप खण्ड मुख्यालय दिखने लगे हैं।

इसके अलावा, मैं यह कहूंगा कि हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,

(श्री ललित कुमार)

जब-जब भी इतिहास में अगर नाम लिया जायेगा हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ग्रामीण गौरव पथ योजना का, मैं यह कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी का हमेशा यादगार नाम लिया जायेगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आज कई गांव वर्तमान में जुड़े हैं।

इसके अलावा, मैं यह कहूंगा, बारां जिले में मेरी विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद पर मैं आऊंगा; मैं यह कहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे वन क्षेत्र बहुत अधिक पड़ता है। वन क्षेत्र होने के कारण, मेरी 26 रोड आलरैडी सैंक्शंड हैं, प्रशासनिक स्वीकृतियां आई हुई हैं, परन्तु वन विभाग की इतनी तगड़ी अड़चनें हैं, और अभी महीने-डेढ़ महीने पहले 13 सड़कें स्वीकृत होकर आई हैं और वह काम प्रगति पर है,

परन्तु अभी भी 11 रोड मेरी रुकी हुई हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये 11 सड़कें, वन विभाग से जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलाएं।

इसके अलावा, मैं धन्यवाद दूंगा कि जो दो मिसिंग लिंक दी हैं, गरड़ा से जैसवां, समरानिया से निवाड़ी, मेरे 26 गांवों को और 25 गांवों को ये जोड़ती हैं। बहुत बड़े मिसिंग लिंक जो दिये हैं, इनसे मेरे 40 गांव के साथ-साथ 50, 51 गांव जुड़े हैं।

इसके अलावा, मैं हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा ध्यान रखते हुए हमारे मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे गोवर्धन बृज परिक्रमा और हमारे रामदेवराजी का राजस्थान में, श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत आती थी, उसका बहुत बड़ा ध्यान रखा है।

इसी के साथ-साथ, मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे धार्मिक स्थल हैं, मैंने माननीय मंत्री महोदय को निवेदन भी किया है, एक हमारा सीताबाड़ी धार्मिक स्थल है, आदिवासियों का हर वर्ष वहां पर कुंभ भरता है, महीने भर के लिए; उसके लिए रोड्स का और जीर्णोद्धार के लिए, मंदिरों के लिए, इसके लिए प्रपोजल भिजवाए हुए हैं। इसके अलावा, एक रामगढ़ माताजी का मंदिर, हमारी चौथ माता मंदिर की तरह पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी की लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। उसके प्रपोजल भी आपके पास भिजवाए हुए हैं। इसके अलावा, एक हमारे शाहबाद, मेरा उपखंड मुख्यालय, तहसील हैडक्वार्टर है, राजपुर से शाहबाद को जोड़ने के लिए, चार ग्राम पंचायतें उससे

(श्री ललित कुमार)

जुड़ती हैं, वह हमारा छह किलोमीटर है। इस तरह इन तीनों-चारों को आप स्वीकृत करें।

मैं ज्यादा डिमांड नहीं रखते हुए, आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे तीन पुल, जो मेजर, जब से बने हैं, एक तो जलवाड़ा और बराना; पुलिया पार्वती नदी पर है, एक रामपुरिया-उम्मेदपुरा पुलिया और एक बिलास से मांगरोल होती है; वे पार्वती पर ब्रिज बनने हैं। ये प्रपोजल आपको दिए हुए हैं।

मैं आपको धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को कि आपने मेरी आठ पुलियाएं ऐसी स्वीकृत की हैं, नाबार्ड के माध्यम से 2,275 करोड़ रुपये आपने दिये हैं; जो 60 साल में कभी काम नहीं हुआ; और पूरा मेरा शाहबाद तहसील मुख्यालय, पूरी शाहबाद तहसील है, जो एम.पी. से लगती हुई है, वह पूरी आज वर्तमान में, कुछ ही समय में काम चालू हो जाएगा; टेंडर प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, मैं मंत्री महोदय और माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि केन्द्र सरकार ने इस राजस्थान में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग दिये हैं, उनमें से एक हमारे बारां जिले में कवाई और छबड़ा में दिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

इसके अलावा, मैं एक हमारे प्रधान मंत्रीजी की बहुत बड़ी सोच, अटल बिहारीजी वाजपेयी की, आज वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र और पूरे भारतवर्ष में दिखती है। एक हमारी योजना थी Golden Quadrilateral, जो हमारे चारों, पूरे इंडिया को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्रीजी ने चलाई; और नोर्थ-ईस्ट और साउथ-वैस्ट कोरिडर, उसके माध्यम से एक कांडला एयरपोर्ट से सीधा झांसी होते हुए हमारे हाई-वे को जोड़ता है। वह हाई-वे मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरता है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री बाबूलालजी यहां पर विराजे हैं, मैंने निवेदन किया कि वह जो हाई-वे गुजरता है, उसमें हमारे दो गांव पड़ते हैं, उनी, पहाड़ी; वहां पर बाढ़ के समय इतना पानी भर जाता है और वे दोनों गांव हर साल परेशान होते हैं। सब गांव वालों को हमको शिफ्ट करना पड़ता है। जो अंडर-पास बने हुए हैं इस एन.एच.-27 पर, हमेशा उनमें पानी भरा रहता है, यह मैंने चिट्ठी लिखकर भी हमारे, झालावाड़ में हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी जी भी पधारे थे, वहां पर भी हमने लिखकर दिया था।

इसके अलावा, मैं यह कहूंगा कि जो मेरी नान-पैचेबल सड़कें हैं,

(श्री ललित कुमार)

वर्तमान में उनमें कार्य चल रहा है। मैं यह कहूंगा कि पिछले कार्यकाल के दौरान, वर्ष 2004 से 2008 के दौरान, किशनगंज-शाहबाद आदिवासी सहरिया क्षेत्र है, उसमें इतने काम हुए, परन्तु वर्ष 2009 से 2013 के कार्यकाल में हमारे वहां पर पूर्व मंत्री, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी वहां से आते हैं, दो साल का उनका कार्यकाल; बीच में उनको हटा दिया, परन्तु मैं यह कहूंगा कि एक रोड उस आदिवासी सहरिया क्षेत्र में नहीं बना। मुख्य मंत्रीजी के पिछले कार्यकाल और इस दो साल के कार्यकाल में ये जो दो मिसिंग लिंक दी हैं, इनसे पूरे 25 और 26 गांव, 51 गांव जुड़े हैं। इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को कहते हुए यही कहूंगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि ये दो-तीन पुल और चार मेरी ये जो सड़कें हैं, इनको स्वीकृति दें।

आपने मेरे को बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और सबसे पहले तो मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी अनोखी योजना, ग्रामीण गौरव पथ के नाम से आपने पिछले साल दी। आज तक सड़कों का जो जाल हमने शहरों में ही देखा था, लेकिन ग्रामीण लोगों के बारे में भी आपने सोचा और आपने यह भी सोचा कि हर पंचायत को इस रोड से जोड़ा जाए, irrespective of any party. आपने सोचा कि हम इसको, आपने एक कार्ययोजना बनाई और आपने एक तिहाई, एक-तिहाई करके, पिछले साल एक-तिहाई रोड्स दीं और इस साल आप दे रहे हो, अगले साल और देंगे। उन रोड्स का काम इतना बढ़िया हुआ है कि यह ग्रामीण क्षेत्र से हर जगह हम जहां पर जाते हैं तो लोग पूछने लग जाते हैं कि ग्रामीण गौरव पथ में हमारी पंचायत का नाम कब आएगा? तो निश्चित तौर से आप बधाई के पात्र हैं, और इसलिए भी आपको और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस साल भी ग्रामीण गौरव पथ दिये हैं और मिसिंग लिंक भी आप दे रहे हों।

मंत्री महोदय से मेरा इसमें एक और अनुरोध है कि मेवाड़ सम्भाग में रोड्स की बहुत बुरी हालत है और मिसिंग लिंक जो आप दस किलोमीटर देते

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

हो, यह हमारे लिए बहुत कम है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कम से कम 20 किलोमीटर मिसिंग लिंक आप दें, जिससे कि इन दो-तीन सालों में जो भी समस्या हमारे गांवों में है, वह दूर हो जाए।

हैबिटेशन जोड़ने के लिए भी मेरा आपसे अनुरोध है, लेकिन उससे पहले 500 की आबादी वाले गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी आठ बाकी हैं, जैसे रावतपुरा, नाहरपुरा, गाड़रियावास, मावली, ऊंडी तलाई, नया राजपुरा, नवानिया, संगला-तालाब और रामाखेड़ा। इसके अलावा, 250 से लेकर 500 की आबादी के हैबिटेशन भी 17 ऐसे हैं जिनमें रोड बनानी बहुत आवश्यक हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन रोड्स को भी आप जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करें।

कुछ गांव ऐसे भी हैं जो कि नदी के दूसरी तरफ हैं। उन गांवों को पार करने के लिए बच्चों को पानी में होकर स्कूल अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे चार गांव जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं, उन पर पुलिया निर्माण के लिए भी आप स्वीकृति दिलाएंगे। जैसे बुथेल से बासा रोड है, रावत बस्ती से दरोली है, काठ का कुआं से दरोली है और मनेसर सूर्य मंदिर; ये चार ब्रिजेज जो हैं, इनकी भी स्वीकृति आप दिलाने का कष्ट करें।

महोदय, नेशनल हाई-वे में आपने नाथद्वारा से भटेवर तक तो नेशनल हाई-वे घोषित कर दिया और अभी-अभी मुख्य मंत्रीजी ने मनसौर से धरियावद होकर सलूम्बर रोड भी नेशनल हाई-वे घोषित कर दिया। अब मात्र भटेवर से लेकर धरियावद के बीच में जो रोड है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली रोड है, उसको भी नेशनल हाई-वे घोषित करें। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

कुछ रोड्स जिनको हम जरूरी समझते हैं, हम कन्वर्जेंस में भी लेना चाहते हैं, कन्वर्जेंस में हम हमारे एम.एल.ए. फंड से पैसे दें भी सही, लेकिन मैटेरियल का पैसा वह इतना ज्यादा है, जैसे एक किलोमीटर पर 15 से 18 लाख रुपये कन्वर्जेंस का हमको देना पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कुछ पैसा पी.डब्ल्यू.डी. इसमें दे और कुछ पैसा हम एम.एल.ए. लैड से दें, तो निश्चित तौर से कुछ रोड्स को हम कन्वर्जेंस के माध्यम से भी करवा सकते हैं।

दूसरा, मेरे नगरपालिका एरिया की आपकी एक बहुत बड़ी रोड

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

निकलती है, लेकिन उसके लिए बाई-पास की आवश्यकता है, जो मैंने आपसे निवेदन भी किया कि नगरपालिका भीण्डर के लिए एक बाई-पास देने की भी आप घोषणा करें।

साथ ही, जब पिछली सरकार थी 2003 से 2008 के बीच में, तो नगरपालिकाओं को 50-50 लाख रुपये, जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, उनकी रोड्स और सी.सी. रोड्स के लिए आपने 50-50 लाख रुपये दिये थे। तो इस बार भी जो फोर्थ क्लास की नगरपालिकाएं हैं, उनको कम से कम यह दिया जाए।

एक सबसे बड़ी प्राब्लम, मंत्रीजी, सबसे बड़ी प्राब्लम यह आ रही है, कि आपने छोटे कांट्रेक्टर्स को खतम कर दिया है। जब से आपने पैकेज सिस्टम चालू किया है, तो बड़े कांट्रेक्टर्स ही वे बिड ले सकते हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं, सब-लेट करते हैं, सब-लेट करने के बाद, फिर पेटी-कांट्रेक्टर्स आते हैं। तो आप सोच लो कि वह बड़ा कांट्रेक्टर भी कमाता है, उसके बाद जब सब-लेट करते हैं तो वह भी कमाता है और उसके बाद जब पेटी-कांट्रेक्ट देते हैं तो वह भी कमाता है। तो हमारी रोड्स की दशा धीरे-धीरे बदतर होती जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि छोटे कान्ट्रेक्टर्स को भी आप कुछ कांट्रेक्ट दें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

क्योंकि बोलने वाले आज काफी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही बात कहकर, मेरी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रीजी ने मेरी सभी बातों को नोट किया होगा। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर बहस चल रही है और मैं भी इस बहस में हिस्सेदारी करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

गौरव पथ, मिसिंग लिंक, 250 से 350 के गांव, 250 से 499 के गांव, बहुत विस्तार से ब्योरा बजट में इन बातों का आया है; चार नई राष्ट्रीय सड़कें मिली हैं, उसका ब्योरा भी उसमें है। गत वर्ष की अपेक्षा हम अधिक धन खर्च कर रहे हैं सार्वजनिक निर्माण में और सड़कों एवं पुलों पर। मैं माननीय मंत्रीजी से गौरव पथ के लिए यह पूछना चाहूंगा कि गौरव पथ हर पंचायत में बनेगा। माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह खूबी है, चाहे वे माध्यमिक स्कूल की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

घोषणा करें, तो राजस्थान की सारी पंचायतों को वे कवर करती हैं, और कवर भी इस स्पीड से करती हैं कि पूर्व सरकारें उसके मुकाबले में कुछ नहीं दिखतीं। माध्यमिक स्कूलें खोलीं, तो 5 हजार एक साथ खोलीं; गौरव पथ की घोषणा की गयी, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में की गयी।

जब आपको गौरव पथ हर ग्राम पंचायत में बनाना है, माननीय मंत्रीजी, गौरव पथ बनाने का मानदण्ड क्या है? मेरा मानदण्ड से मतलब है कि बड़ी आबादी से शुरू करना है, या छोटी आबादी से शुरू करना है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप छोटी आबादी से शुरू करें और नोर्म्स के अनुसार सबसे छोटी, फिर उसके ऊपर की, फिर उसके ऊपर की, फिर उसके ऊपर की और उसके ऊपर की ले आएं, और चाहे आप सबसे बड़ी आबादी से शुरू करें। आज आपने गौरव पथ तो दूसरों को दिये हैं, हमारे यहां भी दिये ही हैं; ऐसा नहीं है कि गौरव पथ नहीं दिये गये। लूणकरणसर; क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, जो अभी तक ग्राम पंचायत है लूणकरणसर, कालू, महाजन, जो तहसील का हैडक्वार्टर है, मैं निवेदन करता हूं कि आपने तो मानदण्ड कुछ रखे ही नहीं। आपने न तो बड़ी आबादी से शुरू किया, न छोटी आबादी से शुरू किया। ठीक है, जितने कवर हो गये, उसके बाद दूसरे कवर होंगे, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इस साल 2 हजार गौरव पथ बनने हैं, 200 क्षेत्र हैं, दस मेरे यहां भी बनने हैं। उसमें आप सबसे बड़ी आबादी से शुरू करें; आप चूज करें; मैं यह निवेदन नहीं करता कि आप बड़ी आबादी से शुरू करें; आप चाहे सबसे छोटी से शुरू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कवरेज इन पांच सालों में, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी का 2013 से 2018 तक का पीरियड है, हर ग्राम पंचायत कवर हो और अभी तक चूंकि 4 हजार ग्राम पंचायतें कवर हुई हैं, आप इसकी स्पीड को भी बढ़ाएं, ताकि 9,175 से भी कुछ ज्यादा, और 400 -500 पंचायतें जो बन गयी हैं, उन सारी ग्राम पंचायतों में आगामी दो बजट में गौरव पथ का निर्माण हो।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से धन बहुत खर्च हो रहा है। मैंने सुना है जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कि जोधपुर शहर की सब सड़कें बन गयीं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि जोधपुर शहर की सब सड़कें बन गयीं और जितनी उन्होंने चाही, उसके अनुसार बन गयीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ग्रामीण सड़कों का मामला है और ग्रामीण सड़कों का जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महत्व है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का बहुत जिक्र आया; अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में बहुत बड़े-बड़े प्रधानमंत्री हुए, जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीच में नरसिंहराव बने। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके ध्यान में क्यों नहीं आयी? क्योंकि देश का सर्वोन्मुखी विकास उनके ध्यान में नहीं था। जब तक गांव में सड़क नहीं जाएगी, और गांव की अर्थव्यवस्था से शहर की अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ेगी और गांव का आदमी, हर गांव को एक तरफ से सड़क मिले, यह जो उनका उद्देश्य था, वह मैं विपक्ष में बैठे कांग्रेस के माननीय सदस्यों से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कभी इस पर चिन्तन किया क्या, कि आपके किसी भी प्रधान मंत्री ने यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की घोषणा करने का क्यों नहीं सोचा? यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से ही गांवों में सड़क बनाने का एक सिलसिला चला और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गांवों को जो सड़क से जोड़ना था, उससे गांव में भी सड़क पहुंचे, इस कांसेप्ट को इस गौरव पथ के माध्यम से पहली बार इसका सफल परीक्षण किया है।

अपने इस बजट में आपने करीब एक हजार करोड़ रुपये की आर.यू.बी. बनायी हैं, 19 और 10, 29 आर.यू.बी. का जिक्र है। आर.यू.बी. के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिला पाली में चार हैं, सीकर में दो हैं, जयपुर में पांच हैं, सिरोही में एक है, अजमेर में एक है, भीलवाड़ा में एक है, उदयपुर में एक है, दौसा में एक है, जालौर में दो हैं, भरतपुर में है, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, अलवर, कोटा, बूंदी, चूरू। बीकानेर तो इसमें नहीं है। हम आपके एक हजार करोड़ के कार्यक्रम से पूर्णतया वंचित हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम सड़कों के मामले में आगे जा रहे हैं, पर यह आर्थिक सर्वे क्या कह रहा है; आर्थिक सर्वे कहता है कि आज भी हम 100 स्क्वायर किलोमीटर जो राजस्थान का है, उसमें सिर्फ 60 किलोमीटर की सड़क दे पाये हैं; 60 पाइंट कुछ है, और हिन्दुस्तान का एवरेज 148 का है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करता हूं कि अभी तो हम चल रहे हैं, हमें तो बहुत लम्बा चलना है। आल इंडिया एवरेज को पहुंचने तक, 148 किलोमीटर तक पहुंचने में, वह 148 माइनस 60 की यात्रा अभी हमारी बाकी है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं तो यह नहीं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने अपने पिछले पांच सालों में कोई सड़क नहीं बनायी; सड़कें तो बनी हैं, इसीलिए अपन कम्पेयर करते हैं कि हमने दुगना प्रावधान किया है। कभी-कभी जब माननीय सदस्य कुछ कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सम्भव ही नहीं है कि सरकार कुछ न करे, सरकार को आखिर जो 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार करोड़ रुपया मिलता है, उसका बजट बनता है; उसमें सड़क पर खर्च न हो, या किसी भी विभाग में खर्च न हो, यह सम्भव नहीं है।

यह मैं माननीय सदस्यों के विचार के लिए अर्ज कर रहा हूं कि यह जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया; हमारे विपक्ष के साथी कभी कहते हैं, आप तो जाने वाले हों, आप तो आने वाले हों; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुशफहमी पालने से कोई राज नहीं बनता है, आप तीन साल खुशफहमी पाले रख सकते हैं, लेकिन वसुन्धरा सरकार ने राजस्थान के हर गांव तक पहुंचकर गौरव पथ बनाया, मिसिंग लिंक बनायी, यदि स्पीड को और गतिमान किया, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन फेल हो जाएं।

यह ठीक है कि 1998 के बाद, हमारे बहुत से मित्र कहते हैं, 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 1977 में पहली जनता पार्टी की सरकार बनी; 1980 से 1990 फिर कांग्रेस रही; 1990 से 1998 भैरोंसिंहजी शेखावत रहे; फिर 1998 से 2003 तक कांग्रेस आ गयी; 2003 से लेकर 2008 तक माननीया वसुन्धरा जी आ गयीं; 2008 से 2013 फिर कांग्रेस आ गयी। 2008 से 2013 तक कांग्रेस आ गयी, तो कोई भा ज पा की गलतियां तो रही होंगी जिनके कारण आ गयी। आखिर, 78 विधायक और 2 समर्थित विधायक, 80 तक तो पहुंच ही गये थे। खैर, मैं उन गलतियों की व्याख्या करने आज खड़ा नहीं हुआ हूं, पर मैं यह कहता हूं कि 1998 के बाद जो क्रम चला है, 1998 से 2003 तक कांग्रेस सरकार, 2003 से 2008 हम, 2008 से 2013 कांग्रेस, 2013 से 2018 तक हम; तो तेरहवीं जीते हैं, मेरे समझने में गलती है कोई। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपको-हमको माननीय सदस्य, जो हां पक्ष में हैं, या हां पक्ष के समर्थक हैं, उनको जनता के वे सब काम करने पड़ेंगे कि जिसके द्वारा आप 2018 में रिपीट हों और दस साल का कंटिन्यूएशन किसी भी सरकार के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और देश की केन्द्रीय सरकार, जो भा.ज.पा. की बनी है, उसके लिए भी रिपीट होना एक चैलेंज होगा और निश्चित रूप से रिपीट होने की तरफ बहुत से कदम उठाये गये हैं, आपको, हमको भी सारे कदम उठाने पड़ेंगे।

मैं निवेदन करूंगा, नान-पैचेबल सड़कों में आपको 2,500 किलोमीटर बनाने हैं। 200 क्षेत्र हैं, तो 2,500 किलोमीटर के अनुसार एक क्षेत्र में जो भी उसका भाग आता है, मैं निवेदन करता हूं कि यह नान-पैचेबल सड़कें आपको कुछ और स्पीड से भी बनानी पड़ेंगी। मेरे यहां कुछ सड़कें, फिलहाल मैं ढाणी भोपालाराम से सहजारसर की बात करूंगा, जिसके बारे में पिछले दो सालों से मैं निरन्तर कभी सवाल पूछता रहा हूं और कभी बीकानेर जिले में हमारे चूरू के मुकाबले कम सड़कें, इसका भी सवाल मैंने आपको पूछा है और आपने एडमिट किया है कि हां, चूरू के मुकाबले बीकानेर में प्रति सौ किलोमीटर कम सड़कें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस तीन साल की अवधि में यह जो बैकलाग रहा है बीकानेर जिले का, इसे पूरा करने का दायित्व अपनी सरकार का है। यदि जो नान-पैचेबल सड़कें हैं, जैसे लूणकरणसर से मनाफासर, आपने उसमें नाथवाना से लगाकर और राजपुरा हुडान तक का पैच दिया है, नाथवाणा से राजपुरा हुडान तक का सात किलोमीटर, आठ किलोमीटर का। मैं निवेदन करता हूं कि वह सड़क तो लूणकरणसर से शुरू होकर मनाफासर तक जा रही है, आठ किलोमीटर से कुछ नहीं होना है, आप बीस किलोमीटर की मन्जूरी करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने जो ढाणी भोपालाराम से सहजारसर सड़क बनाने की सैद्धांतिक मन्जूरी की है, अभी तक आपने उसकी घोषणा नहीं की है, मेरा निवेदन होगा कि आप इस बजट में इसकी घोषणा करने का कष्ट करें।

बीकानेर जिले में नापासर कस्बा, जो बीकानेर तहसील का सबसे बड़ा कस्बा है, बीकानेर से 30 किलोमीटर सड़क चल रही है पी.डब्ल्यू.डी. की और चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर पैच इतना खराब है कि उस 25 किलोमीटर की सड़क तो सही और चार-पांच किलोमीटर, नापासर से कोई पांच-छह किलोमीटर दूर, वह सड़क बिलकुल खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आगे जसासर तक जा रही है और जिसका करीब-करीब स्टेटस स्टेट हाई-वे का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है, आप उस सड़क को, पांच किलोमीटर, बीकानेर से नापासर के मध्य जाने वाली सड़क की मन्जूरी इस बजट में दें।

बीकानेर तहसील को नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए, एन.एच. 11 से जोड़ने के लिए, शेरेरा से गुसाईसर जो नौ किलोमीटर सड़क बाकी है, उसको भी, जिससे कि गुसाईसर आकर उनको नेशनल हाई-वे मिल जाए, बीकानेर से एन.एच. 11 उपलब्ध हो जाए। वह भी नौ किलोमीटर सड़क शेरेना से गुसाईसर बहुत आवश्यक है।

मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जितना धन खर्च कर रहे हैं, इसको बिना भेदभाव के 200 क्षेत्रों में, चाहे वह आज क्षेत्र कांग्रेस का होगा, बिना भेदभाव के, नीति निर्माण करके; गौरव पथ में भी नीति निर्माण करिये, कि बड़े से शुरू करो, चाहे छोटे से शुरू करो; सिर्फ एम.एल.ए. से कागज लेना ही काफी नहीं है। मैं 160 की नाराजगी को मोल लेकर, आपको कह रहा हूं, आप किसी सिद्वांत के अनुसार उसमें नीति निर्माण करके और प्रत्येक क्षेत्र में गौरव पथों का निर्माण करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सड़क, लोक निर्माण कार्य, पुलों पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, जो आपकी वार्षिक योजना थी उसका केवल 50 परसेंट पैसा आप दिसम्बर तक खर्च कर पाये हैं। जो स्थिति बन रही है, दो चीज बताकर अपनी बात शुरू करूंगा, केन्द्रीय सड़क निधि में जो राज्य मार्गों, जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुधार की बात थी, उसमें 268 करोड़ रुपये इनके पास में थे, इन्होंने केवल मात्र 48.32 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। केवल 48.32 करोड़। मंत्रीजी जवाब दे दें, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। 13वें वित्त आयोग में इन्होंने अब की बार डबल-जीरो लिया है, एक रुपया नहीं लिया है। दूसरी बात करूं, उससे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सड़क निधि, इसी राज्य मार्गों और सड़क में, राज्य सड़क निधि में 572.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, केवल 29.64 करोड़ रुपये दिसम्बर तक खर्चा कर पाये हैं। यह छोटा-सा नमूना है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बजट की इनकी घोषणाएं हैं, पहले तो मैं इसी बजट से आ जाता हूं। एक-एक नमूना बताऊंगा पांच-सात मिनट में। मंत्रीजी, अगर आपके पास बजट है तो खोल लें, 17 नम्बर का जो पाइंट है उसमें आपने लिखा है, मथुरा-अलवर सड़क, जिला अलवर, एल सी नम्बर 95, यह आर.ओ.बी. बनेगा। यह लिखा है, सर, लागत से निम्न 19 व अन्य आर.ओ.बी. और दो आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार साल पहले हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह जी और हमारे स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री दुरू मियां जी ने उद् घाटन किया था, इनके विभाग में एप्लिकेशन लगा रखी है विभाग ने कि आप इसका उद् घाटन कर दीजिए, और यह अब की बार मुख्य मंत्रीजी से कहलवा रहे हैं कि 2016-17 में एक अप्रैल से इसका कार्य आरम्भ किया जायेगा। यह इनके 2016-17 का नमूना है।

2014-15 का नमूना, बीस हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगे पी.पी.पी. मोड पर; सात हजार की डी.पी.आर. बनाने का काम हमने चालू कर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर बनी नहीं; एक डी.पी.आर. बनी नहीं।

2015-16 में फिर मुख्य मंत्रीजी के श्रीमुख से कहलवाया कि हम 779 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे और दस हजार किलोमीटर पी.पी.पी. मोड पर बनायेंगे। उसमें से घोषणा की थी 779 किलोमीटर की, बिन्दु संख्या 17 पर; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। बीस हजार, दस हजार, 779 की घोषणा, यह पी.पी.पी. है न यह, मंत्रीजी, जब चुनावों में जाओगे तो पी पी पी बजा देगी। ऐसी घोषणाएं मत करिये। आप मेरे भाई हैं। इस तरह की घोषणाएं करके दो साल तक समय राजस्थान का खराब किया। जरूरत नहीं है; कम बनेंगी, कम बनेंगी। कहां दिक्कत आ रही है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी, एक लाख किलोमीटर ओ.डी.आर. और विलेज रोड की ओ.पी.आर.सी. योजना, सम्भाग वाइज ठेके करेंगे; कर दिये क्या ठेके? दूसरे बजट में कहा, 2015-16 में, दो जिलों में शुरू कर रहे हैं, और वह डबल-जीरो है। आज की तारीख तक भी इनका कुछ भी हो नहीं पाया और न हो सकता है।

इन्होंने ग्रामीण गौरव पथ, बहुत बड़े-बड़े दावे किये, मैं निवेदन करना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चाहता हूं, पहले बजट में नौ हजार गांवों को, ग्राम पंचायतों में हम 18 सौ करोड़ रुपये से पांच सौ मीटर और दो किलोमीटर के बीच में बनायेंगे। इन्होंने दूसरे बजट में फिर कहा कि 2,154 ग्राम पंचायतों में बनायेंगे। मान लिया कि नौ हजार इन्होंने पांच साल के लिए कहा होगा, कोई खास बात नहीं। दूसरे बजट में 2015-16 में कहा, 2,154 ग्राम पंचायतों में बनायेंगे, यह 1,984 में बनायेंगे, जून, 2017 तक, सारी, 2016 तक। यानी ठेके पर ठेके निरस्त कराते रहे; ठेकेदारों को कहते रहे, मत बनाना, पैसे नहीं हैं; मत बनाना, पैसे नहीं हैं, और इसकी वजह से नाली का तो कहीं भी, सड़कें जो गौरव पथ की बनी हैं, न उनमें 25 परसेंट में भी नाली नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। 170 ग्राम पंचायतें आपने जो घोषणा की थी, उनमें से रह गयीं।

पिछले बजट में चार हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण करेंगे; अब की बार मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम करेंगे 2,702 किलोमीटर का, वह भी जून तक करेंगे। यानी, अब तक 2,702 का नहीं हो पाया है; 1,300 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण रह गया। अब की बार घोषणा कितने की की, 2,500 किलोमीटर की। भई, तो 1,300 किलोमीटर तो आपकी पहले ही रह गयी, आप 2,500 किलोमीटर की फिर घोषणा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, 1,200 किलोमीटर ही तो बना पाओगे आप। 1,300 तो पहले ही रह गयीं। और यह जो बना रहे हैं 2,700, यह भी जून तक पूरा होगा, यह भी इस बजट में से लेना पड़ेगा, वरना इनके पास में फूटी कौड़ी नहीं है।

मुझे दया आती है क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं उम्र में; वैसे मेरे से एक क्लास पीछे थे। इनको ऐसा फंसाया राठौड़ साहब ने अबकी बार, इन सड़कों वाले मामले में, कि क्या कहें। आज पूरे प्रदेश में सड़कों की स्थिति, यूं तमतमा कर मत जाओ, चुनाव में जाना पड़ेगा। 25-30 हजार किलोमीटर ये नान पैचेबल सड़कें पड़ी हैं, आप सबके एरिये में पड़ी हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा मेरे लक्ष्मणगढ़ में पड़ी हैं, 100 किलोमीटर के लिए 10 करोड़ चाहिए। आप बताइये, 25-30 हजार किलोमीटर अगर नान-पैचेबल बनाओगे, तो 2,500 की आपकी बजट घोषणा और 1,300 पहले वाले में से, और वह भी जून में 1,700 पूरी करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा राज। ऐसे किसी को बावला बनाने से कोई बनेगा नहीं। इसलिए काम कीजिये।

कहां गये 20 हजार और 10 हजार? एक माननीय सदस्य ने इस पूरे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सत्र में, 28 तारीख से सत्र चालू हुआ था, एक ने भी अगर 20 हजार, 10 हजार, और यह पी पी पी तो गायब ही हो गई। पता नहीं, कौन पी पी पी बजा गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 5 साल में आपने कितनी बना दीं? आपने 5 साल में क्या किया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पता नहीं, आपकी पी पी पी कौन ले गया। आप पी पी बताओ ना। पिछली दफा बजा रहे थे। अब की बार कहां गयी आपकी पी पी? (व्यवधान) यह तो मेरे परम मित्र हैं उप सचेतक महोदय, इसलिए यह कह रहे हैं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिसिंग लिंक, 2 हजार किलोमीटर की घोषणा, बनाई कितनी? जून तक बनायेंगे।

अब की बार एक बहुत शानदार काम किया है। 7 हजार 16 ग्राम पंचायतें तो अभी बाकी पड़ी हैं, जिनके लिए इन्होंने घोषणा की थी। माननीय मंत्री महोदय, आपको ढाई साल मिलेंगे, 7 हजार ग्राम पंचायतों में कहां से आप गौरव पथ बना दोगे?

उपाध्यक्ष महोदय, अब की घोषणा 2016-17 की सबको घुमाने वाली की है। अब यह मंत्रीजी तो ऐसा कर नहीं सकते। ये तो साफ दिल के आदमी हैं। किस अधिकारी ने बनाई है, उससे आप पूछना। उसमें लिखा है कि 2 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक्स और ग्रामीण गौरव पथ सड़कें बनायेंगे। दोनों को जोड़कर के 2 हजार किलोमीटर; यानी, आप 1 हजार किलोमीटर ग्रामीण पथ बनाओ और 1 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक्स बनाओ। दोनों का 2-2 है, तो आप स्पष्ट कर देना। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और पूरे विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 7 हजार में से अगर 1 हजार गांवों में भी आपने गौरव पथ बना दिये, तो 6 हजार रह गये। आप 3 हजार बना नहीं पाओगे 4 साल में। यह जो भाषण दे रहे हैं ना यहां पर, अभिभाषण कर रहे हैं ना, हमारे तो वारे-न्यारे हो गये, हमारे तो वारे-न्यारे हो गये, इनके ऐसे वारे-न्यारे होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर, 30 सड़कें नान-पैचेबल, इनके पास में प्रस्ताव पड़े हैं, मंत्रीजी के पास में। 2 सड़कें पास की थीं पिछले साल में, वे थीं 13 किलोमीटर और पैसा था 1.57 करोड़;

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय मंत्री महोदय, वे दोनों चालू नहीं हुई हैं। आपके मेरे से नजदीक शायद कोई इस सदन में होगा नहीं, उसके बावजूद यह स्थिति है। आप देखिये, स्थिति देखिये, दोनों सड़कें आज तक चालू नहीं हुई और 28 सड़कें इन 2 के अलावा; यानी, 2 भी नहीं हुईं, तो 30 की 30 हो गईं। 30 सड़कें नान-पैचेबल हैं, आपके अधिकारियों ने भेज रखे हैं, मोहर लगा-लगाकर के साइन करके भेज रखे हैं, लेकिन एक किलोमीटर सड़क दे नहीं रहे हैं।

आप फतेहपुर पधारे, स्वागत हुआ; 8 करोड़ की घोषणा की; एक सड़क नहीं बनी। मेरे लक्ष्मणगढ़ पधारे, हमने स्वागत किया। हमारे भाई हैं, मंत्री हैं, शहर में सड़कें दे जायेंगे। दे आये क्या सड़कें? मंत्रीजी, 5 करोड़ की सड़कों की बात की थी। यह 100 किलोमीटर शहर को छोड़कर के हैं। केवल एक लक्ष्मणगढ़ का नमूना बता रहा हूं। प्रदेश का मैंने बता दिया कि 25-30 हजार किलोमीटर नान-पैचेबल चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जो तालियां बजा रहे हैं इन सड़कों के ऊपर, इनका दोष नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है राज के पास में। ये कहां से लायें पैसा? घर से भी साधारण परिवार से हैं। जब फूटी कौड़ी राज में है नहीं, तो आप लाओगे कहां से? इसलिए घुमा-घुमा करके बजट बना रहे हो। यह बजट बनाना छोड़ो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक सड़कें, कहां गईं धार्मिक सड़कें? एक भी बनाई क्या? आपने स्वयं ने घोषणा की थी, मंत्री महोदय, सालासर से लेकर के लक्ष्मणगढ़ तक जो सड़क बनी हुई है, उसमें इंटरलाक लगायेंगे, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जाने के लिए। मैंने मेज थपथपाई थी। मैंने गांव में कहा था कि मंत्रीजी कितने धार्मिक हैं और अपने लक्ष्मणगढ़ के लिए कितना कर रहे हैं, यह इंटरलाक बन जायेगा तो एक्सिडेंट कम हो जायेंगे, श्रद्धालु सड़क से दूर चलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सड़क आज तक चालू नहीं हुई। आप पीला पहनकर आये हो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मैं यह कह रहा हूं कि वह महाराज का आता है कि आज पीला पहनकर आये हो; कल लाल पहनकर आना, कृपा हो जायेगी। ऐसे तो नहीं बोल रहे हो कहीं आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह लाल भी पहन रखा है ना।

मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक चीज में बढ़ोतरी हुई है। प्रयास कर रहे हैं मंत्रीजी, खूब शानदार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ नहीं मिलता। दो मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक काम में बढ़ोतरी हुई है, टोल वाले काम में शानदार हुआ है। वह टोल वाले किसी को भी नहीं बख्शते। हमसे भी झगड़ा करते हैं; मंत्रीजी से भी कर लिया था, चौमूं वाले टोल पर। आज बढ़ाढर से लेकर के लक्ष्मणगढ़ तक एक साइड में सड़क बनी नहीं और टोल कम्पनी टोल ठोक कर वसूल कर रही है। इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता है।

आज ब्रिज बनाने की बात थी। रामू का बास में, मंत्रीजी आप पधारते हैं रोजाना सीकर, गनेड़ी गांव अपने; रामू का बास में जो थोड़ा-सा ब्रिज बनाने की बात थी, वह ऐसा का ऐसा लटका पड़ा है। पता नहीं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। यह हमारे समय में शुरू हुआ था, 12 महीने हमसे लेट हुआ, सवा 2 साल आपका निकल गया; एक रुपये का काम नहीं हुआ। आज की तारीख में जैसे का तैसा है।

एक बहुत बड़ी और गड़बड़ की, यह जो बढ़ाढर वाली बीकानेर तक सड़क बनाई ना, उस वक्त इन्होंने ट्रैफिक सैंसस कम करवा दिया कि 65 नम्बर की सड़क जायेगी, जो सालासर से होती हुई सीधी मुकुनगढ़ निकलेगी। ठीक है, अगर जायेगा 65 नम्बर का, डायवर्जन होगा...। एक मिनट।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारी तो जन्म पत्री सब बता दी। आपके कार्यकाल में लास्ट बजट में जितनी आपने घोषणाएं की थीं, क्या उस बजट में प्रोविजन था? वह तो बता दो जरा एक बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसके लिए आप भी तैयार हो जाओ, हमारे जैसे होने के लिए। यह तो 'हां' भरो। कोई चीज तो ईमानदारी से 'हां' भरो। हमसे नहीं हुई, तो हमारी यह गत हो गई। आपकी गत यह होने वाली है। यह तो तसल्ली कर लो कम से कम।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): डोटासरा जी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इसलिए तो आपकी यह दशा हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 65 नम्बर की, किस साजिश से? मंत्री महोदय, आप इसको चैक करवायें। आप बड़े नेक दिल इंसान हैं, आपकी काम कराने में रुचि भी रहती है, वह सड़क आज की तारीख में 2 साल से बंद पड़ी है। यह बढ़ाढर टोल वाला हमसे ज्यादा टोल वसूल कर रहा है और 65 नम्बर जब तक सड़क बनेगी, तब तक वह टोल ज्यादा वसूलता रहेगा। सीकर की जनता के साथ में इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। आपकी जन्म भूमि है। इसलिए इसको देखना चाहिए, आपको इसमें सोचना चाहिए और कुछ न कुछ करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं लास्ट एक मिनट में निवेदन करूं, क्योंकि समय की बाध्यता है, अपनी सीमाएं हैं। नान-पैचेबल सड़कें आये साल बनती रहती हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो सड़क बनी हुई है, वह सड़क बने और नवीनीकरण हो और उसकी गुणवत्ता ठीक हो। गुणवत्ता के मामले में ये इंजीनियर और ठेकेदार, इस पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट को पूरा डुबाकर के रखेंगे; बदनाम कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आपसे मांग करता हूं कि जो सड़कें बनें, वे क्वालिटी वाली सड़कें बननी चाहिए, चाहे उसमें 2 रुपये ज्यादा लगें। यह मापदंड छोड़ दीजिये कि 1 किलोमीटर बनेगी, तो 6 लाख रुपये मिलेंगे। अब उसमें सी सी बनाओ, तो बनाओ, नहीं बनाओ; तो नहीं बनाओ। मंत्री महोदय, ठेकेदार यह करते हैं कि गांव में जो सी सी का पोर्शन होता है, उसको छोड़ देते हैं; गांव के बाहर जहां अच्छी सड़क बनी होती है, उसके ऊपर काला कलर लगाकर के चले जाते हैं। पैसा डिपार्टमेंट का उठ जाता है, जनता को फायदा मिलता नहीं है। मैं इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस ठेकेदारों और इंजीनियरों के गठजोड़ को रोकने में कामयाब होंगे।

एक दिन ऐसा आयेगा कि हम यहां बैठकर के, अगर आपने सब ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बना दिये, अगर आपने सब नान-पैचेबल को ठीक करा दिया...। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि विधायकों को भी पूछो। ऐसा तो मत करो। मुझे तो पूछा है, इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन जिला कलक्टर आपसे पूछे। हमारी सबकी हैसियत देखो। एक जन5प्रतिनिधि को कलक्टर को आवेदन देना पड़े कि मेरी यह सड़क मिसिंग लिंक बना दीजिये, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती।

आप स्वयं सक्षम हैं; या तो आप स्वयं फैसला कर लीजिए, कहां

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बनानी और कहां नहीं बनानी, अन्यथा जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी कीजिए। जो वोट लेकर आता है, वह कहता है कि मैं आपकी सड़क बनाऊंगा, आपके ट्यूबवेल खुदवाऊंगा, आपका बी पी एल में नाम दर्ज कराऊंगा, आपकी पेंशन कराऊंगा और होता यह है कि कलक्टर कई-कई जगह, हमारे जिले में भी हो रहा है, सत्ता पक्ष के विधायकों को बहुत कम पूछता है। यह क्या हो गया? अबकी बार, पता नहीं, मैडम का वह क्रेज, मुख्य मंत्रीजी का, कहां गायब हो गया। यह ठीक नहीं है। आप अपनी दिखाइए, लीडरशिप दिखाइए, मंत्रीजी; हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ है, लेकिन जन-प्रतिनिधियों के अधिकार के साथ में कटौती नहीं हो; उनकी पीठ के पीछे आप खड़े रहें। जनता जन-प्रतिनिधि को चुनती है, उससे आस करती है। आप हमारे जिले के मंत्री हैं, हम आपसे आस करते हैं कि हमारे यहां ठीक काम मिलेगा।

आपने दिया है, योजनाएं तो दी हैं, बात भी चल रही है, ठेकेदार भी घूम रहे हैं, एस्टिमेट भी बन रहे हैं, बहुत बड़ी सड़कें बनने वाली हैं, मैं मानता हूं यह लेकिन आज की तारीख में जब चर्चा चल रही है, तो न पी पी पी सड़क है, न नवीनीकरण है। इसलिए मेहरबानी करके उस लक्ष्मणगढ़, जो आपकी मातृभूमि है, जन्म भूमि है। उसमें शहर की सड़कें ठीक करिए; नान-पैचेबल सड़कें ठीक करिए, यह टोल वाला जो अन्याय कर रहा है, जनता से अवैध वसूली कर रहा है, उसको ठीक कीजिए; नवलगढ़ की पुलिया चौड़ी कीजिए; सालासर से लक्ष्मणगढ़ में जो आपने घोषणा की थी, पिछले बजट में, वह इंटरलाक साइड में बनाइए, जिससे श्रद्धालु आएं-जाएं; और भी आपसे जितना बन पड़ता है, करने का कष्ट करें।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात करके, यह जो स्थिति बन रही है न सड़क की, वह। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसने कहा कि भैया, मैं आपको जिमाऊंगा, अच्छा भोजन कराऊंगा, आप आ जाओ। तो उसने कहा कि बोल, क्या जिमाएगा? बोला, आपको लड्डू खिलाऊंगा, आपको बर्फी खिलाऊंगा, आपको जलेबी खिलाऊंगा, आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगा। बोला, तारीख बता दो। एक महीने आगे की तारीख बता दी। एक महीने आगे की तारीख बता दी। वह दो दिन पहले से ही भूखा, मेरी तरह, कि चलो, मंत्रीजी के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जीमणा है, चलना है। दो दिन पहले से भूखा रहा। जब वह वहां गया, तो वहां इतना मोटा ताला लटका मिला। उस व्यक्ति की क्या स्थिति हो गई होगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह स्थिति हमारी नहीं हो जाए।

माननीय मंत्री महोदय, ...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह स्थिति आपकी हुई थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब गांवों में जाएं, तो यह लगे कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सड़क ठीक नहीं हुई, कोई पुलिया ठीक नहीं हुई, ऐसी स्थिति नहीं बने। इसके लिए आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा प्रयास कीजिए। माननीय वित्त मंत्रीजी की हैसियत से माननीया मुख्य मंत्रीजी को कह दीजिए कि अगले बजट में कृपया वही घोषणा करें, जो आप शुरू कर रहे हैं और आप पूरी कर सकते हों। वरना, थोड़ी बहुत जो हमसे कमी रह गई थी, हमारी क्या स्थिति हुई? इन माननीय सदस्यों का क्या दोष है? यह इन सबके 'एक्स' लग जाएगा, पीछे। यह हम नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं कि जो अबकी बार चुनाव जीतकर आये हैं, वे सारे के सारे चुनाव जीत करके?; ये राठौड़ साहब हैं न, साहब, ये बड़े मंजे हुए पालिटिशियन हैं। इनके सड़क समझ में आई हुई थी कि सबसे ज्यादा आदमी की बदनामी होती है, मंत्री की, तो इसमें होती है। इसलिए यह माननीय मेरे भाई साहब, युनुस खानजी को दे दिया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान होगा। जितने हम जीतकर आये हैं, पूरे उतने वापस आकर, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जोगारामजी हमारे मित्र हैं, इन्होंने कह दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रेम चन्द बैरवा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने...

श्री उपाध्यक्ष: पाइंट आफ इंफोर्मेशन, आप विराज जाएं एक बार।

सूचना

बाड़मेर सीमा पर ड्रोन कैमरा

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बाड़मेर जिले की सीमा पर खलीफे की बावड़ी के अन्दर ड्रोन कैमरा, जो प्रतिबंधित है, उसको वहां नहीं घुमाया जा सकता; उसके अन्दर ड्रोन कैमरा घुमाया गया। मात्र 15 किलोमीटर के ऊपर देश की सीमा है और 5 किलोमीटर सीमा के पास में एयर फोर्स का एरिया है, वहां पर बिलकुल प्रतिबंधित है, पर वहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसके अन्दर ड्रोन कैमरा घुमाया गया। उनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सचिन जी पायलट उसके अन्दर होते हैं। यह एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि वहां प्रतिबंध लगा हुआ है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसमें आदमी बैठता है क्या? कैमरे में आदमी बैठता है क्या? कैमरे में आदमी बैठता है क्या? प्रदेश अध्यक्षजी बैठे हैं, ऐसे ही बोल रहे हो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। (व्यवधान) सीमा के बिलकुल पास है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यहां कुछ नियम और परम्पराएं हैं। इस तरह की बात मत कीजिए। ये लोग हंसने लग गये हैं आपके ऊपर। कैमरे में सचिन पायलटजी बैठे थे? (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कैमरे में कैसे बैठ सकते हैं? (व्यवधान) आप बैठ कर दिखाओ न कैमरे में?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आज भी बाड़मेर के अन्दर कई घटनाएं हुई हैं, आज भी, मोबाइल कैमरों के द्वारा। उसकी कई तरह से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि मीटिंग ही नहीं की। क्या बात कर रहे हो! खलीफे की बावड़ी के अन्दर कार्यक्रम हुआ, जिसके अन्दर आपके प्रदेश के अध्यक्ष थे। (व्यवधान) ड्रोन कैमरा देखा नहीं है आपने? और भी कई ऐसे कांग्रेस के पदाधिकारी वहां थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो विषय उठाया है, वह सदन

(श्री उपाध्यक्ष)

को इंफोर्म करने के लिए उठाया है। आपने इंफोर्म कर दिया। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, क्या एक्शन करती है। That should be the end of it.

डाक्टर प्रेमचंद बैरवा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय उठा है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को बताकर, इसकी पूरी जानकारी करूंगा और अगर वास्तव में प्रतिबंधित एरिये में अगर कोई नियम का उल्लंघन हुआ है, तो कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर प्रेमचंद बैरवा।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 19 और 20 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ना और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहना तथा गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराना, उनकी एक सोच है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी एवं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र से एक एन एच 48 नया घोषित किया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, उसका आधा क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है तथा वह एनएच नहीं बनाया, वह स्टेट हाइवे 2 है जो कि एक महत्वपूर्ण हाईवे है। यह हाईवे दूदू, फागी, चाकसू, तूंगा, नावां, दौसा को जोड़ता है तथा साथ ही एन एच 12 और एन एच 8 को भी आपस में जोड़ता है, जिसकी कुल लम्बाई 110 से 156 किलोमीटर है, जिसमें से दूदू विधान सभा क्षेत्र में 110 से 131 तक कुल लम्बाई 21 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। महोदय, यह सड़क 1960 में बनी हुई है तथा आज दिन तक इस सड़क की चौड़ाई 3 मीटर ही है। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े होने के कारण इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन सदैव बना रहता है तथा यातायात अधिक रहने से यह लगभग पूरी

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

टूट गई है। कम चौड़ाई होने के कारण यहां यातायात सदैव बाधित रहता है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रथम वरीयता से उक्त हाइवे सड़क को 110 से 131 किलोमीटर की कुल 21 किलोमीटर लम्बाई की इस सड़क का चौड़ाईकरण, उच्चीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करवाया जाए।

महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बहुत बड़ा गांव व ढाणियों में बंटा हुआ है। महोदय, बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहां सड़कों की लम्बाई कुल 880 किलोमीटर है, जो कि क्षेत्र के गांवों और ढाणियों को आपस में जोड़ती है। मेरे दूदू विधान सभा क्षेत्र में पी डब्ल्यू डी की सड़कों की हालत अत्यन्त खराब है। 880 किलोमीटर में से करीब 225 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें नान-पैचेबल हैं, जिनका अधिक से अधिक सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण करवाया जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में खनन गतिविधियों तथा परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त निम्न सड़कें हैं, जिनके मैं आपको नाम बताना चाहूंगा: महला से झाग; बिचून से बंधे के बालाजी; बंधे के बालाजी से गुढा बैरसल; मोखमपुरा से जेवलियों का बास; एन एच 8 से सोमेश्वर महादेव; फागी से समेलिया वाया परवण; किशोरपुरा सांखून से साली बुहारू।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है इसलिए यहां पर मिसिंग लिंक रोड भी अधिक दी जाएं, जिससे मेरे क्षेत्र के गांव ढाणियां, पंचायत, तहसील तथा उप खण्ड मुख्यालय से जुड़ सकें। क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा मिल सके, इसके लिए मेरे क्षेत्र दूदू में कई महत्वपूर्ण मिसिंग सड़कें हैं,

(20.00 बजे)

जो इस प्रकार हैं; नासनोदा से खटवाड़; खेड़ीसवा से गणेशपुरा; केसरीसिंहपुरा से आश्रम; छिर से छोटा नरेना; रामपुराभूटिया से सावली; नानण से पवालिया; झखेलड से बिंगोलाव; बल्लूखां की ढाणी से चांदरमूल; छप्या से सुनाड़िया; महेशपुरा से चांदरमूल; सावरदा से रेड़ीबालाजी; रसीली से मण्डावरी; गागरडू से बैरवा की ढाणी, सिनोदिया से बालाजी; सावली झाग से सालरसू; गोपालपुरा से घटियाली; मण्डप से टोंक सीमा; घटियाली से टोंक सीमा, चोरू से छापरी; चोरू से भरतपुरा; पालड़ी से बैरवा की ढाणी; कीरतपुरा से रोटवाड़ा; और महला-झाग

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

रोड से हिंगोनिया। उक्त सभी प्रकार की रोड्स का मिसिंग लिंक में ज्यादा से ज्यादा दिया जाय, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा विधान सभा क्षेत्र है।

महोदय, मेरे क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक मात्र डाक बंगला है, जो कि जयपुर-अजमेर मेन हाइवे पर स्थित है, जिसके कारण यहां हमेशा वी आई पी अतिथियों का आवागमन रहता है। इसके विस्तार हेतु अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कराने का श्रम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड नया सृजित किया गया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, परन्तु बिना भवन के यहां कार्यालय प्रारम्भ नहीं हो सका है। यह आज भी पूर्व की भांति जयपुर से ही संचालित हो रहा है, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि नवसृजित खण्ड दूदू के कार्यालय भवन के लिए बजट स्वीकृत कराकर जल्दी ही भवन निर्माण कार्य करवाया जाय, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि एक स्टेट हाइवे मेरे यहां दूदू से मालपुरा-टोडा व छान तक है, उसका भी नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण करवाया जाय, जिससे कि वहां की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा। (व्यवधान) एक मिनट, आप विराज जायं।

सूचना

पावटा कस्बे में टेलीफोन लाइन डालते समय हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पावटा कस्बा है। वहां टेलीफोन की लाइन डालते समय, अभी नेशनल हाइवे ने कुछ दुकानें तोड़ी थीं, वे 5 मजदूरों पर गिर गयीं1 उसमें से 4 को

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बचा लिया गया, घायल हो गये; एक की मौके पर मृत्यु हुई है। यह सूचना मैं विभाग को दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जब-जब भाजपा की सरकार आती है, तब-तब सड़कों को सुदृढ़ करने का कार्य पूरा किया जाता है। सभी माननीय विधायकों ने अपनी बात रखी, उससे जाहिर होता है; क्योंकि 60 साल से कांग्रेस सरकार ने राज किया, कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि गरीब जनता, गांवों में रहने वाली जनता शहरों से जुड़े, मीडिया से जुड़े, पत्र-पत्रिकाएं पढ़े। यह इनकी वोटों की राजनीति थी। इस वजह से आज तक उन्होंने कभी भी गांवों को शहरों से जोड़ने का कार्य नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज तक जो बहुत बड़े-बड़े खड्डे छोड़कर गये हैं, उनको पूरा करने में समय जरूर लगेगा, पर हमारी सरकार इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान कर रही है और बहुत आगे ले जाएगी। जनता को सुख-सुविधा देने में हम सबको हमारी सरकार पर विश्वास है।

गौरव पथ की जो बात करते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ सड़कें बनी हैं। उसके लिए गांवों की जनता हमें बार-बार धन्यवाद देती है कि आपने जो हमें सम्मान दिया है, शहरों के बराबर गांवों की जनता को सम्मान दिया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बार-बार जनता इन सड़कों के लिए धन्यवाद देती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत-सी सड़कें बन चुकी हैं। मिसिंग लिंक, नान-पैचेबल सड़कें, नान-पैचेबल सड़कें मेरे यहां 19 थीं उनमें से 3 सड़कें पूरी हो गई हैं और आगे आने वाले समय में बाकी भी पूरी हो जाएंगी, यह मुझे पूरा विश्वास है।

गामड़ा से ओबरी तक की सड़क जो कांग्रेस की बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़े-बड़े खड्डे देने का कार्य किया था। 9 किलोमीटर की ऐसी सड़क जो

(श्रीमती अनिता कटारा)

कांग्रेस के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाये, अपनी सरकार आते ही माननीय मंत्री महोदय ने 9 किलोमीटर के लिए मय पुलिया जो बजट दिया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पंचायत समिति गलियाकोट में माही नदी पर निर्माणाधीन पुलिया, जिसकी कांग्रेस ने घोषणा करके न बजट की व्यवस्था की थी, आनन-फानन में लास्ट में पुलिया की घोषणा करके सरकार चली गयी थी; हमारी सरकार की उदारता देखो कि उस कार्य की किसने घोषणा की है, यह नहीं देखा; उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो बजट दिया और यह कार्य अभी चल रहा है। उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया सुराज संकल्प यात्रा में जब सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र, डूंगरपुर जिले में पधारीं, तब स्टेट हाइवे की घोषणा की थी। उसके लिए पाटिया मोड़ से गलियाकोट मोड़ तक 26 किलोमीटर का इस बजट में लेने का मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गलियाकोट पंचायत समिति में सिलोही ग्राम पंचायत में नीलकंठ महादेव मोरल नदी पर 200 मीटर का पुल निर्माण कराने की मांग करती हूं। इससे आम जनता को, कम से कम 20 से 25 हजार जनता को लाभ मिलेगा और कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इसलिए यह मेरी सबसे बड़ी इस पुलिया की मांग है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, मेरी अन्य सड़कों के लिए मांग है-डामरवाड़ा से वाड़ा कराड़ा होते हुए पाड़वा-11 किलोमीटर; सरोदा से करियाणा-4 किलोमीटर; पिलूड़ा से सेमलिया पण्ड्या-4 किलोमीटर। इन सड़कों का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें।

जिला उपखण्ड सागवाड़ा में एक डाक बंगले का निर्माण कराने की माननीय मंत्री महोदय से मांग रखती हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ही बी ई ओ कार्यालय का निर्माण कराने की मांग रखती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः सुश्री कीर्तिकुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19-सड़कें और पुल, मांग संख्या 21-लोक निर्माण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

कहना चाहूंगी, इतिहास साक्षी है, जब-जब भी किसी शासन का सुप्रबंध रहा, तब-तब देखा गया कि उसके काल में सड़कें अच्छी मजबूत रहीं। यहां सदन में कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेरा विधान सभा क्षेत्र, जहां से आज मैं आयी हूं, वहां सदन के नेता भी रहे, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जिस तरह से जीर्ण-शीर्ण हालत में विधान सभा क्षेत्र की सड़कें रहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री हुए, तो हमारी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की देखभाल हुई और सड़कों का निर्माण हुआ।

मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी सिंधिया का, जिन्होंने हमको मिसिंग लिंक के रूप में 608 करोड़ रुपये का बड़ा बजट दिया और सभी विधायकों को गौरव पथ देकर सबको सहयोग प्रदान किया। हमारी सरकार में पिछले दो साल में जिस तरह से पैचवर्क हुए और नान-पैचेबल सड़कों की मरम्मत की गयी, और जिस तरीके से गौरव पथ गुणवता के साथ बने, इसके लिए मैं मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी।

मंत्रीजी से मांग करूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में बहुत अधिक बजरी है, बनास बहुत लम्बी मेरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र से निकलती है और बिजौलिया तहसील में सैण्ड स्टोन भी है, तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप धन का डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं पैचेबल और नान-पैचेबल नई सड़कों के लिए, तो उसमें आप समान रूप से करते हैं, जबकि दूसरे विधान सभाओं से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1 हजार 300 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि मुझे जोजवा-खटवाड़ा मिसिंग लिंक के रूप में आप सहयोग प्रदान करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांडलगढ़ नगरपालिका में तिरोली नाम से ग्राम है जो 2001 में प्रधानमंत्री सड़क योजना की नियमानुसार योग्यता रखता था, 500 की आबादी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से यह उसमें जुड़ नहीं पाया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसको दुबारा जांच करके जुड़वाया जाए।

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खनिज क्षेत्र में मैं गुढा से सलावटिया सड़क की मांग करूंगी।

मेरे से पूर्व बूंदी के माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है, उसका मैं दुबारा समर्थन करना चाहती हूं। मैं भी चाहती हूं कि बिजौलिया-बूंदी सड़क का नवीनीकरण किया जाए। बिजौलिया-गुढा शकरगढ़ सड़क का भी आपने ध्यान रखा है।

बिजौलिया उप खण्ड पर एक डाक बंगला भी बनाया जाए। बिजौलिया चूंकि धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, पर्यटन का भी महत्व है, तो डाक बंगले की घोषणा करें।

श्यामपुरा-बिजौलिया सड़क बने, तो ग्रामीण क्षेत्र का बहुत विकास होगा।

माण्डलगढ़ से एक छोटी-सी सड़क मानपुरा तक की है, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगी।

धार्मिक सड़कों में सड़क से नागेश्वर तक पौन किलोमीटर सड़क की मैं मांग करती हूं।

मैं दुबारा गर्व से कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ही ग्रामीण सोच और ग्रामीण विकास की सरकार है जिसने सुव्यवस्थित धन को आबंटित कर सड़कों के प्रबन्धन की व्यवस्था की है। मंत्रीजी से एक बार पुन: खटवाड़ा-जोजवा सड़क की मांग करते हुए, धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती रानी सिलौटिया।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी और हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में मेरी 11 पंचायतों में गौरव पथ का निर्माण करवाया तथा मिसिंग लिंक द्वारा मेन रोड से गांवों को जोड़ा। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद देती हूं। हमारी मुख्य मंत्रीजी, क्योंकि धौलपुर जिला उनका गृह जिला है और वे हमारे जिले का तो खासकर ध्यान रखती हैं, इसलिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को प्रस्तुत करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय के नादनपुर से जिला करौली की सीमा तक करीब 20 किलोमीटर की सड़क टूटी-फूटी एवं जर्जर हालत में है। ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय से उत्तर प्रदेश की सीमा जगनेर की लगभग 11 किलोमीटर सड़क टूटी-फूटी एवं जर्जर स्थिति में है। इन दोनों ही सड़क मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों की मात्रा में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन रहता है। ये दोनों ही सड़क मार्ग खराब होने की वजह से आये दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती हैं। अतः इन दोनों ही सड़क मार्गों का निर्माण कराया जाय एवं डामरीकरण कराया जाना अति-आवश्यक है। क्योंकि ये दो जिलों को जोड़ती है, जिनमें एक तो करौली जिला, जो नादनपुर रोड होते हुए जाती है, वह करौली जिले को जोड़ती है और दूसरी रोड भरतपुर जिले को जोड़ती है। हमारी जनता को और हमें रोड टूटी-फूटी होने के कारण कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40 ऐसे गांव हैं जो मुख्य सड़क मार्ग से अभी तक नहीं जोड़े गये हैं; कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनको सड़क मार्ग से तो जोड़ा गया है, लेकिन वे मार्ग वर्तमान में गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इसलिए उनका सर्वे करवाया जाए और उनको सड़क मार्ग से जोड़ा जाना अति-आवश्यक है। साथ ही जर्जर स्थिति में पड़े हुए सड़क मार्गों की मरम्मत कराया जाना भी अति-आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय सरमथरा से ग्राम पंचायत मुख्यालय झिरी तक 26 किलोमीटर का सड़क मार्ग है, जिसकी चौड़ाई मात्र साढ़े तीन मीटर है। इस मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों छोटे एवं बड़े वाहनों का आवागमन रहता है और भारी आवागमन को देखते हुए, सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है अतः सरमथरा से झिरी तक के सड़क मार्ग को चौड़ा कराया जाना अति-आवश्यक है। इसी रोड पर झिरी पंचायत की भम्परा गांव के पास एक खार नाला पड़ता है, उसकी भी चौड़ाई बहुत ही कम है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो, मंत्री महोदय, इस रोड पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो कि सरमथरा से 26 किलोमीटर है।

(श्रीमती रानी सिलौटिया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव भिलोनी एवं बथवा के बीच एक नदी निकलती है और बरसात के दिनों में इस नदी में पानी का इतना बहाव रहता है कि महीनों तक दोनों के आस-पास जो गांव हैं, उनका मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है। भिलोनी एक ऐसा गांव है, जहां दुर्गा मां का मन्दिर है, जिस पर वर्ष में दो बार विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं। अतः गांव भिलोनी एवं बथवा के बीच से गुजरने वाली नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अति-आवश्यक है। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस पुल पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले भी पांच पुल दिये थे, उनमें से तीन स्वीकृत हुए हैं और जो दो रह गये हैं, उनमें से यह एक भिलोनी वाला पुल है। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं बस स्टैण्ड ही नहीं है। कैला देवी के मन्दिर के लिए सरमथरा से हजारों बसें निकलती हैं, लेकिन स्टाप नहीं होने के कारण यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, और बस कहां रुकेगी, कहां नहीं रुकेगी, उससे यात्री बहुत दुःखी रहते हैं। वहां कैला देवी जाने के लिए कोई स्टाप नहीं है। इसलिए सरमथरा में एक बस स्टैण्ड बनवाने की कृपा करें। साथ ही, बसेड़ी में भी, जहां भरतपुर जाते हैं, तो वहां बसेड़ी में भी कोई बस स्टैण्ड के लिए जगह नहीं है और रोडवेज बसें बीच रोड पर खड़ी रहती हैं, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानी होती है। तो, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि दोनों जगह बस स्टैण्ड बनाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने मांग संख्या 19 और 21 पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया; तहेदिल से आपका शुक्रिया करता हूं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपोजिशन के एक बहुत ही माइनोरिटी दल से आता हूं।

(श्री नवीन पिलानिया)

संसद में भी यह परम्परा है और यहां भी होनी चाहिए कि जो अपोजिशन में छोटे-छोटे दल हैं, गिनती के ही हैं; हम तो दो दल बचे हैं, बाकी निर्दलीय हैं; तो हमें थोड़ा पहले अवसर मिल जाए तो कृपा होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक बोलने का अवसर मिलता है, तब तक कितने बजे तक भी इंतजार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी मेहरबानी है।

मैं बहुत लम्बा, मैं तब से बैठा हूं और हर विधान सभा क्षेत्र का मैंने सुन लिया, जहां-जहां से बोले हैं। तो आज तो हर जगह से माननीय मंत्री महोदय को डिमांड आ रही है, हर जगह सड़क की, कहीं पुल की और यह स्वाभाविक भी है; कोई ऐसा गांव, ढाणी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़क की डिमांड न करे, लेकिन मेरे यहां एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है, मेरे यहां एक ऐसी सड़क आ रही है, उस सड़क को कोई नहीं चाह रहा है और किसान भयभीत हैं, और सैकड़ों गांवों के किसान भयभीत हैं। वह एक रिंग रोड आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय। यह उलटी परिस्थिति है। सबने मांग की है सड़कों की, पुलों की, हम मांग करते हैं दूसरी।

माननीय मंत्री महोदय, जो इशारा कर रहे हैं दूसरे माननीय मंत्री महोदय की तरफ, पिछले साल इसी सत्र में मैंने इस बात का जिक्र किया था और माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि जो सेकण्ड फेज आफ रिंग रोड है, उससे उन माननीय मंत्रीजी का कोई लेना-देना नहीं है; वह एन एच ए आई का लेना-देना है। मैं पुनः जो हमारे पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी हैं, सड़क के मालिक हैं, पुल के मालिक हैं, उनसे आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम इतना तो बतायें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां अभी यह हुआ है कि खड़ी फसल के अन्दर तक रिंग रोड के पिलर्स गाड़ दिये गये हैं; हर 200 मीटर पर पिलर गड़ गया है। अब हम किससे गुहार करें? किसी को यह नहीं पता कि वह कितने लेन की सड़क आएगी; उसके लिए कितनी जमीन अवाप्त की जायेगी; उसे कौन बनाने जा रहा है। कम से कम किसान को यह तो पता लगे। अभी यह कम्पनी है, जिससे हमने पूछा, जो हर खेत में गई और उसने पिलर गाड़ दिये; उन्होंने बताया, ट्रू अर्थ सर्वे, फरीदाबाद की कोई कम्पनी है जो वह काम कर रही है, एन एच ए आई के कहने से कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब एन एच ए आई तक तो मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, मैं पहुंच नहीं सकता। मैं तो आपकी मार्फत हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, उनसे ही यह जानकारी चाहूंगा।

(श्री नवीन पिलानिया)

अब मैं बात करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पारित हुआ; आपके मंत्रालय से पारित हुआ। मैं आपका थोड़ा5सा ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह जिक्र किया गया था कि वह सब तरीके की जमीन जो भी राजमार्ग बनाने के लिए उपयुक्त हो, वह ले सकेंगे, बिलकुल सही है, लेकिन उसमें यह लिखा गया है, ''प्रतिकर के रूप में संदेय रकम की अवधारणा धारा (10) या यथास्थिति धारा (11) के अधीन भूमि के बाजार मूल्य का आकलन व निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 26 में विनिर्दिष्ट मापदण्डों को अपनायेंगे। परन्तु...'' माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 'परन्तु' पर आप जरा खास ध्यान दें। यह जो राजस्थान राजमार्ग विधेयक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैंने अभी यह पढ़कर बताया है कि इसमें भूमि का जो बाजार मूल्य निर्धारित होगा, उसमें यह हवाला दिया हुआ है, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-26 के मापदण्डों को अपनाया जाएगा, लेकिन फिर लगाया है, 'परन्तु'। ''परन्तु उक्त धारा की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में वह कारक, जिसके द्वारा भूमि का बाजार मूल्य उपान्तरित किया जाना है, 1 (एक) होगा, किसी शहरी क्षेत्र से 20 किलोमीटर की दूरी से परे के ग्रामीण क्षेत्रों के सिवाय उपरोक्त कारक 1.25 होगा।''

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में इस वक्त भूमि अर्जन कानून लागू है 2013 का। उसमें स्पष्ट प्रावधान है, उसमें यह प्रावधान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मार्केट वेल्यू आफ लैण्ड जो डिसाइड होगी, वह फर्स्ट शिड्यूल में अंकित है और उसमें यह कहा गया है, ''The factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban area shall be; (i) the factor by which the market value is to be multiplied in the case of rural area 1 to 2 based on the distance from urban area.''

''मैं सिर्फ आपके मार्फत यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार को अधिकार है? जो केन्द्र का कानून है, उसे घटाकर यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग का बिल पास हुआ है, जिसको मैंने अभी पढ़कर बताया है, इसका अर्थ यह है कि अरबन सीमा से भी 20 किलोमीटर दूर तक एक प्रतिशत, ''multiplying factor shall be one up till 20 Kms. and after 20 Kms. it will be only 1.25.'' यह कैसे सम्भव है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। होना यह चाहिए था, अगर उसी कानून

(श्री नवीन पिलानिया)

को मानते हैं तो, और वह पूरे भारतवर्ष के लिए लागू है; होना चाहिए अरबन एरिया तक, वह multiplied by 1 होगा और जैसे ही अरबन एरिया खतम होता है, उसके बाद में एक से दो गुना तक जायेगा। वह हो सकता है, एक से पांच किलोमीटर तक आप डेढ़ परसेंट करें और उसके आगे आप दो से गुणा करें, लेकिन यह सम्भव नहीं है कि इस बिल में जो चीज लिखी हुई है, केन्द्र की चीज को आप घटा करके और यह कर दें। यह तो नीति के खिलाफ है।

एक और चीज है, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त परेशानी क्या आ रही है कि वे लोग बैचेन हैं। एक तो यह कानून है, जो मैंने पढ़कर बता दिया; एक और आदेश निकला हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय। यह गजट में छपा है नवम्बर 24, 2014. ''अधिसूचना। जयपुर, अक्टूबर 16, 2014. एसओ 185, भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 (2013 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा-26 की उप धारा-2 सपठित अधिसूची-प्रथम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को निम्नानुसार कारकों मल्टीपल फैक्टर से गुना किया जायेगा; शहरी क्षेत्र से दूरी 0 से 15 किलोमीटर कारक – 1.25; 15 से 30 किलोमीटर – 1.50; 30 किलोमीटर से अधिक, चाहे कितना भी हो – 1.75.''

इसके नीचे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। विशेष ध्यान आपका इस पर लाना चाहता हूं। स्पष्टीकरण में यह कहा है, ''जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका सीमा तक के क्षेत्र, जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड, क्षेत्र सम्मिलित हैं, को शहरी क्षेत्र सीमा माना जायेगा।'' यह भी सरकार का एक आदेश है भूमि अवाप्ति के लिए। एक यह मैंने आपको पढ़कर बताया है। इसमें यह कहा गया है कि जे डी ए का सम्पूर्ण रीजन है, उसे यह अरबन एरिया बताते हैं, जिसमें गुणांक एक से होगा। मेरे नहीं-नहीं करते हुए 43 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके 150 से ज्यादा गांव हैं, राजस्व विलेजेज हैं, जिनमें सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं; हजारों एकड़ जमीन है।

माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं

(श्री नवीन पिलानिया)

किसी की बात में दखल नहीं करता, ना मैं किसी को डिस्टर्ब करता हूं। मैं क्या गलत बात बोल रहा हूं? अब आप बोल दीजिये एक दफा। बताइये, फिर मैं जवाब दूंगा।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मैं यह कह रहा था, आपका कट मोशन नहीं था। यदि गम्भीर होते, तो कट मोशन देते। यह कह रहा हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): कट मोशन नहीं था?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हां, नहीं है आपका।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): किस चीज का कट मोशन?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आज की डिमांड का कटौती प्रस्ताव आपने दिया नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरे कटौती प्रस्ताव आज के लिए नहीं हैं?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नहीं हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): और मैं निकालकर बता दूं, तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप क्या कहेंगे, अगर मैं कटौती प्रस्ताव बता दूं आपको?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): मेरे पास सूची है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, आप क्या कहेंगे, अगर मैं कटौती प्रस्ताव बता दूं आपको? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ज्यादती हो गई। 210. नवीन पिलानिया विभाजन-86; 275. नवीन पिलानिया-86; 338. नवीन पिलानिया। This is not the way. मुख्य सचेतक महोदय, आप ऐसी जिम्मेवार जगह पर हैं और फिर आप यह कहें! माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है जिस बात को मैं उजागर रहा हूं। मुझे इसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए।

इस आदेश का अर्थ यह निकल रहा है, जो अभी मैंने पढ़ा है, वे जितने भी गांव हैं, वहां हज़ारों बीघा, हज़ारों हेक्टेयर जमीन पर काश्त होती है; हजारों कृषि कनेक्शन वहां हैं। कैसे यह सम्भव है? आप एक आदेश निकाल दें और नीचे एक स्पष्टीकरण डाल दें। यह पूरी तरीके से जो केन्द्र का कानून है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून, उसके बिलकुल खिलाफ है।

(श्री नवीन पिलानिया)

अब मैं आपको चौथा बताता हूं। चौथा, आप देखिएगा, जो भूमि अर्जन बिल, राजस्थान का भूमि अर्जन यहां आया था और उसके बाद में सलैक्ट कमेटी में चला गया। सलक्ट कमेटी ने यह कहा है, ''प्रतिकर की रकम की अवधारणा, कलक्टर निम्नलिखित शर्तों को जोड़ते हुए प्रतिकर की रकम की संगणना करेंगे, अर्थात्, यदि भूमि नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित है उस दशा में भूमि के बाजार मूल्य को कारक सवा गुणा किया जाएगा; या यदि भूमि नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंत से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित है, भूमि की दशा में ऐसे कारक को सवा से 2.25 से गुणा किया जाएगा; असिंचित भूमि की दशा में किसी नगरपालिका क्षेत्र या सीमा के अंत से पांच किलोमीटर की परिधि के भीतर भूमि की बाजार मूल्य को ऐसे कारक 2.25 से 4.5 से गुणा किया जाएगा; सिंचित भूमि की दशा में नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंत के पांच किलोमीटर परिधि में स्थित भूमि के बाजार मूल्य को ऐसे कारक 2.5 से 5.0 से गुणा किया जाएगा।'' नीचे स्पष्टीकरण आता है- ''नगरपालिका क्षेत्र से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड 39 में परिभाषित क्षेत्र से है।''

मैंने आपको चार बता दिया है, केन्द्र का बता दिया; यह जो राजस्थान स्टेट हाइवे बिल था यह बता दिया; यह जो अध्यादेश निकला, यह बता दिया; और जो इस विधान सभा ने सलैक्ट कमेटी को भेजा और सलेक्ट कमेटी ने यह चीज करके दी, वह मैंने आपको बता दी। अब इस स्थिति में मुझे बताइए कि मेरे इलाके का किसान भयभीत होगा कि नहीं होगा? तो कम से कम सरकार यह तो बताये कि उसकी नीयत क्या है? अगर उसकी नीयत केवल यही है कि औने-पौने दामों में कैसे भी हो, किसान की जो उपजाऊ भूमि है, मेरे यहां मल्टीक्राप्ड लैंड है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और एक बात से तो आप भी इत्तफाक करेंगे और माननीय मंत्री, अभी यहां विराजते, अभी कहीं चले गये, वह भी इत्तफाक रखते; हम सब यही चाहते हैं कि कम से कम किसान की भूमि जो है, मल्टीक्राप्ड लैंड, वह ली जाए। तो एक बिन्दु मेरा, यह बहुत इम्पोर्टेंट बिन्दु है, इस पर माननीय मंत्री महोदय बतायें कि वह रिंग रोड लैंड की आएगी, कितनी जमीन दी जाएगी? उसे मुआवजा कैसे दिया जाएगा? इससे दिया जाएगा, इससे दिया जाएगा, या इससे दिया जाएगा? इनमें जमीन-आसमान का अंतर है और हर चीज एक-दूसरे के विपरीत है। यह बहुत गम्भीर

(श्री नवीन पिलानिया)

विषय है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से पूरे सदन में उठाया है और मैं विनती करता हूं, इस पर जरूर स्पष्टीकरण आये।

अब मैं व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहता। मैं जानता हूं, सब लोगों को देरी हो रही है। केवल इतनी-सी बात करना चाहता हूं कि ग्रामीण गौरव पथ योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उनको भी थोड़ा-सा समझने की जरूरत है। कुछ उदाहरण दिये थे, मेरे क्षेत्र का भी उदाहरण है, जहां हो क्या रहा है, अधिकतर पंचायत हैडक्वार्टर...। यह जो स्कीम आई हैं। जितनी मेरे को जानकारी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, this is for Panchayat Headquarter, उसकी आबादी में सी सी सड़क बनाना है। बहुत-से ऐसे पंचायत हैडक्वार्टर हैं जहां सरपंचों ने या पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न-विभिन्न फंड से आलरैडी सी सी बन चुकी हैं। यह बहुत जगह है। उस कारण होता है क्या, वहां वे 200-400 मीटर बनाते हैं, या जो डामर सड़क बनी हुई है उसे भी उखाड़ करके बनाते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें अगर पंचायत हैडक्वार्टर पर आलरैडी सी सी है, तो उस पंचायत का जो नेक्स्ट बड़ा गांव है उसको लेने की परमिशन दी जाए; या जिस पंचायत हैडक्वार्टर में आलरैडी सी सी है, उसको मिसिंग लिंक के तौर पर वह चीज दी जाए। जो लूणकरणसर से पधारे हुए माननीय सदस्य बता रहे थे, उसमें भी यह बात है कि you don't pick and choose Panchayats. होता क्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे पिक एण्ड चूज करते हैं, इस-इस सरपंच को करने के लिए हां-हां आपके ले ली। आप एक तरफ से चालू करिए, कम से करें, या ज्यादा करें।

सिर्फ इतनी सी अपनी बात कहकर के समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, माननीय मंत्री महोदय, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। कल भी मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, जब माननीय मंत्रीजी जो हैं, कुछ व्यक्तिगत ले गये। लेकिन मिसिंग लिंक की मैं बताता हूं, आमेर विधान सभा क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर तो एक भी मिसिंग लिंक स्वीकृत नहीं हुई। मुझे नहीं पता, आपका पी डब्ल्यू डी विभाग आमेर का विधायक किसको मानता है। यह तो आप जवाब देकर के बता सकेंगे। वह आप बेहतर जानते हैं।

मैं आपको तहेदिल से पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो आपके पांच मिनट लूंगा।

हमारी मुख्य मंत्रीजी आदरणीया वसुंधरा राजे जी ने और हमारे राष्ट्रीय मंत्रीजी गडकरी जी ने और हमारे मंत्रीजी युनुस खान जी ने हमारे नागौर में दो नये नेशनल हाइवे स्वीकृत किये हैं और पहले से ही हमारे नागौर में चार नेशनल हाइवे थे। इससे हमारा नागौर आज पूरे राजस्थान में सड़कों के मामले में एक नम्बर हो गया है। नागौर में पूरे जिले में आर ओ बी छह स्वीकृत किये हैं और नागौर शहर में जो लिंक रोड दी हैं, उनसे ये पांचों नेशनल हाइवे उनसे जुड़ेंगे। यह लिंक रोड का काम भी हमारे यहां चालू हो गया है। 155 करोड़ का यह काम है। इसलिए मैं आदरणीया मुख्य मंत्री और मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

नागौर में गौरव पथ, नागौर में मिसिंग लिंक, नागौर में रिपेयर सड़कें और नागौर में पी एम जी एस वाई की सड़कों का काम पूरा हो गया है।

मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज जो सड़कों का काम हुआ है, वह पूरे राजस्थान में दिखता है। इसलिए मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को और हमारे मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे सभी विधायकों की मांग है कि यह जो मिसिंग लिंक आप दस किलोमीटर दे रहे हैं, मंत्रीजी, इसको आप बीस किलोमीटर कीजिए। जब तक आप बीस किलोमीटर नहीं करेंगे, बहुत कम छोटे काम हैं; पिछले साल भी मिसिंग लिंक दिये थे आपने, कहीं दो किलोमीटर कम रह गये, कहीं एक किलोमीटर कम रह गये। इसलिए मैं सभी विधायकों की ओर से आपको कहना चाहता हूं कि इसकी घोषणा आप अभी करेंगे।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और, उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कल आदेश दिया था कि बीच-बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो पर्चियों के द्वारा बोला गया और हमको समय ही नहीं दिया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लिख कर दे देना।

श्री मंगलराम (कठूमर): हम तो कल से समय मांग रहे हैं, कल से ही नहीं मिला हमको।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त कटौती प्रस्ताव एवं दिन भर माननीय सदस्यों द्वारा की गई सार्थक बहस एवं अमूल्य सुझावों के लिए सभी माननीय सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मांग संख्या 19 में कुल 160 कटौती प्रस्ताव 65 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार, मांग संख्या 21 में 357 कटौती प्रस्ताव 100 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। इन सबके जवाब आज ही रात को हम प्रेषित कर देंगे और कल तक माननीय सदस्यों को इन सबके जवाब मिल जाएंगे।

आज सभी माननीय सदस्यों ने सारगर्भित बहस की, बहुत सारे अमूल्य सुझाव भी दिये, धन्यवाद भी दिया और सड़कों की मांग भी की, और यह बात है कि उलाहना तो जो काम करेगा, उसको मिलेगा। इन सबके लिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह बात सही है कि अगर किसी भी देश और प्रदेश का सड़क तंत्र अच्छा हो, तो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने के मौके रहते हैं और सड़क खाली कंक्रीट का एक तंत्र ही नहीं है, सड़क जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से जी डी पी भी बढ़ती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, आवागमन में सुविधाएं भी होती हैं। यह स्वाभाविक भी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जनता की उम्मीदों पर, चाहे वे किसी भी दल से आये हों, जीत कर के आये हैं, तो वहां की स्थानीय जनता इस बात की उम्मीद भी करती है कि उनके क्षेत्र में अच्छी सड़कें हों, अच्छे आवागमन के साधन हों, और यही प्रयास हमारी इस वर्तमान सरकार का है।

यह बात सही है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब पहला बजट अपना रखा, उस समय उन्होंने अपना विजन, एक तरीके से विजन डाक्यूमेंट सबके सामने रखा। वह सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे राजस्थान में जब उन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद में जो हालात उन्होंने देखे, उन सब में उनके मन में एक ही बात आयी कि जो सड़क तंत्र है हमारे राजस्थान का, वह कमजोर है। अगर वह मजबूत होगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान ही यह तय कर लिया और उन्होंने अपने पांच

(श्री युनुस खान)

वर्ष का विजन और उसके साथ में विजन 2020 उन्होंने रखा। उसी के तहत उन्होंने, यह बात सही है कि उन्होंने बीस हजार किलोमीटर सड़कें पी पी पी में बनाने की बात कही, जिसकी चर्चा हाउस में पिछले दो साल से चल रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अकेला एक ही माध्यम ऐसा नहीं है कि खाली पी पी पी में ही हम सड़क बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको तो पता है कि सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, राज्य राजमार्ग भी हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हैं, उसके साथ रूरल रोड्स भी हैं। इन सबका मिश्रण बना करके प्रदेश का सड़क तंत्र तैयार होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम पी पी पी में बड़ी सड़कें बनाकर के दे दें और हमारे गांव सड़क से वंचित रह जाएं। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी की प्राथमिकता में यह सड़क तंत्र गांव से लेकर नेशनल हाइवे तक रहा और उसी के अनुसार उन्होंने घोषणा की, और हमने प्रयास भी किया कि पी पी पी में हम इस काम को करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सड़क तंत्र के बारे में जो वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है, यह बात सही है, जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि बीकानेर में बीकानेर का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसके अनुपात में सड़क तंत्र नहीं है। उसका कारण एक ही है, जैसा कल माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वह छितराई हुई जनसंख्या है। इसीलिए राष्ट्रीय अनुपात जो हमारा है, उससे राजस्थान कम इसलिए है, क्योंकि राजस्थान के अगर जैसलमेर और बाड़मेर जिले में आप जाएंगे तो वहां पचास-पचास किलोमीटर तक गांव नहीं है और बहुत लम्बा, हमारा एक जिला तो ऐसा है जो कई राज्यों से बड़ा है। इसलिए इस छितराई हुई जनसंख्या के कारण और बड़े क्षेत्रफल के कारण हमारे राष्ट्रीय औसत से हमारे राज्य का औसत कम है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है और वह हमारा औसत आज लगभग 62.22 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 148 घनत्व है, उसके मुकाबले बन पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज हमारे राजस्थान में, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है, पिछले दो वर्षों में हमारे साथी कह रहे हैं कि कुछ

(श्री युनुस खान)

भी नहीं हुआ; मैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चर्चा करूं कि जब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने शपथ ली थी, उस समय राजस्थान में 7,312 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था और आज मैं जब आपके सामने कह रहा हूं, आथेंटिक हमारे पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8,149 किलोमीटर है और अभी जो 556 किलोमीटर और माननीय मंत्रीजी ने घोषित कर दिया, उसके बाद हमारा राजस्थान उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर के पूरे हिन्दुस्तान में एक नम्बर पर आया है। तो यह एक दिन में नहीं आया, यह सबके सम्मिलित प्रयास से आया है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि हम आये और हमने रातोंरात सड़कें बना दीं। कुछ आधार पूर्ववर्ती सरकार ने भी तैयार किया, लेकिन उसमें जो हमारी इस सरकार की मेहनत है, जो हमारे प्रयास हैं, उनसे आज राजस्थान प्रथम स्थान पर आया।

राज्य राजमार्ग में भी 15,025 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कों में 6,715 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कों में 29,682 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,53,364 किलोमीटर, और कुल मिलाकर के मैं यह कह सकता हूं कि आज की तारीख में 2,12,935 किलोमीटर राजस्थान में सड़कें हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी नहीं है कि 20 हजार किलोमीटर खाली पी पी पी की हम चर्चा करें। इतना ही नहीं, हमने पिछले दो वर्षों में, मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 27 माह का अगर हिसाब हम दें इस हाउस को और राजस्थान की जनता को, तो उसमें मैं यह कह सकता हूं कि हमने पी एम जी एस वाई में पिछले 27 महीनों में 6,497 किलोमीटर, नाबार्ड में 1,909 किलोमीटर, राज्य योजना में 830 किलोमीटर और आर आर एस एम पी 2,046 किलोमीटर और ग्रामीण गौरव पथ 1,544 किलोमीटर अब तक हमने निर्माण करके, यह कह सकते हैं कि 12,826 किलोमीटर पिछले 27 महीनों में हमने सड़क निर्माण का काम किया है और उसके साथ-साथ 3,751 वे गांव जो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, उनको जोड़ने का भी काम किया है। अर्थात्, कहने का तात्पर्य यह है कि आज राजस्थान प्रतिदिन लगभग 16 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रहा है, जो हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ है। मैं यह कह सकता हूं कि प्रतिदिन पांच गांवों को सड़क से जोड़ने का काम भी हमने किया है। ये गांव मैं वे बता रहा हूं जो अनकनेक्टेड थे।

(श्री युनुस खान)

मिसिंग लिंक का हिसाब मैं आगे जाकर दूंगा।

उसके साथ-साथ, जैसे हमारे कई साथी कह रहे थे कि सड़कें टूटी हुई हैं; यह बात भी सही है कि विरासत में हमें टूटी हुई सड़कें मिलीं। सड़क का एक लाइफ साइकल होता है, उसमें वह सड़क टूटना स्वाभाविक है; सात साल बाद में वह टूट जाती है। पांच साल तक उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। उसके बाद में अगर उसकी रिपेयर नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वह टूटती है। तो वह जितने और निर्माण करते हैं, उतनी सड़कें टूटती हैं। लेकिन इसमें भी हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और हमने अनेक मदों के बाद में, इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण में भी लगभग 13,070 किलोमीटर सड़कों का या तो सुदृढ़ीकरण किया है, या नवीनीकरण किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जनवरी, 2014 से लेकर आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, तब तक 9,177 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके राजस्थान का सड़क तंत्र मजबूत करने का हमने काम किया है।

एक माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो महत्वपूर्ण योजना, जिसकी घोषणा की थी और जिसकी चर्चा हाउस में आई; हमारे 'हां' पक्ष के लोगों ने, जिसकी सराहना की, 'ना' पक्ष के लोगों ने, चूंकि उनका दायित्व बनता है, वे अपनी पार्टी का, अपने 'ना' पक्ष का फर्ज निभा रहे हैं, तो वे यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ; लेकिन यह ग्रामीण गौरव पथ का जो कंसेप्ट माननीया मुख्य मंत्री जी लेकर के आयीं और पिछले शासन में उन्होंने जो शहरों के लिए गौरव पथ बनाये थे और अब की बार हमने प्रारम्भ में, यह बात सही है, क्योंकि हाउस में स्पष्टीकरण देना भी जरूरी है; जब हमने घोषणा की थी, पिछली बार 25 मार्च को जब मैं इसी जगह से बोल रहा था, तब मैंने कहा था, कुल 2,154 पंचायतों के लिए हमने ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृति दी थी; लेकिन यह बात सही है कि बहुत सारी जगह से आपत्तियां आई। वहां निर्मित सड़क, जो आलरैडी बनी हुई थीं, कई जगह अच्छी स्थिति में थीं; कई जगह डामर की थीं, लोग सी सी चाहते थे। उनकी जांच करके हमने उनमें से भी कुछ सडकें कैंसिल करके, लगभग 1984 ग्राम पंचायतों को अंतिम रूप से स्वीकृति दी और उनमें से आज लगभग 19,55 किलोमीटर सड़कें बनाकर हमने तैयार कर दी हैं।

(श्री युनुस खान)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह बात सही है कि जब प्रारम्भिक तौर पर हमने इनकी स्वीकृति जारी की थी, उस समय हमने लगभग 50 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत स्वीकृति दी थी, लेकिन कालांतर में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि सी सी रोड बना देना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी नाली भी बननी चाहिये। चूंकि जब हमने टेंडर किया था, उस समय नाली का प्रोविजन नहीं किया था और उसके बाद में किया। पहला तो हमने प्राथमिकता के आधार पर जो हमारी सेविंग थी, इसी टेंडर में, उससे जितनी नालियां बनीं, उतनी बना दीं और जिला कलक्टर्स को हमने निर्देश दिये कि वे 'मनरेगा' में जितना निर्माण हो सकता है, वह करें। इस बजट के बाद में, जो नालियां रह गई हैं, वे माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के अनुसार सम्पूर्ण जितनी निर्मित सड़कें हैं और जो भविष्य में भी बनेंगी, उन सब को नालियों के साथ बनायेंगे1 यह मैं आज हाउस को कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उनमें से 730 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पूर्ण रूप से नालियां बना दीं और आज की तारीख में उनमें से 1,582 किलोमीटर की सड़कें कम्प्लीट बनकर तैयार हो गईं। यह बात सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में भी कहा कि जून 2016 तक हम इन सब सडकों का निर्माण कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह बात भी उठी कि 2016-17 के बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने फिर घोषणा की है कि हम 2,000 किलोमीटर मिसिंग लिंक और ग्रामीण गौरव पथ और बनायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ जन-प्रतिनिधियों की यह इच्छा रहती है कि मिसिंग लिंक मिल जायें; कुछ जनप्रतिनिधियों की इच्छा रहती है कि ग्रामीण गौरव पथ मिल जायें। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह मिलीजुली मिक्स घोषणा की है। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। (व्यवधान) अभी जो प्रारम्भ में है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दोनों को मिलाकर 2,000 ही है ना। यही पूछ रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी तो सुनते ही जाओ। धैर्य रखो थोड़ा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपको कह दूं, आप बहुत जोश में बोल रहे थे, कुरान की एक आयत है इनलल्लाह मासाबरीन, ''सब्र वालों के साथ हमेशा ईश्वर रहता है।'' आप सब्र रखिए।

(श्री युनुस खान)

9,177 ग्राम पंचायतें जब हम आये थे तब थीं, लेकिन हमारे माननीय गुलाब जी की अध्यक्षता में और प्रभूलाल जी की कमेटी थी, पहली बार हमने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया और 9,900 ग्राम पंचायतें बनाईं, जिनमें से 6 में कोर्ट में केस चल रहा है, और 9,894 ग्राम पंचायतें आज की तारीख में, मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी बिलकुल प्लान से चल रही हैं; उनका अपना एक विजन है और उस विजन के अनुसार घोषणा कर रही है। अगली बार जब हम घोषणा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सांसें रुक जायेंगी। इसकी आप चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा सब्र रखिए। जहां हमने अगर कमिटमेंट किया है, तो निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी उस कमिटमेंट को पूरा करेंगी। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, टी एफ सी में जीरो। मैं देख रहा हूं, दो दिन से इनसे आगे बैठने वाले माननीय नेता प्रतिपक्ष भी परसों जब बजट पर बोल रहे थे, तो अंगुली पर बार-बार यूं कर रहे थे, यूं कर रहे थे और आज इन्होंने भी जीरो कहा। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक चुटकुला सुनाया, तो मैं भी आपकी परमिशन से थोड़ा-सा कह दूं। जब हम छोटे बच्चे थे तो गांव में एक खेल खेलते थे, क्योंकि गांव में पहले साधन नहीं थे, ये भी उसी पंचायत से हैं। गोर गाई, खीर पकाई, कुण कुण खाई; मैं खाई, मां खाई, बापू खाई, सब खाई। मेरे को वह कहानी याद आ गई। तो मैंने कहा कि यह गोर गाई कर रहे हैं। उसी तरह से आज यह कह रहे थे कि टी एफ सी में भी जीरो है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब टी एफ सी का काम पूरा हो गया, 13वें वित्त आयोग का काम पूरा हो गया; 14वें वित्त आयोग का काम अभी शुरू हो रहा है, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी टी एफ सी में भी हमने 136 करोड़ रुपये जो हमको मिले, उसमें 1,118 किलोमीटर और 296 काम हमने कम्प्लीट कर दिये, इस सरकार के आने के बाद में। वह मैं आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे को 'नाबार्ड' से जो लोन मिलता है, उसके तहत जो टूटी हुई सड़कें थीं, उन सडकों के लिए भी आरआईडीएफ 20 के नाम से जारी किया और उसमें 847 करोड़ रुपये की लागत से 4,254 किलो मीटर का पैचवर्क का काम किया और उसका काम आज की तारीख में

(श्री युनुस खान)

96 प्रतिशत पूरा हो गया। उसका वेरिफिकेशन अगर हमारे सचेतक चाहते हैं, तो वे खुद जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन दो कार्यों की चर्चा की, मैं यह बताना चाहूंगा, वे हमारे आर आई डी एफ 21 के हैं। आर आई डी एफ 21 का अभी हमने टेंडर जारी किया है और उसमें लगभग 417 करोड़ रुपये की लागत से 2,702 किलोमीटर का काम और 595 कार्यों का टेंडर, उसका काम भी शुरू हो गया है; वह काम अब होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारा जो 847 करोड़ और 4,254 का जो प्रथम चरण था, वह पूरा किया। मतलब, हमने टी एफ सी का चरण पूरा किया और अब नान-पैचेबल रोड का थर्ड चरण निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मिसिंग लिंक को भी हमने, थोड़ा-सा लेटेस्ट स्टेज पर टेंडर हुए, इसी वित्तीय वर्ष में उनके वर्क आर्डर हो गये और उसमें भी लगभग 608.35 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत की, उसके टेंडर किये और 2,182 किलोमीटर की सडकें और 1,009 कामों की चर्चा की, उसमें भी काम शुरू हो गया। लगभग सारे एम एल एज ने अभी विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले अपने-अपने क्षेत्र में जाकर, मैं सोचता हूं, बहुत सारे साहिबान ने शिलान्यास भी किया है। अगले वर्ष में भी, जैसा कि मैंने कहा, 2,000 किलोमीटर मिक्स के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक स्कीम राजस्थान रोड सेक्टर माडनाइजेशन प्रोजेक्ट में विश्व बैंक से लोन लेकर काम करने की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गांव 2001 की जनसंख्या के अनुसार 250 से ऊपर अनुसूचित जाति, जनजाति और मरुस्थल के क्षेत्र में, और सामान्य क्षेत्र में 500 थे, उनको भी विश्व बैंक से लोन लेकर शुरू किया। उसमें भी लगभग 250 से 499 की आबादी के लिए लगभग 1,056 गांवों के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसका काम भी बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें अब तक जो प्रगति हुई है, उसमें भी हमने लगभग 1,056 में से 934 गांवों का काम पूरा करके दे दिया, उसमें 863 करोड़ रुपये खर्च कर दिये और 2,071 किलोमीटर का काम पूरा हो गया। शेष जो 85 गांव बचे हैं, उनका काम भी हम शीघ्र पूरा कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व

(श्री युनुस खान)

का जिक्र, जिसका मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था और आज भी हाउस में बार-बार उनका नाम आया, ऐसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पी एम जे एस वाई की योजना शुरू की थी, उस योजना का जिक्र भी मैं करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 दिसम्बर, 2000 को माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को शुरू किया, उसका आधार 2001 की जनसंख्या था और 2001 की जनसंख्या के अनुसार जो अब तक राजस्थान में, चाहे उस समय 2000 में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने भी काम किया; उसके बाद में 2003 में माननीया वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार आई और उस सरकार ने भी काम किया। उसके बाद 2008 तक वसुंधरा जी की सरकार रही और उसके बाद 2008 से 2013 वापस कांग्रेस आई और फिर हम आये। इस चरण में लगभग 250 से ज्यादा की जनसंख्या वाले गांव जो अनुसूचित जाति और मरुस्थलीय क्षेत्र के थे, वे इन सरकारों के कार्यकाल में जुड़ गये; 500 से अधिक की आबादी के गांव सामान्य में जुड़ गये।

(21.00 बजे)

लेकिन मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगा। यह हो सकता है कि हमारी सरकार का सौभाग्य तेज था, या वह उसका प्रारम्भिक चरण था। कम्पेरिजन तो मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आज हाउस में इस तरीके की बातें आईं, जनता में यह मेसेज जाता है। हमारे कई विधायक ऐसे हैं जो नव-निर्वाचित होकर आये हैं, उनको भी लगता है, काम हुआ नहीं। इसलिए ये आंकड़े भी, कम्पेरिजन भी बताना जरूरी है।

माननीया उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा 2000 से 2003-04 तक कांग्रेस की सरकार यहां पर रही और उसमें अगर हम यह कहें तो उस समय लगभग 1,095 टोटल कार्य स्वीकृत हुए और उसमें लगभग 918 गांव इनके शासन में जुड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 2004 से 2008 तक राजस्थान के अन्दर माननीया वसुंधरा जी के कार्यकाल में कुल 8122 गांव और उसमें 35,100 किलोमीटर की सड़कों का काम हुआ। जो मैं सोचता हूं कि आज तक के कार्यकाल में रिकार्ड है। उसके बाद में, ऐसा नहीं है कि योजना बंद हो गई थी, उसके बाद में फिर कांग्रेस का शासन आया और उसमें भी, अगर हम इन दोनों का कम्पेरिजन करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो जहां 9,127 बसावटें थीं उसके अगेंस्ट में कांग्रेस के शासन में मात्र 1,638 बसावटें

(श्री युनुस खान)

और 15,106 किलोमीटर बनीं; यानी, बीस हजार किलोमीटर का फर्क पांच साल के शासन में रहा। फिर उसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब फिर वापिस हम आए, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इन्होंने 1,638 गांव जोड़ने का काम किया, इन दो सालों में हमने 2,291 गांव इसी योजना के तहत जोड़ने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक चर्चा भी आई कि अब काम नहीं होगा; इधर से बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह योजना बंद हो गई, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस पर अख़बार में भी छपा है कि जो 1,468 और 1,481 का फर्क है, तो उसमें कोई फर्क नहीं था। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चरण के अन्दर हैबिटेशंस, यानी ढाणियों को एक तरीके से कलस्टर बनाकर उनका निर्माण किया जा रहा है और उसी में अभी भारत सरकार ने इस योजना का मूलत: शेप भी बदल दिया; पहले जो 100 परसेंट फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब 60 परसेंट भारत सरकार देगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसके तहत अभी मैं सोचता हूं कि अब तक राजस्थान की हिस्टरी में सबसे बड़ी स्वीकृति हमें इस शासन के अन्दर मिली है और लगभग माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1,468 कार्यों के लिए 1,481 बसावटें एक साथ और 4,303 गांव, उसमें 1,618 करोड़ रूपए का प्रोविजन इस बजट में किया है। तो मैं सोचता हूं कि एक बहुत बड़ी स्वीकृति मिली है। इस सरकार के आने के बाद में मैंने इन सबके मेरे सामने डी.पी.आर. तैयार कराये, भारत सरकार को हम ले गये, उसके बाद में उन्होंने कुछ संशोधन के साथ में हमें इसकी स्वीकृति दी। तो मैं सोचता हूं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानी जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहुत बड़ी चर्चा होती है और उस चर्चा में निश्चित रूप से बहुत सारे...; सड़क खाली एक ऐसा ही माध्यम नहीं है कि हम पी.पी.पी. में ही सड़क बनाएं। जब हमें लगा कि पूरे भारत में, आप सबको पता है कि पी.पी.पी. में इससे पहले जब 2013-14 का बजट कांग्रेस शासन में रखा गया, उन्होंने 21 सड़कें पी.पी.पी. में लगाईं। उनमें से कोई भी लेने वाला नहीं आया। तो इन्होंने उनमें से उठाकर छह सड़कें आर.एस.आर.डी.सी. को दे दीं। तो इनके शासन में भी नहीं आये। फिर हम

(श्री युनुस खान)

आये, तो हमने भी सोचा कि भई, यह योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और पूरे हाउस को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे राजस्थान में प्रीमियम रोड्स हैं, जो अच्छी रोड हैं, वे या तो एन.एच.ए.आई. डवलप करता है या एन.एच.ए. डवलप करता है। हमारे जो छोटे-छोटे जिले या छोटी-छोटी सड़कें हिस्से में आती हैं और उनको जब हम पी.पी.पी. पर ले जाते हैं, तो उस पर कंसेशनर नहीं मिलता। क्योंकि उसकी वाएबिलिटी कमजोर होती है, इसलिए नहीं मिलता।

अभी तो पूरे भारत के अन्दर भी, चाहे वह एन.एच.ए.आई. निर्माण कर रहा हो, एन.एच.ए. कर रहा हो, या कोई भी राज्य निर्माण कर रहा हो, इस पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 21 ये लाये थे, उसमें से एक भी नहीं आये। तो इनका तो चलो, कोई बात नहीं, जनता ने फैसला कर दिया। हमारे पास तो समय है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए, पैरलल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पिछली बार जिक्र किया था, हम एशियन डवलपमेंट बैंक के पास गये, हम वर्ल्ड बैंक के पास गये, हम और दूसरे 'जायका' के पास गये, हम 'ब्रिक्स' के पास गये और हमने उनको कहा कि हमारा स्टेट चाहता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा डवलपमेंट करें और उस डवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। तो हमारे स्टेट को स्टडी किया और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मेहनत के बाद में। मैंने पिछली बार यह किया कि लगभग 8,910 किलोमीटर सड़कों के लिए हमने फिजीबिलिटी स्टैडी करवाई और लगभग 27 पैकेज हमने बनाकर काम किया। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक रिकार्डेड है।

कल मैं 25 मार्च का भाषण पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि यह फिजूलखर्ची है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब भी मैंने जवाब दिया था, आज भी मेरा वही जवाब है, कि बिना फीजिबिलिटी स्टडी के ना तो कंसेशनर आएगा, न बैंक आपको लोन देगा। तो हमारी वह फीजिबिलिटी स्टडी जो कि हमने पी.पी.पी. के लिए की थी, वह हमारे ए.डी.बी. और वर्ल्ड बैंक में काम आई और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि जितनी उनकी क्वैरीज हैं, जितने डाक्यूमेंट करने हैं, वह कम्पलीट करके आज वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट ने, दोनों ने मिलकर के हमें छह हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने 8,910

(श्री युनुस खान)

किलोमीटर की जो स्टडी करवाई थी, उसी के तहत हम आगे बढ़े हैं और उसके हमने अलग-अलग पैकेज बनाये हैं, जिसका जिक्र मैं अपनी आगे की बात में करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोल की भी चर्चा आयी। यह बात सही है, अब जब एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि इनका एक भी पी.पी.पी. में नहीं आया और वही व्यक्ति यह कह रहे हैं कि साहब, टोल लग रहा है। टोल लग रहा है, तो वह टोल, जब हमने पी.पी.पी. में सड़क बनाई नहीं, तो हम टोल कैसे लगा सकते हैं? यह टोल तो हमें विरासत में आपने दिये हैं। इसलिए इसका जो भी श्रेय जाता है, वह आपको जाता है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप यह चूज करें, दोनों में से, कि या तो पी.पी.पी.; पी.पी.पी., पी.पी.पी. बजा देंगे, पता नहीं, जनता किसकी पी.पी.पी. बजा देगी। आपकी बजा दी और हो सकता है कि जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारी ये सड़कें, जिस प्लान के साथ हम चल रहे हैं और ईश्वर ने साथ दिया, तो निश्चित रूप से 2018 में पी.पी.पी. इनकी ही बजेगी।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 79 काम बी.ओ.टी. और पी.पी.पी. में हुए हैं, उसमें अलग-अलग सरकारों के हैं। ऐसा नहीं है, 2003 से 2008 तक हमारी भी सरकार थी, राठौड़ साहब मंत्री थे, तो हमने भी, ऐसा नहीं है कि टोल नहीं लगाया। उस समय भी एक बहुत बड़ी सड़क जो 'रिडकार' ने 403 करोड़ रुपये की लागत से 401 किलोमीटर की बनाई और हनुमानगढ़ से किशनगढ़ तक उसमें टोल लगे हुए हैं चार। तो उस समय हमारा शासन था। और भी बहुत जगह ऐसी बनी हैं। तो यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है, जो चलती रहेगी, जो भी आएगा। क्योंकि आज सबको पता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे स्टेट का जो रेवन्यू है उसका 87 परसेंट खर्चा तो सैलेरी में, लोन में और उसके इंटरेस्ट पर चला जाता है, वे चाहे इधर बैठे हों, चाहे हम बैठे हों। फिर यह कहते हैं, इन्होंने इतना लोन लेकर प्रदेश की कमर तोड़ दी; फिर हम आते हैं, तो कहते हैं। इन्होंने कमर तोड़ दी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका टैक्स नहीं ले रहे हों क्या? सड़कों के लिए तो ले रहे हों।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखिए, मैं आपको निवेदन

(श्री युनुस खान)

कर दूं कि रेवन्यू तो आप और हम दान में तो देंगे नहीं। दान में तो कोई देता नहीं है। किसी न किसी, चाहे वह सेल्स टैक्स से लगे, चाहे इन्कम टैक्स से लगे, चाहे वह वैट से लगे, चाहे किसी-न-किसी माध्यम से लगे; सरकारों का रेवन्यू का अर्जन का माध्यम, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो अर्जन होता है वह टैक्स ही होता है, और दो तरीके होते हैं। एक तो या तो यह है कि आम जनता पर टैक्स लगाकर, ज्यादा रेवन्यू अर्जित करके, हम सड़क का निर्माण करें; या फिर दूसरा रास्ता यह है कि पहले सड़क का निर्माण करें, फिर टोल के माध्यम से वसूल करें। तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीका है, वह बैटर इसलिए है, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि पहले में अगर कोई भी टैक्स हम लगाएंगे, तो वह आम जनता पर लगेगा, गरीब पर लगेगा, किसान पर लगेगा, नौजवान पर लगेगा, और दूसरे तरीके में सिर्फ उसी पर लगेगा, जो उस पर वाहन चलाएगा। वह किसान पर नहीं लगेगा, क्योंकि किसान का जो व्हीकल है, वह एग्जम्प्ट है। क्योंकि आपकी पार्टी, जब भी किसानों की बात आती है तो यह कहती है कि किसानों के साथ अन्याय हो गया। इसलिए हमारी सरकार किसानों के साथ है। किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। यह भी मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने उसका माडल यह तय किया है कि एन.ओ.टी. में ये रोड्स, जो मैंने वर्ल्ड बैंक और ए.डी.बी. की बात कही... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी ऐसे शानदार कैसे बोल रहे हैं। राठौड़ साहब चिंतित हो रहे हैं कि मंत्रीजी शानदार कैसे बोल रहे हैं आज! (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, मंत्रीजी शानदार बोलते हैं। पिछली बार भी शानदार बोले थे। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक बार रुको तो सही। देखो, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, क्या है कि ना, आपको पता है, राठौड़ साहब दो बार यहां आये और उन्होंने कहा कि युनुस तुम मेरे छोटे भाई हो, आज तुम्हें बहुत बढ़िया बोलना है। इसलिए मैं बढ़िया बोल रहा हूं। इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए आप इसकी चिंता मत करो।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ये पायलट साहब और गहलोत साहब नहीं हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए राठौड़ साहब हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इन्होंने जो काम 2003 से 2008 में किये, वह अपने आप में एक मिसाल है। वह हमारी उपलब्धि है। उसका बखान भी हम करेंगे, क्योंकि कोई उपलब्धि होती है, उसका बखान भी...।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं बात कर रहा था, ए डी बी और वर्ल्ड बैंक से जो हमें पैसा मिलेगा, उसको हम काम में लेंगे एन्यूटी के रूप में। एन्यूटी का स्वरूप यह रहेगा, उसमें 50 प्रतिशत राशि हम इस पैसे से खर्च करेंगे और 50, जो भी व्यक्ति आएगा, वे लगाएंगे इसमें। उसको डर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में ही एन्यूटी है, डेफर्ड पेमेंट है। दोनों में ही सरकार की गारंटी है, इसलिए उसको लोन भी बैंक से मिल जाएगा और उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका सुरक्षित है। उसको टोल, वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। उसको उसका पैसा ब्याज के साथ, प्रोफिट के साथ, मेंटीनेंस के साथ में मिल जाएगा। हिन्दुस्तान में जो यह प्रक्रिया चल रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि उसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी।

इस उम्मीद के साथ, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं; चूंकि आपने समय बांध रखा है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि हम खाली हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी ओ टी में जो सड़कें हैं, उनकी मैंने चर्चा की। 'रिडकोर' का काम एक तो हमने किया, एक लास्ट में इन्होंने किया। मैं उसकी चर्चा करके बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक बाढ़ोती से गंगापुर और उसके बाद मथुरा बोर्डर तक सड़क दी थी। उसमें जब हम आये, तो सिर्फ 40 किलोमीटर बना और विवाद हमें मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल लगा, इनके दिए हुए उस काम को निपटाने के लिए। अब जाकर 40 किलोमीटर 'रिडकोर' ने रखा है और बाकी हमने आर एस आर डी सी को देकर उसको पूरा करा रहे हैं। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य, उनको भी पता है।

एक दूसरी सड़क थी, रावतसर से लेकर भादरा, नोहर और भादरा और उसके बाद हरियाणा बोर्डर तक थी। उसमें भी जब हम आये और बीकानेर दौरे पर गये, तो यही समस्या मिली। उसको भी बड़ी मुश्किल से...। मैं सोचता हूं,

(श्री युनुस खान)

भादरा और नोहर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे दिख नहीं रहे हैं, वह सड़क इस 31 मार्च तक कम्प्लीट हो जाएगी। उस काम को भी सरकार ने पूरा करवाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई थीं, उन सड़कों को लेकर भी मैंने चर्चा आपके साथ में की है।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो हमने आर एस आर डी सी को देकर काम शुरू करवाया है। लगभग वह 298 किलोमीटर सड़कें, जिनकी पी पी पी की बात चल रही थी, उन सड़कों को हमने लेकर विकास करने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आर एस आर डी सी की भी बहुत सारी सड़कों का काम चल रहा है। उन सड़कों में भी, मैं सोचता हूं कि जो सड़कें हम बना रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी का यह निर्देश है कि ऐसी जगह पर जहां ब्लैक काटन सोइल हो वहां सड़कें जल्दी टूटती हैं, वहां हमें जमीन के हालात देखते हुए उनको सी सी रोड बनानी चाहिए। अब जो सड़कें आर एस आर डी सी में बन रही हैं, मैक्सिमम सड़कें टू-लेन हैं और वे सीमेंटेड सड़कें हम बना रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि खाली स्टेट का अकेले का प्रयास ही पर्याप्त नहीं होता है। जब तक भारत सरकार का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक राज्य सरकारें विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं। एक सौभाग्य कह सकता हूं कि हमारे केन्द्र में भी, हमारे आने के बाद में, पिछली बार जब हम आये थे, 6 महीने बाद वाजपेयी जी की सरकार चली गई। साढ़े चार साल तक यहां और वहां, अलग-अलग सरकारें। कांग्रेस वाले बड़े भाग्यशाली रहे! लेकिन मेरे आज तक यह गुत्थी समझ में नहीं आई कि वहां यू पी ए की सरकार, यहां स्टेट में कांग्रेस की सरकार; दोनों जगह एक ही सरकार, उसके बाद स्टेट इतना कैसे पिछड़ गया? मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उसमें ...(व्यवधान) वे हमारे सम्माननीय हमारे साथी रहे हैं 2003-2008 तक, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्री महोदय, आप बात कर रहे हैं, तो। एन एच 12 कोटा से झालावाड़ और मंडाना से वापस आ गये। दो साल से कह रहे हों,

(श्री रमेश)

टेंडर हो गये; जहां से मुख्य मंत्रीजी पधारती हैं। एक तो यह क्वेश्चन है। दूसरा मेरा यह है कि जयपुर से दिल्ली एन एच ए आई, जिसकी ...(व्यवधान) बात आपने कही है, दिल्ली में सरकार आपकी है और राजस्थान में भी सरकार आपकी है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): डिस्टर्ब कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्लीज, बैठो-बैठो।

श्री रमेश (सपोटरा): दो साल में एन एच ए आई, जयपुर से देहली, और ईस्ट वेस्ट कोरिडोर की बात कही थी, उसके बारे में भी बता दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनको बड़े ध्यान से सुना है, और अब मैं बोलूंगा भी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैंने तो यही कहा कि जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, वे यहां हमारे 2003 से 2008 तक साथी रहे हैं। वरिष्ठ हैं, दिल्ली में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। लेकिन चूंकि अब इन्होंने कहा कि मैं सवाल कर रहा हूं, बीच में टोका है, इसलिए मैं जरूर जवाब दूंगा।

पहली सड़क, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीया वसुंधरा जी लगातार पांच बार झालावाड़ से सांसद रहीं; अब तीसरी बार झालावाड़ से एम एल ए हैं। वह सड़क टूटी हुई है, यह बात सही है। टूटी हुई हमें विरासत में मिली। उसी हाड़ौती से, उसी हाड़ौती से पी डब्ल्यू डी के मंत्री ढाई साल तक, अंता से हमारे माननीय साथी है; जिन्होंने उनको चुनाव हराया, वे मंत्री रहे। उसके बाद में दूसरे हमारे साथी सांगोद से मंत्री रहे। उन दोनों ...(व्यवधान) अब मैं जवाब पर आ रहा हूं, सर। एक मिनट सुन लो, भई। (व्यवधान) मेरी बात सुनो। इनके और मेरे बीच में ही रहने दो, नहीं तो विषय भटक जाएगा। इनको जवाब देने में मैं सक्षम हूं। आप चिंता मत करो।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस सड़क की गुत्थी थी, पांच वर्ष में ना तो आपके केन्द्रीय मंत्रीजी सुलझा सके, ना आपके यहां के दोनों मंत्री सुलझा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने पिछले दो साल से, मैं स्वयं बार-बार दिल्ली गया, माननीया मुख्य मंत्रीजी तीन बार इस सड़क के लिए गईं। हमने लखनऊ जाकर व्यक्तिशः इसको क्लीयर करवाया। आज मुझे खुशी है कि पहले चरण के अन्दर यह जो सड़क 90

(श्री युनुस खान)

किलोमीटर थी, उसमें से 34 किलोमीटर कोटा से लेकर दरा तक, जिसमें 621 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो गई, उसका टेण्डर हो गया। मैं जानता हूं कि सपोटरा से आने वाले हमारे साथी बहुत पढ़े-लिखे हैं, खुद पहले इसी डिपार्टमेंट में रहे, ये पी डब्ल्यू डी-डाट खोलकर देख लें, उसका टेण्डर लगा हुआ है। आज की तारीख में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): झालावाड़ की एन ओ सी ...(व्यवधान) वह तो बताओ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बीच में मत टोको, देखो। मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी बात सुनो। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो। आप बोल लो, मैं आपका जवाब दे दूंगा।

देखिए, माननीय रमेश जी, सपोटरा से आने वाले, मैं आपको कह रहा हूं, 621 करोड़ रुपये, 34 किलोमीटर सीमेंटेड रोड और 4-लेन पहले चरण में स्वीकृत कर दी। जो 7 किलोमीटर दरा का पोर्शन है, 20 करोड़ रुपये हम स्वीकृत करा लाये, उसकी सी सी के लिये। उसी 7 किलोमीटर को एलीवेटेड रोड बनाएंगे 572 करोड़ रुपये से, उसकी भी परमिशन हम ले आये। बाकी जो शेष बचा हुआ है, उसकी भी 1,640 करोड़ रुपये की डी पी आर तैयार हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो झालावाड़ का पोर्शन है, उसमें भी साढ़े चार किलोमीटर, लगभग 47 करोड़ रुपये स्वीकृत करके, ये खुद जाकर देख लें, उसका काम चल रहा है। बाइपास भी 27 किलोमीटर झालावाड़ का हम बनाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि मई के महीने में, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, उसका शिलान्यास माननीया केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी जी और माननीया वसुंधरा जी करेंगे, आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महादेय, दूसरा आपने जो विषय उठाया, वह बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि उस समय जब यह सड़क दी गई 1,894 करोड़ रुपये की लागत से, जिसमें, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी विधान सभा क्षेत्र आता है, आपको भी पता है; हमारे कांग्रेस के साथी कोटपूतली वाले बैठे थे, अभी चले गये, उनका क्षेत्र भी आता है; हमारे पिलानिया साहब का क्षेत्र भी आता है; सबको पता है, इसमें क्या खेल हुआ था और किसने किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चर्चा यहां, वे सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता...(व्यवधान) आज मैं माननीय नितिन गड़करी जी को धन्यवाद

(श्री युनुस खान)

देना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इन दोनों के प्रयासों से इतनी उलझी हुई गुत्थी, एक विकल्प हमारे पास था कि हम उसको टर्मिनेट करते, उनके खिलाफ एफ आई आर करवाते और इन सबको, जिन्होंने-जिन्होंने इसमें कृत्य किया, किस तरीके से लैंड एक्वायर हुई, फिर वह लैंड वापस सरेंडर, मतलब, वापस डिएक्वायर हुई; उसके बाद में लैंड खरीदी गई; उस लैंड का कामर्शियल रूपान्तरण किया गया; फिर उस लेंड को वापिस किया गया; उसको करने वाले कौन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे सपोटरा से आने वाले सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा और उनका काम भी बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): आप तो रोड बनाने की बात करो, रोड बनेगा कि नहीं...(व्यवधान) कि आपकी भी पी पी होगी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरी बात सुनें। आज रोड पर माननीय गड़करी जी स्वयं आये और आज 90 प्रतिशत सड़क बनकर तैयार है। बाकी 6 जगह ऐसी पुलिया हैं, जिनका काम अधूरा है। उसको भी और बाकी रोड फर्नीचर भी अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। इसके लिए माननीय नितिन गडकरीजी स्वयं आये थे, जिसकी डेट भी शायद आपको पता है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28 अक्टूबर को वे आये थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को किया था। (व्यवधान) अब जिनका नहीं है, उनको क्यों बताएंगे? ये हमारे बैठे हैं, माननीय कल्याणसिंहजी, उधर जाकर बैठ गये; इन्होंने जो काम किया है, अब इशारों-इशारों में आप समझ जाओ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे केन्द्रीय मंत्री, माननीय नितिन गड़करीजी का भी आभार करूंगा और मैं यह भी बताना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अभी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इसी हाउस में कहा था, सी.आर.एफ. में आप कहां से पैसा लाओगे? पिछले 5 वर्षों में जो सेंट्रल रोड फंड से पैसा मिलता है, लगभग 500 करोड़ रुपये ये लाये, इन्होंने लगाया; वे लास्ट में लेकर आये, उनको खर्च भी नहीं कर पाये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी ने हमें 2,104 करोड़ रुपये सेंट्रल रोड फंड से दिये, जो कि आज तक की हिस्टरी में सबसे बड़ा अलाटमेंट है। उसमें भी जो आपने कहा कि आप डबल रोड कहां से बनाओगे, उन्हीं सड़कों को, जिनको पी.पी.पी. में ले रखा था, इसी 2,104 करोड़

(श्री युनुस खान)

रुपये से 1,056 किलोमीटर सड़कें, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बनेंगी। इसलिए हमारा यह काम जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चर्चा, यह क्यों हुआ कि यह बड़ी सड़क जिसकी, रायसिंहनगर से आने वाली सदस्या चली गईं, उन्होंने चर्चा की थी कि वह सड़क, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ बहुत टूटी हुई हालत में है। सूरतगढ़ के एम.एल.ए. अभी विराज रहे हैं। वास्तव में वहां आंदोलन भी हुए, धरने भी हुए और सात मंडियां बंद भी हुईं। उस सड़क को भी हमने इसी सी.आर.एफ. में ले करके, पहली बार पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, 291 करोड़ रुपये, वह भी दस मीटर चौड़ी, वह भी सीमेंटेड बनेगी। यह भी हमारे केन्द्रीय मंत्रीजी ने दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आप सबको पता है, मैंने जैसे कहा कि केन्द्र सरकार की मदद के बिना स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता है; अभी मैं माननीय मंत्रीजी के पास गया। उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान को 50 हजार करोड़ रुपये अगले तीन साल के लिए दे दिये, और आप क्या चाहते हो? 50 हजार करोड़ रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी स्टेट को मिल जाएं। तो मैंने उनको कहा कि स्टेट भी आपका बेबी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट भी उनका बेबी है। उन्होंने कहा, फिर बोलो। हम इस हाउस के बाद में जब भी समय मिलेगा, जाएंगे और केन्द्र से फिर पैसा लेकर आयेंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी को और माननीय प्रधान मंत्रीजी को कि उन्होंने यह काम किया। 13.12.2014 को जब हमारी इस सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय 9 काम लगभग 913 किलोमीटर के हिसाब से 3,914 करोड़ रुपये की राशि के स्वीकृत हुए थे और उनका शिलान्यास इसी जनपथ से माननीय नितिन गड़करीजी ने किया था। मुझे आज खुशी है कि वे काम, देखिये, कथनी और करनी में फर्क नहीं, वे काम सारे के सारे आज की तारीख में चल रहे हैं। ये काम हमने स्टार्ट कर दिये, तो यह भी लगभग हमारे एक हजार किलोमीटर के काम लगभग चार हजार करोड़ रुपये की लागत से अतिशीघ्र पूरे हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी बहुत सारे काम, जो हमारे 26 काम 375 किलोमीटर के, नेशनल हाई-वे के चल रहे हैं, 382 करोड़ रुपये के और दूसरे मोड के चल रहे हैं। इसके साथ-साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग में भी बहुत सारे काम हमारे यहां राजस्थान में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने

(श्री युनुस खान)
आपको कहा कि 712 किलोमीटर, जिसमें आपका क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र से ही शुरू होती है, शाहपुरा, अलवर, रामगढ़, नूंह, गुड़गांव तक एक नेशनल हाई-वे जाता है, यह 712 किलोमीटर।

अभी 552 किलोमीटर, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने 2016-17 के बजट में जिसकी चर्चा की, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा।

माननीया उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ, मैंने यह भी कहा कि सी.आर.एफ. में इतनी बड़ी स्वीकृति हमें मिली।

उसके अलावा, जिनके शिलान्यास हुए, वे सारे राजस्थान में लाइव रूप से देखे। माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी ने यहां आ करके 15.10.2015 को, जिस 'रिसर्जेंट' की ये खिल्लियां उड़ाते हैं, जिस 'रिसर्जेंट राजस्थान' की खिल्लियां उड़ाते हैं, उसमें खाली यह नहीं है कि 321 लाख करोड़ के काम सीधे ही हो गये। उसमें हमारे पी.डबल्यू.डी. को भी, हमने कार्यक्रम करवाया था बिड़ला आडोटोरियम में। उसमें माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी आये थे। उन्होंने 15 अक्टूबर, 2015 को लगभग 25,445.27 करोड़ की सेंक्शंस हमें दी, जो हमारे लिए एक बड़ी बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि एक...

श्री रमेश (सपोटरा): अब तो मान लिया हमने। जल्दी कराओ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जल्दी कर देंगे। मेरे को तो एक, रमेशजी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर इन सबका जोड़ करेंगे, तो, मंत्रीजी, राजस्थान के बजट से भी ज्यादा चला जायेगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): देखिये, राजस्थान के बजट से ज्यादा मिलेगा। यह क्रेडिट है। पैसा हर किसी को नहीं मिलता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी, यह आपका तोफान ही है। पहले वाली सड़क जोड़ो और आप वाली जोड़ो, बराबर हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जोड़ लेंगे। श्रवणजी, जो आपने तोड़ी है इस उप चुनाव के दौरान, वह भी बना देंगे। चिंता मत करो। (व्यवधान) मैं तो गया ही नहीं। साहब, मैं तो गया ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चुनाव में तो राठौड़ साहब ने तोड़ी हैं। इन्होंने नहीं तोड़ी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राठौड़ साहब ने तोड़ीं। भरतपुर से आई थीं बड़ी-बड़ी गाडियां। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो अकेला ही घूमता था। राठौड़ साहब ने तोड़ीं वे तो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मंत्री महोदय, आई.जी.एन.पी. रोड्स के बारे में थोड़ा बतायें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अब समय कम है और सब लोग जाने की जल्दी में भी हैं ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. की चर्चा माननीया मुख्य मंत्री ने अपने बजट में भी की और आपको भी ध्यान है कि 886 करोड़ रुपये की लागत से, मतलब 10 तो डेडिकेटेड फ्रैट कोरिडोर के आर.ओ.बी. माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषित किये हैं और रेलवे के हमारे अन्य पुल हैं, उसमें भी लगभग 12 आर.ओ.बी. 478 करोड़ रुपये की लागत से; उसके अलावा, अभी जो रेलवे ने अपने इस 2016-17 के बजट में सात आर.ओ.बी. घोषित किये हैं, उनमें भी राज्य सरकार अपना 280 करोड़ रुपये का शेयर दे करके उन आर.ओ.बी. को भी पूरा करने का काम करेगी। छह आर.यू.बी. 15 करोड़ 89 लाख रुपये से बनेंगे। उसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट में कर दी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कें बन जाएंगी, मोटर व्हिकल भी नये-नये आ जाएंगे, लेकिन कल माननीय गृह मंत्रीजी ने एक बात कही थी कि आदमी का, चूंकि पुलिस विभाग पर चर्चा थी, गृह विभाग पर चर्चा थी, इन्होंने कहा कि लगभग 1,000 से 1,200 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। उन हत्याओं में पूरे स्टेट की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है, एक हत्या हो जाती है, जिला बंद हो जाता है; एक हत्या होती है, प्रदेश बंद हो जाता है; लेकिन सड़क पर एक्सिडेंट के माध्यम से दस हजार से ज्यादा लोग मर जाते हैं। यह हमारे स्टेट के लिए भी चिंता का विषय है। यह कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कमी है। मैं पांच साल पहले भी ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर रहा हूं, उस समय पांच हजार लोग मरते थे। फिर हर साल पांच सौ बढ़ते चले गये। जब हम वापस आये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस हजार से ऊपर लोग मर रहे हैं। इससे पहले 10,289

(श्री युनुस खान)

मरे, अब की बार 10,510 मरे। यह चिंता का विषय है। गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में सब-कमेटी भी काम कर रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपील करुंगा, हाउस से भी अपील करुंगा कि ये सड़क दुर्घटनाएं हमारे लिए चिंता का विषय हैं। इसमें हम सब मिल करके काम करें; सब मिल करके इन सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोकें। क्योंकि इसमें खाली सड़क होना, या सड़क की इंजीनियरिंग खराब, एक या दो प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लापरवाही से बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए दुर्घटनाएं कैसे रुकें। सड़क अच्छी बन जाएगी, फोर-लेन, सिक्स-लेन हो जाएगी, लेकिन अगर दुर्घटनाएं बढ़ती रहीं, मौतें बढ़ती रहीं, वह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए इसमें मेरा यह मानना है कि जन जाग्रति एक मात्र सबसे बड़ा उपाय है। अगर ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चलाये। सब लोग सावधानी से गाड़ी चलायें, इन पर भी रोक लग सकती है। इस पर भी हमें काम करना चाहिये। इस पर राजस्थान काम करने का प्रयास कर रहा है। इसकी सराहना भी माननीय केन्द्रीय मंत्री ने की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो मैं और आपके सामने लाना चाह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन इतना ही करूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम खाली सड़क तंत्र ही तैयार कर रहे हैं। उसके साथ-साथ, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं; अभी इधर से आरोप लग रहे थे, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जब लोग आरोप लगाते हैं तो सोचते भी नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि आरोप लगाने से पहले यह भी देखें। यह बात हो सकती है कि व्यवस्था में कमी हो; हमारा प्रयास है, हम भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब, यह चीज इसी शासन में अगर आई होती, तो बात अलग थी। अगर ये परसेंटेज की बात करते हैं, उसे कर्मचारियों का, कल जैसा माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि डिमोरेलाइज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उन लोगों को पदोन्नति भी समय पर मिले, उन लोगों को, मतलब, सब चीजें मिलें। तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनमें, मतलब, पदोन्नतियां रुकी हुई थीं, हमारे कोर्टर्स में केसेज चल रहे थे। आपस में कर्मचारियों को बैठाकर बात की, तो हमने पिछले इस दो-ढाई साल में लगभग 15 चीफ इंजीनियर के प्रमोशन किये, क्योंकि जब हम आये तो चीफ इंजीनियर्स की भी कमी थी, और 15 चीफ इंजीनियर्स की और लगभग इस ढाई साल, 27 महीने में 952

(श्री युनुस खान)

लोगों को प्रमोशन करके पदोन्नतियां दी हैं, जिससे लोगों में उत्साह भी आया है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ नीचे के स्टाफ की भी कमी है। तो उसके लिए भी, भर्ती के लिए भी, लगभग अभी 300 के करीब और नई भर्तियां करने की मैं आज आपके घोषणा करता हूं कि लगभग नए इंजीनियर्स हम बनाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, वे सब चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का नाम आये, सड़क बने और बाई-नेम बने, लेकिन मैं एक विश्वास जरूर दिलवाना चाहूंगा, हमारे 'ना' पक्ष की तरफ से जब अपनी बात कही जा रही थी, तब वे यह कह रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव, भेदभाव होता है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। मुझे पता था कि कौन-कौन व्यक्ति भेदभाव की बात करेंगे। अब एक-दो तो चले गये, तो मैं क्या बोलूं उनके लिए! उनकी भी, भाई साहब तो उनको जन्म-पत्री बोलते हैं, माननीय गुलाबजी भाई साहब तो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उनका हिसाब भी लाये हैं। मैं सोचता हूं कि अब हिसाब की बजाय यह है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि हमने गौरव पथ हर विधान सभा क्षेत्र में, 14 विधान सभा क्षेत्र इसलिए छोड़ दिये कि वे 100 फीसदी शहरी है...(व्यवधान) नहीं, वह लक्ष्मणगढ़ का हिसाब तो, यह कोई खास बात नहीं है, नहीं करना। वे चले गये। कोई नहीं। मेरा, माननीय, ज्यादा काम तो मैं इसलिए नहीं करता कि कल को अगर मैं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ज्यादा काम करने लग जाऊं, तो हमारे सचेतक महोदय को डर सताने लग जाए कि कहीं यहीं तो चुनाव नहीं लड़ रहा। इसलिए मैंने कहा कि इसमें अब जितना कम काम हो सकता है, उतना ही करो, ठीक रहेगा। तो इसलिए वह कोई बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि मैं बहुत सारे अनाउंसमेंट्स लेकर आया, लेकिन बाद में हाउस में यह सोचा कि एक विधान सभा क्षेत्र का नाम आएगा और दूसरे का नहीं आएगा। तो उसमें जो दो-तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, वे मैं आपको कहूंगा।

एक तो सोने का गुर्जा का, नहीं, सोने के गुर्जा का एक इश्यू था जो वर्षों से सुप्रीम कोर्ट और इसमें, मतलब, वन्य अभयारण्य और इसके चक्कर में,

(श्री युनुस खान)

चम्बल जो है, उसमें अटका हुआ था। वह सारी क्लीयरेंस हमें मिल गयी है और उसकी डी.पी.आर. के लिए हमने 2 करोड़ रुपये देकर उसका काम भी शुरू कर दिया है। मैं सदन को यह विश्वास दिलवाता हूं कि भरतपुर में जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उस समय घोषणा की थी, वह काम भी हम शीघ्र डी.पी.आर. तैयार करके और टेंडर करके शुरू करेंगे।

उसके अलावा, मंडरायल-सबलगढ़ का भी बहुत महत्वपूर्ण पुल है। उसकी भी सब क्लीयरेंस हमें मिल गयी है। उसकी डी.पी.आर. के लिए भी 2 करोड़ रुपये दे दिये हैं।

अभी इस वर्ष में 2015-2016 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें यह जो जितने एम.एल.ए. साहिबान बैठे हैं, इनमें से छांट-छांट कर, जिन्होंने जिस तरीके से बात की, उसी हिसाब से हम, उसी हिसाब से 68 करोड़ रुपये के और मिसिंग लिंक हम अगले 7 दिन में स्वीकृत कर देंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

वह श्रवणजी कहेंगे कि उन्होंने दो सड़कें दी हैं। मैंने कहा कि अब किसका नाम लें और किसका नहीं लें। सब लेकर आया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): बीकानेर के पुल के बारे में बताइए न, एलीवेटेड रोड। एलीवेटेड रोड बीकानेर के, जो रेलवे क्रासिंग है, उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। रोज के झगड़े हो रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, अपने को बदनाम कर रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बीकानेर ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह मिसिंग लिंक जो देंगे आप, यह अभिशंसा हमारी भी चलेगी क्या? या कलक्टर की चलेगी? यह बता दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो बताने वाली बात है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो मिसिंग लिंक रोड देंगे आप, उसमें हमारी अभिशंसा चलेगी, या कोई और की चलेगी?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी दे देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हारे हुए की चलेगी? कि जो हार गये, पिछड़ गये, उनकी चलेगी क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप और राठौड़ साहब दोनों बैठकर दे देना, हम कर देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सबके लिए समानता करो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समान ही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राठौड़ साहब की तो दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप तो नहीं काटोगे न?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है, सर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक सुझाव तो मेरा सुनो कि सड़कों पर जो एक्सिडेंट की बात कर रहे हों, तो सबसे बड़ा एक्सिडेंट तो यही हो रहा है कि रोड्स पर अतिक्रमण हो रहा है, और आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हों।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी करने से पहले, क्योंकि अब कुछ विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें यह 1,468 जो बसावटें, मतलब, काम और 1,481 बसावटें आई हैं। उसमें मैं यह कहना चाहूंगा, यह संख्या तो बहुत सारी है लेकिन कुछ ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा करते हुए मेरी बात को पूरा करूंगा।

कुशलगढ़ में 29 बसावटों का इस वर्ष हम, मतलब, जो है, सैंक्शन देंगे। इसके साथ, बायतू से आने वाले माननीय विधायक-22, चौहटन-31, गुढामालानी-26, पचपदरा-19, शिव-16, सिवाना-29, नोखा, हमारे नेता, प्रतिपक्ष नहीं हैं, लेकिन आप उनको सूचना दे देना कि उनके क्षेत्र में भी 37 ऐसे गांव और ढाणियां हैं, जिनको जोड़ने का काम हम करेंगे। इसके साथ-साथ में, आसपुर, जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें-39 और हमारे ये चौरासी के विधायक बैठे हैं, यह हमेशा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चिखली, चिखली पुल है, उसकी चर्चा करते हैं। चिखली पुल तो हम सेकण्ड प्रायोरिटी में लेंगे, लेकिन आपका चुनाव जीतने का सतुना है और इसमें 47 बसावटें ऐसी हैं जिनको हम जोड़ने का काम करेंगे। डूंगरपुर में-30, सांगवाड़ा में-21, भीनमाल में-19, जालौर में-16, रानीवाड़ा में-27, सांचौर में-48, सांचौर विधायक भी चले गये और ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): वे बैठे सामने।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां हैं?

खेतड़ी, आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोश में थे, बड़े गुस्से में थे, तो इनके भी, एक तो इनका, पुलिया तो कर दी इनकी, लगभग पौने 19 करोड़ रुपये की, जिसका तो इन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन खेतड़ी जो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 बसावटें और नवलगढ़-24, सूरजगढ़, माननीय श्रवणजी, 17, मैंने पहले बता दिया था आज दिन में, उदयपुरवाटी-38, भोपालगढ़-47, बिलाड़ा-28, बिलाड़ा, कमसाजी गयीं; लोहावट, हमारे माननीय उद्योग मंत्रीजी विराज रहे हैं, उनके-34; लूणी, लूणी वाले भी चले गये, आप टेबल पर जाकर बजाओ तो ताली, 25; ओसियां-34, फलौदी-41, जायल-20, खींवसर-23, वह खींवसर, वाले मतलब, जो है, ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी की है, खींवसर में भी कालेज दिया, स्टेडियम दिया, क्योंकि वहां, मतलब, जो है वह भी हमारा नागौर का हिस्सा है और हम उसको भी कर रहे हैं तो खींवसर में भी हमारे 23 और मकराना-16, नागौर, माननीय, आपके-14 और बाली, बाली से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, 16; जैतारण, बैठे हैं; 19; और धरियाबाद-51, धरियाबाद में कुल 67 हैं क्योंकि धरियाबाद दो क्षेत्र में, एक प्रतापगढ़ का हिस्सा है कुछ और दोनों मिलाकर 67 हैं; भीम-11, रेवदर-31, गोगुंदा-57, जाड़ोल-24, खैरवाड़ा-54, सलूम्बर-59 और उदयपुर ग्रामीण, आज काफी अच्छा बोले, लेकिन मुझे लगता है कि वे चले गये, उनके भी- 43 । तो कुल मिलाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चूरू भी छूट गया और लक्ष्मणगढ़ भी छूट गया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारे चूरू में कहीं नाम ही नहीं आया। पूरे चूरू जिले के साथ-साथ, हमारे साथ तो करवा दो। आपके साथ हुआ है। हमारे राजगढ़ में तो करवा दो कुछ।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्री महोदय, पूर्वी राजस्थान कहां चला गया? पूर्वी राजस्थान की तो बात कर लो कहीं। पूर्वी राजस्थान की तो बताओ।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय मंत्री महोदय, घाटोल का क्या हुआ? घाटोल का क्या हुआ?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घाटोल। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): घाटोल एक इंच भी नहीं खिसका है। वहां का वहां ही है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): घाटोल में,...(व्यवधान) और अब मैं, प्लीज ...(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगा अब, मेरी बात खतम करने से पहले। चूंकि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, वह राज्य सरकार के संज्ञान में है। चूंकि वह शहर में है, एलिवेटेड रोड का एक केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी हमने सारी राय ए.ए.जी, ए.जी. से लेकर के और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, क्योंकि मैं घोषणा नहीं करूंगा यहां, लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप अलग से मिलेंगे तो निश्चित रूप से सरकार ने उसकी डी.पी.आर. भी तैयार करवा ली, डी.पी.आर. भी तैयार करवा ली और इस काम को, चूंकि अभी मैं घोषणा नहीं कर सकता, माननीया मुख्य मंत्रीजी जब भी बोलेंगी इस विषय पर बोलेंगी, लेकिन मैं आज आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने प्रसंज्ञान में ले लिया है और निश्चित रूप से सरकार का पाजिटिव एटिट्यूड है।

इसके बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि आज सब लोगों ने सार्थक चर्चा भी की, सहयोग भी किया, बहुत सारी मांग भी कीं और चूंकि बजट में बहुत सारा पैसा मिला है इसलिए अब इन सब माननीय जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इनकी जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनके बारे में, उनके ग्रामीण गौरव पथ के बारे में, उनकी मिसिंग लिंक के बारे में और अन्य सारी चर्चा करके, उन सब सड़कों को करेंगे।

अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों को पारित करवाएं।

आपने समय दिया और सब लोगों ने शांति से सुना, उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या 19 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,37,56,99,000/- (बीस अरब सैंतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,58,59,96,000/- (उनचास अरब अट्ठावन करोड़ उनसठ लाख छियानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.41 बजे गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

डूंगरपुर जिले के अर्द्धस्थायी श्रमिकों को वेतन श्रृंखला देने की कार्य योजना

230. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जल संसाधन खण्ड डूंगरपुर में वर्ष 1976 से कार्यरत 26 अर्द्धस्थायी श्रमिकों को नियमानुसार लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार एवं विभागीय कर्मचारी संघ, उदयपुर के मध्य दिनांक 01 जनवरी, 1979, 22 जून, 1982 व 07 अप्रैल, 1983 को उक्त श्रमिकों को नियमानुसार अर्द्धस्थायी व लाभ देने हेतु समझौते हुए हैं? यदि हां, तो क्या? समझौते की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 1983 एवं 01 जून, 1983 को आदेश जारी कर उक्त श्रमिकों को अर्द्धस्थायी घोषित करते हुए वेतन श्रृंखला देने के आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा आदेश जारी करने के उपरान्त भी उक्त श्रमिकों को कार्य ग्रहण नहीं कराने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अब इनको कार्य ग्रहण करवाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जल संसाधन विभाग के डूंगरपुर खण्ड में कार्यरत इन 26 श्रमिकों के वर्ष 1976 से लगातार कार्यरत नहीं होने से इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश दिनांक 25.05.1993 की पालना में सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, डूंगरपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.06.1993 द्वारा न्यूनतम वेतन पर रखा गया तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.02.2003 के अनुसरण में इन श्रमिकों की लिखित सहमति से दिनांक 17.02.2005 से अर्द्धस्थाई घोषित कर नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी नहीं। यह समझौते केवल इन 26 श्रमिकों को नियमानुसार अर्द्धस्थाई एवं लाभ देने हेतु न होकर कर्मचारी संघ द्वारा श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य मांगों एवं जिन श्रमिकों ने दो वर्ष लगातार सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हैं, उन्हें नियमानुसार अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने से सम्बन्धित थे। समझौतों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) इन श्रमिकों को सहायक अभियन्ता द्वारा अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने के आदेश दिनांक 31.05.1983 एवं 01.06.1983 को आदेश दिनांक 11.06.1983 द्वारा निरस्त किये जाने से इन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया गया।

इन श्रमिकों को माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 25.05.1993 की पालना में सहायक अभियन्ता द्वारा आदेश दिनांक 14.06.1993 जारी कर कार्यग्रहण करवाया जा चुका है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

हाड़ौती सम्भाग के महाविद्यालयों को 'रूसा' के अन्तर्गत प्राप्त राशि

231. **श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान 'रूसा' के अन्तर्गत बारहवीं योजना के प्रथम वर्ष में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा तथा हाड़ौती सम्भाग के राजकीय महाविद्यालयों को विकास अनुदान के लिए कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त विकास अनुदान राशि में से मदवार प्राप्त एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विकास अनुदान का उपयोग करने में कोई अनियमितता हुई है? यदि हां, तो इस हेतु जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत बारहवीं योजना में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

हाड़ौती सम्भाग के 12 राजकीय महाविद्यालयों को 2 करोड़ प्रति

(उच्च शिक्षा मंत्री)

महाविद्यालय की दर से आधारभूत संरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए रु. 24 करोड़ का अनुदान इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है। जिसमें से केन्द्रांश के रूप में रु. 4.5 करोड़ की प्रथम किश्त राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। जिन महाविद्यालयों को यह राशि स्वीकृत हुई है, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार की ओर से 'रूसा' के अन्तर्गत बारहवीं योजना में अब तक रु. 326 करोड़ की अनुदान राशि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को परिशिष्ट-2 के अनुसार स्वीकृत की गई है। उक्त अनुदान राशि में से रु. 24 करोड़ हाड़ौती क्षेत्र के सामान्य शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों को स्वीकृत किये गये हैं एवं प्रथम किश्त के रूप में 4.5 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त रु. 20 करोड़ आधारभूत संरचना के विकास हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय तथा रु. 26 करोड़ बारां में नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित करने हेतु हाड़ौती सम्भाग में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में राशि 6 करोड़ तथा 7.8 करोड़ केन्द्रांश के रूप में क्रमशः प्राप्त हुई हैं। (परिशिष्ट-3)

केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्यांश 40 प्रतिशत राजकोष से 'रूसा' के पी.डी. अकाउंट में हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। राशि प्राप्त होने पर हाड़ौती क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्रथम किश्त का मदवार वितरण परिशिष्ट-4 के अनुसार किया जायेगा।

(3) चूंकि यह अनुदान राशि वितरित नहीं की गई है, अतः उपयोग करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता का प्रश्न नहीं है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ के थानों में चोरी के दर्ज मुकदमे

232. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पुलिस थाना कोटकासिम, खैरथल, किशनगढ़ बास व खुशखेड़ा में गत दो वर्षों में कितने चोरी के मुकदमे किस-किस दिनांक व कितनी-कितनी राशि के दर्ज किये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमों में मुलजिम गिरफ्तार किये गये? यदि हां,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

तो किस-किस मुकदमे में तथा उनसे क्या-क्या सामान कितनी-कितनी राशि का बरामद किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कितने मुकदमों में बरामदगी न कर किस-किस दिनांक को एफ.आर. लगा दी गई? उक्त एफ.आर. प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी लापरवाह रहे व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों से अब तक (1 जनवरी, 2014 से 20 फरवरी, 2016 तक) पुलिस थाना कोटकासिम में 24, खैरथल में 88, किशनगढ़ बास में 143 एवं खुशखेड़ा में 100, कुल 355 चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। थानेवार तथा मुकदमेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त मुकदमों में गिरफ्तार किये गये मुलजिमान का थानेवार विवरण परिशिष्ट अ के कालम सं. 07 में तथा बरामद सामान/राशि का विवरण परिशिष्ट-अ के कालम सं. 8 में वर्णित है।

(3) उक्त मुकदमों में से जिनमें एफ.आर. दी गई हैं उनका थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ के कालम सं. 10 में वर्णित है। चोरी प्रकरणों में एफ.आर. एवं चालान की स्थिति का विश्लेषण करवाया जा रहा है, जिसके उपरांत दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नीलकण्ठ महादेव मंदिर (दौसा) को संरक्षित सूची में सम्मिलित करने की कार्यवाही

233. **श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्राचीन किलों को भारत सरकार की संरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाता है तथा इनके सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार की योजना बनाई जाकर सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाता है? यदि हां, तो संरक्षित सूची में सम्मिलित करने के क्या प्रावधान हैं? प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

(2) दौसा जिले के कौन-कौन से प्राचीन किले, मन्दिर, बावड़ी एवं तालाब भारत सरकार की संरक्षित सूची में सम्मिलित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दौसा के जिला मुख्यालय की पहाड़ी पर नीलकण्ठ महादेव मन्दिर एवं इस पहाड़ी की तलहटी में स्थित प्राचीन किले को भारत/राज्य सरकार की संरक्षित सूची में शामिल कर सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन संरक्षित स्मारकों के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार की योजना बनायी जाकर इनमें सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार करवाया जाता है।

केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थल, जिनका विशिष्ट प्रकृति का ऐतिहासिक एवं वास्तुशास्त्रीय महत्व हो, को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत भारत सरकार की संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित किया जाता है। प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन दौसा जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। दौसा के जिला मुख्यालय की पहाड़ी पर स्थित नीलकण्ठ महादेव मन्दिर एवं इस पहाडी की तलहटी में स्थित प्राचीन किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के संरक्षित स्मारक नहीं हैं। वर्तमान में इन्हें संरक्षित सूची में शामिल कर सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराने की कोई योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं।)

टोडाभीम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय मानदेय

234. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम)

सरकार द्वारा विधान क्षेत्र टोडाभीम में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार महंगाई को देखते हुए वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को मिलने वाले मानदेय को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम सहित प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को दिया जा रहा मानदेय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सरकार द्वारा बजट में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में रु. 400 एवं सहायिका के मानदेय में रु. 250 की वृद्धि दिनांक 01.06.2016 से किया जाना प्रस्तावित किया है।

परिशिष्ट-अ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के मानदेय

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	1.4.08 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 141 दिनांक 02.01.2009		1.9.09 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 67349 दिनांक 06.10.2009		1.4.11 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 88913 दिनांक 03.10.2011		1.4.13 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 29877 दिनांक 30.03.2013		योग
		सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस. एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना/ आयोजना भिन्न	
1	2					3	4	5	6	7
अ	आंगनबाडी कार्यकर्ता 1. नान मैट्रिक	1438/-	100/-	1438/-	300/-	2938/-	300/-	2938/-	1324/-	4262/-
	2. नान मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव	1469/-	100/-	1469/-	300/-	2969/-	300/-	2969/-	1327/-	4296/-
	3. नान मैट्रिक 10 वर्ष	1500/-	100/-	1500/-	300/-	3000/-	300/-	3000/-	1330/-	4330/-

क्र. सं.	श्रेणी	1.4.08 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 141 दिनांक 02.01.2009		1.9.09 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 67349 दिनांक 06.10.2009		1.4.11 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 88913 दिनांक 03.10.2011		1.4.13 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 29877 दिनांक 30.03.2013		योग
		सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना/ आयोजना भिन्न	
1	2					3	4	5	6	7
अ	4. मैट्रिक	1500/-	100/-	1500/-	300/-	3000/-	300/-	3000/-	1330/-	4330/-
	5. मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव	1531/-	100/-	1531/-	300/-	3031/-	300/-	3031/-	1333/-	4364/-
	6. मैट्रिक 10 वर्ष का अनुभव	1563/-	100/-	1563/-	300/-	3063/-	300/-	3063/-	1336/-	4399/-
ब.	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	750/-	50/-	750/-	150/-	1500/-	150/-	1500/-	815/-	2315/-
स	आंगनबाड़ी सहायिका	750/-	50/-	750/-	150/-	1500/-	150/-	1500/-	815/-	2315/-

मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	4.7.13 से पूर्व देय मानदेय दर प्रतिमाह		4.7.13 से देय मानदेय दर प्रतिमाह आदेश क्रमांक 131313 दिनांक 20.09.2013		योग
		सी.एस.एस.	आयोजना	सी.एस.एस.	आयोजना	
1	2	3	4	5	6	7
अ	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकता	1500/-	815/-	2250/-	815/-	3065/-

पवन ऊर्जा/गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन की नीति

235. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पवन ऊर्जा एवं अन्य गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन हेतु वर्ष 2004 एवं 2012 में दो पृथक-पृथक नीतियां जारी की गई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2000 में जारी नीति के बाद जिन आवेदकों द्वारा प्लांट स्थापित करने एवं ऊर्जा उत्पादन का आवेदन किया गया और जिन्हें सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध भी करा दिये गये, उनमें से कई आवेदकों ने वर्ष 2012 तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया है? यदि हां, तो किस-किसने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से 2012 की अवधि में कितने आवेदकों को डिफाल्टर घोषित किया, कितनों की जमा राशि जब्त की गयी एवं कितने आवेदकों का भू-आबंटन निरस्त किया गया एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन आवेदकों द्वारा 2012 तक प्लांट नहीं लगाया गया, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों द्वारा उत्पादित बिजली की

(श्री रमेश)

बीस वर्षों की दर सरकार द्वारा तय कर दी गई थी, किन्तु आवेदकों द्वारा वर्ष 2012 के पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ कर तत्समय की दर से बिजली बेची गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन पर क्या कोई शास्ती आरोपित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) सरकार द्वारा वर्ष 2004 की नीति से बंधे आवेदकों को वर्ष 2012 की नीति के लाभ किस आधार पर दिये तथा निर्धारित समय में उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उत्पादकों को दृष्टिगत रखते हुए यह किस प्रकार न्यायोचित है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कार्य प्रारम्भ नहीं करने वाले आवेदकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2004 से वर्ष 2012 की अवधि में जिन आवेदकों को स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस एल ई सी) द्वारा निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी, उनमें से जिन विकासकर्ताओं/उत्पादनकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि/विस्तारित समयावधि में अनुमोदित क्षमता में से जो क्षमता स्थापित नही की गयी, उसको निरस्त कर दिया गया तथा तत्सम्बधी सुरक्षा राशि जब्त कर ली गयी। इस प्रकार के कुल 8 प्रकरणों में 7.625 करोड़ रुपये सुरक्षा जमा राशि जब्ती का विवरण परिशिष्ट '2' पर उपलब्ध है। इसके अलावा, 3 प्रकरणों में 162.79 हेक्टेयर जमीन का आबंटन निरस्त किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है तथा 5 प्रकरणों में 630.82 हैक्टेयर जमीन आबंटन निरस्त करने की सम्बन्धित जिला कलेक्टर को अनुशंसा की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

(4) वर्ष 2012 तक जिन आवेदकों द्वारा क्षमता आबंटन होने के पश्चात् परियोजना निर्धारित समयसीमा में पूर्ण नहीं की गयी, उनसे नियमानुसार विस्तार शुल्क की राशि वसूली गई। ऐसे 5 प्रकरणों में कुल 90 लाख रुपये की वसूली की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है तथा निर्धारित समयसीमा/विस्तारित समयसीमा में जो क्षमता स्थापित नहीं की गयी, उस क्षमता को निरस्त कर सुरक्षा राशि जब्त कर ली गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

((ऊर्जा मंत्री)

(5) पवन ऊर्जा उत्पादकों द्वारा स्थापित संयंत्रों से होने वाले विद्युत उत्पादन की दर का निर्धारण दिनांक 31.03.2007 तक स्थापित संयंत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात् दिनांक 01.04.2007 से दिनांक 31.03.2009 तक स्थापित संयंत्रों के लिये राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 09.03.2007 को जारी आदेश के द्वारा दर का निर्धारण किया गया। दिनांक 01.04.2009 के बाद में दर का निर्धारण सम्बन्धित वर्ष में स्थापित होने वाले संयंत्रों के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्र जिस वित्तीय वर्ष में स्थापित होता है उसे उसी वर्ष की निर्धारित दर से दीर्घ अवधि का पावर परचेज एग्रीमेंट होता हे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी दर के आदेशों में शास्ती आरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) नीति, 2012 के क्लाज संख्या 11.4 के अनुसार जो प्रोजेक्ट नीति, 2004 के तहत पंजीकृत है, वे स्वत: ही नीति, 2012 के तहत पंजीकृत माने जायेंगे और उन पर नीति, 2012 के प्रावधान लागू होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट के पंजीकरण से इसके पूर्ण करने की अवधि का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि यह नीति, 2004 के तहत स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट अनुमोदन/क्षमता आबंटन की दिनांक से तथा नीति, 2012 के तहत् स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट की सैद्धान्तिक स्वीकृति की दिनांक से निर्धारित होती है। जिन उत्पादनकर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं किया जाता है, उनसे पालिसी के प्रावधानों के अनुसार विस्तार शुल्क वसूल किया जाता है। अभी तक 41 प्रकरणों में वसूले गये रुपये 1714.68 लाख के विस्तार शुल्क का विवरण परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक नगर परिषद् द्वारा आबंटित खांचा भूमि

236. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद्, टोंक में गत पांच वर्षों में कुल कितनी-कितनी खांचा भूमि किन-किन को आबंटित की गई? वर्षवार, नामवार, वार्डवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अजीत सिंह)

(2) क्या खांचा भूमि व्यावसायिक भूमि के पास या सामने दी जा सकती है? यदि हां, तो किन-किन को विगत पांच वर्षों में दी गई? वर्षवार, नामवार, वार्ड-वार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खांचा भूमि एवं व्यावसायिक भूमि आबंटन करने के नियम एवं शर्तें क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, टोंक द्वारा गत पांच वर्षों मे आबंटित खांचा भूमि का वर्षवार, नामवार एवं वार्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आबंटित खांचा भूमि का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(3) खांचा भूमि आबंटन के लिये राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 23 में एवं गैर-आवासीय भूमि के आबंटन एवं विक्रय का नियम 15 में प्रावधान है; जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बस्सी के आवश्यक सुविधाओं से वंचित विद्यालय

237. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पेयजल, विद्युत विद्यार्थियों के कमरों में पंखों की सुविधा, शौचालय (छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग), चारदीवारी व मिड-डे मील जैसी सुविधाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो उक्त सुविधाओं से वंचित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सुविधाओं से वंचित विद्यालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च

(शिक्षा राज्य मंत्री)

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन) उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालय (छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग) उपलब्ध है तथा सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

77 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 10 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी उपलब्ध नहीं है, जिनकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। 242 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्युत सुविधा से वंचित हैं तथा 245 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंखों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 2 विद्यालयों में 1-राजकीय माध्यमिक विद्यालय पालावाल जाटान एवं 2-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, काशीपुरा में विद्युत एवं पंखों की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। सुविधाओं से वंचित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्य योजना में तथा भारत सरकार से अनुमोदित होने वाले लक्ष्यों की सीमा में सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना लक्षित है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत सुविधाएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर,बजट प्रावधान होने पर, समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित किये जाने पर विभाग द्वारा सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

निवाई (टोंक) में ट्रोमा अस्पताल की स्थापना

238. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने ट्रोमा अस्पताल कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के

(श्री हीरालाल)

मद्देनजर विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई में ट्रोमा अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 56 सरकारी ट्रोमा सेन्टर संचालित हैं, जिनके नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में 50 शय्याऔंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), चिकित्सा अधिकारी (अस्थि रोग एवं निश्चेतन) के एक-एक पद स्वीकृत हैं तथा एक्सरे, ई सी जी, इत्यादि जांच सुविधाएं, 108 तथा बेस रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में दुर्घटनाग्रस्त रोगी को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय टोंक लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

रूपारेल नदी पर बनाये गये अवैध एनिकट हटाने की कार्यवाही

239. **श्रीमती अनीता** (नगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि रूपारेल नदी पर अलवर जिले में बनाये गये अवैध एनिकट एवं अवरोधकों के कारण सीकरी चैक डैम में पानी नहीं आ रहा है? क्या सरकार अवैध एनिकट व अवरोधकों को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। सीकरी चैक डैम में विगत कई वर्षों से पानी नही आ रहा है। बारां वियर से जयसमन्द (अलवर) में पानी के प्रवाह में आ रहे अतिक्रमणों के चिह्नीकरण एवं गन्तव्य स्थान तक पानी पहुंचाने में आ रही बाधा के निवारण के लिए सुझाव देने हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26.05.2015 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से रूपारेल नदी पर अलवर जिले में बनाये गये अवैध एनिकट एवं अवरोधों के चिह्नीकरण का कार्य करवाया जाकर, रिपोर्ट प्राप्ति पर

(जल संसाधन मंत्री)

तकनीकी परीक्षण पश्चात् गुणावगुण-आधार पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

नीमराना (अलवर) में महाविद्यालय खोलने की योजना

240. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मुण्डावर या नीमराना में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर या नीमराना में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

प्रदेश के एफ.एस.एल. जांच केन्द्रों में तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती

241. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एफ.एस.एल. जांच की जाती है? यदि हां, तो वर्तमान में प्रदेश में कितने एफ.एस.एल. जांच केन्द्र स्थापित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एफ.एस.एल. जांच केन्द्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव में प्रकरणों में एफ.एस.एल. जांच में देरी होती है? यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में किस-किस केन्द्र पर कितने प्रकरण जांच हेतु प्राप्त हुए एवं उनकी जांच रिपोर्ट कितने दिन में प्रस्तुत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार एफ.एस.एल. जांच केन्द्रों पर तकनीकी विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति करने हेतु नये तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि प्रदेश में एफ.एस.एल. जांच की जाती है। वर्तमान मे सात विधिविज्ञान प्रयोगशालाएं हैं जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर में संचालित हैं।

(गृह मंत्री)

(2) यह सही है कि एफ.एस.एल. जांच केन्द्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव में प्रकरणों में एफ.एस.एल. जांच में विलम्ब की संभावना रहती है।

दिनांक 01.12.2015 को दो वर्ष मे प्राप्त प्रकरणों की संख्या प्रयोगशाला-अनुसार निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	स्थान	प्राप्त प्रकरण दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015
1.	जयपुर	28,030
2.	जोधपुर	9,228
3.	उदयपुर	8,497
4.	कोटा	4,164
5.	बीकानेर	3,357
6.	अजमेर	4,700
7.	भरतपुर	1,085 (फरवरी 2015 से कार्य आरम्भ)

वर्तमान मे विधिविज्ञान प्रयोगशालाओं में जांच तीव्रतर करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2014 से पूर्व के सभी प्रकरणों का परीक्षण किया जा चुका है एवं वर्ष 2014 के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी मार्च 2016 तक कर लिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। एफ.एस.एल. जांच केन्द्रों पर रिक्त तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 18 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 10.02.2016 को विज्ञप्ति जारी कर दी है। शेष पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जंतर-मंतर (जयपुर) के कोर एरिया में भवन निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

242. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा व इस सम्बन्ध में किस विभाग से यूनेस्को के साथ समझौता व करार हुआ? समझौते की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) क्या यह सही है कि यूनेस्को व सरकार के मध्य हुए समझौते के अनुसार इसके कोर एरिया (जंतर मंतर) व बफर जोन के आस-पास क्षेत्र में किसी प्रकार का नवनिर्माण नहीं किया जा सकता है व कोर एरिया और बफर जोन में मौजूद सभी चीजों को अपने मूल स्वरूप में ही रखा जाना आवश्यक है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त करार के विपरीत जंतर मंतर के पीछे 'श्रीजी की मोरी' में बफर जोन में तीन मंजिला नई इमारत बना ली गयी है? क्या उक्त यूनेस्को से हुए करार के विपरीत है?

(4) क्या सरकार यूनेस्को से हुए समझौते की पालना के लिए कोई सक्षम कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संरक्षित स्मारक जन्तर मन्तर को यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एण्ड कल्चरल आरगेनाइजेशन (यूनेस्को) द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। राज्य सरकार एवं यूनेस्को के मध्य कोई समझौता व करार नहीं हुआ है, अपितु राज्य सरकार द्वारा जन्तर मन्तर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नामांकित कराने हेतु Promulgation of Management Plan of Jantar-Mantar, Jaipur महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को प्रेषित किया (परिशिष्ट-अ), जो उक्त कार्य हेतु नोडल एजेंसी है। तत्पश्चात यूनेस्को द्वारा जन्तर मन्तर जयपुर को विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया तथा यूनेस्को द्वारा इसके सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स जारी की गई। (परिशिष्ट-ब)

(2) जी हां।

(3) जी हां। जन्तर मन्तर के पीछे 'श्रीजी की मोरी' में बफर जोन तीन मंजिला (जी + 2 फ्लोर) नई इमारत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माणकर्त्ता द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 4 द्वारा दिनांक 08.10.2015 को नगर निगम के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया गया है। (परिशिष्ट-स)

उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति के विपरीत किये जाने पर नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्माणकर्त्ता को नोटिस क्रमांक 55 दिनांक 22.12.2015, 265

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

दिनांक 28.01.2016 तथा 274 दिनांक 24.02.2016 जारी किये गये हैं तथा उक्त निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया है।

उक्त कार्य यूनेस्को की गाइड-लाइन्स के विपरीत है तथा विरासत को दागदार बना रहा है।

(4) जी हां। संरक्षित स्मारक जन्तर मन्तर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्यवन हेतु प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है (परिशिष्ट-द), जिसकी समय-समय पर बैठकें आयोजित कर जन्तर मन्तर के कोर एरिया एवं बफर जोन के बारे में निर्णय लिये जाते हैं तथा उनकी पालना सुनिश्चित की जाती है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भोपालगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

243. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला कर्मचारी काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं? क्या सरकार इन्हें स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत महिला कर्मचारी लम्बे समय से कार्यरत हैं। इन्हें स्थायी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये राज्य कर्मचारी नहीं होकर, पूर्णत: अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रिक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं लिपिक वर्गीय पदों को पदोन्नति या सीधी भर्ती के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध होने पर भरा जाएगा।

परिशिष्ट-अ

महिला एवं बाल विकास विभाग

- विभाग में कार्मिकों के पदों को भरने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य विभागों में चयन होने से पद रिक्त होते हैं।
- बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भ्रने हेतु कार्मिक विभाग को अर्थना भिजवायी हुयी है। सीडीपीओ एवं एसीडीपीओ के पदोन्नति के पदों को भरने हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से करवायी जा रही है।
- वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अर्थना भिजवायी जा रही है।
- लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार एवं सांख्यिकी सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु निदेशक कोष एवं लेखा तथा निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को लिखा गया है।
- वाहन चालक के रिक्त पदों को भारत सरकार के निर्देशों के तहत नहीं भरा जाना है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने हेतु रेक्सीको एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखने हेतु वित्त विभाग की सहमति अनुरूप कार्यवाही ही की जा रही है।
- मानदेय के रिक्त पदों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में गठित चयन समिति द्वारा भरने की कार्यवाही की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति

244. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में कुल कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को

(श्री जोगाराम पटेल)

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया अथवा भ्रष्टाचार के अपराध में नामित कर गिरफ्तार किया गया या उनके विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत दो वर्षों में कुल कितनी शिकायतें कर्मचारियों/अधिकारियों या लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट आचरण अपनाने या भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुईं और कितनी सूचनाएं या शिकायतें सही पाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कुल कितने विभागों के कुल कितने प्रकरण वर्तमान में अभियोजन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं तथा गत दो वर्षों में कितने प्रकरणों में सरकार ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा कितने प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति से इन्कार किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गत दो वर्षों (वर्ष 2014 व 2015) में दर्ज प्रकरणों में कुल 463 अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत प्राप्ति/मांग पद का दुरुपयोग एवं आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप से सम्बन्धित प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या
1	ट्रैप	459
2	पद का दुरुपयोग	2
3	आय से अधिक सम्पत्ति	2
	योग	**463**

विवरण परिशिष्ट "क-1" "क-2" एव "क-3" संलग्न हैं।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में गत दो वर्षों (वर्ष 2014 व 2015) में कुल 694 परिवाद (शिकायतें) एवं 148 प्राथमिक जांच कर्मचारियों/अधिकारियों या लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण अपनाने एवं भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में दर्ज किये गये हैं।

परिवाद के सत्यापन के उपरांत आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर 47 परिवादों (शिकायतें) में अपराध एवं 14 परिवादों पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

प्राथमिक जांच के उपरांत आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर 28 प्राथमिक जांचों में अपराध दर्ज किये गये।

वर्ष 2014 व 2015 में दर्ज परिवाद व प्राथमिक जांचों की सूची परिशिष्ट "ख" व "ख-1" संलग्न है।

(3) वर्तमान में 35 विभागों में 215 प्रकरणों के अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लम्बित हैं। गत दो वर्षों में सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा 618 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई एवं 123 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति से मना किया गया। सूची परिशिष्ट क्रमशः "ग" "घ" व "च" संलग्न हैं।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

सागवाड़ा नगरपालिका द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से कराये गये कार्य

245. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सागवाड़ा नगरपालिका द्वारा गत 5 वर्षों में किस-किस एन.जी.ओ. को कितनी-कितनी राशि के कार्य दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में जिन-जिन एन.जी.ओ. को कार्य एजेन्सी बनाया गया, उनके सदस्यों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में एन.जी.ओ. के माध्यम से कराये गये कार्यों की वर्तमान में क्या भौतिक स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सागवाड़ा, में विगत पांच वर्षो मे एन.जी.ओ. के माध्यम से करवाये गये कार्यों का राशिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका सागवाडा, में विगत पांच वर्षों में जिन-जिन एन जी ओ को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया, उनके सदस्यों के नाम एवं पद का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) नगरपालिका, सागवाड़ा में एन.जी.ओ के माध्यम से करवाये गये कार्यों की भौतिक स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

246. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितने कार्यरत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क-1' एवं 'क-2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं 'रीट' के माध्यम से चयन होने तथा विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांचौर (जालौर) में डेंगू रोगियों के बचाव के प्रयास

247. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्र सांचौर में सरकार द्वारा डी.डी.टी., आदि दवाइयों का छिड़काव किया गया है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन मोहल्लों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में कच्ची बस्ती के वार्डों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उनके बचाव हेतु क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में डी.डी.टी. का छिड़काव करने का प्रावधान नहीं है। नगरपालिका क्षेत्रों में पायरेथ्रम से फोकल स्प्रे एवं एन्टीलार्वल गतिविधियां की जाती हैं।

नगरपालिका क्षेत्र सांचौर में एवं आसपास के क्षेत्रों में पाईरेथ्रम

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

फोकल स्प्रे तथा फोगिंग मशीन द्वारा स्प्रे करवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश की कच्ची बस्तियों में भी डेंगू रोग के मरीज पाये जाते हैं। डेंगू मरीज की 'एलिसा' से जांच करने पर जांच रिपोर्ट कन्फर्म होने के पश्चात् यदि डेंगू रोगी पाया जाता है, तो उसके आस-पास के 50 घरों में पायरेथ्रम का फोकल स्प्रे करवाया जाता है तथा आस-पास के घरों का सर्वे कर एन्टीलार्वल गतिविधियां, ब्लड स्लाइड कलेक्शन, आदि कार्य किये जाते है। आई.ई.सी. गतिविधियों के द्वारा आम जनता को मच्छरों को पनपने से रोकने बाबत जागरूक किया जाता है।

परिशिष्ट-अ

नगरपालिका क्षेत्र सांचौर में एवं आसपास के क्षेत्रों में पाईरेथ्रम फोकल स्प्रे तथा फोगिंग मशीन द्वारा स्प्रे करवाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	मोहल्ले का नाम व वार्ड संख्या
04.09.2015	रैबारियों गोलिया, डूंगरों का गोलिया, नेहरू कालोनी
05.09.2015	रैबारियों गोलिया, भाटों व मौसीयों व मेधवालों का वास
07.09.2015	रैबारियों गोलिया, भाटों व मौसीयों व मेधवालों का वास की गलिया
08.09.2015	शान्ति नगर, डूंगरों का गोलियों, दर्जी एवं खत्रियों का वास
11.09.2015	जटियों व नटों का वास
15.09.2015	खेतेश्वर कालोनी, हरिजन बस्ती, पुराना पावर हाउस, नर्मदा कालोनी
16.09.2015	जटियों का वास, मौसीयों एवं मेधवालसों का वास, सुनारों वास, जैनों का वास, गर्ग कालोनी, हरिजन बस्ती, नर्मदा कालोनी, बेलीमों का वास
17.09.2016	भाटों व मौसीयों का वास, मेहता हास्पिटल के पीछे, आशापूर्णा कालोनी, हाडेचा रोड, सुभाष नगर, माहेश्वरी कालोनी, बालाजी नगर, केपी नगर, झेरडीयावास
18.09.2015	खेतेश्वर कालोनी, झेरडीयावास, माखुपुरा व जोगी बस्ती, वार्ड रमेश कालोनी, दरबार चौक, पीपली चौक
19.09.2015	पीडब्ल्यूडी रोड, पीएचडी कालोनी, काजा क गोलिया, बी ढाणी, मालियों की ढाणी, ईन्द्रा कालोनी, दादावाडी, नेशनल हाइवे 15, कृषि मंडी बस्ती,

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्य योजना

248. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार नदियों को जोड़ने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) नदियों को जोड़ने का काम कितने चरणों में पूरा किया जायेगा? प्रारम्भिक चरण में कौन-कौनसी नदियों को जोड़ा जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अधिशेष जल उपलब्धता क्षेत्र से अभावग्रस्त व कम पानी वाले क्षेत्रों में सतही जल अपवर्तन हेतु प्रथम चरण में 4 प्रस्तावों पर कारवाई प्रारम्भ की गई है। प्रस्ताववार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विचाराधीन प्रस्तावों की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। डी.पी.आर. प्राप्त होने पर स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

1. चम्बल की सहायक नदी ब्राह्मणी एवं चंबल नदी के वर्षा काल में उपलब्ध अधिशेष जल को बीसलपुर बांध में डालने की योजना:-

चम्बल नदी की सहायक नदी ब्राह्मणी पर एक बांध बनाकर ब्राहमणी नदी का जल अपवर्तित कर बीसलपुर में डालने व चमबल नदी पर निर्मित जवाहर सागर बांध में वर्षा काल में उपलब्ध अशिशेष जल को लिफ्ट कर ब्राह्मणी नदी पर प्रस्तावित बांध में डालकर अपवर्तित कर बीसलपुर बांध में डालने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इस योजना के द्वारा 355 मिलियन घन मीटर जल को बीसलपुर बांध में डाला जावेगा। इस परियोजना की लागत रु. 8000 करोड़ है। इस योजना से अजमेर, जयपुर शहर व अजमेर, टोंक, जयपुर जिले के रास्ते के ग्रामों की भविष्य में पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। परियोजना की विस्तृत फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति राशि 515.94 लाख की दिनांक 11.02.2015 को जारी कर पी.डी. कोर को राशि 459.18 लाख

का कायार्यादेश दिनांक 2-3-2015 को दिया जा चुका है। पी.डी. कोर द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट दिनांक 08.5.2015 को प्रस्तुत की गई है। दिनांक 27.7.2015 को हुई बैठक में प्रपोजल को सैद्धान्तिक सहमति इन शर्तो के आधार पर दी गई है कि प्रस्तावित बांध की भराव क्षमता बांध के तकनीकी मापदण्ड, टनल का साइज इत्यादि विस्तृत सर्वे के बाद निश्चित किये जायेंगे। PDCOR द्वारा प्रस्तावित बांध के भराव क्षेत्र के सर्वे का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। टर्नल एवं बांध के एलाइमेन्ट का सर्वे कार्य प्रगति पर है। पी.डी. कोर द्वारा मार्च 2016 तक विस्तृत फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सरकार से राशि उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया है।

2. चम्बल की सहायक नदी पार्वती व कालीसिंध का अधिशेष जल को धौलपुर तक पहुंचाने की योजनाः-

चम्बल की सहायक नदी पार्वती व कालीसिंध को जोड़कर कालीसिंध नदी से टोंक, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिले की प्रस्तावित योजना व इन जिलों के रास्ते के बांधों को भरने व रास्ते के क्षेत्र की पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नहर का निर्माण किया जावेगा। उक्त नहर की जलापूर्ति हेतु कालीसिंध व पार्वती नदी पर एक-एक बांध का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 17409 करोड़ है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने हेतु 110.63 करोड़ का तकमीना बनाकर व इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने हेतु नदी जोड परियोजना में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 102-103 दिनांक 3.2.2015 द्वारा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (यमुना बेसिन) नई दिल्ली को भेजा जा चुका है। केन्द्र सरकार द्वारा इन्द्रा परियोजना की डी.पी.आर. हेतु फण्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता से अवगत कराया है इसलिये डी.पी.आर. बनाने हेतु ई.ओ.आई. से आमंत्रित की गई जो प्राप्त हो गई है एवं इसका परीक्षण किया जा रहा है।

3. साबरमती बेसिन के अधिशेष जल (वाकल IV) से पाली जिले के जवाई बांध पुनर्भरण के प्रस्ताव पर टिप्पणी

जवाई बांध का निर्माण 1957 में हुआ था। पिछले 70 सालों में 90 प्रतिशत निर्भरता के साथ मात्र 6 साल ही अपनी क्षमता 207.38 एम.सी.एम. की आवक हुई है। अतः पानी की आवक की कमी को देखते हुये जल संसाधन विभाग द्वारा साबरमती जल ग्रहण क्षेत्र के अधिशेष जल से जवाई बांध को

भरने हेतु एक प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें साबरमती बेसिन की वाकल रिवर पर (वाकल IV) 130 एम.सी.एम. क्षमता का बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 181.55 एम.सी.एम. पानी 71 किमी. टर्नल के द्वारा ग्रेविटी फ्लो द्वारा स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 2930 करोड़ रुपये है। इस कार्य की प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने एवं सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये राशि उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तृत की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इन्द्रा परियोजना की डी.पी.आर. हेतु फण्ड उपलब्ध कराने में असमर्थता से अवगत कराया है इसलिये डी.पी.आर. बनाने हेतु ई.ओ.आई. से आमंत्रित की गई जो प्राप्त हो गई है एवं इसका परीक्षण किया जा रहा है।

4. उदयपुर जिले के राजसमंद बांध पुनर्भरण पर प्रस्ताव पर टिप्पणी

राजसमंद बांध कस्बा कांकरोली, जिला राजसमंद में बनास बेसिन की गोमती रिवर पर स्थित है। पिछले कई सालों से 50 प्रतिशत निर्भरता के अपनी क्षमता 10.07 एम.सी.एम. की आवक नहीं हुई है। अतः पानी की आवक की कमी को देखते हुये जल संसाधन विभाग द्वारा साबरमती जल ग्रहण क्षेत्र के अधिशेष जल से राजसमंद बांध को भरने हेतु एक प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें साबरमती बेसिन की वाकल रिवर के लोकल नाले पर (वाकल IV) 11.04 एम.सी.एम. क्षमता का बांध का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 15.26 एम.सी.एम. पानी 46 किमी. टर्नल के द्वारा, ग्रेविटी फ्लों द्वारा स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 2040 करोड़ रुपये है। इस कार्य की प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने एवं सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयर करने के लिये राशि उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है। सर्वे कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राशि 357.11 लाख की दिनांक 21.07.2015 को जारी की जा चुकी है। इसी सम्बन्ध में जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति राशि 311.00 लाख की दिनांक 10.08.2015 को जारी की जा चुकी है किन्तु देवास तृतीय बांध को भी योजना में सम्मिलित करने के कारण इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पुनः रु. 493.86 लाख की जारी कर दी गई है व वेपकोस को कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना

249. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्य उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सुराज संकल्प, जो कि राज्य सरकार का नीति पत्र है, प्रत्येक एस.डी.ओ. मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का संकल्प है। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से महाविद्यालय-विहीन उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ उपखण्ड पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

गौ-तस्करी रोकने हेतु गौरक्षा पुलिस चौकी की स्थापना

250. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बूचड़खाने में कत्ल हेतु ले जाने के लिए गौ-वंश तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षो में कितने प्रकरण प्रदेश के पुलिस थानों में दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में गौवंश निकासी के स्थानों को चिह्नित कर गौरक्षा पुलिस चौकी स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में बूचड़खाने में कत्ल हेतु ले जाए जाने बाबत गौवंश तस्करी की घटनाओं में वर्ष 2013 में दर्ज प्रकरण 473 की तुलना में वर्ष

(गृह मंत्री)

2014 में 511 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जो आंशिक वृद्धि है; जबकि वर्ष 2015 में 406 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें वर्ष 2013 व 2014 की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में गौवंश निकासी के स्थानों का चिह्नीकरण करने के बाद सरकार द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2016 से जिला अलवर में 6 एवं जिला भरतपुर में 6, कुल 12 पुलिस चौकियों का सृजन किया गया है। इन पुलिस चौकियो में 12 सहायक उप निरीक्षक एवं 72 कांस्टिबल के पदो का सृजन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोक कला संस्कृति को संरक्षित करने की कार्यवाही

251. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की विभिन्न लोक कला संस्कृतियों को संरक्षित करने एवं इसने उत्थान के लिए गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कठपुतली नृत्य, राजस्थानी लोक गीत, लोक गायन व लोक नृत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए इनसे जुड़े लोगों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए कोई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश की अनूठी लोक कलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विभिन्न लोक कला संस्कृतियों को संरक्षित करने एवं इसके उत्थान के लिए सरकार हमेशा से ही प्रत्यनशील रही है। कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन संस्थाओं/अकादमियों द्वारा लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है, जिसमें प्रमुखतः जवाहर कला केन्द्र, जयपुर; भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर; एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा प्रमुख रूप से लोक कला संस्कृति के संरक्षण एवं उत्थान के लिए कार्य किया जाता है। विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(2) जी हां। सरकार द्वारा किये गये विशेष प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में कला व संस्कृति के समसामयिक व शास्त्रीय स्वरूपों को भी कार्यक्रम एवं गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए जवाहर कला केन्द्र, जयपुर की आधारभूत संरचना एवं कलाकारों एवं कला-प्रेमियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने हेतु वर्ष 2014-15 से 2015-16 में राशि रुपये 436.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था तथा वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 7.00 करोड़ का बजट प्रावधान भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट–अ

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

प्रदेश में विभिन्न लोक कला संस्कृति को संरक्षित करने एवं इसके उत्थान के लिए सरकार हमेशा से ही प्रत्यनशील रही है। कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन संस्थाओं/अकादमियों द्वारा लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। जिसमें प्रमुखतः जवाहर कला केन्द्र, जयपु, भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर एवं राजस्थान संगीत नाटक, अकादमी, जोधपुर द्वारा प्रमुख रूप से लोक कला संस्कृति के संरक्षण एवं उत्थान के लिए कार्य किया जाता है।

जवाहर कला केन्द्र द्वारा विगत 5 वर्षों में लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर का लोकरंग समारोह आयोजित किया जाता रहा है जिसमें प्रदेश के लोक कलाकारों के दलों को आमंत्रित किया जा कर मंचयी अवसर प्रदान करने के साथ-साथ नियमानुसार पारिश्रमिक यात्रा आदि का भुगतान किया जाता है। केन्द्र ने विगत 5 वर्षों में शिल्पकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेलों का आयोजन भी लोकरंग के साथ ही कर उनकी दस्तकारी के प्रदर्शन एवं बिक्री के अवसर प्रदान किये गये। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लोकरंग समारोह का आयोजन किया गया।

केन्द्र ने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध चित्र शैली फड चित्र की कार्यशाला का 6 दिवसीय आयोजन दिनांक 16 से 22 फरवरी, 2013 रखा गया जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

केन्द्र द्वारा लोकरंग के अलावा अरण्य पूर्व, फागोत्सव, बसन्तोत्सव, लोहड़ी पर्व आदि अवसरों पर लोक कलाकारों की मंचीय प्रस्तुतियां वर्ष पर्यन्त आयोजित की जाती रही हैं।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर

राज्य सरकार द्वारा 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा लोक कलाओं के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित सांगीतिक लोक विधाओं एवं लोक कलाओं का शोध, सर्वेक्षण, डोक्यूमेन्टेशन तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, प्रदेश की विभिन्न की विभन्न-विभिन्न अंचलों की कलाओं का प्रचार-प्रसार कर उनको जन मानस से परिचय कराना। प्रदेश के ख्याति प्राप्त गणमान्य लोक कलाकारों को सम्मान व पुरस्कृत करना, अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सांस्कृतिक दल को कला प्रदर्शन हेतु अन्य प्रांतों में भेजना तथा वहां के सांस्कृतिक दलों को प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करना एवं असमर्थ एवं असहाय कलाकारों को आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। गत पांच वर्षों में अकादमी द्वारा आयोजना बजट के अन्तर्गत 370.00 लाख रुपये के कार्यक्रम आयोजित करवाकर लोक कला-संस्कृति को संरक्षित करवाया गया।

भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर

कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा अनुदानित भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर द्वारा लोक कलाओं कठपुतली कलाओं आदि को संरक्षण प्रदान कर उनके उत्थान, प्रचार-प्रसार एवं कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी कलाओं को जीवित रखने के उद्देश्य से पिछले लगभग 64 वर्षों से निरन्तर प्रयासरत है। संस्था द्वारा लोक कलाओं को जीवित रखने के उद्देश्य से प्रशिक्षर्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। लोक नृत्य तथा कठपुतलियों के कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किये जने के साथ देश के अनेक हिस्सों में भी इनके कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों में कठपुतली कलाकारों को प्रशिक्षण, कठपुतली नाटिका निर्माण, कटपुतली नाटिका का अंग्रेजी अनुवाद कर कनाडा एवं अमेरिका में 35 प्रदर्शन प्रस्तुत करना आदि प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किये गये।

परिशिष्ट-ब

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्तर पर आयोजित विभिन्न मेलों एवं

समारोहों के अवसर पर कठपुतली कला के कलाकारों को आमंत्रित कर मंचीय अवसर प्रदान किये जाते रहे हैं। इसके अलावा लोकगीत, लोक गायन एवं नृत्य यथा- माण्ड गायन एवं प्रशिक्षण, ढूंढाडी गायन, फाग गायन के साथ-साथ लोक नृत्यों यथा- घूमर, चरी, कालबेलिया, तेजाजी, गरासिया, ब्रज होरी, बम रसिया, लांगूरिया, बालकों की गैर, बिजली गैर आंगी गैर, घुटना चकरी, चकरी लोक नृत्य, गणगौर नृत्य, भवाई नृत्य, कथौडी जनजाति के लोक नृत्य, डामौर जनजाति के लोक नृत्य, सहरिया आदिम जाति के लोक नृत्य अलगोजा वादन मशक वादन, भोपा गायन वादन, रावण हत्था वादन, मांगणियार एवं लंगा गायन, भपंग वादन, हैला ख्याल पद गायन आदि के लोक कलाकारों को आमंत्रित कर मंचीय अवसर प्रदान कर लाभांवित किया गया।

इसके साथ ही केन्द्र द्वारा लुप्त प्रायः विधाओं यथा- जागडा गायकी, पाण्डुन का कडा आदि लोक विधाओं का प्रलेख एवं रिकार्डिंग कर संरक्षित किया गया । लोक नाट्य, कुचामणी ख्याल, रम्मत, नोटंकी एवं गवरी लोक नाट्य शैली के कलाकारों को मंचीय प्रस्तुति प्रदान कर संरक्षण प्रदान किया गया। केन्द्र ने लोक कलाओं के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय टेराकोटा की 15 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 7 से 21 मई, 2014 तक किया गया जिसमें मोलेला, रामगढ़, अलवर एवं जयपुर के राष्ट्रीय पुरस्कृत लोक कलाकारों द्वारा टेराकोटा में मूर्ति शिल्प आदि का निर्माण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से संरक्षण किया गया।

भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर

कठपुतली नृत्य, राजस्थानी लोक गीत, लोक गायन व लोक नृत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए इससे जुड़े लोगों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए आयोजन आयोजित कर कलाकारों के आर्थिक उत्थान के प्रयास निरन्तर जारी हैं।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा पारम्परिक लोक कलाओं का शोध सर्वेक्षण कर उनको उचित मंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा प्रदेश के लोक कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित करवा कर उनकों आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मनोहरथाना में नये आगंनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

252. **श्री कंवर लाल** (मनोहरथाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी-रहित स्थानों पर नये केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन-विहीन संचालित हैं? क्या सरकार भवन-विहीन केन्द्रों के भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्तमान में कुल 261 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त संचालित केन्द्रों में 254 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं एवं 07 पद रिक्त हैं। कार्यरत एवं रिक्त पदों की पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी-रहित स्थानों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के लिए उप निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण-उपरान्त नियमानुसार भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में 5 स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर करवाया गया, जिनमें से कोई भी स्थान मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने की निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्रता नहीं रखता है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 90 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड़

बाल विकास परियोजना मनोहरथाना की ग्राम पंचायतवार सूची

क्र. सं.	विधान सभा	ग्राम पंचायत	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र (261)	कार्यरत आ.बा. कार्यकर्ता	रिक्त पदों की सं.	वि.वि.
1	मनोहर थाना	मनोहर थाना	10	9	1	मनोहरथाना-4 में कोर्ट केस होने के कारण
2	मनोहर थाना	ठिकरीया	3	3	0	
3	मनोहर थाना	टोडरीया मीरा	5	5	0	
4	मनोहर थाना	कालूखेडी माल्यान	8	8	0	
5	मनोहर थाना	रवास्यां	7	7	0	
6	मनोहर थाना	टोडरी जगन्नाथ	6	6	0	
7	मनोहर थाना	सेमलीहाट	6	6	0	
8	मनोहर थाना	जावर	5	5	0	
9	मनोहर थाना	बनेठ	6	6	0	
10	मनोहर थाना	समरोल	7	7	0	
11	मनोहर थाना	शोरती	9	9	0	
12	मनोहर थाना	खेरखेडा	8	8	0	
13	मनोहर थाना	चंदीपुर	6	6	0	
14	मनोहर थाना	आंवलहेडा	7	6	1	आवलहैडा-II में कोर्ट केस होने के कारण
15	मनोहर थाना	गरबोलीयां	7	7	0	
16	मनोहर थाना	कोलूखेडी कलां	6	6	0	

क्र. सं.	विधान सभा	ग्राम पंचायत	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र (261)	कार्यरत आ.बा. कार्यकर्ता	रिक्त पदों की सं.	वि.वि.
17	मनोहर थाना	मनपसर	6	6	0	
18	मनोहर थाना	पिण्डोला	7	7	0	
19	मनोहर थाना	खाता खेडी	5	5	0	
20	मनोहर थाना	दांगीपुरा	5	5	0	
21	मनोहर थाना	चांदपुरा भिलान	6	5	1	ग्रा.पं. द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही चयन प्रक्रिया कर दी जावेगी।
22	मनोहर थाना	सरेडी	5	4	1	उदयपुरिया में कोर्ट केस होने के कारण
23	मनोहर थाना	बांसखेडी मेवातियान	7	7	0	
24	मनोहर थाना	बांसखेडा	8	8	0	
25	मनोहर थाना	कामखेडा	8	8	0	
26	मनोहर थाना	बडवद	6	6	0	
27	मनोहर थाना	ल्हास	6	6	0	
28	मनोहर थाना	देवरीकलां	4	4	0	
29	मनोहर थाना	चुरेलिया	4	4	0	
30	मनोहर थाना	लसुडिया शाह	5	5	0	
31	मनोहर थाना	सरखण्डीयां	7	6	1	निर्धारित योग्यता वाली महिला उपलब्ध नहीं होने के कारण

क्र. सं.	विधान सभा	ग्राम पंचायत	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र (261)	कार्यरत आ.बा. कार्यकर्ता	रिक्त पदों की सं.	वि.वि.
32	मनोहर थाना	देवरी चंचल	5	4	1	निर्धारित योग्यता वाली महिला उपलब्ध नहीं होने के कारण
33	मनोहर थाना	नयापुरा	5	5	0	
34	मनोहर थाना	तुरकाडिया	8	8	0	
35	मनोहर थाना	थरोल	7	7	0	
36	मनोहर थाना	खारपा	7	7	0	
37	मनोहर थाना	न. पा. अकलेरा	8	7	1	नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं
38	मनोहर थाना	थनावद	6	6	0	
39	मनोहर थाना	मिश्रोली	6	6	0	
40	मनोहर थाना	मैठून	5	5	0	
41	मनोहर थाना	आमेठा	9	9	0	
		कुल योग	**261**	**254**	**7**	

अतारांकित प्रश्नोतर

केन्द्र से राज्य को विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि

306. **श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र से राज्य को समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि प्राप्त होती है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किन-किन विभागों की किन-किन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र से प्राप्त राशि की कब-कब समीक्षा की गई व किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया व कितनी-कितनी राशि किस कारण व्यपगत हुई? क्या इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत 5 वर्षों में राज्य सरकार को केन्द्र से समय-समय पर विभागवार/योजनावार प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) केन्द्र से प्राप्त राशि की समीक्षा का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त राशि में से उपयोग की गई राशि का विभागवार/ योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान केन्द्र से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं होने पर प्राप्त राशि व्यपगत नहीं होती है, अपितु उक्त राशि को पुनर्वेध (Revalidate) करवाने के उपरान्त अगले वर्ष में उपयोग किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

307. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में पकड़े गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति सम्बन्धी कई प्रकरण लम्बित चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में पकड़े गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही हेतु विशेष नियम/प्रावधान का विचार रखती है।

(3) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में पकड़े गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में पकडे गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी 237 मामले लम्बित चल रहे हैं।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में पकड़े गये लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जाती है। विशेष नियम/प्रावधान बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही में रंगे हाथों पकडे गये कर्मचारियों के 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के फलस्वरूप राजकीय सेवा से निलम्बित किया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

308. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक जोधपुर विकास प्राधिकरण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है? यदि हां, तो अब तक की जांच में क्या अनियमितताएं सामने आईं और उसके लिए कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन अभियंताओं को प्रारम्भिक रूप से दोषी पाया गया है, वे वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण में ही कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2008 से 2013 की अवधि के जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अनियमितताओं, इत्यादि के सम्बन्ध में 1 अभियोग, 2 प्राथमिक जांच एवं 5 परिवाद दर्ज हैं। उक्त अभियोग/प्राथमिक जांच/परिवाद वर्तमान में अन्वेषणाधीन/ जांचाधीन/ सत्यापनाधीन हैं। अत: वर्तमान स्थिति में दोषी अधिकारियों के नाम बताना सम्भव नहीं है।

(2) अपराध/प्राथमिक जांच/परिवाद वर्तमान में अन्वेषणाधीन/ जांचाधीन/सत्यापनाधीन है। जांच पूर्ण होने पर ही दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विवरण बताना सम्भव होगा।

जमवारामगढ़ में सब-काउंटर खोलकर शराब की बिक्री

309. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें आबकारी नीति के तहत आबंटित की गई हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी-कितनी दुकानें किस-किस स्थान पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन दुकानदारों को आबकारी नीति के तहत देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें आबंटित की गई हैं, उनके द्वारा सब-काउंटर खोलकर शराब की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में देशी एवं विदेशी शराब के अवैध काउंटरों की जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें आबकारी नीति के अन्तर्गत ही आबंटित की गई हैं।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित देशी मदिरा दुकानों की सूची परिशिष्ट-। पर उपलब्ध है। इस क्षेत्र में विदेशी मदिरा की कोई दुकान संचालित नहीं है।

(आबकारी मंत्री)

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में संचालित मदिरा दुकानों के अलावा कोई सब-काउंटर संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में शराब के अवैध काउंटर संचालित नहीं हैं। यदि विभाग को देशी/विदेशी शराब के अवैध विक्रय बाबत कोई सूचना प्राप्त होती है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2015-16 स्वीकृत एवं संचालित देशी मदिरा दुकानों/समूहों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	जिले में स्वीकृत		समूह का विवरण		दुकानों का विवरण				नाम अनुज्ञाधारी मय पता	धार्मिक स्थल से दुकान की दूरी व धार्मिक स्थल का नाम तथा नियम 75 राज.आ.अ. नियम के संदर्भ में विधिक स्थिति	विशेषज्ञ विवरण (दुकान असंचालित होने की स्थिति का कारण)
		समूह की संख्या	दुकान की संख्या	क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	दुकान का नाम व स्थान	कम्पोजिट	नान कम्पोजिट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जयपुर		4	1	ताला	1	ताला	कम्पोजिट	-	गौतम सैन नि. जयपुर	नियम 75 के अनुसार स्वीकृत	-
2				2	धौला	2	धौला	कम्पोजिट	-	मांगु सिंह नि. ब्रजपुरा		-
3				3	गठवाडी	3	गठवाडी	कम्पोजिट	-	मुकेश कुमार नि. टोडी		-
4				4	रायसर	4	रायसर	कम्पोजिट	-	सावित्री देवी नि. दौसा		-

तालवृक्ष से कुशालगढ़ मोड़ तक संचालित होटल/ढाबों के कर्मचारियों की जांच

310. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तालवृक्ष से कुशालगढ़ मोड, बहरोड़ में वर्तमान में कितने होटल, ढाबे संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने होटल, ढाबे अवैध रूप से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ढाबों/होटलों में कार्यरत कर्मचारियों/हेल्परों की पुलिस जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे ढाबे एवं होटलों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तालवृक्ष से कुशालगढ़ मोड़ तक ढाबे 9, होटल शून्य तथा बहरोड़ में ढाबे 18, होटल 24 संचालित हैं।

(2) होटल, ढाबों के अवैध रूप से संचालन का आशय इनके भूमि सम्परिवर्तन कराये बिना/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर संचालन से मानते हुए, इस श्रेणी के तालवृक्ष से कुशालगढ़ मोड़ तक सभी ढाबे तथा बहरोड़ उपखण्ड क्षेत्र में 12 होटल एवं 18 ढाबे अवैध रूप से संचालित हैं।

(3) बहरोड़ में संचालित ढाबों में कार्यरत कर्मचारियों/हैल्परों की जून 2015 में जांच करवाई गई। तालवृक्ष से कुशालगढ़ मोड़ तक संचालित ढाबों में कार्यरत कर्मचारियों/हेल्परों की जांच माह नवम्बर व दिसम्बर 2015 में करवाई गई है तथा एक ढाबे पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। इस ढाबे पर स्वयं ढाबा मालिक व उसका भाई कार्य करते हैं।

(4) इस सन्दर्भ में आई.पी.सी. की धाराओं में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यदि खातेदारी की भूमि पर बिना संपरिवर्तन कराये ढाबे एवं होटल संचालित हैं, तो इसके लिए धारा 90ए एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार अधिकृत हैं तथा अन्य विभागों की जमीन पर अतिक्रमण

(गृह मंत्री)

कर ढाबे, होटल संचालित हैं उनके लिए सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करने हेतु अधिकृत हैं। बहरोड़ उपखण्ड क्षेत्र में संचालित 12 अवैध होटलों एवं 18 ढाबों को नियमानुसार हटाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला अलवर द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका बहरोड को पत्र क्रमांक राजस्व/2016/560-61 दिनांक 11.03.2016 एवं तहसीलदार बहरोड़ को पत्रांक राजस्व/2016/568 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा आदेशित किया जा चुका है।

धौलपुर जिले में पुलिस कार्मिकों के रिक्त पद

311. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

धौलपुर जिले में कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला धौलपुर में कास्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ अनुसार हैं।

जिला धौलपुर में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल हेतु वर्ष 2013-2014 के लिए, हैड कांन्स्टेबल से सहायक उप निरीक्षक हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए तथा सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक हेतु वर्ष 2015-2016 के लिए पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं। उक्त पदोन्नति की अग्रिम प्रक्रियाएं जारी हैं। कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल हेतु वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 के लिए पदोन्नति परीक्षाएं निकट भविष्य में की जानी प्रस्तावित हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर उप निरीक्षक से निरीक्षक हेतु वर्ष 2014-2015 के लिए पदोन्नति हेतु प्रक्रिया जारी है।

राज्य में 124 उप निरीक्षक (प्रशिक्षु) राजस्थान पुलिस अकादमी में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कांस्टेबल भी प्रशिक्षणरत हैं।

उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रियाएं एवं उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उपलब्धतानुसार एवं आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट-अ

जिला धौलपुर में कानि. से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के रिक्त पदों की सूची

नाम जिला	कानि के स्वीकृत पद	कानि के रिक्त पद	हैड कानि के स्वीकृत पद	हैड कानि के रिक्त पद	एएसआई के स्वीकृत पद	एएसआई के रिक्त पद	उप निरीक्षक के स्वीकृत पद	उप निरीक्षक के रिक्त पद	पुलिस निरीक्षक के स्वीकृत पद	पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद	कालम संख्या 3, 5, 7, 9 व 11 का योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
धौलपुर	1007	28	157	62	99	30	54	24	14	6	150

जयसमन्द (उदयपुर) में पर्यटक थाना खोलने की योजना

312. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से जयसमन्द में पर्यटक थाना, गिगला में पुलिस चौकी क्रमोन्नत करने, सलूम्बर में सदर थाना, ईटाली खेड़ा एवं सल्लाड़ा टोकर में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

डा. परमेश चन्द्र, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च समिति ने राज्य में पुलिस वृत्त/पुलिस थाना/चौकियों के पुनर्गठन/सृजन हेतु अभिशंसाएं की हैं। इन अभिशंसाओं के आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा समेकित प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। समेकित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, जयसमन्द में पर्यटक थाना खोलने, गिगला में पुलिस चौकी क्रमोन्नत करने, सलूम्बर में सदर थाना तथा ईटाली खेड़ा एवं सल्लाड़ा टोकर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

अपराधों में लिप्त बाल अपराधी

313. **डा. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होते हैं? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में जिलेवार व अपराध की प्रकृति व बाल अपराधियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बच्चे किस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये गये/पकड़े गये? गत 5 वर्षों में जिलेवार व वर्षवार बाल अपराधियों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) बाल अपराधियों की आयु वर्ग 11 साल से कम, 11-14 वर्ष व 14-15 वर्ष व 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के आधार पर गत पांच वर्षों में जिलेवार व वर्ष वार बाल अपराधियों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल पाये गये हैं। विगत 5 वर्षों में जिलेवार व अपराध की प्रकृति एवं विधि से संघर्षरत किशोरों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(2) विगत 5 वर्षों में जिलेवार एवं अपराध की प्रकृति के अनुसार विधि से संघर्षरत किशोरों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर अंकित है।

(3) विगत 5 वर्षों में विधि से संघर्षरत किशोरों का आयुवार, जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर अंकित है।

(विवरण व परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे गये)

नादौती तहसील (करौली) के अकालग्रस्त गांव

314. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले की तहसील नादौती में बरसात नहीं होने के कारण अकाल घोषित किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि बरसात नहीं होने पर सरकार द्वारा अभी तक कोई सर्वे नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों व सरकार अब कब तक सर्वे करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि तहसील नादौती की ग्राम पंचायत बागौर में बिलकुल बरसात नहीं होने के कारण सौ प्रतिशत अकाल है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त पंचायत में अकाल होने के कारण किसानों के कर्जे माफ किये गये हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। करौली जिले की तहसील नादौती में सम्वत् 2072 (खरीफ) में 272 मि.मी. वर्षा हुई है।

(2) जिला करौली में गिरदावरी कराई जा चुकी है।

(3) जिला करौली की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार तहसील नादौती में 33 प्रतिशत व इससे अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है। तहसील नादौती के किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा नहीं हुआ है। प्रभावित काश्तकारों को भारत सरकार को भिजवाये गये

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)
ज्ञापन की राशि प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता अनुसार पात्र व्यक्तियों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(4) जी नहीं। ऋण माफ करने का प्रावधान नहीं है। अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों को काश्तकारों द्वारा दिये गये विकल्प अनुरूप मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जाता है।

रेवदर के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

315. **श्री जगसी राम** (रेवदर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के स्वीकृत पद लम्बे समय से रिक्त हैं, या उनको विधान सभा क्षेत्र से बाहर प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? औषधालयवार स्वीकृत, रिक्त पदों व प्रतिनियुक्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों के रिक्त होने व अन्यत्र प्रतिनियुक्ति किये जाने से आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ इस क्षेत्र के रोगियों को नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो कब से?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक आयुर्वेद औषधालयवार जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक सभी मदों, सुविधाओं, औषधियों, वेतन, आदि पर प्रति वर्ष व्यय राशि एवं प्रति वर्ष यहां से लाभान्वित रोगियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के औषधालयों के रिक्त पदों को भरने, प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने, प्रति-औषधालयवार हो रहे सरकारी खर्च व लागत के अनुपात में रोगियों की सेवा व उपचार करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डर्स के स्वीकृत पद सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण/स्वर्गवास, आदि के कारण से रिक्त हैं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर से किसी भी

(आयुर्वेद मंत्री)

चिकित्सक, नर्स कम्पाउण्डर एवं परिचारक को प्रतिनियुक्ति पर विधान सभा क्षेत्र के बाहर नहीं लगाया हुआ है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के औषधालयवार स्वीकृत, रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक आयुर्वेद औषधालयवार जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक सभी मदों, सुविधाओं, औषधियों, वेतन, आदि पर प्रति वर्ष व्यय राशि एवं प्रति वर्ष यहां से लाभान्वित रोगियों का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य में पहली बार आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपेथिक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक गुणात्मक बनाकर इसके नियोजित एवं चरणबद्ध विकास तथा विभागीय चिकित्सालयों की सेवा का विस्तार, आदि के सम्बन्ध में राज्य आयुष नीति का निर्माण किया जा रहा है। राज्य आयुष नीति-2016 आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण में है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं परिचारकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	नाम औषधालय	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद		
		चिकि.	कम्पा.	परि.	चिकि.	कम्पा.	परि.	चिकि.	कम्पा.	परि.
1	हाथल	1	1	1	-	1	1	1 (2011 से)	-	-
2	दौलपुरा	1	1	1	-	1	1	1 (2004 से)	-	-
3	मारोल	1	1	1	1	-	1	-	1 (2013 से)	-
4	दत्ताणी	1	1	1	1	1	1	-	-	-
5	भटाणा	1	0	1	-	0	-	1 (2005 से)	0	1(2005 से)
6	किवरली	1	1	1	1	1	1	-	-	-
7	निम्बज	1	1	1	1	1	1	-	-	-
8	जैतावाडा	1	1	0	-	1	0	1 (1998 से)	-	0
9	मण्डार	1	1	1	-	1	1	1 (2015 से)	-	-
10	बौसा	1	1	0	1	1	0	-	-	0
11	भैसासिंह	1	1	1	1	1	1	-	-	-
12	गिरवर	1	1	1	-	1	1	1 (2009 से)	-	-
13	जाम्बुडी	1	1	0	1	1	0	-	1 (2013 से)	0

क्र. सं.	नाम औषधालय	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद		
		चिकि.	कम्पा.	परि.	चिकि.	कम्पा.	परि.	चिकि.	कम्पा.	परि.
14	जीरावल	1	1	0	-	1	0	1 (2011 से)	-	0
15	मूंगथला	1	1	1	1	-	1	-	1 (2007 से)	-
16	मावल	1	1	1	1	-	1	-	1 (2011 से)	-
17	ओर	1	1	1	-	-	1	1 (2012 से)	1 (2008 से)	-
18	रेवदर	1	1	1	-	1	1	1 (2010 से)	-	-
19	सिरोडी	1	1	1	-	-	1	1 (2008 से)	1 (2015 से)	-
20	सांतपुर	1	1	1	1	-	1	-	1 (2002 से)	-
21	पी.एच.सी. सनवाडा	1	-	-	-	-	-	1 (2015 से)	-	-
22	पी.एच. सीचनार	1	-	-	-	-	-	1 (2015 से)	-	-
23	सी.एच.सी. आबूरोड	1	-	-	-	-	-	1 (2015 से)	-	-
	योग	**23**	**19**	**16**	**10**	**12**	**15**	13	**07**	**01**

परिशिष्ट-ब

विधान सभा क्षेत्र, रेवदर के प्रत्येक आयुर्वेद औषधालयवार जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक दिये गये प्रतिवर्ष के लागत एवं लाभान्वित रोगियों की संख्या

क्र. सं.	नाम औष.	दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 13-14			दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 14-15			दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 15-16		
		वेतन भत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी	वेतनभत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी	वेतनभत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी
1	हाथल	689988-	43133-	8266	845964-	8117-	10510	913656-	11783-	10449
2	दौलपुरा	689988-	54147-	9714	850980-	8117-	10973	954936-	11783-	9132
3	मारोल	841764-	4663-	6474	996192-	8117-	7516	1130700-	11783-	7510
4	दत्ताणी	1370244-	43133-	5896	1608000-	8117-	4644	1835196-	11783-	1970
5	भटाणा	177240-	33944-	4508	209712-	8117-	5417	237444-	11783-	6721
6	किवरली	822648-	33944-	8115	136660-	8202-	8308	1038900-	11783-	8136
7	निम्बज	1305492-	50617-	7648	1576908-	8117-	8460	1753188-	11783-	7329
8	जैतावाडा	-	43133-	6269	-	8117-	5403	-	11783-	5851
9	मण्डार	1411632-	54147-	16037	1650960-	8117-	20633	1862820-	15406-	4095
10	बौसा	511140-	38914-	3149	511140-	3083-	2701	424560-	11783-	3336
11	भैसासिंह	875736-	54147-	6911	988680-	8202-	7687	1112928-	11783-	8116
12	गिरवर	238476-	33944-	-	251880-	3083-	5170	299172-	11783-	7579

क्र. सं.	नाम औष.	दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 13-14			दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 14-15			दिया गया लाभ (प्रति वर्ष) वर्ष 15-16		
		वेतन भत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी	वेतनभत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी	वेतनभत्ते	औषधि	लाभान्वित रोगी
13	जाम्बुडी	-	38914-	3383	-	8202-	4848	754560-	11783-	5261
14	जीरावल	-	46398-	-	-	8117-	-	92200-	11783-	3210
15	मूंगथला	898716-	38914-	13027	1006440-	8202-	13539	1221504-	11783-	16555
16	मावल	451608-	47069-	-	58200-	3083-	-	201384-	11783-	850
17	ओर	167244-	38914-	3430	184920	3083-	-	237984-	11783-	1716
18	रेवदर	352536-	38914-	1320	393240-	3083-	1331	425172-	11783-	1618
19	सिरोडी	489264-	38914-	7918	579600-	8117-	6567	888276-	11783-	4525
20	सांतपुर	991104	79652-	26952	1075800	24467-	13680	1219944	15046-	14428
21	पी.एच.सी. सनवाडा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पी.एच. सीचनार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	सी.एच.सी. आबूरोड	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट :- 1. पी.एच.सी. सनवाडा, चनार व सी.एच.सी. आबूरोड में स्वीकृत चिकित्सक के पद रिक्त होने से सूचना शून्य है।

2. उक्त सभी औषधालयों को सुविधाओं के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में कन्टीजेन्सी व्यय हेतु 10-10 हजार रुपये आबंटित किये गये।

अलवर के राजकीय चिकित्सालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

316. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में अधिकांश समय किराये के टैंकरों से जलापूर्ति प्राप्त कर रोगियों हेतु पेयजल की व्यवस्था की जाती है तथा रोगियों को महंगी दर पर बाहर से पानी लाना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 में अनेक बार चिकित्सालय में पेयजल के लिए रोगियों एवं परिजनों को भटकना पड़ा है तथा टैंकरों द्वारा आपूर्ति भी समय पर नहीं की गयी है? क्या सरकार इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि अलवर के जिला मुख्यालयों के तीनों प्रमुख चिकित्सालय, महिला, राजीव गांधी सामान्य एवं गीतानन्द शिशु चिकित्सालय में पानी की टंकियों की सफाई समय पर नहीं की जाती है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार चिकित्सालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आर.ओ. प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महिला चिकित्सालय, अलवर में पी एच ई डी द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है तथा कभी-कभी सप्लाई ना होने पर टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है।

(2) जी नहीं। महिला चिकित्सालय अलवर में अधिकांश समय पी एच ई डी द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कभी-कभी पी एच ई डी द्वारा आपूर्ति न होने पर टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। महिला चिकित्सालय, अलवर में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था है। इसलिए रोगियों को महंगी दर पर बाहर से पानी लाना आवश्यक नहीं है।

(3) जी नहीं। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा पीने के पानी की पूर्ण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

व्यवस्था की जाती है। रोगी एवं परिजनों को पेयजल के लिए भटकना नहीं पड़ता है।

(4) जी नहीं। सामान्य/महिला एवं शिशु चिकित्सालय, अलवर में पानी की टंकियों एवं ग्राउण्ड लेवल रिजरवायर (जी.एल.आर.) की सफाई समय -समय पर की जा रही है एवं जल शुद्धीकरण के लिए समय-समय पर बिलिचिंग पाउडर डलवाया जाता है। पी एच ई डी द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले पीने के पानी में पी एच ई डी द्वारा ही बिलिचिंग पाउडर डालकर आपूर्ति की जाती है।

(5) जी हां। चिकित्सालय प्रशासन, अलवर द्वारा आर.ओ. प्लान्ट लगवाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

डूंगरपुर जिले के उपखण्ड मुख्यालयों पर न्यायालयों की स्थापना

317. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले के किन-किन उपखण्ड मुख्यालयों पर एम.जे.एम., ए.सी.जे.एम., सी.जे.एम., ए.एम.जे.एम. न्यायालय स्थापित हैं तथा उक्त न्यायालय खोलने के लिए क्या-क्या शर्तें एवं नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर जिले के उपखण्ड बिछीबाड़ा में ए.एम.जे.एम. या एम.जे.एम. अथवा ए.सी.जे.एम. न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले के उपखण्ड मुख्यालयों पर स्थापित एम.जे.एम., ए.सी.जे.एम., सी.जे.एम., ए.एम.जे.एम. न्यायालयों की सूची हेतु प्रदर्श-1 संलग्न है।

उक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु लम्बित प्रकरणों का मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किया हुआ है:-

क्रम संख्या	न्यायालय	लम्बित प्रकरणों का मानदण्ड
1	जे.एम./ए.जे.एम.	1,700 से 2,000 प्रकरण
2	ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम.	1,200 से 1,500 प्रकरण

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(2) किसी स्थान पर नवीन ए.एम.जे.एम. या एम.जे.एम. अथवा ए.सी.जे.एम. न्यायालय की स्थापना उस क्षेत्र के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रकरण लम्बित होने पर, न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

डूंगरपुर जिले के उपखण्ड बिछीबाड़ा में लम्बित प्रकरणों की संख्या 500 से भी कम होने के कारण बिछीबाड़ा में JM न्यायालय सृजन का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जो कि न्यायालय की स्थापना हेतु आवश्यक है।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर डूंगरपुर जिले के बिछीबाड़ा उपखण्ड में ए.एम.जे.एम. या एम.जे.एम. अथवा ए.सी.जे.एम. न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

प्रदर्श-1

डूंगरपुर जिले के उप खण्ड मुख्यालयों पर स्थापित न्यायालयों का विवरण:-

DUNGARPUR JUDGESHIP

S. N.	Sub. Division	Courts							Total
		DJ	SJ	ADJ	CJM	ACJM	JM	G/N or SJM	
1	Dungar-pur	1	2	1	1	1	2		8
2	Sagwara			1		1			2
3	Simal-wara						1		1
4	Aaspura						1	1	2
5	Bichhi-wara							1	1
	Total	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**4**	**2**	**14**

चिकित्सक शिक्षकों के परामर्श शुल्क का निर्धारण

318. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/उप प्राचार्य मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं इसके क्या प्रावधान हैं?

(श्री भंवरसिंह)

(2) क्या मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्राचार्य/सहायक प्राचार्य/उप प्राचार्य मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उन्हें नान-प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यरत कई ऐसे चिकित्सक भी हैं जो नान-प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बाद भी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में सेवारत उक्त चिकित्सक अपने घर या निजी क्लीनिकों पर राजकीय सेवा में रहते हुए एक दिन में कितने मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दे सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सेवा में सेवारत चिकित्सकों का परामर्श शुल्क निर्धारण किस नियम के तहत व कितना-कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1(3) एफ.डी./रूल्स/2011 दिनांक 30.05.2011 के प्रावधानों के तहत प्रैक्टिस कर सकते हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रैक्टिस नहीं करने पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6(3) एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 28.06.2013 के प्रावधानों के तहत नान-प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। नान-प्रेक्टिस अलाउंस मूल वेतन की 25 प्रतिशत दर से देय है लेकिन यह मूल वेतन व नान-प्रैक्टिस अलाउंस के योग का रुपये 85000 प्रति माह से अधिक नहीं होगा। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

(5) परामर्श शुल्क वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1(3) एफ.डी./रूल्स/2011 दिनांक 30.05.2011 के तहत निर्धारित है, जिसके अनुसार सहायक आचार्य के लिए 100 रुपये, सह आचार्य के लिए 125 रुपये, आचार्य के लिए 150 रुपये एवं वरिष्ठ आचार्य के लिए 200 रुपये परामर्श शुल्क Per Visit निर्धारित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन

319. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में संचालित ब्लड बैंक द्वारा गत 5 वर्षों में कितने रक्तदान शिविर आयोजित किये गये और इनसे ब्लड बैंक को कितने-कितने यूनिट रक्त प्राप्त हुआ? प्रत्येक शिविरवार आयोजक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ब्लड बैंक में जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त नहीं देने, पैसे लेकर रक्त देने और मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और स्थानीय विधायकों ने भी इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायती पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति एवं विधायक द्वारा कब-कब शिकायत की गई और उस पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त ब्लड बैंक द्वारा गत 2 वर्षों में बिना रक्तदान करवाये चैरिटी के नाम पर कितने यूनिट ब्लड जन-प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर मरीजों को उपलब्ध करवाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त ब्लड बैंक में गत 1 वर्ष में कितने आर.डी.पी. (रेण्डम डोनर प्लेटलेट) की ब्लड कल्चर जांच करवाई गई और कितने आर.डी.पी. बिना इस जांच के ही मरीजों को चढ़ा दी गई? जिन-जिन रक्तदाताओं की उक्त जांच करवाई गई, उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत 1 वर्ष में एम.बी.एस. व जे.के. लान चिकित्सालय में कितने मरीजों को 8 यूनिट से ज्यादा ब्लड (प्लेटलेट्स एवं एफ.एफ.पी. सहित) चढ़ाया गया और इनमें से कितने मरीजों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई? रोगियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के एम बी एस चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा जनवरी 2010 से फरवरी 2016 तक 678 रक्तदान शिविर आयोजित किये गये। इनसे प्राप्त ब्लड यूनिटस की संख्या एवं आयोजक के नाम की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। ब्लड बैंक, एम बी एस चिकित्सालय द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त नहीं देने, पैसे लेकर रक्त देने एवं मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार करने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों व की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) ब्लड बैंक, एम बी एस चिकित्सालय, कोटा में गत 2 वर्षों में 10,562 यूनिट बिना रिप्लेसमेंट के उपलब्ध करवाया गया। मरीजों को रक्त क्लिनिशियन की अनुशंसा पर उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है। रक्तदान शिविर आयोजक (जन प्रतिनिधि) की अनुशंसा पर सामान्यत: रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। जिन रोगियों को बिना रिप्लेसमेंट रक्त उपलब्ध करवाया जाता है, उन्हीं रोगियों का ब्लड चैरिटी का रिकार्ड संधारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अलग से कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(4) आर.डी.पी. के आवश्यक टैस्ट एच.आई.वी., हेपेटाइटिस सी, वी डी आर एल एवं मलेरिया की जांचें प्रत्येक आर.डी.पी. की करवायी जाती हैं ब्लड कल्चर की जांच प्रत्येक आर.डी.पी. की कराना आवश्यक नहीं होता है। यह जांच क्वालिटी कंट्रोल के लिए रैन्डम सेम्पल की करवायी जाती है। ब्लड बैंक में गत 1 वर्ष में (मार्च15 से फरवरी 16) 180 आर.डी.पी. की ब्लड कल्चर जांच करवायी गई। आर.डी.पी. की ब्लड कल्चर जांच की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) एम बी एस चिकित्सालय ब्लड बैंक में इस तरह का कोई रिकार्ड अलग से संधारित नहीं किया जाता कि किस मरीज को कितनी (आर डी पी एवं एफ एफ पी) बार चढ़ाया गया तथा मृत्यु की सूचना शून्य है। जे.के. लोन चिकित्सालय में गत 1 वर्ष में 8 यूनिट से ज्यादा ब्लड नहीं चढ़ाया।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री कल्याण अस्पताल (सीकर) की प्रयोगशाला में की गई जांच में अनियमितता

320. **श्री रतन लाल जलधारी** (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में श्री कल्याण अस्पताल की प्रयोगशाला में गत दो वर्षों में कितनी जांचें की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल जलधारी)

(2) क्या उक्त प्रयोगशाला में गत दो वर्षों में की गई जांच में कोई अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच में पाई गई अनियमितताओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय श्री कल्याण अस्पताल, सीकर की प्रयोगशाला में विगत दो वर्षों में की गई विभिन्न प्रकार की जांचों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	प्रयोगशाला में की गई जांचों की संख्या
2014	1,64,519
2015	2,73,312

(2) जी नहीं।

(3) उक्त चिकित्सालय में की गई जांचों में अनियमितता नहीं पाई गई है।

एक्स-सर्विसमैन सोसाइटियों का पंजीकरण

321. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटियों का पंजीकरण किया जाता है? यदि हां, तो ये सोसाईटियां किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराती हैं? इनके पंजीकरण के क्या नियम हैं तथा प्रदेश में कौन-कौनसी एक्स-सर्विस मेन वेलफेयर सोसायटियों का पंजीकरण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सोसाइटियों को नियोजक संस्था से प्राप्त वेतन राशि में से भूतपूर्व सैनिकों को कितना वेतन काट कर दिये जाने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सोसायटी सिविल लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकती है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सोसायटियों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को अपने यहां पंजीकृत

(सैनिक कल्याण मंत्री)

कर विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं में रिक्त पदों की मांग के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को सुरक्षा कार्य हेतु उपलब्ध करवाती हैं।

सहकारिता विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर सोसायटियां संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत तथा एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर सहकारी सोसायटियां, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत पंजीकृत हुई हैं। इनके पंजीकरण सम्बन्धी नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राजस्थान में पंजीकृत एक्स-सर्विसमेन सोसायटियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) सोसायटियों को नियोजक संस्था से प्राप्त वेतन राशि में से नियमानुसार नियोक्ता द्वारा पी.एफ., सर्विस टैक्स एवं 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि काटकर भुगतान किया जाता है। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर सोसायटियों के नियमों में सिविल लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

सांचौर के विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के रिक्त पद

322. **श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वैच्छिक तबादलों के नाम पर सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान जैसे पदों पर संस्कृत के शिक्षक लगा दिये गये हैं, तथा जहां पद खतम कर दिये, वहां भी शिक्षक लगा दिये गये? यदि हां, तो क्यों व किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2). क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सांचौर में संचालित विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्थहित/छात्र हित में 3-सामाजिक विज्ञान पद के विरुद्ध, 2-गणित पद के विरुद्ध एवं 2-विज्ञान विषय पद के विरुद्ध कुल 7

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

संस्कृत शिक्षकों के शैक्षिक सत्र 2015-16 के लिए जून 2015 में प्रशासनिक दृष्टि से स्वैच्छिक स्थानान्तरण किये गये हैं।

संस्कृत शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानान्तरण समाप्त किये गये पदों के विरुद्ध नहीं किया गया है।

(2) जी हां। विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 बनाये गये हैं, जो कि दिनांक 09.10.2015 से लागू किये गये हैं। सेवा नियमों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं लेने पर जमा शुल्क लौटाने की कार्यवाही

323. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि AICTE/UGC द्वारा महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों से जमा किया गया शुल्क उनके प्रवेश नहीं लेने पर वापस लौटाने सम्बन्धी निर्देश राज्य सरकार पर लागू हैं? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर द्वारा REAP-2015 बी.आर्क. के आवेदन पत्रों के साथ ली गई समायोजित योग्य प्रवेश शुल्क की राशि प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को मय ब्याज सहित कब तक लौटाने का विचार रखती है?

(3) सरकार द्वारा AICTE/UGC के निर्देशों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। AICTE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) तकनीकी शिक्षा बोर्ड, जोधपुर द्वारा REAP-2015 बी.आर्क. के आवेदन पत्रों के साथ ली गई समायोजित योग्य प्रवेश शुल्क की राशि प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को लौटायी जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा AICTE के निर्देशों की पालना की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित कालेजों में वाई-फाई की सुविधा

324. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बी.आर. मिर्धा कालेज तथा राजकीय महिला कालेज में सृजित, कार्यरत तथा रिक्त पदों की विभागवार वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए यथाशीघ्र इन दोनों कालेजों में रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित ला कालेज में प्रवेश को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार आगामी सत्र में विधि पढ़ने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश देते हुए विधि संकाय उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बी. आर. मिर्धा कालेज तथा राजकीय महिला कालेज में वाई-फाई सुविधा तथा कम्प्यूटर लैब लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बी.आर. मिर्धा कालेज तथा राजकीय महिला कालेज में सृजित, कार्यरत तथा रिक्त पदों की विभागवार वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

जी हां। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1,339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय राजकीय बी.आर. मिर्धा कालेज, नागौर तथा राजकीय महिला कालेज, नागौर के व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

उपाचार्य का पद पदोन्नति का है। विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. के रिक्त पदों को राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. (महाविद्यालय शाखा) नियम 1980 में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने पर भरा जा सकेगा।

अशैक्षणिक रिक्त पदों को स्थानान्तरण, पदोन्नति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति एवं चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी। लिपिक-ग्रेड द्वितीय के 192 एवं प्रयोगशाला सहायक के 175 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की गई है।

(2) नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित ला कालेज में विधि-प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बार काउंसिल आफ इण्डिया से 2015-16 एवं सत्र 2016-17 के लिए प्रवेश की अनुमति पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध कराने की शर्त पर प्राप्त हुई है। सत्र 2015-16 में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1,339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है, जिसमें विधि विषय व्याख्याताओं के 82 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने/नियमित स्थानान्तरण के समय राजकीय लॉ कालेज, नागौर के व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) राजकीय बी.आर. मिर्धा कालेज, नागौर को केन्द्र प्रवर्तित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, भारत सरकार के अन्तर्गत राशि रुपये 2 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस राशि को वित्त विभाग से उच्च शिक्षा विभाग के 'रूसा' (RUSA) के पी.डी. अकाउंट में जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार वाई-फाई सुविधा तथा कम्प्यूटर, आदि लगा सकता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय महिला कालेज, नागौर में वाई-फाई सुविधा तथा कम्प्यूटर लैब लगाने पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

राजकीय बी आर मिर्धा महाविद्यालय, नागौर

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उपाचार्य	1	0	1
3	व्याख्याता अर्थशास्त्र	5	2	3
4	व्याख्याता अंग्रेजी	4	1	3
5	व्याख्याता भूगोल	1	1	0
6	व्याख्याता हिन्दी	3	2	1
7	व्याख्याता इतिहास	4	2	2
8	व्याख्याता लोक प्रशासन	1	0	1
9	व्याख्याता राजनीति विज्ञान	2	1	1
10	व्याख्याता समाज शास्त्र	2	2	0
11	व्याख्याता वनस्पति शास्त्र	4	2	2
12	व्याख्याता रसायन शास्त्र	10	7	3
13	व्याख्याता गणित	3	3	0
14	व्याख्याता भौतिक शास्त्र	2	1	1
15	व्याख्याता प्राणी शास्त्र	4	3	1
16	व्याख्याता ए.बी.एस.टी.	2	1	1
17	व्याख्याता व्यावसायिक प्रशासन	4	2	2
18	व्याख्याता ई.ए.एफ.एम.	2	0	2
	योग	**55**	**31**	**24**

राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद
1	प्राचार्य	1	1	0
2	उपाचार्य	1	0	1
3	व्याख्याता हिन्दी	1	1	0
4	व्याख्याता अंग्रेजी	1	0	1

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त पद
5	व्याख्याता गृहविज्ञान	2	2	0
6	व्याख्याता इतिहास	1	1	0
7	व्याख्याता राजनीति विज्ञान	1	0	1
	योग	**8**	**5**	**3**

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)

कालेज शिक्षा, राज., जयपुर

परिशिष्ट-2

क्र. सं.	पद का नाम	राज. महा., नागौर			राज. महिला महा., नागौर		
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	पी.टी.आई.	1	0	1	1	0	1
2	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1	1	0	1
3	कार्यालय अधीक्षक	1	0	1	0	0	0
4	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	0	1	0	0	0
5	लिपिक ग्रेड-प्रथम	2	2	0	1	1	0
		(2 लिपिक ग्रेड-प्रथम को अन्य महाविद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है तथा 1 लिपिक ग्रेड-प्रथम को अन्य महाविद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है)					
6	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	2	1	1	2	0	2
7	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	0	0	0
8	प्रयोगशाला सहायक	3	1	2	0	0	0
9	जमादार	1	0	1	0	0	0

<table>
<tr><td rowspan="2">क्र. सं.</td><td rowspan="2">पद का नाम</td><td colspan="3">राज. महा., नागौर</td><td colspan="3">राज. महिला महा., नागौर</td></tr>
<tr><td>स्वीकृत पद</td><td>भरे पद</td><td>रिक्त पद</td><td>स्वीकृत पद</td><td>भरे पद</td><td>रिक्त पद</td></tr>
<tr><td>10</td><td>बुक लिफ्टर</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>11</td><td>प्रयोगशाला वाहक</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">च. श्रे. कर्मचारी</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">(2) च.श्रे. कर्मचारियों को अन्य महाविद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है)</td></tr>
</table>

संयुक्त निदेशक,

कालेज शिक्षा, राज., जयपुर

सांगानेर में सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि

325. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर निगम द्वारा गत एक वर्ष में विकास कार्यों हेतु कितना-कितना बजट किस-किस मद में आबंटन किया गया तथा उसमें से अब तक कितना-कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर हेतु जयपुर नगर निगम द्वारा सड़क कार्य हेतु कितना बजट आबंटित किया गया एवं फरवरी, 2016 तक कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सांगानेर बस स्टैण्ड सर्किल से श्री दिगम्बर जैन मन्दिर संघीजी एवं सांगा बाबा का मन्दिर, जो अति प्राचीन है, के आस-पास की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि का मदवार एवं अब तक किये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सांगानेर क्षेत्र के लिए नगर निगम, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष

(स्वायत्त शासन मंत्री)

2015-16 में सड़कों के लिए राशि रुपये 569.40 लाख का बजट आबंटित किया गया तथा फरवरी, 2016 तक रुपये 235.71 लाख का व्यय हुआ है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पृथ्वीराज नगर योजना (जयपुर) में जोन-18 की कालोनियों का नियमन

326. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना के जोन-18 स्थित विभिन्न कालोनियां का न्यायालय (पंच निर्णायक) सहकारिता रजिस्ट्रार, जयपुर के फ़ैसले के कारण नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कालोनियां का नियमन उक्त फ़ैसले के कारण अटका हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर में उक्त न्यायालय (पंच निर्णायक) सहकारिता रजिस्ट्रार, जयपुर के आदेश के बावजूद भी कई कालोनियों का नियमन किया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत तथा कौन-कौनसी कालोनियां नियमित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर के जोन-18 स्थित जयमाता वैष्णों नगर कालोनी, गजसिंहपुरा का नियमन शिविर भी एक अन्य सोसाइटी द्वारा केवल कागजों में फर्जी तरीके से न्यायालय पंच निर्णायक, सहकारिता रजिस्ट्रार से मिलीभगत कर एक-पक्षीय आदेश लेकर के उक्त कालोनी का नियमन शिविर रुकवाया गया है, जबकि उक्त कालोनी हथरोईगढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा काटी गई है एवं वर्तमान में मौके पर सभी भूखण्डधारियों के मकान बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की मौके की स्थिति को देखते हुए नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी के नियमन हेतु न्यायालय पंच

(श्री पूरणमल सैनी)

निर्णायक, सहकारिता रजिस्ट्रार से पारित एकपक्षीय फैसले को रिव्यू कर रजिस्ट्रार सहकारिता से नए सिरे से उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर योजना के जोन-18 स्थित हथराईगढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जयमाता वैष्णों नगर के नियमन शिविर कार्यक्रम का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाये जाने उपरान्त, मंत्री, तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति, श्री शैतान सिंह चौधरी व अन्य द्वारा जयमाता वैष्णों नगर के नियमन नहीं करने बाबत आपत्तियां प्रस्तुत गयी की हैं। उक्त आपत्तियों में न्यायालय पंच निर्णायक एवं निरीक्षण कार्यकारी, सहकारिता द्वारा जारी पंच निर्णय संलग्न किया गया है। प्राप्त आपत्ति की छायाप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अब तक जारी नियमन शिविर कार्यक्रम में सम्मिलित जयमाता वैष्णों नगर के अतिरिक्त अन्य किसी कालोनी का नियमन न्यायालय पंच निर्णायक सहकारिता, रजिस्ट्रार के फैसले के कारण अटका हुआ नहीं है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या-01 के अनुसार।

(3) पृथ्वीराज नगर योजना के जोन-18 हथराईगढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जयमाता वैष्णों नगर के नियमन शिविर कार्यक्रम समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने उपरान्त, मंत्री, तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य द्वारा जयमाता वैष्णों नगर के नियमन नहीं करने बाबत आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आपत्तियों में न्यायालय पंच निर्णायक एवं निरीक्षण कार्यकारी, सहकारिता द्वारा जारी एकपक्षीय पंच निर्णय संलग्न किया गया है। जयमाता वैष्णों नगर के नियमन के सम्बन्ध में उक्त आपत्ति प्राप्त होने पर नियमन शिविर स्थगित किया गया। शिविर स्थगित होने से उक्त योजना का मौका अनुसार परीक्षण नहीं किया गया है।

जी नहीं। न्यायालय पंच निर्णायक एवं निरीक्षक कार्यकारी, सहकारिता द्वारा जारी पंच निर्णय के वर्तमान में प्रभावी होने के कारण नियमन की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर से इस संदर्भ में कोई रिव्यू कराना प्रस्तावित नहीं है। प्रभावित पक्षकार द्वारा न्यायालय पंच निर्णायक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सहकारिता, रजिस्ट्रार द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय/आदेश अनुसार कालोनी का नियमन किया जाना सम्भव होगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परवाना विहार कालोनी, गजसिंहपुरा (जयपुर) का नियमन

327. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर में बसी कालोनियों को नियमित किये जाने हेतु सरकार द्वारा 30 नवम्बर, 2014 तक विकास समितियों/गृह समितियों से सम्बन्धित कालोनियों का रिकार्ड जमा करवाने हेतु आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गई परवाना विहार कालोनी, गजसिंपुरा, अजमेर रोड, जयपुर के भूखण्डधारियों का रिकार्ड परवाना विहार विकास समिति, गजसिंहपुरा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्धारित अवधि में दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को जमा करवा दिया गया था? यदि हां, तो उक्त विकास समिति द्वारा समय-समय पर जमा करवाये गये रिकार्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ भू-माफियाओं ने अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित परवाना विहार, महालक्ष्मी नगर एवं पटेल नगर, आदि कालोनियां के भूखण्डधारियों की सूची जमा करवायी गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि सहकारिता प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण, मानसरोवर में सरकार द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाजवूद अपंजीकृत संस्था द्वारा परवाना विहार कालोनी के भूखण्डधारियों की सूची जोन में प्राप्त कर उसकी सूची को राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को आपत्ति हेतु जारी की गयी है तथा उक्त जारी सूची में गम्भीर आपत्तियां जोन में प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो परवाना विहार विकास समिति, जो रजिस्टर्ड संस्था है, द्वारा जमा करवाये गये रिकार्ड के अनुसार सूची क्यों नहीं जारी की गयी?

(श्री बंशीधर)

(5) क्या सरकार परवाना विहार विकास समिति, गजसिंहपुरा द्वारा जमा करवाये गये संशोधित सूची (रिकार्ड) के अनुसार सूची जारी कर परवाना विहार कालोनी का नियमन शिविर आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज नगर में बसी कालोनियों का रिकार्ड जमा करवाये जाने हेतु सरकार द्वारा 30 नवम्बर, 2014 तक की अवधि निर्धारित की गई थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विकास समिति द्वारा दिनांक 14.11.2014 को जयपुर विकास प्राधिकरण के सहकारिता प्रकोष्ठ, पृथ्वीराज नगर जोन-18 में रिकार्ड जमा करवाया गया है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित परवाना विहार, महालक्ष्मी नगर एवं पटेल नगर का रिकार्ड परवाना विहार विकास समिति, महालक्ष्मी नगर विकास समिति एवं पटेल नगर विकास समिति द्वारा भूखण्डधारियों की सूची जमा करवाई गई है।

जी नहीं। भू-माफियाओं से अधिकारियों/कर्मचारियों की कोई मिलीभगत नहीं है। साथ ही उक्त योजनाओं का रिकार्ड अपंजीकृत विकास समितियों क्रमश: परवाना विहार संघर्ष नियमन विकास समिति, महालक्ष्मी संघर्ष नियमन विकास समिति एवं पटेल नगर संघर्ष नियमन विकास समिति द्वारा भी जमा करवाया गया है।

(4) जी नहीं। परवाना विहार कालोनी के भूखण्डधारियों की सूची निर्धारित अवधि में दिनांक 28.11.2014 को परवाना विहार संघर्ष नियमन विकास समिति (अपंजीकृत संस्था) द्वारा जमा करवाई गई है।

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसरण में उक्त कालोनी की प्राप्त सूची को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र दिनांक 14.08.2015 को आपत्तियां प्राप्त करने वास्ते प्रकाशित करवाया गया।

जी हां। सूची प्रकाशन के पश्चात आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

परवाना विहार विकास समिति रजिस्टर्ड संस्था द्वारा दिनांक 14.11.2014 को योजना का रिकॉर्ड जमा करवाया गया है, सूची का प्रकाशन आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दिनांक 10.03.2016 को करवाया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) जी हां। परवाना विहार विकास समिति, जो रजिस्टर्ड संस्था है, द्वारा प्रस्तुत सूची का भी समाचार पत्र में प्रकाशन करवा दिया गया है। प्रकाशन पश्चात् प्राप्त समस्त आपत्तियों एकजाई कर आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् योजना परवाना विहार की सूची प्रमाणित कर योजना के नियमन शिविर आयोजन हेतु जोन कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चौकड़ी पुरानी बस्ती (हवामहल जोन पश्चिम) जयपुर में निर्मित व्यावसायिक भवनों पर कार्यवाही

328. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर के हवामहल पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले राजा शिवदास जी के रास्ते व चौकड़ी पुरानी बस्ती में व्यावसायिक निर्माण/नक्शे के विपरीत बन रहे भवनों पर कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व कब? जिन भवन मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यवाही भवन के कितने निर्माण होने पर की गई? क्या नगर निगम के अधिकारियों व उक्त कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को इसकी पूर्व में जानकारी थी? यदि हां, तो विलम्ब से कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं व इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा चारदीवारी क्षेत्र में व्यावसायिक/तलघर की अनुमति नहीं दी जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में बिना अनुमति के कितने व्यावसायिक/तलघरों का निर्माण किया गया? इसके लिए नगर निगम के कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार इनके विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि अवैध निर्माण/अतिक्रमण में सहयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में किया गया है? यदि हां, तो विगत पांच

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

वर्ष में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम, जयपुर के हवामहल पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले राजा शिवदास के रास्ते व चौकड़ी पुरानी बस्ती के अवैध निर्माण व नक्शे के विपरीत बन रहे भवनों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यवाही समय पर की गई है, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर अंकित है। नगर निगम, जयपुर के अधिकारियों व उक्त कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को जानकारी होने पर नियमानुसार नोटिस जारी कर कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। विलम्ब से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

(3) जी हां। नगर निगम, जयपुर में विगत पांच वर्षों में बिना अनुमति के चारदीवारी क्षेत्र में तीन दुकानों में तलघरों का निर्माण किया गया है, जिनके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गई है। इसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 (10जी) एवं धारा 245(18) में अवैध निर्माण/अतिक्रमण में सहयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रावधान किये गये हैं। विगत पांच वर्षों में नगर निगम, जयपुर द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट-अ

हवामहल जोन (पश्चिम) में राजाशिवदास जी का रास्ता व चौकडी पुरानी बस्ती में बिना स्वीकृति/नक्शे के विपरीत बन रहे भवनों पर की गई कार्यवाही की सूची

क्र.सं.	नाम व पता	की गई कार्यवाही
1.	श्री रघुवीर शरण पारीक पुत्र रामशरण पारीक म.न. 1962 राजाशिवदास जी का रास्ता	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मजिस्ट्रेट क्र.सं. 4 जयपुर महानगर द्वारा दिनांक 14.08.15 के द्वारा डिम्ड स्वीकृति जारी परन्तु प्रार्थी द्वारा स्वीकृति के विपरीत निर्माण करने पर नोटिस क्र. 40 दि. 09.07.15 नोटिस दिनांक 47 दि. 31.08.15 नोटिस क्रमांक 183 दिनांक 19.10.15 को जारी किया जाकर उक्त नोटिसों को माननीय न्यायालय में चालान की कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोकने पर उक्त भवन को दि. 31.12.2015 को 240 दिवस के लिए में सीज किया गया। वर्तमान में भवन सीज हैं।
2.	निकुल शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा म.नं. 2176-77 राजाशिवदास जी का रास्ता	बिना स्वीकृति निर्माण करने पर प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 30 दिनांक 23.01.15 नोटिस क्रमांक 35 दि. 26.03.15 नोटिस क्रमांक 37 दि. 28.05.15 नोटिस क्रमांक 39 दि. 15.06.15 नोटिस क्रमांक 48 दि. 07.09.15 नोटिस क्रमांक 184 दि. 20.10.15 को नोटिस जारी कर माननीय न्यायालय में चालान की कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। प्रार्थी द्वारा निरन्तर निर्माण करने पर उक्त भवन को दि. 31.12.15 को 240 दिवस के लिए सीज किया गया है। वर्तमान में भवन सीज है।

क्र.सं.	नाम व पता	की गई कार्यवाही
3.	अनुज जयपुरिया म.न. 2206 कविता गैस के सामने गणगोरी बाजार	बिना स्वीकृति निर्माण करने पर प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 61 दि. 30.10.15 एवं नोटिस क्रमांक 63 दि. 23.11.15 को जारी कर उक्त नोटिसों को माननीय न्यायालय में चालान की कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है। निर्माण कार्य बन्द नहीं करने पर उक्त भवन को दिनांक 02.12.15 को 240 दिवस के लिए सीज किया गया है। भवन वर्तमान में सीज है।
4.	श्री गिरीश शर्मा व पृथ्वीराज शर्मा पुत्र रविन्द्र कुमार शर्मा म.न. 2693 गोपीनाथ जी का रास्ता राजाशिवदास जी का रास्ता	प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण करने पर प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 69 दि. 15.12.2015 को जारी करने के उपरान्त निर्माण कार्य बन्द नहीं करने पर उक्त भवन को दि. 31.12.15 को लोकण्डा सिस्टम छत को अनुपयोगी किया गया। वर्तमान में निर्माण बन्द है।

सुनील पूनियां
उपायुक्त
हवामहल जोन (पश्चिम)
नगर निगम, जयपुर।

वाणिज्यिक भवन में निर्धारित मानकों की अवहेलना पर कार्यवाही

329. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में बिल्डिंग बाई-लाज के अनुसार एक वाणिज्यिक भवन (काम्पलेक्स) में अग्निशमन यंत्र, शौचालय, लिफ्ट, जल निकासी, पेयजल सुविधा, कचरा डिस्पोजल, पार्किंग व्यवस्था, इत्यादि सम्बन्धी क्या-क्या मानदण्ड, शर्तें, दिशा-निर्देश, नियम निर्धारित किये गये हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्धारित शर्तों की अवहेलना करने वाले वाणिज्यिक भवनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित है और विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा जोनवाइज कब-कब भवनों का निरीक्षण किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मैसर्स आदिनाथ बिल्डकान प्रा. लि. के द्वारा प्लाट नं. ए-5, योजना न्यू आतिश मार्केट, जयपुर में निर्मित भवन में किन-किन शर्तों की अनदेखी की जा रही है और निर्धारित नियमों के अनुसार क्या-क्या कमियां हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वाणिज्यिक भवन में निर्धारित मानकों की अवहेलना कर वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो भवन में व्याप्त कमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अवैध रूप में संचालित ऐसे वाणिज्यिक भवन के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बिल्डिंग बायलाज के अनुसार एक वाणिज्यिक भवन में अग्निशमन यंत्र, शौचालय, लिफ्ट, जल निकासी, पेयजल सुविधा, कचरा डिस्पोजल, पार्किंग व्यवस्था, आदि सम्बन्धी मानदण्ड, शर्ते, दिशा-निर्देश, नियम निर्धारित किये गये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010; जोधपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम, 2013; ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2013; माडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 (जयपुर जोधपुर व भिवाड़ी को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी शहरों के लिए); तथा माडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2010 (संशोधित) (1

(नगरीय विकास मंत्री)

लाख से कम आबादी के शहरों के लिए) के नियम (निकायों द्वारा अडाप्टेड) की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) निर्धारित शर्तों की अवहेलना करने पर अथवा निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है एवं इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकता है। भवन विनियमों में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण प्लीन्थ लेवल तक निर्माण होने पर, प्लीन्थ लेवल से ऊपर के सम्पूर्ण निर्माण होने पर तथा समय-समय पर भी भवन निर्माण का निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है।

(3) मै. आदिनाथ बिल्डकान प्रा.लि. के द्वारा प्लाट नं. ए-5, योजना न्यू आतिश मार्केट, जयपुर द्वारा जारी व्यावसायिक काम्पलेक्स की भवन मानचित्र की स्वीकृति की शर्तों के बिन्दु संख्या 2, 4, 10, 13, 14 की अनदेखी की गई है व भूखण्डधारी द्वारा ज वि प्रा के स्वीकृत भवन मानचित्रों की तुलना में निम्नलिखित अनाधिकृत/अवैध निर्माण किये गये हैं:-

1. पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार के ऊपर शाफ्ट (Open to sky) के स्थान पर प्रथम से छठे तल तक निर्माण कर एफ.ए.आर. में बढ़ोतरी की गई है;
2. भूखण्ड के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी ओर की बालकनी (बाहरी) व दक्षिण की अन्दर की बालकनी कवर कर एफ.ए.आर. क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है।
3. भूखण्ड के दक्षिण की ओर के कोरीडोर, पूर्वी ओर के कोरीडोर (छठे तल) को कवर कर शोरूम का निर्माण किया गया है, जिससे एफ.ए.आर. क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है;
4. भवन के चतुर्थ तल से छठे तल तक भवन के उत्तरी ओर के टेरेस के स्थान पर शोरूम का निर्माण किया गया है, जो कि अनाधिकृत है;
5. भवन के Lower व Upper Basement में अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है; वं
6. भूखण्डधारी द्वारा पश्चिम ओर की लिफ्ट का निर्माण नहीं किया गया है व टायलेट का आकार छोटा किया गया है व भवन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

(4) जी हां। उत्तर खण्ड-3 के अनुसार है।

(नगरीय विकास मंत्री)

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में भूखण्ड स्वामी को धारा 32, 33 ज वि प्रा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2016 को नोटिस जारी किये गये हैं। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। नोटिस का जवाब प्राप्त कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सोजत नगरपालिका के मास्टर प्लान में संशोधन की कार्यवाही

330. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका सोजत व उसके आस-पास के गांवों को सम्मिलित कर मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो उसके सीमांकन का सर्वे कब-कब करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेहन्दी का उत्पादन होता है? यदि हां, तो क्या बनाये गये मास्टर प्लान के क्षेत्रफल में मेहन्दी उत्पादन करने वाले काश्तकार प्रभावित हुए हैं?

(3) क्या सरकार भूमिहीन काश्तकार, जो मास्टर प्लान से प्रभावित हुए हैं, उनके पुश्तैनी मेहन्दी उत्पादन के कार्यों को सुचारु रखने के लिए बनाये गये मास्टर प्लान के कुछ क्षेत्रफल में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित मास्टर प्लान के कुछ वर्ष बाद उसमें जन हित द्वारा की गई अपीलों के आधार पर संशोधन करने के प्रावधान भी रखे गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सोजत शहर मास्टर प्लान की स्वीकृति की सूचना मिलने के बाद सोजत शहर व तहसील के प्रभावित नागरिकों द्वारा नगरपालिका सोजत में अपील प्रस्तुत की गईं और इन अपीलों के आधार पर नगरपालिका द्वारा मीटिंग में सर्वसम्मति से मास्टर प्लान में संशोधन करने का प्रस्ताव भी लिया गया? उक्त अपीलों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार जन हित की अपीलों, शिकायतों व प्रभावित नागरिकों के पुश्तैनी व्यवसाय की साख बची रहे, इस हेतु पूर्व में बनाये गये

(श्रीमती संजना आगरी)
मास्टर प्लान में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सोजत सिटी का मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 03.01.2010 को अधिसूचना जारी कर सोजत नगरपालिका व आसपास सोजत तहसील के कुल 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को अधिकृत किया गया। सोजत सिटी का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2011 को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया। मास्टर प्लान हेतु गांवों के सीमांकन का सर्वे नहीं कराया गया एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर गांवों के सीमांकन को ही अधिकृत माना गया।

(2) जी हां। मास्टर प्लान लागू होने से मेहन्दी उत्पादन करने वालों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है या नहीं का आंकलन नहीं किया गया है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

(4) नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 73-बी में संशोधन का प्रावधान है। इसके अलावा, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के अनुसार 5 वर्ष बाद मास्टर प्लान के पुनरावलोकन का प्रावधान है।

(5) जी हां। सोजत शहर का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2011 को अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन के उपरान्त मास्टर प्लान में संशोधन के 4 प्रस्ताव नगरपालिका बोर्ड, सोजत की बैठक दिनांक 24.06.2014 में प्रस्ताव संख्या 1 के लिये निर्णयानुसार प्राप्त हुए थे, जिनकी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

1. मास्टर प्लान में नगरपालिका सीमा को सही दर्शाने के लिए नगर पालिका सोजत से नगरपालिका सीमा की सही जानकारी उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर तदनुसार नगरपालिका सीमा को मानचित्र पर अंकित कर दिया जायेगा।
2. नगरपालिका सीमा में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व 90बी के तहत जारी किये गये पट्टों, आदि के लिए संशोधन के सम्बन्ध में लेख है कि मास्टर प्लान की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 6.4 के अनुसार मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(स्वायत शासन मंत्री)

3. मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र मानचित्र में ग्राम बासनी तिलवाड़िया, बासनी मूथा, बेरा ढीमड़ी आदि की राजस्व सीमाओं को सही दर्शा कर मास्टर प्लान में संशोधन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. मास्टर प्लान की साफ्ट कापी नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं नगर पालिका सोजत को भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। मास्टर प्लान खसरा मानचित्र पर नहीं बनाये जाते हैं। अतः संशोधन अपेक्षित नहीं है।

(6) वर्तमान में सोजत मास्टर प्लान में संशोधन की कार्यवाही प्रश्न के बिन्दु संख्या 5 में उल्लिखित उत्तर के अनुसार प्रक्रियाधीन है।

विराटनगर में बांधों की मरम्मत

331. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कौन-कौनसी मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं एवं बांध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सिंचाई परियोजनाओं एवं बांधों की मरम्मत का कार्य किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो किन-किन सिंचाई परियोजनाओं एवं बांधों का मरम्मत कार्य करवाया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई मेजर एवं माइनर कैनाल हैं? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौनसी कैनाल का मरम्मत कार्य करवाया जाना आवश्यक है व उक्त कार्य कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जल संसाधन विभाग के अधीन एक मध्यम, चार लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त परियोजनाओं में से जवानपुरा धाबाई एवं नीझर सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत किया जाना आवश्यक होने से मरम्मत कार्य महानरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत करवाया गया है।

(3) जी हां। निर्मित नहरों में से जवानपुरा धाबाई बांध की नहर की

(जल संसाधन मंत्री)

मरम्मत आवश्यक होने से इस हेतु राशि रुपये 24.30 लाख की स्वीकृति महानरेगा योजना अन्तर्गत जारी करवाई गई है। मरम्मत कार्य महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिक एवं संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विभागीय बांधों की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल भराव क्षमता (मि. घनफुट)	सी.सी.ए. (है. में)
1	छीतोली मध्यम सिंचाई परियोजना	861.00	2023
2	धूलकोट लघु सिंचाई परियोजना	35.98	197
3	नीझर लघु सिंचाई परियोजना	26.50	205
4	जवानपुरा धाबाई लघु सिंचाई परियोजना	116.00	596
5	पंचपहाड़ी लघु सिंचाई परियोजना	45.12	208.38

शेरगढ़ परवन पिकअप वीयर की सफाई का कार्य

332. **श्री रामपाल** (बारां-अटरू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत शेरगढ़ परवन पिकअप वीयर से निकलने वाली क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जब से शेरगढ़ परवन पिकअप वीयर बना, तब से आज तक बांध में जमी मिट्टी की सफाई नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार परवन पिकअप वीयर की सफाई करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत शेरगढ़ परवन

(जल संसाधन मंत्री)

पिकअप वीयर से निकलने वाली क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु राशि रुपये 13.56 करोड़ के प्रस्ताव राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना अन्तर्गत तैयार किये गये हैं। स्वीकृति उपरान्त संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। पिकअप वीयर में जमा सिल्ट को हटाने की आवश्यकता नहीं होने से केवल स्लूस गेट के आस-पास जमा सिल्ट को महानरेगा योजना अन्तर्गत हटाने का कार्य करवाया गया है। पिकअप वीयर में जमा सिल्ट का प्रभाव सिंचाई हेतु पानी अपवर्तन पर नहीं पड़ता है।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटक स्थलों का विकास

333. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 2 वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि कहां-कहां स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नान्देश्वर महादेव, बडवेडेश्वर महादेव, उवेश्वर महादेव और झामेश्वर महादेव पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विभिन्न कार्य करवाये जाते हैं। वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यो की सूची परिशिष्ट-अ पर तथा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) गत 2 वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट- स पर तथा केन्द्रीय योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में उवेश्वर महादेव मंदिर, उदयपुर में राशि रु. 46.75 लाख के विकास कार्य करवाये गये हैं।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

पर्यटन विभाग में नान्देश्वर महादेव, बडवेडेश्वर महादेव और झामेश्वर महादेव स्थलों के विकास के लिए वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर महल में वाटर लिफ्टिंग सिस्टम को नष्ट करने पर कार्यवाही

334. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आमेर महल में लाइट-एण्ड साउण्ड सिस्टम स्थापित करने एवं दर्शक दीर्घा बनाने के लिए प्राचीन वाटर लिफ्टिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है? यदि हां, तो किसकी अनुमति से?

(2) क्या यह भी सही है कि यह सम्पूर्ण निर्माण पुरामहत्व का था जिसे नियमानुसार सामान्य क्षति भी नहीं पहुंचाई जा सकती है? यदि हां, तो इस निर्माण को किस आधार पर तोड़ा गया?

(3) उक्त निर्माण की कार्यवाही किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के निरीक्षण में की गई?

(4) क्या इस निर्माण हेतु सक्षम स्तर की अनुमति ली गई? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार इस प्रकार पुरामहत्व की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा आमेर महल में लाइट-एण्ड-साउण्ड सिस्टम स्थापित करने एवं दर्शक दीर्घा बनाने के लिए प्राचीन वाटर लिफ्टिंग को नष्ट नहीं किया गया है।

(2) यह सही है कि सम्पूर्ण निर्माण पुरामहत्व का है लेकिन इसमें

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी गई है, बल्कि खण्डहर हुए भाग का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य किया गया है।

केसर क्यारी के जिस भाग का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य सम्पन्न किया गया है, वह स्थान पूर्णतया खण्डहर अवस्था में था। पर्यटकों के बैठक स्थल के प्रथम भाग में छत तक नहीं थी। इस स्थान पर प्राचीन समय के अनुरूप लदाव की छत डाली गयी है।

(3) उक्त निर्माण की कार्यवाही निम्न तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरीक्षण में की गई थी :-

1. श्री पी.के. जैन, कार्यकारी निदेशक (कार्य);
2. श्री बी.डी. गर्ग, अधिशासी अभियन्ता;
3. श्री जे.सी. गोधा, सहायक अभियन्ता;
4. श्री प्रकाश वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता।

(4) आमेर महल के समस्त संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार किये गये हैं। उक्त कार्य भी समग्र संरक्षण कार्यों का हिस्सा था।

(5) उक्त कार्य में पुरामहत्व की किसी भी सम्पति को नष्ट नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की हानि पहुंचायी गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार से उपलब्ध करवाई गई राशि

335. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि को किस-किस मद में व्यय किया गया? वर्षवार एवं मदवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त एवं व्यय राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मदवार राशि उपलब्ध नहीं कराई जाकर, एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वितीय वर्ष	प्राप्त राशि	
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
1	जनवरी, 14 से मार्च, 14	53,864.12	12,899.97
2	2014-15	2,48,041.55	1,23,023.59
3	2015-16 **(फर. 16 तक)**	1,78,164.68	1,91,832.98

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि को सम्मिलित रूप से व्यय किया जाता है। जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 में मदवार राशि का व्यय विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त राशि का विवरण बिन्दु संख्या 1 के अनुसार है एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार है।

परिशिष्ट-क

सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि एकमुश्त व्यय किया जाता है। विगत वर्षों में मदवार विवरण

(राशि लाखों में)

S. No.	Name of Activities	Jan. 14 to March, 14	2014-15	2015-16 (Up to Jan. 16)
1	Teacher Salary	73075.99	366905.79	311200.57
2	Free Text Book or UPS SC/ST	21.03	1157.97	1127.26
3	Civil Work	6440.88	22658.99	9022.66
4	Maintenance Grant	0.00	3264.68	3470.38
5	School Grant	60.57	6182.70	5576.41
6	Teachers Training	143.05	832.87	894.77
7	Training for Community Leaders. SMC PRIs	70.42	443.24	378.04

S. No.	Name of Activities	Jan. 14 to March, 14	2014-15	2015-16 (Up to Jan. 16)
8	Provision for Disabled Children	468.89	835.33	579.62
9	Research. Evaluation Supervision and Monitoring	33.50	253.01	74.60
10	Management Cost	4536.79	8371.10	5958.23
11	Innovation Activity	201.68	29.69	239.57
12	LEP	0.00	47.40	157.25
13	Community Mobiliza-tion (0.04%)	0.00	71.49	240.73
14	Block Resource Center	556.72	7574.38	5921.80
15	Cluster Resource Center	175.17	239.71	87.34
16	Intervention for out of School Children (Special Training-Res., Non. Res., Migratory Hostels)	406.96	121.28	151.37
17	Residential School for Special Categroy of Children	84.73	259.44	209.29
18	Residential School for Hostels Category of Children	83.80	34.34	0.00
19	Transport Escort Facility	1.28	0.00	0.00
20	25% Reembursemnt of Fee Under RTE	0.00	0.00	4171.21
21	KGBV	1789.10	6355.00	4624.20
	Total	**88150.56**	**425638.41**	**354085.30**

मारवाड़ जंक्शन के विद्यालयों में विकल्पानुसार अध्यापकों का पदस्थापन

336. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा मारवाड जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में कितने अध्यापकों/वरिष्ठ अध्यापकों/व्याख्याताओं/प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की गई तथा कितने अध्यापकों/व.अ./व्याख्याताओं/प्रधानाचार्यों की पदोन्नति पश्चात् पदस्थापन में संशोधन किये गये? पदस्थापन संशोधन पश्चात् कितने शिक्षकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय सम्बन्धित आदेश जारी किये गये तथा इस हेतु सरकार पर कितना व्यय भार पड़ा?

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पदोन्नति पश्चात् पदस्थापन हेतु विकल्प मांगे गये थे? यदि हां, तो मांगे विकल्पों के अनुसार कितने शिक्षकों को पदस्थापित किया गया एवं ऐसे कितने शिक्षक थे जिन्हें विकल्प-अनुसार रिक्त पद होने पर भी पदस्थापित नहीं किया व क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2015-16 में 36 प्रधानाचार्य, 79 व्याख्याता, 67 वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नत कर पदस्थापित किया गया (परिशिष्ट-क)। जिनमें से 5 प्रधानाचार्य, 16 व्याख्याताओं एवं 18 वरिष्ठ अध्यापकों के पदस्थापन स्थान संशोधित किये गये। नियमानुसार पदोन्नति पर मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में योगकाल एवं यात्रा व्यय देय होता है जिसके लिए पृथक से आदेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उक्त पदोन्नत कार्मिकों को योग काल देय होगा। यात्रा व्यय का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। पाली मण्डल के अधीन पदोन्नत कार्मिकों से विकल्प प्राप्त नहीं किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केकड़ी में अध्यापकों के रिक्त पद

337. **श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से शैक्षिक कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने पद रिक्त हैं? विद्यालय व पदवार स्वीकृत व रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की सूची मय पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालयवार कक्षावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षिक व्यवस्था, सेवानिवृत्त व्याख्याता एवं स्थानीय शिक्षकों की मदद से अध्यापन कार्य करवाया जाता रहा है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों की पदवार, विद्यालयवार सूची मय पद सहित विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विद्यालयवार सूचना परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। कक्षावार संख्या सूचना का विवरण लगभग 1,500 पृष्ठों का होने से 1,500 पृष्ठों की 30 प्रतियां कराये जाने पर 45,000 पृष्ठ कागज व्यय होने के कारण सूचनाएं श्रम, समय एवं व्यय साध्य है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

जिला उप निदेशक कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्मिकों की नियुक्ति

338. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत 5 वर्षों में कितने जिला उप निदेशक कार्यक्रम अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति की गई तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? परियोजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों के कारण विभागीय कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं में गत 5 वर्षों में जिला उप निदेशक कार्यालय एवं अधीनस्थ परियोजनाओं में दी गयी नियुक्तिओं की सूचना परिशिष्ट-अ पर, जिला स्तर पर रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-ब पर एवं परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला अधिकारिता विभाग में परियोजना कार्यालय सृजित नहीं है। जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय सृजित है, जिसमें विगत 5 वर्षों में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्मिकों की दी गयी नियुक्तिओं की सूचना परिशिष्ट-द पर एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं में रिक्त पदों का यथा सम्भव अतिरिक्त कार्यभार समकक्ष अधिकारियों को दिया जाकर कार्य करवाया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत महिला अधिकारिता विभाग में रिक्त पदों के कारण विभाग के कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कार्मिक (कार्मिक-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के द्वारा सेवानिवृत कार्मिकों को नियमित कार्मिक नियुक्त होने तक संविदा पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग के पदों को भरने की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(सूचनाएं व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बारां जिले में बच्चों को कुपोषण से बचाने की कार्य योजना

339. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(2) बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रयासों से कुपोषणग्रस्त बच्चों की संख्या में कमी आई है? यदि हां, तो कितनी?

(4) सरकार की अब बच्चों को कुपोषण से बचाने के सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित बच्चों का वजन लिया गया, जिनमें से कुपोषित बच्चों का प्रतिशत एवं संख्या का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के माध्यम से इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। नेशनल फैमली हैल्थ सर्वे (एन.एफ.एच.एस.)-3 2005-06 एवं रेपिड सर्वे ओन चिल्ड्रन (आर.एस.ओ.सी.) 2013-14 के सर्वे के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि विभाग के प्रयासों से कुपोषण के स्तर में कमी आई है। सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) समेकित बाल विकास सेवाएं एवं चिकित्सा विभाग द्वारा आशा सहयोगिनियों के माध्यम से अति-कुपोषित बच्चों की पहचान कर बच्चों को एम टी सी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अब बच्चों को कुपोषण से बचाने के सम्बन्ध में कार्य योजना का विवरण परिशिष्ट-ब में ही समाहित है।

साथ ही, कुपोषित बच्चों के कुपोषण निवारण के लिए विभाग द्वारा बारां जिले में 44 विशेष मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनका भुगतान राज्य मद से किया जाता है। साथ ही राज्य के 20 हाईबर्डन जिलों के अन्तर्गत स्नेह शिविर आयोजित किये जाते हैं। स्नेह शिविर समुदाय आधारित कार्यक्रम हैं, जिनमें बच्चों के पोषण में कमी के निदान हेतु कैम्प आयोजित कर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

खेतड़ी में सड़क निर्माण कार्य में कारित भ्रष्टाचार

खेतड़ी एक्स ईन कार्यालय, पी.डब्ल्यू.डी. के लिए स्वीकृत विभिन्न पैकेज में पैकेज नम्बर 20.02/20/5054 प्लान 2014-15 एग्रीमेंट 168 में तीन सड़कों का पैकेज 1. शिमला बदोपर से हरियाणा सीमा तक; 2. मेहाड़ा, सिहोड़, सड़क से बादलवास सड़क; 3. पैकेज नं. 20-06 20/5054 प्लान 14/15 (1) सिधाना से ढाणा; (2) सिधाना बुहाना सड़क से लाम्बी जाट; (3) बुहाना से पालोता; रिमेनिंग वर्क बड़ा गांव चनाना जसरापुर, खेतड़ी निजामपुर रोड एम डी आर 93 एग्रीमेंट नं. 160 (2014-15) व इसी सड़क पर जाब नम्बर 25 के क्रम में।

उपरोक्त सारी सड़कों के निर्माण में तत्कालीन एक्स ईन पी डब्ल्यू डी, खेतडी ने सड़क निर्माण के सारे नियमों को ताक में रखकर अधिकारी-ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाकर जनता के अधिकारों का हनन करने का काम किया, जैसे शिमला बदोपुर सड़क की हम बात करें तो 45 लाख की स्वीकृति है, 600 मीटर की सड़क, जिसमें अर्थ वर्क के बिना डब्ल्यू बी एम खडों में रोड़ी बिना कुटाई भरकर समस्त लम्बाई का जो पैसा था, उठाकर खा गये। यानी, कि इस सड़क में 40 से 42 लाख की चपत लगाई गई है। इसी सड़क पर गौरव पथ की स्वीकृति हुई। तथा इसी ठेकेदार के नाम टेण्डर कर गौरव पथ के रूप में जो सी सी सड़क बननी थी, जो बिना बनाये ही पैसा उठा लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गौरव पथों की स्वीकृति अधिकारी व ठेकेदारों के घर चलाने के लिए दी गई थी क्या? या फिर ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी भी जांच की जानी चाहिए।

इसी पैकेज की दूसरी सड़क मेहाड़ा सिहोड़ से बादलवास सड़क (यू आर(191 बिना कोई अर्थवर्क के, पूर्व में बनी रोड के गड्ढों का भरकर, बिना लेयर कुटाई के, डब्ल्यू बी एम का कार्य किया गया। इस सड़क पर मोटे-मोटे गड्ढे भरने का कार्य बिना डामर हटाये ही कर दिया गया और यही नहीं,

अर्थात् पहले की डामर थी, उसी पर डामर कर दी गई और वह डामर भी एस्टिमेट में जो 80 एम एम ली हुई थी, उसके स्थान पर 20 एम एम डामर ही की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का भुगतान भी बिना कोई लेयर कुटाई के ही उठा लिया गया ।

इसी पैकेज का तीसरा कार्य सरदारपुरा सड़क है, इसका भुगतान भी उपरोक्तानुसार लीपापोती करके उठा लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं, पैकेज नम्बर 20-06 प्लान 2014-15 के क्रम में, यह भी 3 सड़कों का ही है; (1) सिधाना से ढाणा, (2) सिधाना बुहाना सड़क से लाम्बी जाट (3) बुहाना से पालोता। इनमें भी बिना अर्थवर्क, बिना डब्ल्यू बी एम और बिना लेयर वाइज कुटाई करना तथा उपरोक्त तीनों सड़कों को पैकेज नम्बर 20-02 20/50-54 प्लान 2014-15 की सड़कों के अनुसार ही ठेकेदार को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाकर बड़ी राशि के रूप में ठेकेदारों से अपना कमशीन वसूलने का काम ही किया गया।

रिमेनिंग वर्क बड़ा गांव चनाना जसरापुर, खेतडी निजामपुर रोड एम डी आर 93 एग्रीमेंट नं. 160 (2014-15) व इसी सड़क पर जाब नम्बर 25 के क्रम में। इन दोनों में ही ठेकेदार श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सिंघाना रही है, जो लगातार 2010 से 2015 के बीच में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में पहले अवगत कराये अनुसार ही विभिन्न सड़कों का टेण्डर लिखवाकर खेतड़ी उपखण्ड कार्यालय के अधीनस्थ बनने वाली सड़कों में सरकार को लगातार चपत लगाती आ रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन कार्यों की विभागीय जांच ही नहीं, बल्कि तकनीकी कमेटी का गठन कर, उपरोक्त दोनों पैकेजों की छहों सड़कों व एम डी आर 93 पर रिमेनिंग एग्रीमेंट नम्बर 160 व जाब नम्बर 25, यानी उपरोक्त आठों सड़कों की नियमानुसार जांच करवाकर, उस समय रहे अधिकारी, चाहे वह अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता अथवा कनिष्ठ अभियन्ता, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएं व उपरोकत आठों सड़कों में जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की वसली की जाए तथा ठेकेदारों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्यवाही कर ब्लैकलिस्ट करते हुए पैसे की रिकवरी की जाए, तथा इन सड़कों का निर्माण कार्य पुनः करवायें।

पूरणमल सैनी

(खेतड़ी)

रायसिंहनगर में राजस्व चक 61 एन पी का विद्युतीकरण

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का राजस्व चक 61 एन पी आज भी विद्युतीकरण की बाट जोह रहा है। एक तरफ राज्य सरकार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बिजली पहुंचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वर्ष 2007 से इस चक के नागरिकगण विद्युतीकरण की मांग को लेकर विभाग से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुके हैं, परन्तु ऐसा लगता है, सरकार के पास विद्युतीकरण को लेकर कोई रोडमैप नहीं है। वर्ष 2007 में जब चकवासियों द्वारा विद्युतीकरण की मांग बलवती हो गई, तो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा आनन-फानन में खम्भे लगा दिये गये जो आज भी वहां लगे हुए चकवासियों का उपहास कर रहे हैं।

महोदय, मैंने द्वितीय सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्न संख्या 4483 के माध्यम से चक 61 एन पी की विद्युतीकरण की स्थित जाननी चाही, तो असत्य और तथ्यों से परे उत्तर देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया। विभाग द्वारा सदन में कहा गया कि वहां वर्तमान में खम्भे नहीं लगाये गये हैं; तो वहां जो लगे हैं वे क्या हैं? महोदय, तब भी भाजपा की सरकार थी, अब भी भाजपा की सरकार है; बीच में जो आये, बिना कुछ किये चले गये, और चकवासी सरकारों को कोसते हुए बदहाली के आंसू रो रहे हैं।

यदि वर्ष 2007 में चक 61 एन पी का विद्युतीकरण कर दिया जाता, तो यहां के किसान खेतों में ट्यूबवेल लगाते, उत्पादन बढ़ता, किसान खुशहल होता, ढाणियों में बिजली आने से शिक्षा का स्तर सुधरता, परन्तु शायद यह सरकार को मंजूर नहीं है। सरकार-आपके-द्वार के दौरान भी चकवासियों ने इसकी मांग की थी, मगर आंकड़ों में उलझी सरकार ने समाधान-हुआ मानकर फाइल बंद कर दी। तो क्या गांव में खम्भे लगा देने को ही विद्युतीकरण कहते हैं? क्या बिना तार लगाये ये खम्बे वाई-फाई से बिजली देंगे? यह प्रश्न चकवासियों के मानस पटल पर चल रहा है।

महोदय, मैं चक 61 एन पी (रायसिंहपुर) के विद्युतीकरण करने के जन हित और अति महत्व के विषय हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

सोना देवी

(रायसिंहनगर)

सालासर उप तहसील (सुजानगढ़) में डाक बंगले का निर्माण

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम सालासर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में प्रतिष्ठित व सुविख्यात बालाजी का मन्दिर है। इस सिद्धपीठ बालाजी धाम/मन्दिर की ख्याति देश में सर्वत्र है। बालाजी के दर्शन करने के लिए देश-विदेश के कोने-कोने से आम एवं खास आते हैं। इनकी संख्या भी हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में है। सरकारी स्तर पर इनके रुकने एवं ठहरने की व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें अत्यधिक परेशानी होती है तथा चाहते हुए भी यहां पर अधिक ठहराव नहीं कर सकते।

अत: राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार से निवेदन है कि सिद्धपीठ बालाजी मन्दिर, सालासर में VIP & VVIP के आवागमन के मद्देनजर सालासर (चूरू) में अविलम्ब डाक बंगले का निर्माण करवाया जावे। धन्यवाद।

खेमाराम

(सुजानगढ़)

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नैनवां रोड (बूंदी) का क्रमोन्नयन

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी के बून्दी शहर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस स्टैण्ड के पास; राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, विकास नगर; तथा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बून्दी सिटी नाहर का चोहटा में संचालित हैं, जिनमें सम्पूर्ण बून्दी शहर की बालिकाएं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्ययन कर रही हैं।

बून्दी शहर की लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहर के नैनवां रोड क्षेत्र में निवास करती है, जहां से करीब 500-700 बालिकाएं अध्ययन के लिए उपरोक्त विद्यालयों में पैदल आती-जाती हैं, जो करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर है। शहर के नैनवां रोड से इतनी दूर आने-जाने में बालिकाओं का समय व्यर्थ होता है तथा अभिभावकों में बालिकाओं की असुरक्षा की सम्भावना रहती है, तथा दूरी के कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं।

बून्दी शहर के नैनवां रोड में वर्तमान में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रजत गृह कालोनी के नाम से संचालित है। यदि इस विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाता है, तो करीब-करीब सभी बालिकाएं शिक्षा से जुड़ सकेंगी तथा अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकेंगी।

अतः इस गम्भीर विषय पर कार्यवाही कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रजत गृह कालोनी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें, ताकि बालिकाओं व अभिभावकों को राहत मिल सके।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

रामगंजमण्डी के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की अनेक पंचायतों के गांव मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में सम्मिलित हो जाने के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वर्तमान में मुकंदरा में आने वाले गांवों का विकास इसलिए रोका जा रहा है कि इनको विस्थापित किया जाना है, परन्तु विस्थापन की समय-सीमा तय नहीं है। रणथम्भौर व सरिस्का को बने सालों हो गये लेकिन वहां पर भी गांव बसे हैं। ग्रामीणों को सड़क, बिजली की सुविधाओं से वंचित न रखा जावे। ग्रामीणों के अधिकार 13.08.2011 को उपखण्ड अधिकारी, लाडपुरा, कोटा द्वारा अधिग्रहित किये गये थे, जो ग्रामीणों को वापस दिलाये जावें।

एन टी सी ए के पैकेज में भूमि-के-बदले-भूमि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है एवं विस्थापन स्वैच्छिक है। स्वेच्छा से, बिना भूमि के, ग्रामीण विस्थापित होने को तैयार नहीं हैं।

आधारभूत सुविधाओं की मांगों हेतु ग्रामीणों ने 20.06.2013 को कोलीपुरा में धरना आयोजित किया था, जिसमें मुकदमा सं. 209 व धारा 143/283 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भा ज पा कार्यकर्ताओं के नाम द्वेषतापूर्वक लिखे। गये थे। क्योंकि उस समय कांग्रेस कार्यकाल था। इस मुकदमा संख्या 209 को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जावे।

किसानों को ग्राम गिरधरपुरा में 1962-63 में गांधी सागर बांध बनने के कारण विस्थापित किया गया था, जो वर्तमान तक आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में गणेश धाम से गणेश मंदिर तक जो सड़क बनाई गई है, ऐसी पक्की सड़क का निर्माण गिरधरपुरा के लिए कराया जावे।

मुकंदरा रिजर्व क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाना अति आवश्यक है।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जब स्कूलों के ताले लग रहे थे, सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी थी, उस समय 2,400 तृतीय श्रेणी, 3,600 द्वितीय श्रेणी व 4,200 प्रथम श्रेणी (ग्रेडवाइज) विद्यार्थी मित्रों को सरकारी विद्यालयों में लगाया। बाद में यूज-एण्ड-थ्रो की नीति का पालन करते हुए इन्हें हटा दिया गया। ये विद्यार्थी मित्र 2012 से आन्दोलनरत हैं। इनको सुराज संकल्प यात्रा में हमने भा ज पा सरकार आने पर स्थायी करने का वादा किया था।

दिसम्बर 2013 में नई सरकार आने के बाद फरवरी 2014 में इनका प्रतिनिधि मण्डल शिक्षा मंत्री व सरकार के प्रतिनिधियों से मिला। विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करने हेतु सरकार ने विद्यालय सहायक का नया पद सृजित किया, विद्यार्थी मित्रों से आवेदन मांगे गये, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय सहायक व निजी स्कूल अध्यापकों सहित विभिन्न वर्गों को छूट देकर इस भर्ती को अधिकारियों ने इस प्रकार उलझा दिया कि ये भर्ती कभी नहीं हो सकेंगी और अगर होंगी, तो न्यायालय प्रकरण बनकर रुक जायेंगी।

मंत्री महोदय जी का कथन है कि हमारी सरकार राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता का स्तर केन्द्रीय विद्यालयों के समान या उनसे ऊंचा करने जा रही है, जबकि वास्तविकता धरातल पर कुछ और है :-

1. यह है कि विद्यालयों में बहुत अधिक संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। 23,000 से ऊपर व्याख्याताओं के, 25,000 से ऊपर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 30,000 से ऊपर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 4,000 से ऊपर शारीरिक शिक्षक-ग्रेड द्वितीय व शारीरिक शिक्षक–ग्रेड तृतीय के पद रिक्त हैं।

2. सरकार ने CBSE पैटर्न पर राजस्थान के स्कूलों को चलाने हेतु कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक-एक आदर्श विद्यालय खोले हैं, लेकिन यह योजना स्टाफिंग पैटर्न (प्रथम श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक व तृतीय श्रेणी अध्यापक-लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय) नीति के अनुसार पूर्ण नहीं होने के कारण तथा पद रिक्त होने के कारण कमजोर होती जा रही है।
3. यह है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 की मुख्य सूची में चयनित व रिशफल्ड (गृह विज्ञान व उर्दू को छोड़कर) अभ्यर्थियों को अभी तक पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं दी गयी है, जबकि अब तो माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन भी नहीं है।
4. व्याख्याताओं की नई भर्ती जो लगभग 13,000 के करीब है, की परीक्षा मई 2016 में होना प्रस्तावित है, जबकि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 के रिशफल्ड व कुछ मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गयी है तथा शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को भी अभी तक नियुक्ति नहीं दी गयी है।

आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि स्कूल में कम्प्यूटर लैब तो है, लेकिन कनेक्शन नहीं; खेल मैदान है लेकिन शारीरिक शिक्षक नहीं है; प्रयोगशाला है लेकिन व्याख्याता व प्रयोगशाला सहायक नहीं हैं।

अतः, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि स्कूलों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरकर शिक्षा के स्तर को सुधारा जाये, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। धन्यवाद।

शुभकरण चौधरी

(उदयपुरवाटी)

बकानी नायब-तहसील (खानपुर) को तहसील का दर्जा

झालावाड़ जिले के खानपुर विधान सभा क्षेत्र में बकानी नायब तहसील स्थापित है, जिसके अन्तर्गत 175 राजस्व ग्राम, 29 पटवार सर्किल व 8 कानूनगो सर्किल आते हैं। साथ ही, बकानी पंचायत मुख्यालय भी है जिसके अन्तर्गत 25 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। बकानी नायब तहसील का तहसील

मुख्यालय झालरापाटन है, जो नायब तहसील के मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षेत्र की जनता को राजस्व के कार्यों के अलावा छोटे-मोटे कार्यों के लिए झालरापाटन आना-जाना पड़ता है। जिससे समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी क्षेत्र की जनता को होता है। उप-तहसील की दृष्टि से बकानी उप-तहसील राजस्थान की सबसे बड़ी उप-तहसील है।

अत: माननीय राजस्व मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बकानी को तहसील का दर्जा दिया जाये जिससे क्षेत्र की जनता की बरसों पुरानी मांग पूरी हो सके।

नरेन्द्र नागर

(खानपुर)

किशनगंज-शाहबाद में बसे बंगाली जाति के परिवारों को खातेदारी व अन्य अधिकार की उपलब्धता

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के बारां जिले में चार गांवों में बंगाली जाति के लोग रहते हैं। सन 1956 से घट्टी, 1976 से नाटई, परानियां, नेहरुपुरा में एवं कोटा शहर एवं 1970 से देवली में रहते हैं। बंगाल से विस्थापित होकर जब आये, तब इनको किशनगंज-शाहबाद के उक्त गांवों में बसाया गया था। राजस्थान सरकार ने इनके प्रत्येक परिवार को 10-10 बीघा भूमि भी आबंटित की। सरकार द्वारा आबंटित भूमि गैर-खातेदारी में दर्ज हुई। सामान्य कृषक को भूमि आबंटित होती है तो दो वर्ष तक लगातार खेती करने पर खाते की अधिकारी मिल जाती है, परन्तु बंगालियों द्वारा 15-20 वर्ष खेती करने के बाद भी कई परिवार अभी तक खातेदारी अधिकारों से वंचित हैं।

इतना ही नहीं, पश्चिमी बंगाल से आने वाली इन लोगों की जाति बंगाली नहीं है। इनमें सभी जाति के लोग हैं, जो एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. में आते हैं। राजस्थान के कई स्थानों पर इनको अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिये गये हैं। बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के गांव घट्टी, परानियां, नाटई, नेहरुपुरा में नमोशुद्र जाति के लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति में आते हैं। राजस्थान के जोधपुर, कोटा, देवली में इनको अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। लेकिन किशनगंज-शाहबाद में रहने वाले इन बंगालियों को न तो खातेदारी अधिकारी का पूर्ण दर्जा मिला है, न ही अनुसूचित वर्ग प्रमाण पत्र मिला, जिससे विद्यार्थियों को व कालेज में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई व नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इससे इन बंगाली परिवारों के शिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। इन

गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है तथा सरकार इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन्हें बी.पी.एल. से जोड़ने पर विचार करे।

इनको खातेदारी अधिकार एवं आबंटन अधिकार राजस्थान के अन्य स्थानों, जोधपुर, कोटा, देवली में बसे बंगाली परिवारों की तरह मिलने का निवेदन कर रहा हूं।

ललित कुमार
(किशनगंज)

कोटा उत्तर में रेलवे लाइन के निकटवर्ती कालोनियों में पट्टों की प्रदायगी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में रेलवे लाइन के दोनों तरफ लगभग 50 वर्षो से सघन शहरी आबादी बसी हुई है। इसमें जे.एन. मार्शल इन्द्रा कालोनी, आदर्श कालोनी, रेलवे हाउसिंग सोसायटी, जनकपुरी, बापू कालोनी, महात्मा गांधी कालोनी सहित कई कालोनियों में बरसों से हजारों की आबादी निवास करती है। बरसों से बसी कालोनियों रेलवे नियमों की बाध्यता के कारण पट्टों से वंचित हैं। रेलवे नियमों के अनुसार रेल्वे सीमा से 100 फीट दूरी तक किसी प्रकार के पट्टे जारी नहीं किये जा सकते। उक्त में से अधिकांश कालोनी हाउसिंग सोसायटी एवं कृषि भूमि पर बसी हैं। इनके अग्रिम भागों में पट्टे भी जारी कर दिये गये हैं। रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार मूल्यवान भूमि होने की स्थिति में रेलवे सीमा से 40 फीट के बाद भी पट्टे जारी किये जा सकते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेल मंत्रालय के नियमों एवं दिशा-निर्देशों का परीक्षण करवाकर, रेल मंत्रालय की अनापत्ति प्राप्त कर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी प्रभावित कालोनियों को पट्टा दिलाये जाने की कार्यवाही करावें।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता को राहत पहुंचावें। धन्यवाद।

प्रहलाद गुंजल
(कोटा उत्तर)

महवा में पेयजल हेतु CWR का पुलिस चौकी के निकट ही निर्माण

तहसील महवा जिला दौसा में पेयजल हेतु एक Regional Water Supply Scheme, Khedla Bujarg-Salempur के नाम से 413.76 लाख रुपये की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसमें करीबन 139 लाख रुपये existing anicut में फीडर्स द्वारा पानी लाने के लिए स्वीकृत किये गये। यह एनिकट तहसील महवा के ग्राम खोहरा मुल्ला में स्थित है जहां योजना स्वीकृति के बाद 9 ट्यूबवेल भी खोद दिये गये हैं।

एनीकट, ट्यूबवेल, diversion dam & water supply channel source village खोहरामुल्ला में ही स्थित है। अत: CWR का निर्माण भी खोहरामुल्ला में होना चाहिए। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बाडाबुजुर्ग ने 28/5/2014 को Source Village हेतु भी दे दी है।

CWR Source Village खोहरामुल्ला में बने या Source के नजदीक पुलिस चौकी के पास बने, इसकी अनुशंसा भी सभी अधिकारियों ने की है।

सहायक अभियन्ता, PHED, महवा ने Source Village में CWR बनाने की तकनीकी feasibility की रिपोर्ट 5.6.2014 को दे दी। अधिशासी अभियन्ता, PHED, दौसा ने भी 6.6.2014 को तथा S.E., PHDD, दौसा ने 16.7.2014 को Source Village खोहरामुल्ला में CWR बनाने की उपयुक्ता बताई।

क्षेत्रीय विधायक, महवा ने अपने पत्र दिनांक 14.7.2014 द्वारा सोर्स के नजदीक पुलिस चौकी के पास CWR बनाने की अनुशंसा भी विभाग को भेज दी।

28 जनवरी, 2015 को मुख्य अभियन्ता ग्रामीण ने प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर पुलिस चौकी के पास CWR बनाये जाने की उपयुक्ता भी भेज दी।

फिर भी राजनैतिक कारणों से CWR को Source Village से 3 किमी दूर खेडला बुजुर्ग में बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विभाग पर वित्तीय भार तो आयेगा, किन्तु Source Village से जिन 9 गांवों को पाइप लाइन से जोड़ दिया उनको adverse direction में पानी देना पड़ेगा, जिससे आये दिन इन 6 गांवों को पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। अत: शहीद स्थल के पास खेड़ला बुजुर्ग CWR बनाना किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख एवं पूर्व मुख्य सचेतक के दबाव में CWR को Source के बजाय खेड़ला बुजुर्ग में शहीद स्थल के पास ले जाया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता तक सभी ने source के नजदीक या पुलिस चौकी के पास CWR बनाना तकनीकी रूप से उपयुक्त माना है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि CWR को Source के पास ही पुलिस चौकी के पास बनाया जाये। यह प्रशासनिक, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहेगा।

डा. किरोड़ी लाल

(लालसोट)

सलूम्बर के हाड़ारानी राजकीय महाविद्यालय का स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नयन

1. माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में एक ही राजकीय महाविद्यालय स्नातक तक संचालित है।

2. इसका नाम हाडारानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर है।

3. राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी।

4. कला एवं वाणिज्य संकाय वर्ष 1991 में खुले थे।

5. विज्ञान संकाय 2014 में खुला है।

6. वर्तमान में छात्र-छात्राओं की संख्या 2,256 है।

7. इससे स्पष्ट है कि कितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

8. यह महाविद्यालय 25 साल पुराना महाविद्यालय है।

9. यह पूरा क्षेत्र आदिवासी व जनजाति बहुल क्षेत्र है व टी एस पी एरिया है।

10. राज्य सरकार बालिका उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जिससे विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में विकास की योजना को आधार मिलेगा।

11. हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा और जनजाति क्षेत्र में विकास होगा।

12. सलूम्बर महाविद्यालय के बाद सागवाड़ा, खैरवाड़ा में महाविद्यालय स्थापित हुए, जो भी स्नातकोत्तर में क्रमोनत हो चुके, किन्तु सलूम्बर महाविद्यालय 25 वर्षों पश्चात् भी क्रमोन्नत नहीं हुआ है, जो कि सलूम्बर के छात्र-छात्राओं की चिन्ता का विषय है।

13. संयुक्त निदेशक (अकादमी), आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के नाम पत्र दिनांक 10.01.2015 ।

14. सलूम्बर महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत के सम्बन्ध में।

15. दिनांक दिसम्बर, 2013 से स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत करने बाबत मांगी सूची क्रमांक 22 के अनुसार हाडारानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर (उदयपुर) में स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत किया जाना है।

16. सलूम्बर महाविद्यालय में कुल 12 कक्षा कक्ष हैं तथा 5 प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

17. उपाचार्य का एक पद स्वीकृत है।

18. स्नातक स्तर पर निम्न कक्षाएं संचालित हैं : कला संकाय में- अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, गृह विज्ञान विषय; वाणिज्य संकाय में: ए बी एस टी, व्यावसायिक प्रशासन, ई एफ एम; एवं विज्ञान संकाय में: गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, विषयों की कक्षाएं संचालित हैं।

19. मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड कार्यालय, दो पुलिस अधीक्षक, तीन तहसील कार्यालय, तीन उप तहसील कार्यालय, चार पंचायत समितियां, 7 पुलिस थाने, 12 पुलिस चौकियां, सामान्य हास्पिटल; सलूम्बर मुख्यालय पर सभी विभागों के अधिशासी अभियंताओं के कार्यालय।

20. अत: सलूम्बर स्थित हाडारानी राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जावे।

धन्यवाद।

अमृतलाल

(सलूम्बर)

ऋषभदेव उपखण्ड (खैरवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ऋषभदेव उपखण्ड है। इस उपखण्ड पर किसी प्रकार का बालक-बालिका का राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इस उपखण्ड का अधिकांश भू-भाग पहाड़ी वक्षेत्र है। ऋषभदेव केन्द्र बिन्दु है। यहां से पंचायतों की दूरी कम से कम 25-30 किलोमीटर की लम्बाई का क्षेत्र और

प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी विद्यालय खुले हुए हैं। वहां बालक-बालिकाओं की संख्या समान रूप मे हैं। यहां पर सीनियर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने के बाद बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो उन्हें खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र, डूंगरपुर जिले में या उदयपुर में जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर राजकीय महाविद्यालय की बहुत ही सख्त आवश्यकता है।

यहां पर कुल 30-35 सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी विद्यालय हैं। ऋषभदेव उपखण्ड पर 28 पंचायतें हैं तथा बड़ी संख्या में निजी विद्यालय एवं सरकारी विद्यालय संचालित हैं। यहां पर पंचायत समिति कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय हैं। उपखण्ड कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक का आफिस भी है। यहां पर अधिकांश बालक-बालिकाएं जनजाति क्षेत्र से आते हैं। उप खण्ड मुख्यालय पर अधिकांश क्षेत्र जनजाति का क्षेत्र है। यहां पर 80 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति होने से बालक-बालिकाएं बाहर भेजने में सक्षम नहीं। उनके लिए अपना जीवनयापन करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। माता-पिता बालिकाओं को बाहर नहीं भेजते हैं।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऋषभदेव में (सरकारी) राजकीय महाविद्यालय खोला जावे। यहां महाविद्यालय खुल जायेगा तो काफी संख्या में बालक और बालिकाएं पढ़कर आगे जायेंगे। इसलिए यहां पर बालक-बालिकाओं के लिए राजकीय महाविद्यालय खोला जावे। धन्यवाद।

नाना लाल अहारी

(खैरवाड़ा)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में पुराने डाक बंगले की दीवार ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

2 विधान सभा क्षेत्र आहौर में आहौर उप खण्ड पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

3 बारां जिले में लोक निर्माण के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

4 किशनगढ़ (अजमेर) उप खण्ड मुख्यालय पर जिला खण्ड-अजमेर के अधीन नवीन खण्ड कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

5 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवसृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति सेखाला के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उप खण्ड बालेसर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

7 उप खण्ड शेरगढ़ के डाक बंगला में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने व नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर उप खण्ड मुख्यालय पर उप खण्ड अधिकारी कार्यालय का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में चल रहे भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

10 विधान सभा क्षेत्र सिवाणा के सिणधरी में पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले की मरम्मत कराने एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 विधान सभा क्षेत्र सिवाणा के समदड़ी तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12 विधान सभा क्षेत्र सिवाणा के स्वीकृत सहायक अभियंता कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र सिवाणा के नवीन पंचायतवार सृजित पटवार सर्किल हेतु पटवार घर निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14 सिवाणा उप खण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत (आरक्षित) स्टेडियम की भूमि पर स्टेडियम निर्माण कार्य एवं उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

15 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराडा, सेमारी, झल्लारा में डाक बंगला निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में डाक बंगले में अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं विश्राम भवन में विस्तार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराडा, सेमारी, झल्लारा में बस स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय आवासों एवं कार्यालयों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

20 विधान सभा क्षेत्र वैर में स्थापित पुराने डाक बंगले के विस्तार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21 विधान सभा क्षेत्र वैर के पुराने जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

22 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नवीन उप खण्ड कार्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित विभिन्न सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

24 विधान सभा क्षेत्र कपासन के उप खण्ड मुख्यालय राशमी एवं भूपाल सागर में डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25 विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित परिसम्पत्तियों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

26 विधान सभा क्षेत्र डग में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

27 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नवगठित ग्राम पंचायत सरणू पनजी, गंगासरा, बलाऊ, रोहिली, खारिया तलां, गालाबेरी, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर मगरा एवं जूना पंतरासर में पंचायत मुख्यालयों पर सेवा केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

28 विधान सभा क्षेत्र भीम में टीएसपी पैटर्न की सुविधा अनुसार लोक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

29 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कसार बाड़ी पुलिस चौकी एवं बगाईचा पुलिस चौकी भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

30 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में विभाग द्वारा बनाये गये भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उप खण्ड सीमलवाड़ा, उप खण्ड चिखली, तहसील झौथरी में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में तहसील सीमलवाड़ा में तहसील भवन का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में तहसील झौथरी एवं चिखली के भवन की बाउण्ड्रीवाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उप खण्ड चिखली एवं तहसील झौथर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

35 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बानसूर तहसील भवन एवं एस.डी.एम. निवास भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

36 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में जालौरी बारी से नसरानी सिनेमा तक 80 फीट चौड़ी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

37 विधान सभा क्षेत्र भादरा (जिला हनुमानगढ़) स्थित पी.डब्ल्यू.डी. डाक बंगले का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38 विधान सभा क्षेत्र भादरा (जिला हनुमानगढ़) में पी.डब्ल्यू.डी विभाग द्वारा नया विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39 विधान सभा क्षेत्र भादरा में उप खण्ड अधिकारी का आवासीय भवन निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

40 विधान सभा क्षेत्र भादरा में तहसीलदार का नया आवासीय भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र भादरा में सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक विश्राम गृह निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

42 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम अर्जुनपुरा के मुख्य बाजार में फैले कीचड़ को दूर करने के लिए नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम फूटोलाव के श्री तेजाजी के मन्दिर के पास स्थित तालाब की सुरक्षा दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रायसर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की नई बिल्डिंग की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बहलोड सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की चारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

46 मारवाड़ जंक्शन के डाक बंगले का नवीनीकरण करने एवं दो कमरे और बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47 मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाना के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

48 जैसलमेर शहर में क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49 जैसलमेर जिले में सरकारी परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

50 जैसलमेर जिले में सरकारी खाली जमीन पर कर्मचारियों के लिए नये आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

51 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित राजकीय आवासों एवं कार्यालयों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52 सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय सांगोद में अधिशासी अभियंता के लिए आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप खण्ड कनवास एवं देवली में सहायक अभियंता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54 उप खण्ड मुख्यालय कनवास में डाक बंगला निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के राजकीय महाविद्यालय के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

56 विधान सभा क्षेत्र मावली के डबोक में डाक बंगले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

57 विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास के डाक बंगले की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

58 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी व प्रा.स्वा. केन्द्र डाबड़वास व नंगली में भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उप तहसील मांढण का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61 प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद से निम्न श्रेणी के पदों यथा-मिस्त्री, सुपरवाईजर, फोरमेन, मैट एवं गैंगमेनों के पदों पर भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

62 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

63 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित किराये पर चलने वाले समाज कल्याण कार्यालय, रोजगार, श्रम, स्वच्छ परियोजना आदि कार्यालयों के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा मुख्यालय पर पी एच ई डी सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महारावल उच्च मा. वि. में कक्षा-कक्ष का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित वीर काली बाई कन्या महाविद्यालय में कक्षा-कक्ष, प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, सेमिनार भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67 डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एसबीपी राजकीय महाविद्यालय में कक्षा-कक्ष एवं प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (उदयपुर ग्रामीण) :

68 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम देसूणा में सामुदायिक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

70 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उप खण्ड मुख्यालय-डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ में डाक बंगला निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मंगलवाड़ पंचायत समिति डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ में डाक बंगला निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

72 जिला मुख्यालय झुन्झुनूं पर स्थित कर्मचारियों के राजकीय आवासों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में स्थित चिड़ावा डाक बंगले की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

74 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मुख्यालय पर पी.डब्ल्यू.डी. के विश्राम भवनों का विस्तार एवं उनके रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पंचायत समिति मुख्यालय पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय कर्मचारियों के लिए राजकीय आवास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

77 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित 127 भवन-विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाने, उप स्वास्थ्य केन्द्रों व पशु उप केन्द्रों के भवनों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 तहसील लूणी व उप-तहसील झंवर, जिला जोधपुर के राजकीय कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के निर्माण तथा उप खण्ड मुख्यालय लूणी में डाक बंगले का निर्माण व आई.टी.आई. लूणी के भवनो के विस्तार एवं मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79 विधान सभा क्षेत्र लूणी में भवन-विहीन पटवारघरों के भवनों के निर्माण व पटवारघर, पटवार सर्कल पाल, तहसील जोधपुर के भवन की मरम्म्त करवाने, इन पटवारघरों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुन्दाड़ा (छात्र-छात्रा), नन्दवान, लूणी (छात्र), मोगड़ा कलां, धवा, शुभदण्ड, झंवर, सांगरिया, कैरू, पोपावास, शिकारपुरा, सतलाना, परिहारों की ढाणी, लोरड़ी देजगरा, रोहिला कलां इत्यादि एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय लूणावास खारा, जोलियाली, झालामण्ड, खेजड़ली कलां, मोडी जोशियान व सर इत्यादि विद्यालयों के भवनों की मरम्मत व अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

81 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में कराये गये निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

82 अलवर शहर के कम्पनी बाग में शिमला के अन्दर फिश एक्वेरियम व आकर्षक फव्वारों के खराब होने के बाद सरकार द्वारा नहीं सुधारे जाने से पर्यटकों को हो रही निराशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83 अलवर शहर में स्थित कम्पनी बाग के शिमला की ऊपरी जाली क्षतिग्रस्त होने से शिमला का स्वरूप बदहाल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

84 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में बावलवाड़ा के जीर्ण-शीर्ण डाक बंगले की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में डाक बंगलों में पर्याप्त कर्मचारी पदस्थापित कर उनका रख-रखाव करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

86 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सेमारी में डाक बंगला पुलिस से वापस विभाग के अधीन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

87 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव उप खण्ड पर एक डाक बंगला खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

88 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के खैरवाड़ा में डाक बंगले का रंग-रोगन व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

89 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नवीन विश्रान्ति गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित पशु चिकित्सा उप केन्द्र-कटसूरा, सिंरोज, कुचील, ढसूक, भगवंतपुरा तथा पशु चिकित्सालय बरना, सिलोरा, त्योद एवं सुरसुरा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित प. स. किशनगढ़ के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्रों-नोनंदपुरा, उदयपुर कलां, मा. की बाड़ी, जूणदा, बुहारू, खंडाच के नवीन भवन एवं प. स. अंराई क्षेत्र में स्थित प्रा. स्वा. केन्द्र–बंथली एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों-माला, सिंरोज, काशीर, श्री रामपुरा, देवरिया, मनोहरपुरा, चौसला, छोटा लांबा, बालापुरा, सील आदि के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

92 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में गंगापुरसिटी के तहसील भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में गंगापुरसिटी के मिनी सचिवालय भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में गंगापुर खण्ड मुख्यालय पर डाक बंगले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

95 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के रामसिंहपुरा सांगानेर में मिनी सचिवालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बने भवनों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

97 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चेचट, मोडक व सुकेत में रोडवेज बस स्टैण्ड के भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

98 विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उप खण्ड मुख्यालय बाप पर सार्वजनिक विश्राम गृह का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 फलौदी मुख्यालय पर स्थित डाक बंगलों के भवन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

100 उप खण्ड मुख्यालय बायतू पर डाक बंगले की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101 बाड़मेर के अधिशासी अभियंता कार्यालय बायतू के कार्यालय भवन का विस्तार करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

102 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में तहसील कार्यालय कोटकासिम के जर्जर भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

103 विधान सभा क्षेत्र धोद में लोसल नगरपालिका क्षेत्र में बस डिपो के भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

104 विधान सभा क्षेत्र करौली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुन्दरपुरा, गुडला के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का **जीर्णोद्धार** कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

105 लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में डाक बंगला निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

106 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती में जीर्ण-शीर्ण तहसील भवन का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के जीर्ण-शीर्ण चिकित्सालय भवन का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की उप तहसील-बालघाट में जीर्ण-शीर्ण चिकित्सालय भवन का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम व तहसील नादौती में नवीन डाक बंगलों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

110 विधान सभा क्षेत्र नगर के डाक बंगला में नये कमरों व देवनारायण छात्रावास की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

111 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बस स्टैण्ड एवं शेड का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

112 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के उप जिला मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

113 सार्वजनिक निर्माण विभाग बीकानेर के अधिशासी अभियंता कार्यालय (विद्युत) में विगत पांच वर्षों में हुई अनियमितता की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

114 प्रदेश में बनने वाले सरकारी भवनों में प्रयुक्त सामग्री की जांच प्रयोगशाला में करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 जयपुर के गांधी नगर सरकारी आवासों में प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली राशि से जो कार्य करवाये जाते हैं, उनकी क्वालिटी घटिया होने व

इनकी जांच थर्ड पार्टी से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116 जयपुर के गांधी नगर सरकारी आवासों में प्रतिवर्ष लाखों रुपये की राशि मेंटिनेंस के नाम खर्च करने में मनमानी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

117 प्रदेश में बनाये जाने वाले भवनों के निर्माण घटिया होने के कारण इनकी जांच थर्ड पार्टी से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर) :

118 विधान सभा क्षेत्र कठूमर में डाक बंगला निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

119 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में डाक बंगले का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120 किशनगढ़-रेनवाल (जयपुर) कस्बे में डाक बंगले का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

121 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

122 सांभर एवं फुलेरा (जयपुर) स्थित डाक बंगलों में सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

123 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव सेनावासा में अधूरे पड़े छात्रावास भवन का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

124 श्रीगंगानगर के पब्लिक पार्क में प्रस्तावित केन्द्रीकृत मल्टीस्टोरी पार्किंग स्थल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125 श्रीगंगानगर के शुगर मिल स्थानान्तरण पश्चात् रिक्त हुए स्थान में सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित मिनी सचिवालय बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

126 विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले एवं सहायक अभियन्ता के कार्यालय का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

127 विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढ़ागौड़जी कस्बे में डाक बंगला व सहायक अभियन्ता के कार्यालय भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

128 छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के उप खण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला (विश्रान्ति गृह) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

129 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में आगामी 2 वर्षों में होने वाले लोक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

131 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सरकारी कार्यालयों व विद्यालय के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण व सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर कस्बे में स्थित डाक बंगले की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

134 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के सार्वजनिक पार्क एवं जर्जर अवस्था में पड़े भवनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

135 राजगढ़ शहर के बस स्टैण्ड पर एक लोक निर्माण विभाग के मकान को नगरपालिका द्वारा बिना अनुमति तोड़ने के मामले में कार्यवाही नही करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

136 विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में विभाग के बेकार पड़े भवनों की देख-रेख के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

137 विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में विभाग के भवनों की सूची के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

138 विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139 रेस्ट हाउस राजगढ़ की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

140 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पंचायत समिति बावड़ी में डाक बंगला एवं पंचायत समिति भोपालगढ़ में गेस्ट हाउस का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

141 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवानिया पं. स. नैनवां के क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नया भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

142 विधान सभा क्षेत्र निवाई के P.W.D. X.E.N. कार्यालय को मालपुरा से हटाकर निवाई में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

143 विधान सभा क्षेत्र खींवसर के खींवसर में डाक बंगले का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144 विधान सभा क्षेत्र खींवसर के डाक बंगला की मरम्मत एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145 नागौर एवं खींवसर क्षेत्रों के पंचायत मुख्यालयों पर पटवार भवनों की मरम्मत व नये पटवार भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146 खींवसर एवं नागौर में विभाग के भवनों की सूची के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सरकारी भवनों को ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

148 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के डाक बंगले में नवीन कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149 राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड कार्यालयों पर विधायक जन सुनवाई कक्षों एवं कार्यालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

150 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी में डाक बंगले के भवन की मरम्मत एवं नवीन कमरों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय जर्जर भवनों का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

152 जायल मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153 जायल स्थित 'बस-स्टैण्ड' के सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

154 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में गेस्ट हाउस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बस स्टैण्ड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

156 न्यायालय भवन कोलायत व वृत्ताधिकारी कार्यालय कोलायत के निर्माणाधीन भवन का शीघ्र निर्माण कर सम्बन्धित कार्यालय को नवीन भवन में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 कोलायत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सहित प्रदेश के सभी उप खण्ड मुख्यालयों पर स्थित विश्राम गृहों में क्षेत्रीय विधायक के प्रवास के समय ठहरने हेतु प्रथम श्रेणी के समकक्ष वातानुकूलित कमरा व जन सुनवाई हेतु सुसज्जित कार्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158 वृत्त अधिकारी पुलिस कोलायत के निवास स्थान का भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159 विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत निर्मित विभाग के भवनों को सम्बन्धित विभागों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160 प्रदेश के सभी विश्राम गृहों का रख-रखाव सुनिश्चित करने व सर्किट हाउस की तरह सुविधाएं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

1 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में केसुरी से भादरणा सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2 विधान सभा क्षेत्र सांचौर से सीलु सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3 विधान सभा क्षेत्र सांचौर में काछेला से जानकी सड़क का नवीनकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

4 विधान सभा क्षेत्र महुवा में समलेटी-रसीदपुर बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 विधान सभा क्षेत्र महुवा में ठेकड़ा-भरतपुर बाईपास पर 3.6 किमी कस्बे की इन्टरनल रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6 विधान सभा क्षेत्र महुवा में ठेकड़ा बाइपास व भरतपुर बाईपास के दोनों छोर पर ओवर ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

7 बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद की प्रमुख पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

9 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण एवं अन्य जिला सड़क मार्ग एन.एच. 8 पाटन से हरमाड़ा वाया तिलोनिया के नवनिर्मित सड़क मार्ग 12 किलोमीटर को एवं हरमाड़ा से सुरसुरा तक शेष रहे 7 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा कर सम्पूर्ण 19 किलोमीटर के सड़क मार्ग पाटन से सुरसुरा स्थित मेगा हाईवे तक जोड़कर विस्तृत जिला सड़क मार्ग (एमडीआर) घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित एन.एच. 8 बड़गांव से अराई वाया डीडवाड़ा, टीहरी, खंडाच, भोगादीत सींरोज ग्रामीण सड़क मार्ग के 22 किलोमीटर मार्ग को अन्य जिला सड़क मार्ग (ओडीआर) घोषित कर सड़क मार्ग पर चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य मय डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के किशनगढ़-जयपुर खण्ड मार्ग पर स्थित बांदरसिंदरी गांव के मुख्य चौराहे पर आवागमन के लिए एक नवीन ओवर ब्रिज निर्माण की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12 किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पुरानी मिल चौराहा से सरवाड़ी गेट तक के 3 किलोमीटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण व चौड़ार्डकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13 किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) तक के 70 किमी मार्ग को मेगा हाईवे सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत पी.पी.पी. (बी.जी.एफ.) मोड़ पर बाईबल नहीं होने से एन्यूटी मोड़ पर स्वीकृत कर ''मेगा हाईवे'' बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

14 बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित 250 से 350 तक की जनसंख्या वाली ढाणियों के समूह (कलस्टर) की हेबिटेशन को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों के पेचवर्क एवं नान-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रामीण गौरव पथ से वंचित ग्राम पंचायतों एवं नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में डामर सड़कों से वंचित राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18 जोधपुर से देचू वाया तिंवरी-चेराई-चामू सड़क को रामदेवरा पैदल यात्रियों के अत्यधिक आवागमन व असुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त सड़कों को दो लेन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

19 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सड़कों से वंचित राजस्व गांवों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20 समदड़ी-कल्याणपुर जोधपुर सड़क मार्ग पर स्थित समदड़ी स्टेशन पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21 विधान सभा क्षेत्र सिवाना के विभिन्न धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22 विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ढीढस, भानावास सैला, जीनपुर, डण्डानीकरना, खारिया मठे एवं सिलोर में मांगला नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नोन-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

24 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में नवीन सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

25 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में समवेश्वर, परसाद पाटरना, हल्दीया चौदरणी, केजड़ बनदौली, पीलादर एनिकट के नीचे एवं ठाकरड़ा पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर से परसाद एवं सेमारी से चावण्ड सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के एस.एच. 32 पर सलूम्बर बाईपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उदयपुर-सलूम्बर-बांसवाड़ा मार्ग को फोरलेन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

30 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में छापर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

31 विधान सभा क्षेत्र वैर में सड़क विहीन ग्रामों में नवीन सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32 विधान सभा क्षेत्र वैर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33 विधान सभा क्षेत्र वैर की तहसील भुसावर में बाईपास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34 विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम वल्लभगढ़ से गोविन्दपुरा तक नवीन सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

35 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सांकरिया से गुलगांव, दयालपुरा से बोराभैरू एवं जोताया से बड़ला सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

36 विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में ग्राम गोपालपुरा में बाईपास सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 चूरू जिले में विभाग के खण्डों का पुनर्गठन एवं सुजानगढ़, बिदासर में उप खण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

38 विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39 विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभिन्न नोन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

40 विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा शहर में सी-64 पोल संख्या 114/3-4 तथा भादरा-गोगामेड़ी मार्ग के बीच सी-60 E.A किमी. 109/14 पर रेलवे अन्डर पास स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा-नोहर रोड से भादरा-साहवा रोड होते हुए भादरा-राजगढ़ रोड तक बाईपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 गोगामेड़ी (जिला हनुमानगढ़) से ददरेवा (जिला चूरू) तक सीधी सड़क बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह ''आक्या'' (चित्तौड़गढ़) :

43 चित्तौड़गढ़ में हजारेश्वर काजवे पर हजारेश्वर महादेव पुलिया का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर से लसड़ावन तक आठ कि.मी. सड़क मार्ग का स्ट्रेथनिंग एवं वाईडनिंग कार्य स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में घटियावली-शम्भुपुरा से होडा चौराहा तक 2 लेन रोड स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कपासन चौराहे से मानपुरा तक सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47 जिला चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ीखेड़ा से ओछड़ी सड़क मार्ग स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

48 विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भीण्डर में बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

49 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में तेजपुर से बेगूं वाया नंदवाई सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जावदा (भैंसरोड़गढ़) गुंगाली पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बस्सी आंवा सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में काटदा मोड़ से बेगूं फोरलेन सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बेगूं बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

54 विधान सभा क्षेत्र कपासन में कारोई से भादसौडा वाया राशमी कपासन को मेगा हाईवे घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55 विधान सभा क्षेत्र कपासन में सूरपुर व सूरपुरी के बीच बाकली एवं बेचड़ नदी की पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र (डग) :

56 विधान सभा क्षेत्र डग के टोकड़ा गांव गंगघाट तहसील पर हाई लेवल पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57 विधान सभा क्षेत्र डग में आवर पर दो हाई लेवल पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58 विधान सभा क्षेत्र डग में सरवर रामपुरा के बीच नदी पर हाई लेवल पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र डग में खेजड़िया खाल तक झालावाड़ रोड पंचायत सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60 विधान सभा क्षेत्र डग में खेताखेड़ा, नयागांव, सेमली बख्ता गांव को सीधा अलावा पंचायत से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

61 विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उदयपुर के रिंग रोड को बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

62 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम रीबाली से वन्दमोरा सागर तक की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम-जामडोली से बौंली, बौंली से खिरणी, दतूली से पीपल्दा, मित्रपुरा से लाखनपुर एवं उदगांव से बौंली तक की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के लालसोट-गंगापुरसिटी हाईवे से पिपलाई से बामनवास तक रोड के बीच डिवाइडर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

65 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम शकीपुरा से गण्डार, वाटोदा से खेड़ली हाईवे वाया वरनाला-विछोछ से लालसोट हाईवे तक की

क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

66 विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम बेराडा में पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

67 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मिसिंग लिंक सड़क पिण्डियों का तला-बालेरा सड़क, सेजुओं की बस्ती-सुराचारणान, गुडीसर से लुणु, जालीपा से चूली, सरली से गंगासरा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

68 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में हाथीतला कत्राऊ सड़क पूनियों की हौंडी से सऊओं की ढाणी सड़क, राणीगांव से राणीगांव कलां, दरूड़ा गुडीसर सड़क, कुडला सरली सड़क से गंगासरा सड़क के मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69 बाड़मेर शहर में चौहटन रोड पर रेलवे फाटक पर अण्डर पास की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70 विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

71 विधान सभा क्षेत्र भीम की पीएमजीएसवाई स्टेट हाईवे की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

72 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुशलगढ़ से थादला 3.500 किमी एवं कुशलगढ़ से बागना वाया छोटीसखा 20 किमी सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

73 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गांव खारी का बास पंचायत रामपुर गांव बिसालू पंचायत होलावास, बणजारा की ढ़ाणी ग्राम पंचायत मुण्डावरा, लोज डोईवाला पंचायत, ग्राम पंचायत बामनवास काकड़ मांची रोड पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बहरोड़ हाईवे रोड पर जैनपुर बास के पास पुल/अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75 विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आलनपुर से बानसूर, नारायणपुर एवं रेवेन्यू गांवों को जोड़ने एवं आडीगेली से गढ़ी सामोता से नारायणपुर रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

76 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में किरकि चौकी से वाया सलूम्बर, आसपुर, डूंगरपुर, सीमलवाड़ा, गुजरात पानरवाड़ा तक सड़क की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

77 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में साकरसी, खाण्डिया, भादर, कदवाल, नीलकण्ठ, बेड़ा एवं डोलकुन्जेला पुलिया के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बिखरी आबादी को ध्यान में रखते हुए मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सड़कों के नवीनीकरण, मरम्मत एवं नान-पैचेबल सड़कों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में माही अनास नदी पर बेदुवा सग्मेश्वर से मानगढ़ धाम पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

81 विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में पावटा सी रोड से ज्योति पार्क तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

82 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में डागर वाड़ा एवं चतरपुरा बटवालों की ढाणी के बीच आम रास्ते पर बोरोदा बांध के नाले पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नकटी घाटी से बूज तक सड़क का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

84 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में दूधली मोड़ आगरा रोड से बासड़ा मोड़ वाया चावंडिया के रोड का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध से रायसर तक शेष बची 8 किमी सड़क का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

86 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में स्टेट हाईवे नं. 58 सोजत रोड रेलवे फाटक से भबाण जिला सीमा तक सड़क का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87 उप खण्ड कार्यालय मारवाड़ जंक्शन को स्टेट हाईवे नं. 61 का दोहरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88 रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन लेवल क्रोसिंग सी 57 और सी 58 के मध्य आर.ओ.बी. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उप खण्ड कार्यालय राजीखुर्द को जिला मुख्यालय तक दोहरी रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में स्टेट हाईवे नं. 62 की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

91 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में साईवाड़ के बाईपास पर स्थित पुलिया की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित सेठावाली से चिमनपुरा सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

93 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित ग्राम पंचायत ढाणी गैसकान पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

94 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्रागपुरा से पांछुडाला सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

96 विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ब्यावर शहर में मील गेट, ब्यावर से ब्यावर खारू एवं ग्राम सरमालिया के पास रेलवे लाइन पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

97 जैसलमेर में एच.आई. से मिलने वाले गांवों में लींक रोड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98 जैसलमेर शहर में बाईपास रेलवे क्रोसिंग पर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99 जैसलमेर शहर में रेलवे से टूरिस्ट बंगला समरोड तक के ब्रिज को गडीसर चौराहे से वेटेनरी हास्पिटल तक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की नहरों पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में बी.ए.डी.पी. में बनाई गई अधूरी सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

102 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कनवास-देवली-ढाटी-चारचौम-सीमलीया-दिगोद-छिपड़दा तक नान-पैचेबल सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 विधान सभा क्षेत्र सांगोद की सम्पर्क सड़क भाण्डाहेड़ा-चारचौम-बालाजी की धाक-अडुसा तक नान-पैचेबल सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के केपली से ढोटी मार्ग पर अरू नदी के मध्य दो पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कुन्दनपुर धानाहेड़ा मार्ग पर कुन्दनपुर-मंडाप के मध्य उजाड़ नदी पर पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कुन्दनपुर-मन्डाप-धानाहेड़ा सड़क एवं लक्ष्मीपुरा से अमृत कुआ तक नान-पैचेबल सम्पर्क सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

107 विधान सभा क्षेत्र मावली में नई मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र मावली के 250 से 499 तक जनसंख्या वाली ढाणियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करवाकर स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109 विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम डबोक में ओडी, चगेड़ी और बिछड़ी के ग्राम सिहाड़ा नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110 विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम खेमली से विलोता सड़क और ढुढिया से लदानी सड़क का डामरीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111 विधान सभा क्षेत्र मावली में सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत जिंक स्मेलटर देबारी से गुडली, खेमली, घासा, पलानाकलां एवं मावली 38 किमी. लम्बी सड़क का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण तथा डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

112 विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में सड़कों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बच्चू सिंह (बयाना) :

113 विधान सभा क्षेत्र बयाना में सिंघनिया से छऊआ मोड़ तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114 विधान सभा क्षेत्र बयाना में घाटोली (रूपवास) से मिल्समा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115 विधान सभा क्षेत्र बयाना में नगला बन्ध वारैण से बारैठा के बीच में रेलवे लाइन पर अण्डरपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116 विधान सभा क्षेत्र बयाना में पहाड़पुर से रूदावल तक की सड़क 5.5 मीटर चौड़ाई कर उसका डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

117 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में माजरी से निहालपुरा सड़क, दोसोद से बनथला, नारनौल सड़क से रामसिंहपुरा सड़क, नारनौल सड़क से मेराजावास होते हुए कोहराना सड़क मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में A/R से कल्याणपुरा सड़क, A/R नालपुर सड़क, A/R से मावड़ी सड़क, A/R से विजयसिंहपुरा सड़क, खोर से दोसोद सड़क मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में एन.एच. 8 से कालेज होते हुए मोमनपुर तलवार सड़क, एन.एच. 8 से कांकरदोपा सड़क, अलवर रोड से अजमेरीपुर सड़क, मांढणकुण्ड सड़क से नानकवास, गीगलाना होते हुए रायसराना सड़क मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नंगली बलिहार से हरियाणा बार्डर, एन.एच. 8 से ढूंढाड़िया होते हुए गंडाला सड़क, नारनौल सड़क से नांगल-खोड़िया सड़क, जटगांवड़ा गांव में सी.सी. सड़क निर्माण एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121 विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में 1000 से ऊपर आबादी वाले ग्राम-विजयसिंह नगर एवं कीर्तनसिंहपुरा गांव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

122 डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत बिलपन से गांव घडमाला तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123 डूंगरपुर जिले के गांव पालीसोडा से गेड तक की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

124 डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा के गांव रतनपुर से मोदर तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125 डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति डूंगरपुर के गांव उचकी एवं पीपलादा को जोड़ने हेतु पुलिया का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126 डूंगरपुर जिले की मुख्य सड़क डूंगरपुर से बिछीवाड़ा सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

127 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में स्टेट हाईवे नं. 44 पर ग्राम सारंग पुल के पास पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम कस्बा डेहरा से वाया तहडपुर ग्राम हाजीपुर तक पेवन नान-पैचेबल सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में स्टेट हाईवे नं. 44 पर श्यामगंगा पुल एवं सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम मोहब्बत से वाया नांगल रटावत, पलखडी, माचड़ी एवं सावड़ी गांव तक नान-पैचेबल सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

131 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में चल रहे टू लैन (एस.एच. 15) निर्माण के बिच में बिलौदा गांव में बाइपास निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में चमलावदा से खौरिया डामर सड़क का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में बरड़ीया से सामन्तपुरा तक डामर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में काजलीखैड़ा से कनगटी ग्राम प. बरड़ीया प. समिति प्रतापगढ़ के बीच रेतम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

135 झुन्झुनूं शहर में स्थित गुढा रेल फाटक एवं पुलिस लाइन रेल फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं की नान-पैचेबल सड़कों का पुन: डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137 झुन्झुनूं जिले के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एवं 11 का कार्य शीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

138 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की जिला एवं राज्य मार्गों में आ रही नदी-

नालों पर हाई ब्रिज पुलिया बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140 रानीवाड़ा में सांचौर फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

141 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित नान-पैचेबल सड़को का नवीनीकरण करवाने, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाने व शेष आ रही ग्राम पंचायतों में गौरव पथ का निर्माण करवाने व कृषि मण्डी से किसान गौरव पथों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142 विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम केरू से सालोड़ी, धवा से दुन्दाड़ा, दुन्दाड़ा से समुजा, तह. सिवाणा की सरहद तक दुन्दाड़ा से चिड़िया, उत्तसेर धवा से लूणी, लूणी से धांधिया, भाण्डू कलां से बड़लिया, कालीजाल से रोहिचा कलां, सिनली से रोहिचा खुर्द इत्यादि सड़कों का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित जोजरी नदी पर खारण्डा भाण्डू, जाटियासनी पर नवीन पुलों का निर्माण एवं ग्राम दुन्दाड़ा में लूणी नदी पर स्थित पुल का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144 जोधपुर-सालावास-सर-फीच-दुन्दाड़ा-घाणा-विशनगढ़-जालोर के मध्य चलने वाले रास्तों को नया राज्य मार्ग घोषित करने एवं एम.डी.आर. झालामण्ड-लालकी को क्रमोन्नत कर राज्य मार्ग घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित राज्य मार्ग संख्या 58, 61 व 68 एवं एम.डी.आर. झालामण्ड-लालकी का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

146 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में गौरव पथ द्वितीय फेज की सड़कें स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में चम्बल नदी पर मण्डरायल के पास पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में एन.एच. 11बी के निर्माणाधीन कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

150 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शैतान सिंह (पोकरण) :

151 विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पोकरण से साकड़ा होते हुए वाया भैसड़ा फतेहगढ़ रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

152 अलवर शहर में निमार्णाधीन आर.ओ.बी. राजर्षि कालेज सर्किल से पुराना औद्योगिक क्षेत्र (कालीमोरी फाटक) एवं अलवर मथुरा रेलवे फाटक (अलवर बाईपास) आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य का बेहद धीमी गति के चलने से आमजन को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिए।

153 अलवर शहर में ईटाराणा फाटक पर बने आर.ओ.बी. की दिशा भवानी तोप चौराहे से बदलकर दूसरी ओर कर बनाये जाने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154 अलवर शहर में दाउदपुर फाटक पर Z शेप RUB बनाये जाने की लम्बे समय से की जा रही मांग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

155 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ ठेढार-सरदारपुरा खर्था की घग्घर नदी पर पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

156 विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर-पल्लू सड़क का पुन: निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

157 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा टू लेन सड़क के बीच में चिकारड़ा गांव में स्वीकृत बाईपास को चालू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

158 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की समस्त नान-पैचेबल सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

159 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव से कल्याणपुर क्षतिग्रस्त सड़क को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

160 खैरवाड़ा से सुवेरी सड़क पर एम.बी.सी. मैदान के पास नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

161 विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में एन.एच. 8 पर माइन्स रोड नदी पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162 खैरवाड़ा से पाटिया व झांझरी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

163 विधान सभा क्षेत्र बून्दी में बून्दी शहर के नैनवां रोड पर रणजीत टाकीज से ITI तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर डिवाइडर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164 विधान सभा क्षेत्र बून्दी में बून्दी नैनवां रोड पर बाईपास रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165 बून्दी जिले के ग्राम हनूतिया और जैथल के बीच करेल नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166 विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम गुढावरड ग्रा. पंचायत राजपुरा पर ऐरू नदी पर टूटे हुए पुल का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167 बून्दी पं.स. के ग्राम अल्कोदिया ग्राम पंचायत गुमानपुरा के टूटे हुए पुल का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर)

168 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में गंगापुर-सालौदा से महावीर वाया पीलोडा तक वीडीआर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169 पी.डब्ल्यू.डी. में एस.सी. सवाई माधोपुर के टी.ए. को तुरन्त हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

170 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में गंगापुरसिटी सफीपुरा वाया अलीगंज सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में मीनापाडा से बाढ़ स्टेशन (नारायणपुर टटवाडा) तक सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

172 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में भरतपुर से चिकसाना होते हुए यू.पी. बार्डर तक टूटी हुई सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

173 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की मथुरा रोड से थोरमई, संथरा होते हुए बिलोठी तक सड़क को नान-पैचेबल में लेकर बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

174 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मोरोली के राजस्व ग्राम नंगला माना को आम रास्ते से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

175 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में भरतपुर मथुरा रोड पर स्थित आर.ओ.बी. के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के 2015-16 में बनाये गये गौरव पथों में नाली निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

177 विधान सभा क्षेत्र बारा-अटरू में केरवालिया से बालूखाल तक की सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बरानी-कोटड़ी-बावन माता की झौपड़िया से लक्ष्मीपुरा (बारां) तक सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

179 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में मेरमाचाह से चौकी बोरदा मार्ग पर खरखड़ा आसर गांव में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में मेरमाचाह चौकी से बोरदा तक की सड़क का नवीनीकरण व 5 मीटर चौड़ाईकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

181 विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में फतेहपुर अट्टा से माथना बाई कैनाल सड़क को फोरलेन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

182 विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बाघेर से पलवाड स्टेट हाईवे का चौड़ाईकरण व मध्य पड़ने वाली पुलियाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183 विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर कस्बे में वर्षों पुराने जीर्ण-शीर्ण खरंजे पर सीमेन्ट क्रंकरीट की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184 विधान सभा क्षेत्र खानपुर की दरा से अरनिया तक सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185 विधान सभा क्षेत्र खानपुर में दरा से अरनिया तक सड़क के मध्य सारोला कलां में बाईपास की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

186 विधान सभा क्षेत्र खानपुर में रटलाई से जगपुरा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

187 विधान सभा क्षेत्र आहौर में साण्डेराव, मोकलसर को MDR एवं बागरा मेडा आहौर सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

188 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में रामपुरा रोड स्थित मंगल विहार एवं अनिता कालोनी-डी की लिंक रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में त्रिपोलिया हनुमान मन्दिर से मालपुरा गेट वाया खटीकों की ढाल एवं मुख्य बाजार की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में शिकारपुरा रोड से कोकावास वाली सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में डिग्गी रोड से मुहाना मण्डी रोड वाया मदरामपुरा की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192 विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कल्याणपुरा रेलवे फाटक सांगानेर में अण्डर पास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

193 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शाहजहांपुर से दादिया तक की सड़क मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के बीजवाड़ चौहान में गांव के अन्दर की टूटी हुई सड़क पर हमेशा पानी भरा रहने से सी.सी. रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मंत्री महोदय द्वारा घोषित सड़क शाहजहांपुर से बर्डोद तक CRF में बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

196 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में गारण्टी की अवधि में टूटी सड़कों को ठीक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

197 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में PMGSY की स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

198 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बांसा खाल्डा से विजयसिंहपुरा जायवाली सड़क से कुमावतों की ढाणी की सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

199 विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ढोढसर से खाटूश्यामजी तक की सड़क को MDR सड़क घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

200 विधान सभा क्षेत्र चौमूं के राजस्व ग्रामों में PMGSY सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

201 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गारण्टी अवधि में आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

202 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के कस्बा खैरथल और किशनगढ़ बास में बाईपास सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

203 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सभी एम.डी.आर. सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

204 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में शेष रहे राजस्व ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

205 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ढाबदेह से निमाणा कुदायला रोड की चौड़ाई बढ़ाने एवं सी.सी. रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नेशनल हाईवे 12 को 4 लेन से 6 लेन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम सुकेत से रामगंजमण्डी नगर तक डिवाइडर रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की ग्राम चेचट से काटून्दा (उदयपुर) मोड़ को 4 लेन टोल रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नगरपालिका रामगंजमण्डी के बाहर स्वीकृत नगरपालिका के नक्शे के अनुसार रिंग रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

210 विधान सभा क्षेत्र आमेर में एन.एच. 8 पर दौलतपुरा से चन्दवाजी सर्विस लेन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

211 विधान सभा क्षेत्र बायतू में चवा- बायतू-फलसूण्ड-रामदेवरा राज्य मार्ग को डबल लेन सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212 विधान सभा क्षेत्र बायतू में बायतू-कवास रेलवे स्टेशन के मध्य निम्बाणियों की ढाणी के पास रेलवे अण्डरपास की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213 विधान सभा क्षेत्र बायतू में बनिया सांडा धोरा (बायतू) बाड़मेर के पास रेलवे अण्डरपास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214 उप खण्ड मुख्यालय बायतू में रेलवे स्टेशन से बालोतरा की ओर रेलवे अण्डरपास स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215 एन.एच. 112 को बायतू (बाड़मेर) के आबादी क्षेत्र के बाहर से निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (धोद) :

216 विधान सभा क्षेत्र धोद में सिगरावर से मोरड़ूंगा शाहपुरा एवं सालासर तक सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217 विधान सभा क्षेत्र धोद में काशी का बास से पुराबड़ी सड़क को बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

218 विधान सभा क्षेत्र धोद के भढ़ाढ़र से मैलासी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219 विधान सभा क्षेत्र धोद में धोद से लोसल छोटी, सिगरावर व सरवड़ी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

220 विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम विचपुरी से महाराजपुरा के बीच स्थित नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221 विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम भंवरपुरा की नवीन पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222 करौली के ग्राम-रूदोल में निर्मित सड़क की ऊंचाई कर पुलिया निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

223 विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) की नान-पैचेबल सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224 सीकर जिले में भढ़ाढ़र तिराहे पर एन.एच. 65 पर ब्रिज (पुल) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

225 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार से जावल के बीच में नदी बहाव क्षेत्र सड़क पर टूटी पड़ी पुलिया का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226 विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रेवदर से जोलपुर नागाणी की ओर जाने वाली सड़क पर भूतिया नाले पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227 विधान सभा क्षेत्र रेवदर के निम्बज, रायपुर, बडगांव के मध्य पहाड़ी क्षेत्र से पानी बहकर आने वाले सड़क मार्ग पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228 रेवदर और मण्डार (जिला सिरोही) के लिए बाईपास सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229 विधान सभा क्षेत्र रेवदर की जर्जर पड़ी सड़कों का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा) :

230 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

231 विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

232 मण्डरायल (सपोटरा) में चंबल नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

233 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम-गांवड़ी से उरदेन रोड एवं मेज का पुरा से मोहनपुरा तक सड़क का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम ल्हावद से कुंजेला, सोप से पीलोदा, ल्हावद से होदाहेली एवं मिलक सराय से वगलाई तक सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम भीलापाडा से मोहनपुरा तक अपूर्ण सड़क को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम से श्रीमहावीरजी तक की क्षतिग्रस्त सड़क एवं ग्राम भैंसा से पालड़ी, टोडाभीम से खेड़ी तक नान-पैचेबल सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की टोडाभीम से गुढ़ाचन्द्रजी, गुढ़ाचन्द्रजी से गढ़मोरा वाया लालसड़ तक जीर्ण-शीर्ण सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

238 विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा की ग्रामीण सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

239 विधान सभा क्षेत्र नगर में बिडगवां से पहाड़ी बार्डर तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

240 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में झालानी बगीची एवं बसवा रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बासड़ा से रानापाड़ा एवं कोलाना से गुल्लाना तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

242 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पाटीया मोड़ से नर्सरी मोड़ सागवाड़ा तक 26 किमी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में गलियाकोट माही नदी पर पुल का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244 विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नान-पैचेबल पांडवा से कराडा एवं नया टापरा मोड़ से करीयणा सागवाड़ा की सड़क स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर) :

245 विधान सभा क्षेत्र कठूमर में लक्ष्मणगढ़ से कठूमर तक एवं मण्डावर से कठूमर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246 विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खुडडयाना-इटेडा, मीपेडा बड़ोदा मेव बी.डी.आर. सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

247 औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी को एन.एच. 8 से जोड़ने के लिए एलीवेटेड बाईपास व कस्बा तिजारा के लिए बाईपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

248 लालसोट-सवाई माधोपुर-श्योपुर सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

249 विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में नान-पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250 विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहल लाल गुप्ता (किशनपोल) :

251 प्रदेश में टोल नाकों पर जो सड़कें केन्द्र सरकार ने बनाई हैं उनमें निजी वाहनों से टोल नहीं वसूलने की नीति बनाने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

252 जयपुर से केकड़ी सड़क को ठीक से नहीं बनाने एवं घटिया निर्माण की जांच करावाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

253 प्रदेश में गारण्टी अवधि में खराब होने वाली सड़कों की संवेदकों से पुन: मरम्मत नहीं करवाये जाने एवं जो मरम्मत संवेदक से करवायी जाती है वह ठीक से नहीं होने पर चर्चा के लिए।

254 प्रदेश में बनाये जाने वाली सड़कों की क्वालिटी घटिया होने व इनकी थर्ड पार्टी जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255 जयपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई गयी हैं उनका घटिया निर्माण होना, गारण्टी अवधि में होने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा कोई मरम्मत नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

256 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरतगढ़ ब्रान्च की मसीतावाली हैड पर 8 S.T.B. व 5 S.T.B. के मध्य पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

257 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रायसिंहनगर से करणपुर तक की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बाजूवाला से सलेमपुरा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

259 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रायसिंहपुर से कुपली के बीच में घग्घर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

260 विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सलेमपुरा से रायसिंहनगर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

261 किशनगढ़-रेनवाल एवं फुलेरा कस्बे की सड़कों का सी.सी. सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

262 फुलेरा से भादरपुरा (साम्भर रोड) बाईपास सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

263 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा से जोबनेर ओ.डी.आर. सड़क का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

264 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा हास्पिटल से पांच बत्ती चौराहे होते हुए नरियासल मोड़ तक की सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

265 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के खण्डेल रेलवे स्टेशन से काजीपुरा सड़क तक का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) :

266 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

267 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्रामों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

268 सरदारशहर कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन से बीकानेर रोड की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

269 विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम मेलूसर से जोरावरपुरा को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया) :

270 विधान सभा क्षेत्र संगरिया में भटिण्डा-सूरतगढ़ रेलवे सैक्शन पर फाटक संख्या सी-50 पर रेलवे अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271 विधान सभा क्षेत्र संगरिया में भटिण्डा-सूरतगढ़ रेलवे सेक्शन पर ग्राम-रतनपुरा में किलोमीटर संख्या 71/13-14 पर रेलवे अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

272 विधान सभा क्षेत्र संगरिया में भटिण्डा-सूरतगढ़ रेलवे सेक्शन पर ग्राम-नगराना में किलोमीटर संख्या 74/8-9 पर रेलवे अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273 विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्राम-नाथवाणा से ग्राम-बोलानाली तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

274 विधान सभा क्षेत्र संगरिया में ग्राम मानकसर से ग्राम-लीलावाली तक सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

275 विधान सभा क्षेत्र आमेर में विलेज कलस्टर रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

276 विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण की ग्राम सिरमोली से ग्राम नोरंगाबाद में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

277 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम कुवानीया एवं जाम्बोड़ी की सीमा से लगे जगमेर पहाड़ पर हनुमान मन्दिर तक सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

278 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम ईसरवाला एवं कोहाला के बीच बहने वाली चाप नदी पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्राम जगपुरा के पास बोरेश्वर महादेव के पश्चिम की ओर माही नदी पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पंचायत समिति पीपलखूंट में गांव रोहनिया एवं पृथ्वीपुरा के बीच भूड़वाई नदी पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) :

281 विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गांव 3 जी से 5 जी सहारणावाली होते हुए 9 ए तक लिंक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

282 विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गांव लट्ठावाली से बनियावाली तक लिंक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

283 विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गांव 6 जी-। से 5 जी सहारणावाली तक लिंक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

284 विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गांव 11 एमएल से 25 एमएल की

तरफ मेन रोड तक लिंक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

285 विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के गांव 21 जीजी से 23 जीजी तक लिंक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

286 विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 25 किलोमीटर नान-पैचेबल व 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक रोड निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) :

287 विधान सभा क्षेत्र सिकराय के पापड़दा से मुंडघिस्या वाया श्यालावास, नांगल चांपा से श्यालावास एवं भगलाव से अलूदा वाया रामसिंहपुरा की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

288 विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम घाठेड़ा से आमटेड़ा तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

289 विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

290 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2013 में सड़क निर्माण सम्बन्धी जारी की गई स्वीकृतियों को निरस्त कर आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

291 विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

292 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 वन्डर सीमेन्ट सर्कल से बड़ोली घाटा सड़क को पार कर गांव कल्याणपुरा (परास 79) को जोड़ते हुए निम्बाहेड़ा रिंग सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

293 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर निम्बाहेड़ा-नीमच बाईपास सड़क पर ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़ोली माधोसिंह, रानीखेड़ा व मरनीवी (चौराहे के रास्ते पर) ओवर ब्रिज/अण्डर ब्रिज के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

294 विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के गांव कल्याणपुरा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा से धार्मिक स्थल सिगरी हनुमानजी जाने वाली सड़क के मध्य नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

295 निम्बाहेड़ा से अरनिया माली-रठोजना सड़क के मध्य गांव अरनिया माली के पास कदयाली नदी पर जीर्ण-शीर्ण एवं कम चौड़ाई की पुलिया के पुनर्निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296 ग्राम झाला का खेड़ा ग्राम पंचायत गणेशपुरा पंचायत समिति छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के रास्ते पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

297 विधान सभा क्षेत्र टोंक में पटेल सर्किल से बनास रपटों के मध्य सी.सी. रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

298 केन्द्रीय बस स्टैण्ड टोंक से एन.एच. 12 तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

299 विधान सभा क्षेत्र टोंक में सीतारामपुरा से नटवाड़ा तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

300 विधान सभा क्षेत्र टोंक में बनास फ्रेजर पुल से चिरोंज मण्डावर तक एवं टोंक से लहन-पालड़ा तक माइनिंग रोड घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

301 विधान सभा क्षेत्र टोंक में मुकलपुरा खेड़ा से नटवाड़ा तक मिसिंग लिंक रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

302 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पी.डब्लू.डी. की सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

303 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में प्रस्तावित मिसिंग लिंक सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

304 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कस्बे फतेहपुर व रामगढ़ में रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

305 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नेशनल हाईवे नं. 65 का फतेहपुर से सालासर तक कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

306 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर मेड़ावा सड़क की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

307 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

308 बीकानेर के रेलवे क्रोसिंग पर एलिवेटेड सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

309 बीकानेर के रानी बाजार करणी नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया की सड़कों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

310 विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बंगला नगर, मुक्ता प्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर एवं अन्दरूनी शहर में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) :

311 विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में मुकन्दगढ़ से कुलहरियां की ढाणी तक (वाया मण्डावा) सड़क की चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

312 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रड़वा रोड से कांघराण गांव के बीच में अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 से गांव लुटाणा सदासुख जाने वाली सड़क पर अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

314 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राऊ टिब्बा से टमकोर तक लिंक रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

315 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ढाणी मौजी से नीम का बास तक 3 किमी. सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

316 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पिछले 2 वर्षों में बनाई गई नयी सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

317 विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विभिन्न मदों से सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

318 विधान सभा क्षेत्र दौसा में मित्रपुरा पाड़ली से जसोता रोड पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

319 विधान सभा क्षेत्र दौसा में जयपुर-आगरा बाईपास पर अण्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

320 विधान सभा क्षेत्र दौसा की सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

321 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बनाड़ से खागरा, जाजिवाल कलां से सालवाखुर्द, भुण्डाणा, रतकुडिया एवं खागरा तक डबल सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

322 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में उद्वेश नगर कोसाना से खागरा स्वामियों की प्याऊ तक डामर सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

323 स्टेट हाईवे जोधपुर से वाया भोपालगढ़ होते हुये मूण्डवा का मरम्मत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

324 विधान सभा क्षेत्र निवाई में राणोली से बीसालू तहसील पीपलू तक सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

325 विधान सभा क्षेत्र निवाई में सोहेला से बोरखण्डी तक सड़क को पुन: तैयार करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

326 विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम नला से सिरस तक सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

327 विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई से झिलाय तक सड़क की चौड़ाई बढ़वाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

328 विधान सभा क्षेत्र निवाई में पीपलू से प्रदोषनगर होकर बाईपास काशीपुरा तक सड़क निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक (हिण्डौली) :

329 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के ग्राम अलोद से बड़ोदिया 5 किलोमीटर कच्चे मार्ग का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

330 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के ग्राम गोठड़ा से भवानीपुरा 7 किलोमीटर कच्चे मार्ग का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

331 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के बाल-बड़गांव-दराका नया गांव सड़क मार्ग की मेज नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

332 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के मुख्य जिला सड़क संख्या 183 धनावा-दबालान-भवानीपुरा पर मेज नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

333 विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के ग्राम खीण्या से बसौली 11 किलोमीटर कच्चे मार्ग का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

334 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में P.M.G.S.Y. से निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

335 नागौर शहर स्थित मानासर फाटक एवं बीकानेर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

336 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कडलू से बलाया हिलोडी से भटनोका, डेहरू से खांडवा, बैरावास से ताडावास, चावंडिया से माडपुरा सड़कों के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

337 मिसिंग लिंक जनाणा, गावा कलां से संखवास, कचेरा से बासनी खलील, काणु से तांतवास, भेड़ से चावंडिया की सड़कों की चौड़ाई कर नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) :

338 विधान सभा क्षेत्र आमेर के P.M.G.S.Y. से वंचित ग्राम खुराड़ व वृसिंहपुरा को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

339 विधान सभा क्षेत्र खींवसर में एन.एच. 89 पर रेण, अलाय, चिला, देशनोक एवं पलाणा पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

340 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बनास नदी पर आमल्दा के अभयपुरा से बागुदार तक पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

341 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में MDR 7 पर आमल्दा चौराहे से फत्ता का खेग होते हुए आमल्दा, अभयपुरा, माइन्स पर होते हुए बनास पर होकर आसावरी से कोढ़ाज चौराहे तक क्षतिग्रस्त सड़क का नवनिर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की कोटड़ी पन्डेर MDR रोड पर 13 किलोमीटर को टुकड़ा रोपा से कोठाज का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

343 विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में रोपा से बेरी तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

344 विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली सड़क रोटू से टोकीघोरी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

345 विधान सभा क्षेत्र जायल के गांव झोरड़ा से वाया लोसेरी होते हुए लालगढ़ सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

346 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बिणजारी माता से हाईवे तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

347 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बासड़ा से रानापाड़ा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

348 विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कोलाना से गुल्लाना तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती रानी सिलौटिया (बसेड़ी) :

349 विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के नादनपुर रोड से जिला करौली की सीमा तक 20 किमी. एवं बसेड़ी से मुख्यालय से उत्तर प्रदेश की सीमा जगनेर तक 11 किमी. जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

350 विधान सभा क्षेत्र कोलायत की अधिकांश पेचैबल सड़को का पैचवर्क नहीं करने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

351 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बीकानेर से अक्कासर, हाडला, झझू, हवां, खिन्दासर, दासूडी सड़क को ओसिया तक एम.डी.आर. 35 सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

352 विधान सभा क्षेत्र कोलायत के बीकानेर शहर में यातायात के भारी दबाव को कम करने हेतु जोधपुर राजमार्ग से जैसलमेर राजमार्ग तक बाईपास का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

353 विधान सभा क्षेत्र कोलायत की सड़क एम.डी.आर. 37 के तहत बज्जू से कोलायत तक की क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

354 विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 में निर्माणाधीन फोर लेन सड़क के अन्तर्गत आने वाले सड़क पार करने के मार्ग व चौराहे पर अन्डर पास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

355 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ग्रामीण गौरव पथ सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

356 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम कालवास (ग्रा.पं. लूणकरणसर) से मनाफासर तक की 20 किलोमीटर सड़क के नान-पैचेबल होने के कारण नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

357 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में बाडेरण से मनोहरिया सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।